पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

(झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की

पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधार्थी

रामकल्याण मीणा

शोध निर्देशक

डॉ. फूलसिंह गुर्जर

एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

2018

Certificate

It is certified that :-

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled **"पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन)"** {ROLE OF PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION : A CASE STUDY IN JHALARAPATAN PANCHAYAT SAMIT} By RAMKALYAN MEENA under my guidance. He/She has completed the following requirements as per Ph.D regulations of the University.

(a) Course work as per the university rules.

(b) Residential requirements of the university (200 days)

(c) Regularly submitted annual progress report.

(d) Presented his work in the departmental committee.

(e) Published/accepted minimum of one research paper in referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date

Signature of Supervisor
With date

शोध सार

पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवृति से है जो जन्तु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है। जैसे–जैसे जनसंख्या वृद्धि एवं तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ वैसे–वैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन किया गया। वन विनाश, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण, जनंसख्या वृद्धि, खनिजों के दोहन आदि के कारण वायु, जल, मृदा, ध्वनि तथा उष्मीय प्रदूषण आदि बढ़ते जा रहे हैं। अनेक वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोका नहीं गया तो सन् 2100 तक धरती के तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री की बढ़ोतरी की आशंका है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को अध्ययन की दृष्टि से 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है।

प्रथम अध्याय परिचयात्मक में शोध के उद्देश्य, महत्त्व, साहित्य का पुनर्वेक्षण, अनुसंधान अभिकल्प एवं अनुसंधान पद्धति को समाहित किया है।

द्वितीय अध्याय में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। पर्यावरण दो अवयवों जैविक व अजैविक से मिलकर बना है। जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत सजीव, जन्तु पौधों और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अन्तर्गत सभी अजैविक तत्त्व जैसे हवा, भूमि, पानी आदि आते हैं। मानव–पर्यावरण के मध्य सहसम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है जैसे पर्यावरणीय निश्चयवादी, सम्भववादी, उद्देश्यमूलक, आर्थिक निश्चयवादी, पारिस्थितिक, नवनिश्चयवादी दृष्टिकोण। इन दृष्टिकोणों के अलावा सन् 1970 में पर्यावरण को बचाने हेतु आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इन आन्दोलनों के द्वारा वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया जाता है इसलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरित राजनीति की संज्ञा दी जाती है।

इन सभी दृष्टिकोणों के अलावा सतत विकास की अवधारणा भी है जो विकास पर जोर देती है ब्रंटलैण्ड के अनुसार ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे।

पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा में पर्यावरण में मातृत्व को देखा है और कहा – 'माता भूमिः पुत्रोऽहंपृथिव्याः'। लेकिन अनियंत्रित विकास के कारण अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़े हैं जो कि दुनिया के

अस्तित्व के लिए खतरे की घण्टी है। इसी कारण 1972 से ही विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास किये जा रहे है।

तृतीय अध्याय तके पंचायती राज की अवधारणा और विकास का विवेचन किया है। शाब्दिक दृष्टि से पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों से पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पांच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। ये पाँच प्रतिनिधि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पांचवा परमेश्वर। भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। इनमें सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। चौल प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी। ब्रिटिश काल में लार्ड मेयो ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए कौंसिल में प्रस्ताव स्थापित करने का पहला प्रयास किया। लार्डरिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा गया है। रिपन ने 1882 में अपना एक प्रस्ताव जारी किया था। इस प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया था। आजादी के बाद भारत सरकार ने 1957 में बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायतीराज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद से ही पंचायती राज में सुधार हेतु अशोक मेहता समिति, डॉ. सी. एच. हनुमंथराव राव समिति, जी.वी.के. राव समिति, सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति आदि का गठन किया गया। 24 अप्रेल 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायातों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया।

चतुर्थ अध्याय में राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन का विवेचन किया गया है। राजस्थान से प्राप्त लेखों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी। वे पंचकुली कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता में जिसे महंत कहा जाता था कार्य करती थी। धीरे–धीरे राज्य के नियन्त्रण ने पंचायतों को तीन भागों में बांट दिया जो निम्न है (1) जाति पंचायत (2) ग्राम पंचायत (3) व्यावसायिक पंचायतें। ब्रिटिश काल में, बीकानेर पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायतों के लिए वैधानिक व्यवस्था की। आजादी के बाद राज्य विधानसभा ने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 पारित किया। इसके बाद 2 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इसके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायतीराज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। इसके बाद पंचायतीराज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार ने सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन किया। भारतीय संविधान

के 73वें संशोधन अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए है।

पंचम अध्याय में झालरापाटन पंचायत समिति में पर्यावरण से जुड़ी योजना परियोजनाऐं तथा पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों का क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त झालरापाटन पंचायत समिति की तीन ग्राम पंचायतें असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल में हुए पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों का विवेचन किया है। इस पंचायत समिति में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक योजनाएँ व कार्यक्रम संचालित किये गये है। जैसे मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, उज्ज्वला योजना आदि। शोधार्थी ने विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित डाटा के आधार पर जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार भी लिये है। साक्षात्कार के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण, खुले में शौच, प्लास्टिक के कारण, घरेलू धुँए, गन्दे पानी कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग करने, वनों की कटाई आदि कारणों से होता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के इन कारणों का समाधान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वृक्षारोपण, शौचालय निर्माण पर बल दिया गया है। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास जारी है। स्वच्छता कार्यक्रम चलाये जा रहे है। जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु उपयोगी सुझाव भी दिये है। शोधार्थी द्वारा भी तीनों ग्राम पंचायतों में किये गये पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अवलोकन किया है।

शोधार्थी का मानना है कि स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाऐं ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य प्रभावी तरीके से कर सकती है क्योंकि इन संस्थाओं में जनता की सीधी भागीदारी होती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक पंचायत राजसंस्थाएँ ही पर्यावरण संरक्षण के कार्य प्रभावी तरीके से करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। अतः स्थानीय स्तर पर हरियाली, विकास, स्वच्छता का कार्य यह संस्थाएँ अच्छी तरह कर रही है।

≈≈≈≈

Candidate Declaration

I hereby certify that the work, which is being presented in this thesis, entitled **पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन)** in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of philosophy, carried under the supervision of Dr. Phool Singh Gurjar and submitted to the research center Govt. PG College, Jhalawar, University of kota, kota represents my ideas in my own words and whenever other ideas or words have been included I have adequately cited and referenced the original sources. The work presented in this thesis has not been submitted else where for the award any other degree or diploma from any institution. I also declare that I have adhered to all principles of academis honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/date/fact/source in my submission. I understand that violation of the above will be a cause for disciplinary action by the university and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited from whom proper permission has not been taken when needed

Date **Ramkalyan Meena**

This is to certify that the above statement made by Ramkalyan meena is correct to the best of my knowledge

Date **Dr. Phoolsingh Gurjar**

Supervisor & Head of Department

Political Science Govt. PG College, Jhalawar (Raj.)

प्राक्कथन

विश्व की सर्वाधिक चर्चित एवं प्रमुख समस्या वर्तमान में "पर्यावरण असंतुलन हैं। पर्यावरण के अवनयन के लिए मानव प्रकृति का बिगड़ता सम्बन्ध सबसे अधिक उत्तरदायी कारक हैं। जब तक यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहा हैं पर्यावरण के तत्व हमारी छोटी–मोटी भूलों को सहन करते रहे हैं। लेकिन जब भौतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर लगातार चोट पहुंचाई गई तो उसकी गुणवत्ता घटने लगी। आधुनिकता के नाम पर पर्यावरण की अवमानना हमारी आदत सी बन गई। हम प्रकृति विजय का स्वप्न देखते–देखते भूल गये की मनुष्य भी प्रकृति पुत्र हैं। उसकी जिन्दगी का आधार भी नैसर्गिक वस्तुएं हैं, जिनकी गुणवत्ता बनाये रखना हमारा परम कर्तव्य हैं। हमारी भूल का प्रतिफल प्रदूषण के रूप में प्रकट होने लगे हैं। कुछ संकट तो मानव अस्तित्व के लिए प्रश्न चिह्न बनते जा रहे हैं। मानव का बढ़ता अंहकार भस्मासुर की कहानी दुहरा सकता हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि प्रदूषणों के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्या आ गई हैं जिससे वैश्विक ताप वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादन पर प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ओद्यौगिक क्रान्ति से ऊपजी, भौतिकवादी संस्कृति ने मानव समाज को पथ भ्रष्ट कर मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोका नहीं गया तो सन् 2100 तक धरती के तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री की बढ़ोतरी की आशंका हैं।

इसी खतरे को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में विभिन्न देशों ने पहल करना आरम्भ कर दिया जिसकी परिणति विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन के रूप में सामने आई। विश्व पटल पर दृष्टिपात करे तो सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश रहा हैं जहां पर इस दिशा में आदिकाल से ही चिंता व्यक्त की जाती रही हैं। राजस्थान के गांवों में "ओरण" एक प्रकार के आरक्षित वन हैं। उन पर सामुदायिक संस्थान, ग्राम पंचायत तथा मन्दिरों के ट्रस्ट आदि का अधिकार होता था। उन्हे ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों की सर्व सुलभ सम्पत्ति के संसाधन भी कहा जा सकता हैं जिसका

ग्राम्य जीवन की भूमिका में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। भारत में प्राचीन काल से ही ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त संस्थायें रही हैं। वैदिक युग में स्थानीय शासन की समर्थ इकाइयां सभा, समिति एवं विदथ, संगठानिक इकाईयों के रूप में विद्यमान थी। 18 मई 1882 में लार्ड रियन का प्रस्ताव लागू हुआ जो स्थानीय शासन की संस्थाएं स्थापित करने में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्वर्गीय प्रधानमंत्री पण्डित श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान विधान सभा द्वारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियिम 1994 पारित किया जिसे 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। इस नये अधिनियम के अनुसार दिसम्बर 1994 एवं जनवरी 1995 में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों (अ) ग्राम पंचायत (ब) पंचायत समिति (स) जिला परिषद् के चुनाव करा दिये गये एवं वर्तमान में सभी संस्थाएं कार्यरत हैं।

शोध ग्रन्थ के अध्ययन को सरल बनाने की दृष्टि से इसे छः अध्यायों में विभाजित किया गया हैं –

प्रथम अध्याय परिचयात्मक हैं, इसमें पर्यावरण व पंचायती राज के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया हैं। इस अध्याय में प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्य, महत्व, सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान पद्धति पर भी प्रकाश डाला गया हैं।

द्वितीय अध्याय में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा का अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द Environment का भाषान्तर पुनरूक्ति हैं जो दो शब्दों से उत्पन्न हुआ हैं जिनका अर्थ क्रमशः Encircle या Enclose है अर्थात् आसपास से घेरे हुए। पर्यावरण दो अवयवों जैविक व अजैविक पर्यावरण से मिलकर बना होता हैं। मानव–पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न दृष्किोणों से किया जाता हैं जैसे निश्चयवादी दृष्टिकोण, सम्भववादी दृष्टिकोण, उद्देश्यमूलक दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण आदि। ब्रंटलैण्ड ने अपनी रिपोर्ट “our common future“ में सतत विकास की अवधारणा 1987 में प्रस्तुत की थी। भारत में प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया हैं वेदों में पर्यावरण की गहरी समझ ही इस बात का प्रमाण है कि उसने पर्यावरण में मातृत्व को देखा और कहा –

"माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।"

अर्थात यह भूमि माता के समान सबकी पोषक हैं और मैं पुत्र के समान इस भूमि का रक्षक हूँ। लेकिन मानव द्वारा उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण समूचे विश्व की एक ज्वलन्त समस्या हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण आदि हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर पर किये जा रहे हैं।

तृतीय अध्याय में पंचायती राज की अवधारणा और विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। पंचायती राज का सीधा सा अर्थ है पंचायतों का नीति–निर्माण, क्रियान्वयन और राजकाज में भागीदारी। शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों से पंचायत और राज से मिलकर बना हैं जिसका अर्थ है पाँच जनप्रतिनिधियों के समूह का शासन। ये पाँच प्रतिनिधि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद तथा पाँचवा परमेश्वर। भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। चौल प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। ब्रिटिश काल में लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा गया हैं। आजादी के बाद भारत सरकार ने 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसकी सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायती राज संस्थाओं को ज्यादा उपयोगी, क्रियाशील एवं विकासोन्मुखी बनाने हेतु संविधान में 73 वां संविधान संशोधन किया गया जिसे 24 अप्रैल 1997 से अधिनियम के रूप में लागू किया गया। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11 वीं सूची भी जोड़ी।

चतुर्थ अध्याय में राजस्थान राज्य में पंचायती राजव्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन का अध्ययन प्रस्तुत किया हैं। राजस्थान से प्राप्त लेखों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी। वे "पंचकुली" कहलाती थी। यहाँ पर जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, व्यावसायिक पंचायते विद्यमान थी। जेम्स टॉड द्वारा लिखी पुस्तकों से यह स्पष्ट होता हैं कि जिस समय अंग्रेजों ने राजपूताना राज्यों के प्रशासन के क्षेत्र में पर्दापण किया, तब यहाँ ग्राम पंचायतें मौजूद थी। बीकानेर पहला राज्य था जिसने ग्राम

पंचायतों के लिए वैधानिक व्यवस्था की। 1948 में प्रथम बार राजस्थान के उदयपुर राज्य में निर्वाचित पंचायत की स्थापना का शुभारम्भ किया गया था। 2 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और क्रियान्वयन 2 अक्टूबर 1959 को भारत नागौर जिले के पंचायती राज का ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। राज्य सरकार ने पंचायती राज में सुधार हेतु सादिक अली, गिरधारी लाल व्यास आदि समितियों का गठन किया। भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया हैं। अधिनियम को 23 अप्रैल 1994 से पूर राज्य में लागू किया गया हैं इसके बाद राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 व राजस्थान पंचायती राज नियम 2000 पारित किए गये। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण हेतु 5 विभागों को उन्हें सौंपा गया। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी होने से राज्य के गाँवों में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृति एवं राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ हैं।

अध्याय पंचम में पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया हैं। झालरापाटन पंचायती समिति के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम चलाये गये हैं जिनमें सूखे से बचाव के कार्य, परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्धार कार्य, जल संरक्षण एवं जल संचय, भूमि विकास के कार्य, सूक्ष्म सिंचाई के कार्य, व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत, अपना काम" आदि मुख्य है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता कार्यक्रम मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास आदि कार्यक्रम चलायें गये हैं।

पंचायत समिति झालरापाटन की तीन ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल में संचालित पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं का अवलोकन भी शोधार्थी द्वारा किया गया हैं। जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार लिये गये हैं। ताकि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकें। जिससे पर्यावरण संरक्षण की वास्तविक स्थिति का पता लग सकें।

षष्टम अध्याय उपसंहार के अन्तर्गत शोध निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया हैं। पर्यावरण आन्दोलन पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर आया तभी से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण व जन चेतना जागृत करने का कार्य पंचायती राज संस्थाओं का हैं।

अध्ययन के अन्त में विषय से सम्बन्धित संदर्भ ग्रन्थों की एक सूची भी प्रस्तुत की गई हैं जो इस विषय पर अधिक जानकारी चाहने वालों के लिए अधिक उपयोगी होगी और भावी अध्ययन कर्ताओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगी।

शोध कार्य की सफलता गुरूजन के निर्देशन, मित्र, सहयोगी व संस्थाओं के सहयोग पर निर्भर करती हैं। अतः उनके प्रति आभार करना मेरा धर्म हैं।

सर्वप्रथम धन्यवाद उस ईश्वर को जिसकी अनुकम्पा से यह महत्त्वपूर्ण कार्य संभव हो पाया हैं। मैं अपने शोध निदेशक डॉ. फूलसिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, झालावाड़ के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिन्होनें न केवल इस विषय पर अध्ययन के लिए प्रेरित किया, अपना अमूल्य समय व्यय किया व आत्मीय वातावरण प्रदान किया अपितु उचित मार्गदर्शन व विद्धतापूर्ण दिशा निर्देश दिये। उनके प्रोत्साहन, सहयोग के बिना इस महत्त्वपूर्ण कार्य को चरम परिणति तक पहुंचाना संभव ही नहीं था। डॉ. सज्जन पोसवाल को भी मैं ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मेरी कठिनाइयों को दूर करने में अद्वितीय भूमिका अदा की हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में उपयोगी एवं नवीनतम सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु राजेश मूंदडा अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद झालावाड़ (मनरेगा) एस. के. वर्मा अधीक्षण अभियन्ता (वाटर शेड) जिला परिषद झालावाड़, सुरजीत शर्मा जिला प्रशिक्षण समन्वयक (मनरेगा) जिला परिषद् झालावाड़, कैलाश मीना डी.एफ.ओ. झालावाड़, ब्रजपाल सिंह सहायक अभियन्ता भू जल ग्रहण कार्यालय, पंचायत समिति, झालरापाटन, भोम सिंह इन्दा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन, घनश्याम शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता, मनरेगा, जयराम सुमन कनिष्ठ अभियन्ता, मनरेगा पंचायत समिति, झालरापाटन, सुभाष शर्मा सहायक निदेशक उद्यान विभाग, झालावाड़, कैलाश मीना सहायक उपनिदेशक, कृषि विस्तार, महेन्द्र शर्मा कृषि पर्यवेक्षक, रामकुमार कृषि पर्यवेक्षक, मकसूद मोहम्मद ग्राम

सेवक, असनावर, गुलरैना ग्राम सेवक, जूनाखेड़ा, नन्दकिशोर प्रजापत ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत, लावासल, रामराज मीना कृषि विज्ञान केन्द्र, झालावाड़, अमित सैनी सूचना सहायक, रसद विभाग, झालावाड़, अजय कुमार पालीवाल कानूनगों कार्यालय, तहसील, असनावर, पी.डी. गुप्ता पुस्तकालयाध्यक्ष, श्री भवानी परमानन्द पुस्तकालय, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़, कैलाश राव पुस्तकालयाध्यक्ष हरिश चन्द्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, झालावाड़ आदि के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

उन विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय–समय पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान किया हैं। मेरे इस कार्य में डॉ. अख्यराज मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, डॉ. हमीद अहमद, व्याख्याता भूगोल, डॉ. प्रणव देव, व्याख्याता इतिहास, डॉ. अलका बागला, व्याख्याता संस्कृत, डॉ. अशोक कंवर शेखावत, व्याख्याता संस्कृत, रामकिशन माली, व्याख्याता, हिन्दी एवं प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़ को धन्यवाद प्रदान करता हूँ जिनका समय–समय पर अविरल स्नेह प्रोत्साहन सहयोग व उपयोगी परामर्श प्राप्त हुआ हैं।

मैं अपने परिवारजनों के प्रति यथा योग्य आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे प्रेरक बने तथा निरन्तर भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान किया। मैं मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री द्वारकालाल जी के प्रति कृतज्ञ हूँ जिनका आर्शीवाद व स्नेह सदैव मेरे साथ रहा।

मैंने इस शोध प्रबन्ध को यथासंभव सम्यक एवं शुद्धतापूर्वक पूर्ण करने की चेष्टा की हैं। मेरी अज्ञानता या मूलवश यदि कोई अशुद्धि हो तो विद्धतजन भूल सुधार कर अध्ययन करने की चेष्टा करें। इस शोध ग्रन्थ के आकर्षक, स्वच्छ, स्पष्ट, सुरूचि पूर्ण तथा मुद्रण के लिए सुश्री जया सुमन, शबनम खान परम कम्प्यूटर (कोटा) को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

रामकल्याण मीणा

व्याख्याता राजनीति विज्ञान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

झालावाड़ (राज.)

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	I -VI
प्रथम अध्याय	परिचयात्मक	1—16
द्वितीय अध्याय	पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा	17—66
तृतीय अध्याय	पंचायती राज की अवधारणा और विकास	67—118
चतुर्थ अध्याय	राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन	119—168
पंचम अध्याय	पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन, पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन)	169—283
	उपसंहार	284—305
	शोध सारांश	306—312
	संदर्भ ग्रन्थ सूची	313—320
	रिसर्च पेपर	
	जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार में दिये गये प्रश्न	
	साक्षात्कार देने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम की सूची	
	पंचायत समिति, झालरापाटन की ग्राम पंचायतों की सूची	

अध्याय–प्रथम

परिचयात्मक

पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवृति से हैं जो जन्तु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती हैं, इस परिवृति में भौतिक तत्वों की प्रधानता होती हैं। पर्यावरण दो अवयवों, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण से मिलकर बना हैं। मनुष्य का प्राकृतिक वातावरण से वही सम्बन्ध है जो अन्य प्राणियों का हैं परन्तु मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सम्बन्ध बदलते रहे हैं। जैसे–जैसे जनसंख्या वृद्धि एवं तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ वैसे–वैसे प्राकृतिक संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन किया गया। औद्योगिक क्रान्ति से उपजी भौतिकवादी संस्कृति ने मानव समाज को पथ भ्रष्ट कर मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि वन एवं वन्य जीवों के लिए भी संकट पैदा कर दिया। वन विनाश, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, खनिजों के दोहन आदि के कारण, वायु, जल, मृदा, ध्वनि, उष्मीय प्रदूषण आदि बढ़ता जा रहा हैं। जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, कृषि उत्पादन पर दृष्टिगत हो रहा हैं। विकास को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त मानने वाले राजनेता और विद्वान यह भूल गये कि अनियंत्रित एवं असंतुलित विकास विपत्ति को जन्म देते हैं।

अनेक वैज्ञानिकों का मानना है कि "ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोका नहीं गया तो 2100 तक धरती के तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री की बढ़ोतरी की आशंका हैं।[01] आधुनिक हथियार व एटम बम के प्रयोग ने पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी। रेडियो विकिरण के कुप्रभाव से सिर्फ लोग ही रोगग्रस्त नहीं होगें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जायेगा। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण पर्यावरण संरक्षण की भावना को बल मिला जब पांचवी सदी ई.पू. में हिपोक्रेटिस द्वारा "वायु, जल और स्थान" नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को पर्यावरणीय सिद्धान्त पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना गया हैं।[02] मानव की विकास की प्रवृति के कारण मानव एवं वातावरण के सहसम्बन्ध प्रतिकूल होते जा रहे हैं। मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों के विषय में वैज्ञानिकों के अलग–अलग दृष्किोण हैं। जैसे :– पर्यावरणीय निश्चयवादी, सम्भववादी, उद्देश्यमूलक, आर्थिक निश्चयवादी तथा, पारिस्थितिक दृष्टिकोण आदि।

सन् 1960 के दशक के अंत तक यह स्वीकारा कि यूरोपीय देशों में औद्योगीकरण और शहरीकरण का तेजी से फैलना पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदेह है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जर्मनी में धुंआ उगलने वाली फैक्ट्रियों से जो बादल उठते, उनसे जीवनदायिनी रस की धार नहीं बरसती थी, बल्कि अम्लीय वर्षा खेतो को बंजर करने के लिए

धरती पर उतरती थी। इन्हीं वर्षों में साइलेन्ट स्प्रिंग नामक पुस्तक के प्रकाशन ने एक नई बहस को जन्म दिया। जिसमें बताया कि इंग्लैण्ड के ग्रामीण इलाको में अब चिड़ियों की चहचहाट नहीं सुनी जा सकती थी क्योंकि वह जहरीलें कीट खा–खाकर काल कवलित हो चुकी हैं। कीडे इसलिए जहरील बने थे क्योंकि फसलों को उनसे बचाने के लिए भारी पैमाने पर डी.डी.टी. जैसे रासायनिकों का अदूरदर्शी उपयोग किया गया था। इन दोनों ही बातों ने पश्चिमी देशों में पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में चिंता बढ़ायी।

जिसके परिणामस्वरूप सन् 1970 में पश्चिमी देशों में पर्यावरणवादी आन्दोलन हुए। पर्यावरणवादी आन्दोलन के अन्तर्गत वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया गया। जिसे हरित राजनीति की संज्ञा दी गई हैं। सत्तर के दशक के बाद सतत विकास की अवधारणा पर बल दिया जाने लगा। ब्रंटलैंड के अनुसार सतत् विकास ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा पारिस्थितिकी तंत्र भी स्वस्थ एवं सतत् अवस्था में बना रहें।[04]

स्वतन्त्र भारत में पं. जवाहरलाल नेहरू भारत का विकास औद्योगीकरण के द्वारा करना चाहते थे। जबकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू ने "भारत की खोज" में लिखा है कि "मै ट्रेक्टरों तथा बड़े उद्योगों का हामी हूँ। मेरा विश्वास है कि भूमि पर दबाव को कम करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए तथा रहन–सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए और अन्य बहुत से उद्देश्यों के लिए भारत का द्रुतगति के साथ औद्योगीकरण होना आवश्यक हैं परन्तु इसके साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास हैं कि औद्योगीकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए तथा उसके बहुत से खतरों से बचने के लिए अत्यन्त सतर्कतापूर्ण व नियोजित विकास हैं।"[05]

महात्मा गांधी आर्थिक क्षेत्र में विकेन्द्रीयकरण के समर्थक थे। गांधीजी का मानना था कि ऊँचे पैमाने पर मशीनों द्वारा लघु कारखानों में लिये जाने वाले उत्पादन के स्थान पर कुटीर एवं घरेलू उद्योग स्थापित हो। औद्योगिकीकरण ही साम्राज्यवाद, अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष तथा मुद्दों का कारण हैं। यदि औद्योगिक उत्पादन को समाप्त कर दिया जाए तो इन मुद्दों व संघर्षों से भी विश्व को मुक्ति मिल जाएगी। गांधीजी के अनुसार रेल, कारखानों व मशीनों के बिना मनुष्य का कार्य चल सकता हैं क्योंकि वे जीवन की अत्यधिक सरल व सादा आवश्यकताओं को कम करने के पक्ष में थे। इसी कारण उन्होंने अपने अहिंसक व आदर्श समाज में रेलों, जहाजों व यन्त्रों को कोई महत्व नहीं दिया है।[06]

वास्तव में गांधीजी के संदेश को समझा गया होता तो दुनिया अलग होती। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। वहां एक युग का जन्म हुआ था। वे आज भी दुनिया के लिए उतने ही प्रांसगिक हैं जितने की अपने जीवन काल में थे। यदि गांधीजी से सीख लेते तो दुनिया में यह समस्याएँ नहीं होती जो निम्न हैं[07] :–

ग्लोबल वार्मिंग :– गांधीजी प्रकृति की रक्षा के सिद्धान्त पर जीते रहे। गांधीजी के बताए रास्ते पर दुनिया चलती तो ये समस्या आज नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग के मूल में प्रकृति का दोहन करने का मनुष्य का स्वभाव हैं। सदियो से हमने प्रकृति का शोषण किया, उसका विनाश किया। जबकि महात्मा गांधी हमेशा जीवन–आचरण के जरिए प्रकृति की रक्षा का संदेश देते रहे।

शान्ति :– यदि दुनिया ने अहिंसा के गांधीजी के संदेश को पचाया होता तो कई समस्याएं नहीं होती। मैं तुमसे ताकतवर हूँ और मेरा रास्ता ही सही हैं इस तरह के विवादों में दुनिया आज फंसी हैं। अपनी बात साबित करने के लिए हथियार का सहारा लिया जा रहा हैं। लेकिन गांधीजी का संदेश दुनिया को बचा सकता हैं। दुनिया अब गांधीजी के सपने को ताकत समझने लगी हैं।

पानी :– जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे तो उस समय नदी लबालब भरी रहती थी। अगर कोई गांधीजी को ज्यादा पानी देता था तो वे उसे डांटते थे कि क्यों पानी बर्बाद कर रहे हो ? किसी को जरूरत होगी तो वह दोबारा मांगेगा। गांधीजी लिफाफे के पीछे लिखते थे। क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम ज्यादा कागज का इस्तेमाल करेगें तो ज्यादा पेड़ कटेगें।

अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 1972 से ही विश्व समुदाय प्रयास करने लगा हैं और अब तक अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके है जैसे स्टॉक होम सम्मेलन (1972), रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992), क्योटो सम्मेलन (1997), लीमा जलवायु सम्मेलन (2014), जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस 2015 आदि। इसके अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन भी है, जैसे ग्रीन पीस, साइटस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आदि।

यदि विश्व पटल पर दृष्टिपात करे तो यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सम्पूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा देश रहा हैं जहां पर इस दिशा में आदिकाल से ही चिंता व्यक्त की गयी हैं हमारे धर्मशास्त्रों में भी प्रकृति के सभी घटकों के प्रति आदर की भावना बनी रहे इस हेतु मनुष्य के दैनिक जीवन के क्रिया कलापों को पर्यावरण से जोड़ा गया हैं। राजस्थान में भी थार मरूस्थल की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय विरासत का अद्वितीय उदाहरण यहां का ग्राम्य आरक्षित वन प्रदेश हैं जिसे वहां की स्थानीय बोली में "ओरण" कहा जाता हैं। "ओरण" सदैव ही वन्य पशुओं के शरण स्थान रहे हैं। राजस्थान में वन संरक्षण के सम्बन्ध में कहावत है – "सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण" इसका अर्थ यह है कि यदि अपने जीवन का बलिदान करके भी पेड़ों की रक्षा की जाय तो भी उसे सस्ता ही समझना चाहिये। जोधपुर राज्य के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी के बलिदान ने इस कहावत को सिद्ध कर दिखाया।

आजादी के बाद भारतीय संविधान में पर्यावरण को उचित महत्व दिया गया। संविधान के भाग 4 मे वर्णित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 48(क) यह अपेक्षा करता है कि ''राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।''[08] संविधान के 42 वे संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4

के पश्चात एक नया भाग 4 क जोडा गया है। जिसमें मूल कर्त्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये अनुच्छेद 51 क मे अन्तर्विष्ट है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी है रक्षा करे, उनका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखे।[09]

भारत में पर्यावरण के प्रति आदर और सम्मान की भावना होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें प्राचीन काल से पर्यावरण संरक्षण का कार्य करती रही हैं। पंचायत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन्' से हुई हैं जिसका अर्थ हैं पांच व्यक्तियों का समूह। महात्मा गांधी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया हैं। वैदिक काल में सभा समितियों का उल्लेख हुआ हैं। ये सभा व समितियाँ लोगों की भलाई के कार्य करती थी। अथर्ववेद में इस आशय का एक श्लोक भी मिलता है[10] :–

"ये ग्रामा वरदण्यं या सभा अथिभूम्याम।
ये संग्रामाः समितियस्तेषु चारू वेदम ते।।"

अर्थात पृथ्वी के ग्रामों, वनों व सभाओं में हम सुन्दर (चारू) वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करें।

मनु ने अपने साहित्य में ग्रामा (गाँव) पुरा (टाउन) व नागरा (शहर) तीन तरह की आबादी होने का उल्लेख किया हैं। मनुस्मृति के अनुसार गाँव के अधिकारी को ग्रामिक कहते थे। उसका कार्य कर आदि की वसूली करना था। दस गाँव के ऊपर एक ओर कर्मचारी होता था जिसे 'दमिशक' के नाम से जाना जाता था। 20 गाँव के ऊपर के कर्मचारी को विशाधिप कहते थे। सौ गाँवों के ऊपर के कर्मचारी का नाम शतपाल था तथा एक हजार गाँवों के ऊपर के कर्मचारी का नाम सहस्त्र पति था।

चाणक्य ने अर्थशास्त्र में आदर्श गाँव की सुस्पष्ट झलक दिखाई पड़ती हैं। ग्राम में कई अधिकारी होते थे जिनमें प्रमुख थे गोप, अध्यक्ष (मुखिया) और लेखाकार। परिषदों के रूप में पंचायतों का विकास गुप्तकाल में दिखाई पड़ता हैं जब इन परिषदों को केन्द्रीय भारत में पंचमंडली और बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। चोल काल में पंचायतें ग्रामीणों के हितों की रक्षा करने और उनके मौलिक नैतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण तथा सराहनीय कार्य करती थी। लेकिन सल्तनत काल व मुगल काल में ग्राम पंचायतों का पतन हुआ।

ब्रिटिश युग में नगरीय संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1687 ई. में मद्रास में नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की । सन् 1772 में कलकत्ता और 1793 में बम्बई में नगर निगम स्थापित किए। 1864 में लार्ड लारेंस ने इस सत्य को स्वीकार किया कि "भारत के लोगों में अपने स्थानीय मामलों को चलाने की क्षमता हैं।"[11]

लार्ड मेयो ने 14 दिसम्बर 1870 में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए कौंसिल में प्रस्ताव स्थापित करने का पहला प्रयास किया। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रयास 10 मई 1882 में रिपन के काल में हुए। रिपन प्रस्ताव का उद्देश्य स्थानीय कार्यो के प्रबन्ध में जनता को अधिक वास्तविक व अर्थपूर्ण भागीदारी देने की बात की गई थी। लार्ड रिपन के पश्चात स्थानीय स्वशासन के प्रयास 1909 में रॉयल आयोग की रिपोर्ट में किये गये। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन विभाग प्रांतों के निर्वाचित मंत्रियों के अधीन आ गया। इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पंचायतों को प्रांतीय विधायी सूची में सम्मिलित कर दिया।

वास्तव में भारत में स्थानीय स्वशासन एक ऐसी व्यवस्था हैं जिसके माध्यम से समाज के सभी लोग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाकर लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई को मजबूती दे, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता की शुरूआत नीचे से होनी चाहिए, गाँवों के पास अपनी शक्तियां होगी तो समस्या सुलझाने में भी सक्षम होगें। गांधीजी का यह भी मानना था कि भारत का प्रत्येक राज्य एक गणराज्य होना चाहिए जहां ग्राम पंचायत के पास सुरक्षा सहित अन्य मसलों का प्रबन्धन रहेगा। उन्होने पंचायत से यह अपेक्षा की कि वह गाँव अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विधायी, कार्यपालक एवं न्यायिक कार्य करें। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को भी ग्राम पंचायत को हाथ में लेना चाहिये।[12]

ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद केन्द्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय स्तरो पर स्वशासन की स्थापना हुई व स्थानीय स्वशासन को भारतीय संविधान में राज्य सूची के विषय के रूप में समाविष्ट किया गया। नीति निदेशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन की विशेष चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में स्पष्ट किया गया हैं कि ''राज्य ग्राम पंचायतो का गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार की शक्तियाँ देगा कि वे स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में अच्छी तरह कार्य कर सके।''[13] 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में स्वर्गीय प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद पंचायत राज में सुधार हेतु अनेक समितियों का गठन किया जैसे अशोक मेहता समिति, डॉ. सी.एच. हनुमंतराव समिति, जी.वी.के. राव समिति, पी.के. थुंगन समिति आदि।

पंचायतों को संवैधानिक दर्जा न मिलने के कारण पंचायतों का गठन करना या गठन नहीं करना राज्य की इच्छा पर निर्भर था। अतः पंचायतो को मजबूत आधार देने के लिए उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना जरूरी था। मई 1989 में स्व. श्री राजीव गॉधी की सरकार ने संविधान का 64वाँ संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। यह अधिनियम लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 1991 में कांग्रेस के दोबारा सत्ता में आने पर मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर 16 सितम्बर 1991 को संविधान का 73वाँ संशोधन

विधेयक पेश किया जो 22 दिसम्बर 1992 को संसद द्वारा पारित किया गया। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद संविधान का 73वाँ संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में इसे अंतिम रूप मिला।

73 वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नवीन अध्याय भाग 9 को अन्तः स्थापित किया गया हैं इस भाग में अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक हैं। संविधान में पंचायतों से सम्बन्धित 11 वी अनुसूची भी रखी गयी हैं। इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया हैं।[14]

राजस्थान विधान सभा ने 73 वे संविधान संशोधन की अनुपालना करते हुए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पारित किया जिसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत 124 धाराएं व 3 अनुसूचिया हैं। अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायत राज, आरक्षण की व्यवस्था, निर्वाचन के लिए अर्हताएं, पंचायत के कृत्य और शक्तियां, पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियां, जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियां वित्त आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग का गठन आदि के सम्बन्ध में प्रावधान किये हैं।

संविधान की 11 वी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 विषय सौंपे गये है उनमें कई विषयों का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा खोजे गये समाधान अधिक व्यावहारिक होंगे। इस सन्दर्भ में लास्की का यह विचार महत्त्वपूर्ण है कि ''हम लोकतन्त्रीय सरकार का पूरा लाभ नहीं उठा सकते जब तक हम यह बात मानकर नही चलते कि सारी समस्यायें केन्द्रीय (राष्ट्रीय स्तर की) समस्याएँ नहीं है। उनके हल उसी स्थान पर एवं उन लोगों द्वारा होना अपरिहार्य है, जिनके द्वारा वे अनुभव की जाती है।''[15]

अतः पर्यावरण संरक्षण में पंचायत राज संस्थाये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, जिसे उद्‌घाटित करने की परम आवश्यकता है।

शोध के उद्देश्य :– पर्यावरण के सुरक्षात्मक अध्ययन के अभाव का प्रतिफल हमारे राजनैतिक सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार में पर्यावरण के प्रति उदासीनता के रूप में प्रतिफलित हुआ, जिसमे आज पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय असन्तुलन की समस्या से सम्पूर्ण विश्व डरा हुआ है।

ग्राम पंचायतों से यू.एन.ओ. तक के विभिन्न अभिकरण आज इसके संरक्षण एवं सवर्द्धन हेतु प्रयास कर रहे है। प्रकृितवाद में संशोधन से उपजे सम्भववाद ने मानव सोच और आचरण में भारी बदलाव उत्पन्न किया। परिणामस्वरूप वह अपने ढंग से जीवन यापन के लिए स्वच्छन्द व्यवहार करने लगा।

प्रस्तुत अध्ययन के उद्‌देश्यों को निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया रहा हैः–

1. पंचायतीराज संस्थाओं की कार्य विधियों का अध्ययन करना और यह देखना कि क्या भारतीय पंचायतीराज संस्थाएं स्थानीय विकास अहिंसा, विवेक तथा लोकतांत्रिक आधार पर खडी है ? क्या पंचायतों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही होता है ? क्या इनमें एक समान विकास होता है।

2. पंचायत राज संस्थाओं की विशिष्ट उपलब्धियों के रूप मे ग्रामीण जीवनचर्या के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा मे किये गये कार्यों का पता लगाना।
3. पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का परीक्षण करना तथा इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाये गये जन जागरण कार्यक्रमों का पता लगाना। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की निगरानी के लिए पंचायती राज संस्थाओ द्वारा संचालित नियन्त्रण व्यवस्था का पता लगाना तथा इनकी भूमिका में वृद्वि की और अधिक सम्भावनाओ का पता लगाना
5. पर्यावरण संरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं की सफलता–असफलता का मूल्यांकन करना।
6. प्रस्तुत शोध से यह पता लग सकेगा कि पंचायत राज संस्थाऐं पर्यावरण संरक्षण के मामले में मानवीय सोच में कितना बदलाव कर सकी है।
7. पंचायत राज संस्थाओ द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर किए गये व्यय के क्या परिणाम निकल रहे है? इसका पता लगाना।
8. पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन प्रतिनिधि कितने जागरूक है ? इसका पता लगाना।
9. पर्यावरण संरक्षण के कार्य में पंचायती राज संस्थाओं व जनता के बीच की भागीदारी का पता लगाना।
10. स्थानीय स्तर पर वन एवं वन्य जीवो की सुरक्षा हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गये प्रयासो का पता लगाना।
11. प्रस्तुत शोध से पर्यावरण असन्तुलन से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
12. पर्यावरण संरक्षण से जुडी समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी सुझाव दिये जा सकेगे।

शोध कार्य का महत्व :– प्रस्तुत शोध कार्य की उपयोगिता तथा महत्ता अनुसन्धान के क्षेत्र में निम्नांकित नवीन आयामो को विकसित करने में हैं :–

1. प्रस्तुत शोध कार्य से यह ज्ञात होगा कि ग्रामीण परिवेश में पर्यावरण प्रदूषण की क्या स्थिति है और जन समुदाय के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है।
2. शोध कार्य से क्षेत्रीय जनसमुदाय को यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि पर्यावरण सवर्द्धन में कौन–कौनसी अड़चने आ रही है।
3. जन समुदाय पर्यावरण संरक्षण के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोगों को एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होगा।
4. पंचायत राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में नई दिशा मिलेगी और जन प्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विषयों पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित होगे।
5. पर्यावरण की कुछ समस्यायें विश्वव्यापी है तो कुछ क्षेत्रीय। इस दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन से क्षेत्रीय स्तर की समस्याओं की जानकारी जन समुदाय को प्राप्त होगी। इससे

क्षेत्रीय व स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी तथा जिला झालावाड के पर्यावरण संरक्षण पर शोध कार्य को बढावा मिलेगा।

6. प्रस्तुत शोध के द्वारा झालावाड़ क्षेत्र का जन समुदाय सामाजिक वानिकी व वृक्षारोपण जैसे रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होगा। जैसे–

(क) प्रस्तुत शोध के द्वारा नदियों, तालाबों, कुओं आदि को स्वच्छ बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा।

(ख) प्रस्तुत शोध–कार्य के अध्ययन से कृषक समुदाय में प्राकृतिक उर्वरको के प्रयोग को बल मिलेगा तथा मृदा संरक्षण की प्रवृति बढेगी।

7. शोध कार्य से हरित राजस्थान कार्यक्रम को बल मिलेगा।

साहित्य का पुनर्वेक्षण :– पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण तथा पंचायती राज के सन्दर्भ में अनुसन्धान एवं ग्रन्थ लेखन की एक लम्बी परम्परा विश्व और भारत में रही है और किसी भी शोधार्थी के लिए सन्दर्भ साहित्य का अध्ययन अनुशीलन मार्ग निदर्शक की भूमिका अदा करता है। इसी दृष्टि से यही सन्दर्भ साहित्य की लघु समीक्षा का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है जो इस प्रकार है :–

गोस्वामी सुबुद्धि :– पर्यावरण संरक्षण, तृतीय संस्करण 2004, श्याम प्रकाशक, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक चार अध्यायो में विभक्त है। प्रथम अध्याय प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है जिसमे पर्यावरण के विनाश, भूमि एवं ताप प्रदूषण, नाभिकीय विकिरण, पर्यावरण व जन चेतना के बारे में उल्लेख किया है। द्वितीय अध्याय में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तृतीय अध्याय ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषण नियन्त्रण से संबंधित है जिसमें सड़क से संसद तक शोर ही शोर, सड़कों से घरो तक पहुँचता दम घोटू धुंआ, जल प्रदूषण जैसे बिन्दुओं का उल्लेख है। चतुर्थ अध्याय शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता से संबंधित है जिसमें पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारण, पर्यावरण की शिक्षा आदि बिन्दुओं का समाहित किया है।

शर्मा, दामोदर व व्यास हरिशचन्द्र : हमारा पर्यावरण, 1995 साहित्यगार, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक 37 अध्यायों में विभक्त है जिसमें पर्यावरण चेतना, जनसंख्या और कराहता पर्यावरण, पर्यावरण रक्षा, जल ही जीवन है। जल परियोजनाऐं एवं पर्यावरण गरम होती धरती और हरियाली, प्रसूतिगृह और शुद्ध पर्यावरण, वन्य जीवो की सुरक्षा, गोडावण और उसका वंश, मरूस्थल में कल्पतरू खेजडी, रसोईघर प्रदूषण एवं महिला स्वास्थ्य, नये ऊर्जा विकल्प : पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण एवं महिलाऐं, परमाणु प्रदूषण एवं पर्यावरण, पर्यावरण की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण अध्यायो का उल्लेख है।

वर्मा, एल.एन. खत्री, एल.सी. कायमखानी, इशाक मोहम्मद : पर्यावरण अध्ययन, प्रथम संस्करण 2008, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक आठ इकाइयों में विभक्त है। पहली इकाई पर्यावरण अध्ययन, बहुआयामी प्रकृति से संबंधित है जिसमें पर्यावरण एवं संकल्पनाएं, पर्यावरण परिस्थितिकी तथा जन चेतना का उल्लेख है। दूसरी इकाई प्राकृतिक संसाधन से संबंधित है। तीसरी इकाई पारिस्थितिकी तंत्र से

संबंधित है। चौथी इकाई जैव विविधता और सरंक्षण से संबंधित है। पांचवी इकाई पर्यावरणीय प्रदूषण कारण प्रभाव और नियन्त्रण से संबंधित है। छठी इकाई सामाजिक समस्याएं और पर्यावरण से संबंधित है। सातवी इकाई मानव जनसंख्या और पर्यावरण से संबंधित है। आठवी इकाई क्षेत्रीय अध्ययन से संबंधित है।

सिंह, सुरेन्द्र सैनी, श्रवण कुमार : पर्यावरण विधि, प्रथम संस्करण 2006, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक सात अध्यायों में विभक्त है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण एवं भारत का संविधान, लोकहित याचिका एवं पर्यावरण तथा वन्य जीव अधिनियम आदि विषयो पर प्रकाश डाला गया है।

सिंह, सुधा : पर्यावरण शिक्षा, प्रथम संस्करण 2011, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

यह पुस्तक 14 अध्यायों में लिखी गई है। जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बाढ, सूखा आदि विषयो का समावेश किया गया है। पुस्तक में पर्यावरण में जन जागृति की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

त्रिवेदी, पी.सी. एवं गुप्ता गरिमा : पर्यावरण अध्ययन पुनर्मुद्रण 2007, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर।

इस पुस्तक में पर्यावरण से संबंधित प्रमुख विषयो, पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थतिकीतन्त्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण, मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण तथा क्षेत्रीय अध्ययन आदि विषयो पर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

श्रीवास्तव, वी.के. एवं बी.पी. : पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पुनर्मुद्रण 1999, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।

इस पुस्तक में पर्यावरण के तत्व और पारिस्थतिकी वनस्पति, जगत्, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक प्रकोप, सांस्कृतिक समस्यायें, मानव पारिस्थितिकी आदि विषयो के बारे में विशद् जानकारी प्रस्तुत की गई है।

तायल, बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, 2010, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली।

प्रस्तुत पुस्तक में पर्यावरण और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी गई है। पुस्तक के कुछ अध्यायों में मुख्य रूप से वायु, भूमि और जल–प्रदूषण, भूमण्डलीय तापन, रियो घोषणा और क्योटो प्रोटोकोल जैसे विषयो पर प्रकाश डाला गया है।

पंत, पुष्पेश : 21 वी शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, 2008, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, न्यू देहली।

प्रस्तुत पुस्तक में पर्यावरण का उभरता संकट, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वातावरणीय प्रदूषण, अस्त्रो–शस्त्रो के दुष्परिणाम, खाद्यपूर्ति एवं प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरण संवर्द्धन में राजनीतिक अडचने, आदि विषयो के बारे में जानकारी दी गई है।

पंत, पुष्पेश : अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, 2008, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, न्यू देहली।

प्रस्तुत पुस्तक में पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम व पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गये अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासो के बारे में बताया गया है।

जोशी, आर.पी. व मंगलानी रूपा : पंचायत राज के नवीन आयाम, प्रथम संस्करण 1998, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लिमिटेड, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक में भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन के साथ–साथ राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक अध्ययन का भी विश्लेषण समाहित किया गया है।

महीपाल : पंचायती राज चुनौतियां एवं सम्भावनाएं, प्रथम संस्करण 2004, निदेशक, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली।

प्रस्तुत पुस्तक को नौ अध्यायों में बांटा गया है। इसमे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, 73 वे संविधान संशोधन व अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के विभिन्न पहलू राज्यों के पंचायती राज अधिनियम, पंचायतो के सामने विभिन्न चुनौतियां तथा विभिन्न संभावनाएं आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

लाल, डी.एस. : जलवायु विज्ञान, 2009, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

प्रस्तुत पुस्तक 25 अध्यायों में विभक्त है। जो पृथ्वी का वायुमण्डल, पवने, जलवायु वर्गीकरण ,जलवायु परिवर्तन, व्यावहारिक जलवायु विज्ञान से संबंधित है। व्यावहारिक जलवायु विज्ञान नामक अध्याय में वायु प्रदूषण, मानव निर्मित प्रदूषक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य, औद्योगिक केन्द्रों से उत्सर्जित प्रदूषक ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न बीमारियां आदि बातो को सम्मिलित किया गया है।

अग्रवाल, एस.के. : ग्लोबलवार्मिग एंड क्लाइमेंट चेन्ज, 2008, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, न्यू देहली।

प्रस्तुत पुस्तक 15 अध्यायों में विभक्त है जो ग्लोबलवार्मिग, कार्बनडाइऑक्साइड़ और जलवायु परिवर्तन मिथेन एवं जलवायु परिवर्तन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवायु परिवर्तन,

क्लोरोफ्लोकार्बन और जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत एलनिनो तथा विश्व जलवायु पविर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल, जलवायु परिवर्तन सम्मलेन, क्योटो समझोता आदि से संबंधित है।

जोशी, आर.पी. व मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायती राज, द्वितीय संस्करण 2003, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक 22 अध्यायो में विभक्त है। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को अलग–अलग लेखकों द्वारा लिखा गया है। पुस्तक में पंचायतीराज संबंध में विस्तृत जानकारी समाहित है जिसमें पंचायतीराज व्यवस्था के वैचारिक आयाम, पंचायतीराज की विकास यात्रा, पंचायतीराज एवं मानव विकास, पंचायतीराज का प्रशासनिक तन्त्र एवं जनप्रतिनिधि पंचायतीराज में सामाजिक न्याय, पंचायतराज में आरक्षणः औचित्य एवं संभावनाएँ, पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था, पंचायतीराज तथा विकेन्द्रीत आर्थिक विकास, पंचायतीराज व्यवस्था पर राजकीय नियन्त्रण : दशा एवं दिशा, पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक दलो की भूमिका, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास आदि बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।

दवे, दया : वेदों में पर्यावरण, प्रथम संस्करण 2000, सुरभि पब्लिकेशन, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक को 8 अध्यायों में बाँटा गया है। प्रथम अध्याय में पर्यावरण और पर्यावरण शिक्षा के बारे में बतलाया गया है। द्वितीय अध्याय पर्यावरण संबंधी शोध कार्य से संबंधित है। तृतीय अध्याय वैदिक पर्यावरण और अध्ययन विधि से संबंधित है। चतुर्थ अध्याय वेदो में पर्यावरण सम्प्रत्यय के बारे में उल्लेख किया गया है। पाँचवें अध्याय में मानव–पर्यावरण संबंध के बारे में बतलाया गया है। छठे अध्याय में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बतलाया गया है। सातवें अध्याय वेद और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। आठवॉ अध्याय पर्यावरण–शिक्षा का प्रस्तावित प्रारूप स्पष्ट किया गया है।

निशीथ, राकेश शर्मा : पंचायती राज तब और अब, प्रथम संस्करण 2011, जाह्नवी प्रकाशक, दिल्ली।

प्रस्तुत पुस्तक 17 अध्यायों में विभक्त है। पुस्तक में पंचायतीराज संस्थाओं का इतिहास और विकास, स्वतन्त्रता के बाद पंचायतीराज की स्थिति, पंचायतीराज संस्थाएं समस्याएं एवं समाधान, पंचायतीराज एवं उसके समक्ष चुनौतियाँ, पंचायतीराज संस्थाएं एवं सशक्तिकरण आदि अध्यायो का विवेचन किया गया है।

जोशी, आर.पी. व भारद्वाज, अरूणा : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, प्रथम संस्करण 2009, प्रकाशन राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

प्रस्तुत पुस्तक को 15 अध्यायों में बाँटा गया है। प्रथम व द्वितीय अध्याय में स्थानीय शासन का अर्थ एवं महत्व व विकास का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय में 73 वें तथा 74 वे संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट की है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की संरचना, पंचायत समिति व जिला परिषद् की संरचना, कार्य एवं भूमिका से संबंधित है। अध्याय 6 व 7 पंचायत समिति व जिला परिषद की संरचना, कार्य एवं भूमिका से संबंधित है। अध्याय 8 व 9 नगरपालिका, नगर परिषद् व नगर निगम की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य से संबंधित है। अध्याय 10 स्थानीय संस्थाओं पर राज्य के नियन्त्रण से संबंधित है। अध्याय 11 में राज्य वित्त आयोग व स्थानीय सरकारो की वित्तीय व्यवस्था का विवेचन किया है। अध्याय 12 में पंचायतीराज निर्वाचन एवं राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन है। अध्याय 13 में पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में ग्रामीण विकास में जन सहभागिता का विवेचन किया है। अध्याय 15 में स्थानीय शासन की समस्याएँ एवं नवीन प्रकृतियाँ स्पष्ट की है।

रॉय, अरून्धति : न्याय का गणित संस्करण 2005, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

प्रस्तुत पुस्तक को 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय ''कल्पनाशीलता का अन्त'' मई 1998 में भारत द्वारा किए गये परमाणु परीक्षण से संबंधित है। द्वितीय अध्याय : ''बहुजन हिताय'', नर्मदा बचाओ आन्दोलन से संबंधित है। तृतीय अध्याय : ''वरना लोकतन्त्र का एक ओर खम्बा ढह जाएगा।'' इस अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरदार सरोवर परियोजना का कार्य दोबारा शुरू करने की इजाजत देने से संबंधित है। नर्मदा घाटी के लोगो की समस्याओं का जिक्र है। चतुर्थ अध्याय में अपराध और दण्ड में नर्मदा आन्दोलन के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गयी सजा का उल्लेख है। पंचम अध्याय ''ऊर्जा की राजनीति।'' इस अध्याय में मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे व पानी, बिजली के निजीकरण का उल्लेख है। छठा अध्याय : ''लेखक होने का मतलब।'' इस अध्याय में लेखकों और कलाकारो की भूमिका, समाज में क्या है ? सातवां अध्यायः ''न्याय का गणित'' है। इस अध्याय में 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए तीक्ष्ण आत्मघाती हमलो के बाद अमेरीकी राष्ट्रपति, मन्त्रियो, अधिकारियो के द्वारा दिये गये व्यक्तव्यो का उल्लेख है। आठवां अध्याय : ''वे युद्व को शान्ति कहते है।'' इस अध्याय में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में आतंकवाद के विरूद्ध हवाई हमलो का जिक्र है। नवॉ अध्याय ''लोकतन्त्र'' है। दसवां अध्याय ''युद्ध चर्चा'' है। इस अध्याय में भारत–पाक के बीच तनाव के विभिन्न मुद्दो जैसे आतंकवाद, कश्मीर आदि का उल्लेख है। ग्यारहवाँ अध्याय : ''तलवारों की तमक है। इस अध्याय में ''फ्रंटलाइन'' के सम्पादक एन.राम ने दिसम्बर 2000 में सुश्री अरून्धति रॉय से सरदार सरोवर बॉध के संबंध में दिल्ली में की गई बातचीत का उल्लेख है।''

नारायण, सुनिता : पर्यावरण की राजनीति, संस्करण 2012, सेन्टर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरमेंट, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।

प्रस्तुत पुस्तक 7 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में लेखिका ने लिखा है कि भारतीय शहर आज गतिशीलता के संकट में फंसे हुए है। सड़को पर भारी मात्रा में दौड़ते निजी वाहन, बढ़ते वायु प्रदूषण तथा जाम के बोझ तले लडखडा रहे शहरों के आगे इस समस्या से जूझने का एक मात्र तरीका है—एक श्रेष्ठ व सक्षम जन परिवहन व्यवस्था। द्वितीय अध्याय में लेखिका ने इस बात पर बल दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन व वितरण जनता के हाथ में होना चाहिए। अध्याय तृतीय में लिखा है कि भारत में बडे पैमाने पर हो रहे औद्योगीकरण के कारण एक तरफ मूलभूत सुविधाओं में उन्नति हो रही है, बाजार में पैसा आ रहा है। लोगो को नौकरियाँ मिली है। वही दूसरी तरफ यह अपने पीछे त्रासदी और बर्बादी का कब्रिस्तान बना रहा हैं। चतुर्थ अध्याय में वन व वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिसमें जनता व समुदायों को संरक्षण योजना से जोडा जाय। पाँचवे अध्याय में जल संकट के बारे में बतलाया गया है तथा परम्परागत तरीके से जल संचयन और संवर्धन पर बल दिया गया है। छठे अध्याय में जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बतलाया गया हैं। अध्याय सात में कमजोर नियामक संस्थाओ के खतरे, पर्यावरण सुरक्षा विकास की चुनौतियॅा पर्यावरण आन्दोलन की चुनौतियॅा आदि विषयो के बारे में बताया गया है।

गॉडिन रॉबर्ट.ई. : ग्रीन पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटी प्रेस, क्रेम्बिज, यूके 1992।

प्रस्तुत पुस्तक 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय, नया क्या है? के अन्तर्गत मुद्दे, तर्क संगठन जैसे बिन्दुओं को सम्मिलित किया है। द्वितीय अध्याय, ''मूल्यों, उनके सिद्वान्त का वर्गीकरण, इतिहास एवं पद्धति मूल्यो के स्रोत के रूप में, नैसर्गिकता मूल्यों के स्रोत के रूप में, मानवता एवं प्रकृति मूल्य एवं मूल्यांकन कर्ता, मानवता प्रकृति के अंश के रूप में, हरित उपसिद्वान्त, उत्तर भौतिकवाद आदि बिन्दुओं का उल्लेख किया है। तृतीय अध्याय एक संयुक्त नैतिक दृष्टिकोण, स्थिरता के दावे आदि बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय चतुर्थ अभिकरण के हरित सिद्वान्त के अन्तर्गत हरित राजनीति क्रिया के सिद्वान्त, प्रजातांत्रिक सहभागिता, प्राथमिकताएं, अहिंसा, हरित दल संगठन के सिद्वान्त जमीनी लोकतंत्र, हरित राजनीतिक संरचना के सिद्वान्त जैसे विकेन्द्रीकरण, वैश्विक सोच स्थानीय क्रियान्वयन आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया है। अध्याय 5 ''निष्कर्ष'' के अन्तर्गत हरित राजनीति का भाग्य, पृथ्वी का भविष्य आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्त सभी पुस्तकों में पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका को अछूता छोड दिया है। अभी तक पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज संस्थाओ की भूमिका झालरापाटन पंचायत समिति के संबंध में विशिष्ट पुस्तक नही है। अतः मैं पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज

संस्थाओ की भूमिका झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन विषय को अपने शोध कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूँ। साथ ही उपर्युक्त पुस्तकें स्थानीय स्तर की उपलब्धियों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। आशय यह है कि शोध निष्कर्षों का पूर्णरूपेण अभाव है।

उपर्युक्त शोध कार्यों की पर्यालोचना से सहज में ही यह प्रतिबिंबित होता है कि झालरापाटन पंचायत समिति में पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका का नवीन शोध प्रविधियों तथा समकालिक दृष्टि से लिखने की परम आवश्यकता है। जिसे मैं प्रस्तुत शोध कार्य के माध्यम से करना चाहता हूँ।

अनुसंधान अभिकल्प एवं अनुसन्धान पद्वति :– प्रस्तुत शोध विषय सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रकृति का है जिसमें अनुसंधान हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतो से तथ्य संकलन किया गया है।

शोध के दौरान सैद्धान्तिक प्रकृति की विषयवस्तु हेतु पुस्तकालयों का सहारा लिया गया है और इस हेतु विभिन्न पुस्तकालयो, राजकीय कार्यालयो व वैयक्तिक स्रोतो से सामग्री का संकलन किया गया है।

शोध के दौरान व्यावहारिक प्रकृति की विषयवस्तु के संदर्भ में तथ्य संकलन हेतु अवलोकन व साक्षात्कार पद्वतियो का सहारा लिया गया है तथा शोधार्थी द्वारा झालरापाटन पंचायत समिति की तीन ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल के सरपंच व वार्ड पंचो का साक्षात्कार लिया गया है तथा तीन ग्राम पंचायतों के 12 गाँवों का अवलोकन किया गया। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति झालरापाटन के प्रधान व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार शोधार्थी द्वारा लेने के बाद चयनित ग्राम पंचायतों के बारे में पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तथा शोधार्थी द्वारा भी वैयक्तिशः अनुसंधान क्षेत्र में जाकर तथ्य संकलन का कार्य किया गया है।

अध्यायों का वर्गीकरण :– प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को 6 अध्यायो में बांटा गया है।

अध्याय प्रथम :– परिचयात्मक है। इसके अन्तर्गत शोध विषय का परिचय, अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का महत्त्व, सन्दर्भ साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान पद्वति एवं अनुसंधान अभिकल्प, शोध सामग्री के स्रोत आदि बिन्दुओ को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय द्वितीय :–पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा है। इसके अन्तर्गत पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण की अवधारणा पर्यावरण संरक्षण : अवधारण एवं विकास, पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण एवं प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास (अ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (ब) राष्ट्रीय स्तर (स) राज्य स्तर तथा पर्यावरण संरक्षण में अडचने आदि बिन्दुओ को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय तृतीय :—पंचायती राज की अवधारणा और विकास के अन्तर्गत पंचायती राज का अर्थ एवं परिभाषा, पंचायती राज संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास, स्वतंत्रता के पश्चात, पंचायती राज, पंचायती राज परिवर्तन की ओर, आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया हैं।

अध्याय चतुर्थ :— ''राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन'' के अन्तर्गत राजस्थान राज्य का परिचय, राजस्थान में पंचायतो की स्थापना (गठन) राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकरण, पंचायती राज संस्थाओं के पर्यावरण से जुडे विषय आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय पंचम :— पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन) के अन्तर्गत जिला झालावाड का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिचय, पंचायत समिति झालरापाटन का परिचय, झालरापाटन पंचायत समिति में पर्यावरण से जुडी योजना—परियोजनाएं तथा पर्यावरण से जुडे कार्यक्रमों का क्षेत्रीय अध्ययन, जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार, ग्राम पंचायत असनावर, जूनाखेडा, लावासल में पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाएं व कार्यक्रम तथा तीनो ग्राम पंचायतो के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यो का तुलनात्मक अध्ययन, आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय षष्ठम :— ''उपसंहार'' के अन्तर्गत शोध निष्कर्ष, समस्याएं, पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

शोध सामग्री का संकलन :— प्रस्तुत अनुसंधान के क्रम में डॉ. फूलसिंह गुर्जर व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ से निरन्तर मार्गदर्शन मिला है तथा उनके निर्देशानुसार विभिन्न संस्थानो, पुस्तकालयो व राजकीय कार्यालयो से शोध सामग्री का संकलन किया गया है। शोध हेतु वित्त की व्यवस्था शौधार्थी ने स्वयं की है। इस हेतु किसी प्रकार की कोई बाह्य सहायता नहीं मिली है।

निष्कर्ष :—प्रस्तुत अध्याय मेरे शोध विषय 'पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन) का परिचयात्मक अध्याय है जिसमें शोध कार्य की रूपरेखा, शोध के उद्देश्य, शोध के महत्व, संदर्भ साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान की पद्धति तथा अध्याय वर्गीकरण इत्यादि बिन्दुओं को समाहित किया है। किन्तु जितना सरल शोध का विषय है, उतना सरल शोध प्रक्रिया से गुजरना नहीं है। यह मुझे शोध कार्य के दौरान पता चला। शोध के दौरान अनेक कठिनाइयों/चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे—पंचायती राज संस्थाओ व अन्य संबंधित संस्थाओं में डाटा संधारण ठीक से न होना, उपलब्ध डाटा का समय पर उपलब्ध न कराया जाना, साक्षात्कार के लिए लोगो का समय पर उपलब्ध न होना, साक्षात्कार देने में आनाकानी करना, जन—प्रतिनिधियों का अशिक्षित होना।

≈≈≈≈

संदर्भ सूची

1. तायल बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली, संस्करण 2010, पृष्ठ 186
2. जौहरी जे.सी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा राजनीति (सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य स्टर्लिग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली, संस्करण 2001, पृष्ठ 590
3. पंत, पुष्पेश : 21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिशींग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, संस्करण 2008, पृष्ठ 14
4. हुसैन, माजिद : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऐसेस पब्लिशींग इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली, संस्करण 2015, पृष्ठ 6.18
5. जैन, पी.सी., रूस्तोगी अशोक : राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृष्ठ 436,437
6. जैन, पी.सी. : उपरोक्त पृष्ठ 348
7. दैनिक भास्कर दिनांक 17–11–2014, पृष्ठ 01
8. पाण्डेय, जयनारायण : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहबाद, संस्करण 1989, पृष्ठ 272
9. पाण्डेय, जयनारायण : उपर्युक्त पृष्ठ 278
10. महीपाल : पंचायती राज चुनौतियां एवं सम्भावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृष्ठ 03
11. सिंह, महेन्द्र प्रसाद, चौधरी, बासुकी नाथ, कुमार युवराज : भारतीय शासन एवं राजनीति, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2011, पृष्ठ 265
12. सिंह, कटार : ग्रामीण विकास सिद्धान्त, नीतियां एवं प्रबन्ध, सगे पब्लिकेशन्स इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ 86
13. जोशी, आर. पी., मंगलानी रूपा : पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर, संस्करण 1998, पृष्ठ 05
14. जोशी, आर.पी., मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण 2003, पृष्ठ 19
15. जोशी, आर. पी., मंगलानी रूपा : उपरोक्त पृष्ठ 03

अध्याय द्वितीय

पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा

पर्यावरण अंग्रेजी शब्द Environment का भाषान्तर पुनरूक्ति हैं जो दो शब्दों Environ तथा ment के सामंजस्य से उत्पन्न हुआ हैं जिनका अर्थ हैं आस–पास से घेरे हुए। विश्वकोश के अनुसार ''पर्यावरण के अन्तर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जा सकता हैं जो किसी जीवन अथवा प्रजाति के उद्‌भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं।''[01]

पर्यावरण दो अवयवों से मिलकर बना होता हैं जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत समस्त सजीव जैसे–जन्तु, पौधे और सूक्ष्मजीव आदि आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अन्तर्गत पानी, भूमि, हवा आदि आते हैं।[02] प्रारम्भ में मानव व पारिस्थितिकी अन्तर्सम्बन्ध संतुलित थे मानव समुदाय की संख्या कम एवं तकनीकी ज्ञान सीमित होने के कारण पारिस्थितिकीय दोहन कम था प्राकृतिक सुन्दरता व संतुलन पर इसका दुष्प्रभाव नगण्य था।

लेकिन आज प्राकृतिक पर्यावरण की महत्ता अद्यतन समाज में स्वयं एक प्रश्न चिन्ह या मुद्‌दे बनकर उभर रही हैं। अनवरत बढ़ती जन चेतना, वायु व जल प्रदूषण, गैस दुष्प्रभाव, ओजोन परत की समस्या, कचरा व्यवस्थापन, आणविक ऊर्जा, अति जनसंख्या तथा तेल रिसाव इत्यादि सभी समस्याऐं जीवन की गुणवत्ता व ब्रह्याण्ड में पृथ्वी के अस्तित्व का संभावित चिन्ह प्रस्तुत करती हैं। पर्यावरण जो कि पृथ्वी पर जाने वाले जीवधारियों के आवरण या खोल के सम्बन्धों को प्रतिपादित करता हैं, विविध प्रकार से जीवधारियों को प्रभावित कर स्वयं जीवधारियों से प्रभावित भी होता हैं। यह विकास एवं विनाश की एक समग्रकारी व्यवस्था हैं जो संतुलन को स्वयं प्राकृतिक प्रकार्यो के माध्यम से बनाये रखती हैं लेकिन यह संतुलन आज समाप्त प्रायः हैं। पर्यावरण अनेक संकटों से ग्रस्त हैं। पर्यावरण संकट के अनेक कारण हैं। जैसे[03] :– पर्यावरण संकट का प्रथम कारण उच्च उपभोक्तावादी संस्कृति हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ऐसे प्रलोभनकारी उद्योग को विकसित करती हैं जो कि सेवाओं व वस्तुओं से संबंधित अभीष्ट इच्छा की पूर्ति करता हैं। इस उपभोक्ता संस्कृति का मूल उद्‌देश्य इसमें निहित होता हैं कि वह अधिक मात्रा में अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण संसाधनों का दोहन कर सके। वह इसे जन्मजात अधिकार के रूप में देखता हैं तथा भौगोलिक अध्येता भी इसी दिशा में पर्यावरणवाद व भविष्यवाद की द्वन्दता को स्वीकार करते हैं क्योंकि व्यक्तियों की आर्थिक आत्मीयता प्राकृतिक उद्‌देश्यों को नकारती हैं।

दूसरा कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि हैं बढ़ती जनसंख्या का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता हैं। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता हैं अधिक जनसंख्या के कारण गरीबी का उदय होता हैं और समस्त संसाधनों का उपयोग मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही किया जाता हैं। तीसरा कारण औद्योगीकरण है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण इंग्लैण्ड में औद्योगीकरण सर्वप्रथम 1860 में प्रारम्भ हुआ। 1860 से वर्तमान समय तक विश्व के पश्चिमी देशों में औद्योगिक विकास अपनी चरम सीमा को छू गया हैं। लेकिन औद्योगीकरण के दो प्रमुख संघटकों अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का तीव्र गति से विदोहन तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव होता हैं।[04]

चौथा कारण वनो का दिनो दिन कम होना हैं। दुनिया का कुल भू क्षेत्र का करीब 30 प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। दुनिया भर में 9.8 अरब एकड़ में फैले वन क्षेत्र का लगभग दो तिहाई भाग रूस, ब्राजील, कनाडा, अमरीका, चीन, आस्ट्रेलिया, कांगो, इण्डोनेशिया, अंगोला तथा पेरू जैसे 10 देशों में सिमटा हुआ हैं 20 वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ही प्रतिवर्ष करीब 3.8 करोड़ एकड़ वन क्षेत्र समाप्त हुआ। लाख प्रयत्नों के बावजूद 2.4 करोड़ एकड़ वन क्षेत्र प्रतिवर्ष समाप्त होता आ रहा हैं। यह रफतार रही तो आने वाले 40–50 वर्षो में धरती से पेड़–पौधों का नामो–निशान मिट जायेगा।[05] इन वनों की विनाश लीला ने पर्यावरण को संकट में डाला हैं।

पांचवा कारण जैसे–जैसे समाज में और विशेषतः प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा हैं वैसे–वैसे मनुष्य और पर्यावरण के मध्य अन्तः क्रिया ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया हैं। वायु, जल, वन, नदियां, पौधें और प्रकृति के अनेक तत्वों को प्रौद्योगिकी क्षमता ने प्रभावित किया हैं। क्योकि इन्ही ंकी बदौलत प्राकृतिक साधनों का दोहन हुआ हैं और इनके अति दोहन ने पर्यावरण के सामंजस्य को विचलित कर दिया हैं।

छठा कारण नगरीयकरण है औद्योगिक क्रान्ति के बाद नगरीयकरण की प्रक्रिया तेज हुई इससे उपजाऊ कृषि भूमि में कमी आ रही हैं। वर्तमान समय में विकसित एवं विकासशील सभी देशों में अनियोजित व अनियंत्रित नगरीयकरण के परिणामस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं खचाखच भरी रेलें व मोटरे, अराजकता, पानी व राशन के लिए लम्बी कतारें, सड़कों पर फैला गन्दी नालियों का पानी, जगह–जगह कुडे के ढेर से उठती दुर्गन्ध, धुआं, घुटन, शोर, आर्थिक विसंगतिया, आदि नगरीय जीवन के पर्याय बन गए हैं।[06]

सातवां कारण अज्ञानता और प्रकृति के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी पर्यावरण असंतुलन का कारण हैं। आदिवासी समाज अज्ञानता के कारण वन विनाश झूमिंग कृषि के लिए करता हैं। खान से खनिज निकालने वाला श्रमिक धरातल और वनस्पतियों को विनष्ट करता हैं, पशुपालन पशुओं द्वारा अधिक चराई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हैं। विकसित समाज मे प्रकृति के प्रति उदासीनता इतनी बढ़ गई हैं कि आकाश में आणविक परीक्षण से वायुमण्डल को प्रदूषित

कर रहे हैं। समुद्री जल में खनिज तेल, कचरा, और अन्य प्रदूषक सामग्री डालकर विकसित देश समुद्री जीवों का विनाश कर रहे हैं। अनेक देशों में पर्यटन के नाम पर पर्यावरण का ह्रास किया जा रहा हैं।[07]

इसके अतिरिक्त कृषि में बढ़ता कीटनाशकों का प्रयोग, त्रुटिपूर्ण सिंचाई व्यवस्था, गहन कृषि, दावाग्नि, वन्य जीवों का विनाश, स्वच्छता के बारे में नगरवासियों व उद्योगपतियों की लापरवाही, सूचना का अभाव आदि के कारण भी पर्यावरण संकट बढ़ रहा हैं।

अतः पर्यावरण संकट को समाप्त करने की जरूरत हैं ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके व मानवीय अस्मिता दीर्घायमान हो सकें।

संरक्षण की परिभाषा :– जीवमण्डल में उपस्थित सभी जीवों का एक ऐसा प्रबन्धन जिसमें वर्तमान पीढ़ी लाभान्वित हो तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकतायें संरक्षित रहे।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्राचीन समय से रही हैं शरीर वैज्ञानिक संरचना तथा उसे जीवन देने वाले अविमोचनीय संबध विषय पर प्राचीन काल में हिप्पोक्रेटिस, थूसीडाइडिस व प्लेटो से लेकर आधुनिक काल में बोडिन, माटेस्क्यू बकिल तथा एल्सवर्थ, हंटिगटन तक बडी संख्या में सामाजिक चिंतको ने चर्चा की हैं। सभी जीवित प्राणियों का किसी निश्चित परिवेश में अस्तित्व संभव हैं। पाँचवी शती ई. पू. में हिप्पोक्रेटिस ने "वायु, जल और स्थान" पर एक पुस्तक लिखी जिसे सामान्यतया पर्यावरणीय सिद्वान्त पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता हैं। प्लेटो ने अपने एक संवाद में इस प्रकार शोक प्रकट किया कि "पर्यावरण को नष्ट हुए शरीर की अस्थियों में परिवर्तित कर दिया गया है। धरती के समूह तथा कोमल भाग मिट चुके हैं, केवल कंकाल बचा हैं।" पर्यावरणीय सिद्वान्त पर कही अधिक बेहतर और पर्याप्त रूप में विकसित अध्ययन मांटेस्क्यू की "स्पिरिट ऑफ दी लॉज" (1748) के बारहवें व तेरहवे अध्यायों में मिलता हैं।[08] पर्यावरण के प्रति कुछ दृष्टिकोण हैं जिनमें मानव–पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता हैं जैसे[09]:–

पर्यावरणीय निश्चयवादी या नियतिवादी दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि मनुष्य को अन्य जीव जन्तुओं की भाँति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए। अतः प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यही इस उपागम का प्रमुख आधार हैं।

सम्भववादी दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में हैं। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता हैं। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते वरन् मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास

मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता हैं जो कर्म प्रधान और कृत प्रदान दोनों ही हैं। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती हैं।

उद्देश्यमूलक दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जन्तुओं में श्रेष्ठ है। इस विचारधारा की उत्पत्ति जूडों क्रिशिचयन धार्मिक परम्पराओं के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हुई हैं। इन्होनें यह माना कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पायी जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार हैं तथा वह उसका पर्याप्त उपयोग कर सकता हैं।[10] इस विचारधारा ने मानवीय कौशल एवं क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को गति दी हैं।

आर्थिक निश्चयवादी दृष्टिकोण इस विचारधारा पर आधारित हैं कि मनुष्य का पर्यावरण पर नियंत्रण होता हैं तथा आधुनिक समय में विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आर्थिक तथा औद्योगिक विस्तार में निरन्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए।

पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार पारिस्थितिकी विज्ञान की एक नवीन शाखा है तथा यह उन नियमों से सम्बन्धित हैं जो जीवों को उनके वातावरण के आपसी सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। इस दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहसंबन्ध परस्परावलम्बन (Symbiosis) का होना चाहिए ना कि विनाशात्मक। यह मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्विमान मानता हैं। इसमें पारिस्थितिकी सिद्वांतों एवं नियमों को मद्देनजर रखकर ही प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय दोहन होना चाहिए।[11]

नवनिश्चयवादी दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा सके या वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्र आरम्भ कर सके।

हरित विचारधारा पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर सामने आयी और धीरे–धीरे पूरे विश्व में फैल गयी। वातावरण के विज्ञान से गहरे सरोकार के कारण पर्यावरणवादियों को पारिस्थिति विज्ञानवादी भी कहा जाता हैं। इस आन्दोलन के अन्तर्गत वातावरण में हरियाली कायम रखने पर बल दिया जाता हैं, इसलिए इससे प्रेरित राजनीति को हरित राजनीति की संज्ञा दी जाती हैं। कुछ देशों में जैसे न्यूजीलैंड, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन में "हरित राजनीति" के लक्ष्यों की सिद्वि के लिए राजनीतिक दल बनाए गए और चुनाव भी लड़े गए यद्यपि उन्हें कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल पाई हैं। पर्यावरणवाद का सैद्वांतिक आधार "सामाजिक न्याय" हैं। इसके समर्थक यह तर्क देते हैं कि धरती किसी की निजी सम्पत्ति नहीं हैं। यह हमें अपने पूर्वजो से उत्तराधिकार में नहीं मिली बल्कि यह हमारे पास भावी पीढ़ियों की धरोहर हैं। अतः हम वर्तमान

प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के दायित्व से बँधे हैं। वर्तमान पीढ़ियों को यह अधिकार नहीं हैं कि वे अपने उपभोग के लिए धरती या पर्यावरण के सारे संसाधनों को निचोड़कर भावी पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल दे।[12]

इन दृष्टिकोणों के अतिरिक्त सतत विकास की अवधारणा हैं जो विकास पर जोर देती हैं। ब्रंटलैण्ड के अनुसार "ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढियां भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे।"[13]

सतत विकास के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं[14] :–

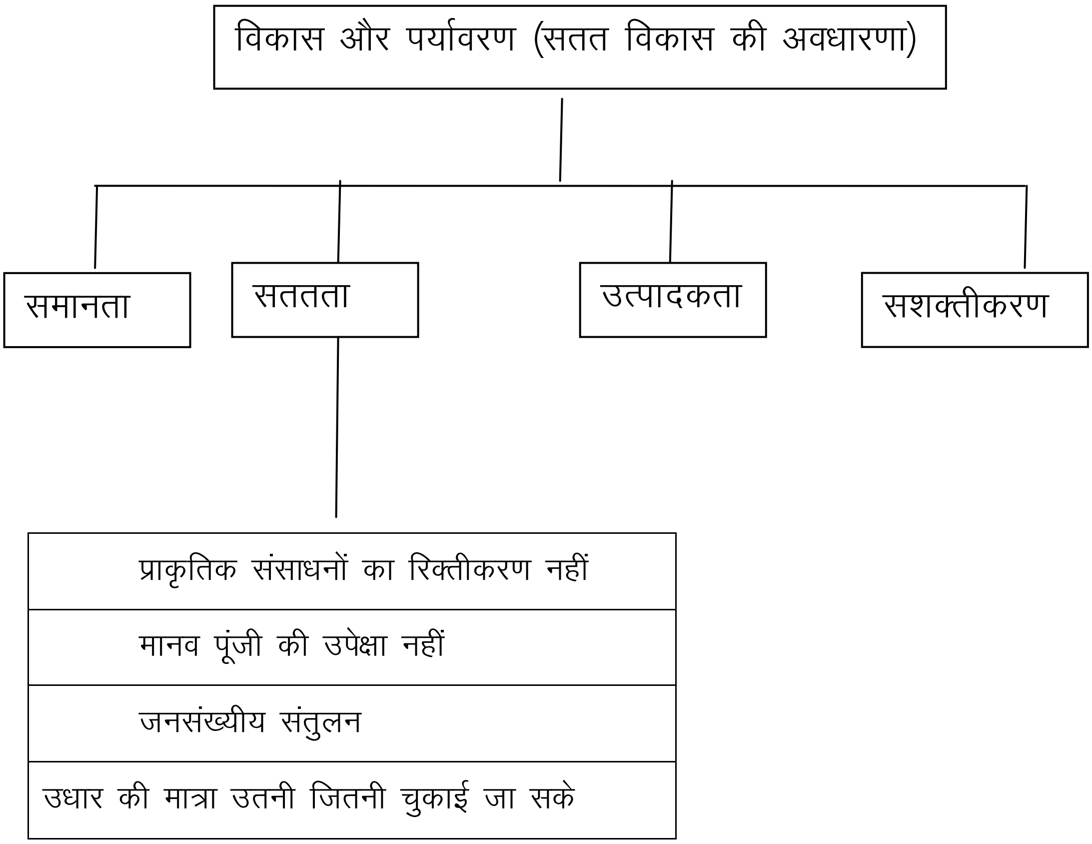

पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा :– प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के महत्व से परिचित हैं। पहले प्रातः उठते ही सब लोग सूर्य नमस्कार से अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थे। यह उनका प्रकृति को सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे वैदिक मंत्रो में कहा गया है[15] –

ऊँ पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात्पूर्णमुच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमेवावशिष्यते।।

अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करें कि उसकी पूर्णता को क्षति नहीं पहुंचे।

यजुर्वेद में कहा गया हैं –

धानाँ लेखीरन्तरिक्ष मा हि सीः पृथिका संभर्व

अयं हित्वा स्वधिं तिस्ते तिजंनः

प्राणितापं पहते सौभागाय।

अतस्त्व देवं वनस्पते शतवल्सो

विरोह सहस्त्रंवल्शा विवियं रूहेम।।

अर्थात् वृक्षों को ना काटो। जल और पृथ्वी की रक्षा करना धर्म हैं। पृथ्वी से उतना ही भाग निकालो जिस की पूर्ति की जा सके।

वेदों में पर्यावरण की गहरी समझ ही इस बात का प्रमाण हैं कि उसने पर्यावरण में मातृत्व को देखा और कहा[16] :–

"माता भूमिः पुत्रोऽहंपृथिव्याः।

अर्थात यह भूमि माता के समान सब की पोषक हैं और मैं पुत्र के समान इस भूमि का रक्षक हूँ।

"मत्स्यपुराण" ने तो एक वृक्ष को दस पुत्रों के बराबर गिना हैं[17]:–

दशमकूपसमावापी, दशवापीसमोंहदः

दशहदसमो पुत्रोः दशपुत्रसमो वृक्षः।

अर्थात् दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावड़ियों के बराबर एक तालाब तथा दस तालाबों के बराबर एक पुत्र और दस पुत्रों के बराबर एक वृक्ष हैं।

नारदपुराण में ईश्वर–भक्तों को वृक्ष लगवाने, तालाब, झीले खुदवाने, बगीचे लगवाने, जैसे जनहितैषी उपाय सुझाए गये हैं।

हमारा शरीर पर्यावरणीय पंच तत्वों के संघात का योग हैं। इस पर्यावरण एवं मानव शरीर के समन्वय को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के किष्किन्धाकाण्ड में लिखा हैं:–

"क्षिति–जल पावक गगन समीरा

पंच तत्व मिली बना सरीरा।"

बोधि वृक्ष के नीचे बोध पाकर सिद्वार्थ भगवान बुद्व हो गये। पाँच वटों की वटी पंचवटी भगवान राम की तपस्या स्थली बन गई। उदयपुर की हल्दीघाटी के पास का बडल्ला हींदवा नौ लाख देवियों का प्रसिद्व स्थल माना जाता हैं। यह बारह बीघा में फैला हुआ था। जेठ माह में वट–सावित्री और बड़–अमावस के उत्सव आते हैं। सावित्री ने इसी के नीचे यमराज से अपने मृत पति को जीवित पाया। पीपल की भी ऐसी ही मान्यता हैं। इस वृक्ष को कोई रोग नहीं होता। पर्यावरण संतुलन का यह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है एक घंटे में 1722 किलो ऑक्सीजन देता हैं और 2252 किलो अशुद्व हवा कार्बन–डाइ–ऑक्साइड पचाता हैं इसलिए यह पूजनीय भी हैं। कन्या को उचित वर नहीं मिलने पर कार्तिक में पीपल से उसका विवाह करा दिया जाता हैं। पीपल की पूजा से कामना सिद्वि मिलती हैं। दशमाता का व्रत महिलाएं इसी की पूजा साक्षी में पूरा करती है। बोधि वृक्ष इसी कर नाम हैं।[18]

भारत में पौधों का लोक महत्व भी हैं इस कारण भी पर्यावरण संरक्षण की भावना रही हैं।

तुलसी के पौधों को भारतीय अत्यन्त महत्वपूर्ण मानते हैं और श्रद्वा व्यक्त करते हैं। तुलसी को ″ओसिमम सैक्टस″ कहा जाता हैं जो ग्रीक भाषा के ″बसिलिकोन″ शब्द से उत्पन्न हुआ हैं। ″बसिलिकोन″ शब्द का अर्थ हैं – ″राजसी″। फ्रांस के लोग इसीलिए तुलसी को ″ल प्लांसी रॉयली″ अर्थात् राजसी पौधा कहते हैं। यह एक मात्र पौधा था जो ईसा की कब्र पर उगा था इसलिए ईसाई लोग इसे बड़ा पवित्र मानकर श्रद्वा करते और पूज्य समझते हैं। कोई भी भोग तुलसी के बिना पूरा नहीं माना जाता। तुलसी के विशिष्ट औषधीय गुणों के कारण इटली और ग्रीसवासी भी इस पौधे को आदर देते हैं। ″बेसिल दिवस″ के शुभ अवसर पर तुलसी की टहनियों को चर्च में ले जाने और पुनः लौटकर फर्श पर बिखेर देने की परम्परा वहां की औरतों में आज भी कायम हैं। तुलसी का पौधा शुभ और हितकारी हैं– यही सोचकर महिलायें इसकी पूजा करती हैं। तुलसी विवाह भी कराया जाता हैं। क्योंकि इसकी देवी के रूप में मान्यता हैं।[19]

″बांस है तो सांस है″ कहावत ने बांस के महत्व को प्रतिपादित किया हैं। बांस हमारी संस्कृति का जीवन्त घटक हैं। बांस की बांसुरी पकड़, कृष्ण ने क्या–क्या नहीं किया। बांस का प्रयोग भागवत कथा में भी होता हैं।

नीम या मारगोटा ट्री लगभग सब जगह पाया जाने वाला वृक्ष हैं। राजस्थानी लोकगीतों में इसका वर्णन हैं। राजस्थान में नीम का वृक्ष भी पूजनीय हैं। यह वृक्ष लोक देवता देवनारायण व तेजाजी महाराज के चबूतरों के निकट लगाया जाता हैं और गुर्जर समुदाय के लोग इसकी रक्षा करते हैं।

आम, केला, पीपल के पत्तों का वन्दन घर बनाया जाता हैं। आम की पत्ती से भगवान आदि कथा में जल विसर्जन तथा यज्ञ हवनादि में घी पूरा जाता हैं। केला संतान देने वाला हैं इसलिये हर गुरूवार को पूजा जाता हैं। विवाह, कथावचन, हवनवेदी जैसे मांगलिक मौकों पर इसके तनों से शुभ मंडप बनाया जाता हैं। इन वृक्षों के अलावा और भी सुपारी, खजूर जैसे वृक्ष पूजनीय हैं मंगलकारी हैं।

पूरे सावन के महिने बेलपत्रो से शिव की उपासना फलदायी मानी जाती हैं प्रकृति और आदिवासी तो एक–दूसरे के पर्याय हैं।

पौराणिक युग से भारतीय महिलाओं के प्रकृति प्रेम का एक अनुठा इतिहास रहा हैं। शकुन्तला, प्रियंवदा और अनुसूयाँ छोटी–छोटी गागरियाँ लिए पेड़ों को सींचा करती थी। पशुपतिनाथ की पत्नी पार्वती तो स्वयं प्रकृति की पुत्री थी। पर्वत की पुत्री के नाते पर्वत पर उगे वनों से प्यार होना तो स्वाभाविक हैं।

खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान इलाके में बहुतायत से होता है जिसे राजस्थान का कल्पतरू कहते है। पेड़ों की रक्षा के विषय में राजस्थान में एक कहावत है– "बाम लिया दाग लगे टूकड़ों देवों न दान, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तों जाण।" विश्नोई समाज की वीरांगनाओं ने पर्यावरण रक्षा का एक इतिहास बनाया हैं। खेजड़ली बलिदान में अमृता देवी का नाम सर्वोच्च है।

मांगलिक अवसरों पर लीपी पुती सौंधी धरती पर जो मांड़णे मांड़े जाते है उनमें सारा पर्यावरण ही प्रकटिक हुआ मिलता है। पेड़ पौधे, चीड़ें–चाड़ी और प्राकृतिक परिवेश। ऐसे ही अंकन शरीर पर गूदनों के रस्में देखने को मिलती है। भित्ती चित्रों में भी इन्हीं का चितरावण मिलता है। फड़ कला हो चाहे कापड़ कला, पाठो की कला हो या कोई चितेरा कला, सब के विन्यास जहाँ भी मानव सत्ता है वहाँ पर्यावरण का पत्ता अवश्य दिखाई देगा। श्राद्ध पक्ष में राजस्थान, मालवा, पंजाब, नेपाल तक घर की मुख्य देहली के बाहर प्रतिदिन सायं संज्या फूलती है।[20]

आजादी के बाद भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण के इतिहास में नदियों पर बड़े–बड़े बांधो की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। जवाहर लाल नेहरू इन बांधों को देखकर काफी अभिभूत थे जिसे उन्होंने "आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।" गाँधीवादियों को बड़े, बांधो के निर्माण पर कड़ी आपत्ति थी। वे उन्हें खर्चीला और प्रकृति विनाशक मानते थे।

गांधीवादियों ने पर्यावरण संतुलन के आधार पर आधुनिक विकास की कुछ अपरिपक्व किस्म की आलोचनाएं प्रस्तुति की। शुरूआती पर्यावरण आंदोलन के हरावल दस्ते में महात्मा के दो नजदीकी शिष्य शामिल थे। इनमें एक थे जे.सी. कुमारप्पा और दूसरी थी मीरा बैन (मैड़लीन स्लेड़) 50 के दशक में वे देश की कृषि नीति की पारम्परिक और सर्वमान्य समझ पर तीखी असहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई की छोटी–छोटी प्रणालियां बड़े बाँधों की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है जैविक खाद जमीन की उर्वरता को बरकरार रखने का सस्ता और टिकाऊ साधन है, जंगल का प्रबंधन राजस्व बढ़ोत्तरी के उपायों की बजाय जल प्रबन्धन के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये खास आलोचनाएं प्रकृति की व्यापक समझदारी का एक हिस्सा थी। मीरा बेन ने सन् 1940 में लिखा – आज की दुनिया की सबसे दुखद बात ये है कि शिक्षित और पैसे वाला वर्ग हमारे अस्तित्व की अहम मूलभूत चीज धरती माता, जानवरों और पेड़–पौधों से कट गया जिसे ये धरती पालती–पोसती है। प्रकृति की योजना अनुसार बनी यह दुनिया बुरी तरह से लूटी खसोटी

जा रही है। जब भी इंसान को मौका मिलता है इसे बुरी तरह तहस–नहस और छिन्न–भिन्न कर दिया जाता है। यद्यपि अपने विज्ञान और मशीनों से वह कुछ समय के लिए काफी फायदा बटोर लेगा, लेकिन आखिरकार वह अपने आपको तकलीफ ही पहुँचाएगा।[21]

भारत में पर्यावरण चेतना का प्रारम्भ वास्तविक रूप से स्टॉकहोम में हुए मानव–पर्यावरण सम्मेलन के उपरान्त हुआ है इसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सम्मिलित होकर पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी। उन्होने इस सम्मेलन में अशोक के बारे में बताया कि वे भारत के प्रथम और एक मात्र सम्राट थे जिन्होने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। अतः प्रत्येक देश की सरकार का कर्तव्य है कि पर्यावरणीय चेतना का कार्य कर पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले लोगों को दण्ड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए। जितना उसे पुनः पूरित कर सके।[22]

पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत में पर्यावरण आन्दोलन भी हुए, पर्यावरणवादी जहां एक और पर्यावरण संरक्षण की लडाई लड़ रहे है, वहीं आम आदमी के परम्परागत अधिकारों की रक्षा की भी बात कर रहे हैं पर्यावरण आन्दोलनों ने भारतीय लोकतंत्र तथा समाज को एक नया आयाम दिया है।

पर्यावरण आंदोलनों के उदय का मुख्य कारण पर्यावरणीय विनाश है। माधव गाडगील तथा रामचन्द्र गुहा भारतीय पर्यावरण आंदोलनों में मुख्यतः तीन वैचारिक दृष्टिकोण रेखाकित करते है। गांधीवादी, मार्क्सवादी तथा उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण। गांधीवादी दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं के लिए मानवीय मूल्यों में हो रहे ह्रास तथा आधुनिक उपभोक्तावादी जीवन शैली को जिम्मेदार मानते है। इस समस्या की समाप्ति के लिए वे प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने पर जोर देते है। यह दृष्टिकोण पूर्व औपनिवेशिक ग्रामीण जीवन की और लौटने को आह्वान करता है, जो सामाजिक तथा पर्यावरणीय सौहार्द पर आधारित था। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पर्यावरणीय संकट को राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं से जोड़ा जाता है। इसका मानना है कि समाज में संसाधनों का असमान वितरण पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है। अतः मार्क्सवादियों के अनुसार पर्यावरणीय सौहार्द पाने के लिए आर्थिक समानता पर आधारित समाज की स्थापना एक अनिवार्य शर्त है। तीसरी और उपयुक्त तकनीकी दृष्टिकोण औद्योगिक और कृषि, बड़े तथा छोटे बांधों, प्राचीन तथा आधुनिक तकनीकी परम्पराओं के मध्य सांमजस्य लाने का प्रयत्न करता है। यह दृष्टिकोण व्यावहारिक स्तर पर गांधीवादी तकनीकों तथा रचनात्मक कार्यों से बहुत मेल खाता है। इन तीनों दृष्टिकोणों की एक झलक हमें चिपको आन्दोलन में देखने को मिलती है।

भारतीय पर्यावरण आन्दोलन को मुद्दों के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम समूह में जल से जुड़े आन्दोलन है जिनमें मुख्य है। नर्मदा–टिहरी बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, पानी पंचायत आदि। इनका उद्देश्य जल को प्रदूषण, मुक्त

करना, पेयजल की प्राप्ति तथा जल संरक्षण की परम्परागत तकनीकों को प्रयोग में लाना है। दूसरे वर्ग में जंगल से जुड़े आंदोलन है इनमें मुख्य है – विश्नोई आन्दोलन, चिपको आन्दोलन, अप्पिको आन्दोलन, साइलेन्ट घाटी आन्दोलन आदि इनका उद्देश्य वनों को संरक्षित करना, जैव विविधता की रक्षा करना तथा वन संसाधनों में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना है। तीसरे समूह में जमीन से जुड़े आन्दोलन है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, मिट्टी का कटाव रोकने तथा बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए संघर्षरत है। इनमें मुख्य है– बीज बचाओ आंदोलन नर्मदा तथा टिहरी बचाओं आंदोलन।[23] वर्तमान में भारतीय नारी शक्ति वंदना शिवा, मेधा पाटेकर, अरूंधती राय, सुनीता नारायण, मेनका गांधी, राधा भट्ट, डॉ. हर्षवती विष्ट, कमला चौधरी पर्यावरण संरक्षण हेतु निरन्तर संघर्षरत है।

पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा प्राचीन काल से चली आ रही है लेकिन "विकास" को सदियों से हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान माना जा रहा हैं। कृषि उद्योग, परिवहन संचार साधनों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का नाम विकास हैं दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरीकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमेन ने विकास की अवधारणा को इतना लोकप्रिय बना दिया कि हर राजनीतिज्ञ को यही कहते हुए सुना गया कि हमें दरिद्रता, शोषण, अपराधों और अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ संघर्ष करना हैं। विकास दशको और परियोजनाओं की उद्घोषणाएं की गई और यह कहा गया कि हर जीवधारी के अस्तित्व के लिए विकास आवश्यक हैं।[24] विकास को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त मानने वाले राजनेता और विद्वान यह भूल गये कि अनियंत्रित विकास हमें विपदा की ओर ने जाता हैं।

दुनिया के 70 प्रतिशत विकाशील देशों में भूख, अशिक्षा, गरीबी, बीमारी और विपन्नता के पीछे एक ही बड़ा कारण हैं जनसंख्या का नहीं रुकने वाला सतत प्रवाह एवं अधिक ईंधन का जलना। इस प्रवाह ने पर्यावरण पर अपना दबाव बढ़ाया हैं। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी–जुड़वा बहनों की तरह साथ–साथ विकसित होती हैं। देश के ज्यादातर लोग अपनी बुनियादी जरूरतें प्राकृतिक संसाधनों से पूरी करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन में सन् 1972 में कहा था "हम पर्यावरण को और अधिक दरिद्र करना तो नहीं चाहते लेकिन साथ ही हम यह कैसे भूल सकते हैं कि हमारे देश के ज्यादार लोग भंयकर गरीबी के शिकार हैं।"[25] श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक हैं।

वस्तुतः प्रदूषण का मूल तात्पर्य शुद्धता के ह्रास से हैं लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में पर्यावरण के संगठन में उत्पन्न कोई बाधा या विक्षोप जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो उसे प्रदूषण कहा जाता हैं। अमेरिकन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार" जल, वायु एवं पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछनीय बदलाव जिससे मनुष्य समाज अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों को हानि होने की संभावना हो उसे प्रदूषण कहते हैं।[26]

पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण व प्रभाव :– अनियंत्रित विकास के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़े हैं जो कि दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी हैं। ये प्रदूषण निम्न हैं :–

वायु प्रदूषण :– पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के जीवों का अस्तित्व वायुमण्डल के कारण ही सम्भव होता है। वायु कई प्रकार की गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होती है। वायुमण्डल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है। परन्तु उसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन (78%) तथा आक्सीजन (21%) का ही रहता है शेष एक प्रतिशत का प्रतिनिधित्व आर्गन, कार्बन ड़ाइ ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॅान, हीलियम, क्रिप्टोन, जिनॉन, ओजोन आदि भारी तथा हल्की गैसों द्वारा होता है। वायुमण्डल के निचले स्तर में भारी गैस जैसे कार्बन डाइ ऑक्साइड 20 कि.मी., ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 कि.मी. तथा हाइड्रोजन 125 कि.मी. तक पाई जाती है। अधिक ऊँचाई पर हल्की गैस जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टोन जेनान आदि पायी जाती है। इसके अतिरिक्त वायुमण्डल में जल वाष्प व धुलिकण भी पाये जाते है।[27]

वायु प्रदूषण के कारण :– वायु प्रदूषण कई कारणों से होता हैं जैसे – विभिन्न कार्यो में ऊर्जा का दहन होने से विभिन्न प्रकार की गैसे व सूक्ष्मकण बनते है जो वायु को प्रदूषित करते है। घरेलू कार्य करने में ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे जलाने की क्रिया में कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड आदि गैसे उत्पन्न होती हैं। जो वायु को प्रदूषित करती हैं। शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण वाहनों से निकलने वाला धुंआ ही है। तापीय विद्युत गृहों में शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले का प्रयोग किया जाता हैं। कोयले के दहन से सल्फर डाई ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड तथा अन्य गैसे उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कचरे को एकत्रित करके जलाने, शादी विवाह तथा त्यौहारों के समय आतिशबाजी तथा आग्नेय अस्त्रों का परीक्षण आदि। दहन क्रियाओं द्वारा वायु प्रदूषण होता हैं।

कारखानों की चिमनियों से निकले धुएँ में सीसा, पारा, जिंक, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक एवं एस्बेस्ट आदि के सूक्ष्मकण तथा कार्बन डाइ ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसी गैसें होती है जो जीव धारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है जिनमें SO_2 (सल्फर डाइ ऑक्साइड) तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड (CO_2) प्रमुख है। उद्योगों में सस्ता होने के कारण पेटकॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेटकॉक को ''बॉटम ऑफ द बैरल फ्यूल'' कहा जाता है। पेटकॉक को पेट्रोलियम रिफाइनरियाँ बेकार होने के कारण फेंक देती है। अमरीका में यह प्रतिबन्धित होने के कारण वह इसे विकासशील देशों को निर्यात कर देता है।[28]

किसानों द्वारा अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करते है जिससे ये रसायन हवा में फैल जाते है इससे हवा प्रदूषित हो जाती है। इसके अतिरिक्त पंजाब हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा धान की खूंटी (पुआल) को जलाया दिया जाता है। जिससे दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में भंयकर वायु प्रदूषण होता है।

वर्तमान में प्रत्येक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग कर रहा है। विश्व के समस्त देशों में ऊर्जा हेतु परमाणु संयत्र लगे होते है। जिनकी सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध किये जाते है परन्तु फिर भी तकनीकी व मानवीय कारणों से कभी–कभी परमाणु ईंधन या रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर निकल जाते है जो कि मौत का कारण बनता है।

ब्राजील में हुए शोध का कहना है कि दुनिया के बड़े बांध हर साल 11.5 करोड़ टन मीथेन वायुमण्ड़ल में छोड़ रहे है। भारत के बांध इसके पाँचवे हिस्से के लिए जिम्मेदार है। वे सालाना 3 करोड़ 35 लाख टन मीथेन वायुमण्डल में छोड़ रहे है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया के 52 हजार के लगभग बाँध और जलाशय मिलकर ग्लोबल वार्मिंग में 45 प्रतिशत का योगदान कर रहे है। हमारे देश में इस समय कुल 5125 बड़े बाँध है जिनमें से 4725 तैयार है व 397 निर्माणाधीन है। भारत में बड़े बांधों से मीथेन का उत्सर्जन 3.5 करोड़ टन है जिसमें जलाशयो से 11 लाख टन स्पिलवे से 1.32 करोड़ टन और पन बिजली परियोजनाओं में प्रमुख टरबाइनों से 1.92 करोड़ टन मीथेन का उत्सर्जन होता है।[29]

वायु प्रदूषण के प्रभाव :– वायु प्रदूषण के अनेक प्रभाव पड़ते हैं जो निम्न हैं – मानव स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषकों की उपस्थिति अनेक भयंकर रोगों का कारण बन जाती है ए.जे.ड़े. विलर्स ने अपने अध्ययन से प्रमाणित किया है कि स्वास्थ्य को वायुमण्डलीय प्रदूषण विविध मात्रा में विपरीत रूप में प्रभावित करते है। इससे मृत्यु की अधिकता, रोगों की सम्भावना अधिक हो जाती है तथा अत्यधिक श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ होने लगती है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पर पड़ता है जिससे विभिन्न रोग जैसे ब्रोकाइटिस, बिलिनोसिस, गले का दर्द, निमोनिया फेफड़ों का कैंसर आदि हो जाते है। श्वांस रोगों के अतिरिक्त वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ड़ाइऑक्साइड से एम्फाँयसीमा नामक रोग हो जाता है। यह प्राणलेवा बीमारी है जिससे अमेरिका में हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है वाहनों के धुएँ में उपस्थित सीसा कण शरीर में पहुँच कर यकृत, आहार नली, बच्चों के मस्तिष्क विकार, हड्डियों का गलना जैसे रोग का कारण बनते है।[30] कोटा में देशभर से कोचिंग लेने वाले विद्यार्थियों को थर्मल की वजह से अस्थमा रोग बढ़ रहा हैं।

औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण काफी जनहानि होती है। भोपाल स्थित कीटनाशी रसायन कारखाने से 2 दिसम्बर 1984 को काली रात को मिथाइल आइसो साइनेट गैस मिक के रिसाव से

सैकड़ों लोग सुबह अपनी आखें खोल नहीं पाए। 10 जुलाई 1976 को इटली में सेवेसो नामक स्थान पर भोपाल गैस काण्ड की तरह दुर्घटना घटी थी।

ओजोन की अल्पता के कारण धरातलीय सतह पर सौर्यिक पराबैंगनी विकिरण के अधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण तापमान में वृद्धि होने से वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकाश संश्लेषण, पौधों की जल उपयोग एवं जल धारण क्षमता तथा उनके उत्पादन में भारी कमी हो सकती हैं। मिट्टियों में नमी की कमी के कारण फसले सूख जायेगी जिस कारण कृषि उत्पादन में कमी होने से खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो जायेगा।[31]

पशु चारे पर विभिन्न क्लोराइड़ यौगिक के अवपात के कारण ये पदार्थ पशुओं के शरीर में प्रवेश कर जाते है जिससे इनकी हड्डियां एवं दाँतों में फ्लुओरोसिस हो जाता है तथा पशुओं का वजन घटकर लगड़ापन आ जाता है। मधुमक्खी, शलम तथा अनेक कीटपक्षी स्तनपोषी वायु प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में मर जाते है।[32]

वायु प्रदूषण का ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता हैं। ओजोन गैस वायुमण्डल व एक क्षीण किन्तु अत्यधिक प्रभावी तत्व है। यह 15 से 50 कि.मी. की ऊँचाई के मध्य स्थित है इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु (Atom) होते है इसे विषैला बना देते है। तथापि यह विरल गैस पृथ्वी के लिये एक कवच का कार्य करती है। यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण (Ultra violet radiation) को अवशोषित कर लेती है। यदि यह गैस न होती है तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व सम्भव नहीं होता। पराबैंगनी किरणें यदि धरातल तक पहुँच जाये तो त्वचा कैसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त छूत की बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी विनिष्टि हो जाती है। मोतियाबिन्द तथा अन्य आँख के रोगों में भी वृद्धि होती है। अनेक फसलें तथा पौधे, जीवों पर यह किरणें प्रभाव ड़ालती है। ये किरणे समुद्र के भीतर भी पहुँचती है जिससे अनेक जलीय पौधें तथा जीव क्षतिग्रस्त हो जाते है।[33]

वायु प्रदूषण के कारण हरित गृह प्रभाव (ग्रीन हाउस प्रभाव) उत्पन्न हो रहा हैं। ग्रीन हाउस का अर्थ है कोमल और दुर्लभ पौधों को कृत्रिम ताप देने वाला एक शीशे का घर। ऐसे घर में सूर्य की किरणों का प्रवेश तो होता है पर शीशे के पैनल भीतर की उष्मा को बाहर नहीं निकलने देते है। यह उष्मा को वापस भूमि पर भेज देते है। यह उष्मा काँच घर को गरम तो अवश्य बनाएगी और ठंड से पौधों की रक्षा भी करेगी, पर इससे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसके गंभीर परिणाम हो सकते है। इसे "ग्रीन हाउस" प्रभाव कहते है।

लगभग इसी तरह की प्रकिया पृथ्वी पर भी घटित होती है। कार्बन ड़ाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी पर एक तरह की परत का निर्माण करती है। "पृथ्वी उष्मा" को वापस वायुमण्डल में भेजती है परन्तु इन गैसों की उपस्थिति

उष्मा को गैसों की परत से बाहर नहीं जाने देती। इस प्रकार उष्मा पुनः पृथ्वी तल पर वापस आ जाती है। जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष यह है कि "ग्रीन हाउस" गैसों का उत्सर्जन रोका नहीं गया तो 2100 तक धरती के तापमान में 1.1 से 6.4 डिग्री के बढ़ोतरी की आशंका है।[34] ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम निम्न हैं – भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, महासागरों के जल स्तर में वृद्धि, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव।

वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा (ACID RAINS) भी होती हैं। मानव जनित स्रोतों से निःसृत नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाई ऑक्साइड वायुमण्डल में पहुँच कर जल से मिश्रित होकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुँचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते है। जल की अम्लीयता को pH में मापते है जब जल का pH7 हो तो उसे तटस्थ जल (NEVTRAL WATER) कहते है। सामान्य वर्षा का pH5 होता है, लेकिन ये मानक 4 से कम होता है तो यह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकार होता है। जितनी अधिक मात्रा में सल्फर ड़ाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सान्द्रण वातावारण में होगा उतना ही वर्षा जल का pH घटेगा। अम्ल वर्षा सल्फर ड़ाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रों तक सीमित नहीं होती वह स्रोत क्षेत्रों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रो को प्रभावित करती है। क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरादायी कारक प्रदूषण गैसीय रूप में होते है जो हवा एवं बादलों द्वारा दूर तक फैल जाते है।[35]

प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लेन्सैट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घरेलू प्रदूषण से 2015 में सबसे ज्यादा मौत हुई भारतीय घरों में खासकर ग्रामीण इलाकों में गोबर और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग खास खतरनाक है। रसोई से धुआँ न निकलना जानलेवा होता जा रहा है। वर्ष 2015 में देश में वायु प्रदूषण से होने वाली कुल 524680 मौते हुई है इनमें सबसे ज्यादा घरेलू प्रदूषण से होने वाली मौतें है। घरेलू वायु प्रदूषण से 124207 मौतें दर्ज की गई ।

भारत में वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण से कुल मौतें

वजह	**मौतें**
घरेलु प्रदूषण	124207
कोल ऊर्जा प्लांट	80368
परिवहन	80019
इंडस्ट्री	232086
अन्य	8000
कुल	524680

बिगड़े पर्यावरण से समाज का हर तबका प्रभावित है। जो प्रदूषण के लिए सबसे कम जिम्मेदार है ,उन पर इसका असर सबसे ज्यादा है।[36]

जल प्रदूषण :– सृष्टि के प्रारम्भ से ही जनमानस में जल का विशेष महत्व रहा है। भारतीय संस्कृति में जल को जीवन का आधार माना गया है। जीवन के उद्‌भव और विकास का आधार होने के कारण ही जल को सदैव सहेजने की परम्परा रही है। नदियों को देव तुल्य मानते हुए उनके प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त की जाती है। सदियो से प्रकृति का संचालन जल के द्वारा ही होता आया है। वेदों और मत्स्य पुराण में पानी को प्राण तत्व मानते हुए इसकी स्तुति की गई है। मत्स्य पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि

"शरद काले स्थित यत् स्यात दुक्त फलदायकम्,
वाजपेयति राजा भया हेमन्ते शिशिरे स्थितम्।
अश्वमेध सयं प्राह वंसत समये स्थितम्
ग्रीष्मड़ति तत्स्थित तोप राज सूर्याद् विशिस्यते"।।

अर्थात् जिस जलाशय में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह अग्नि स्रोत यज्ञ का सीमित अवधि का फल देने वाला है। हेमन्त और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिराम नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ के समान फलदायक बताया गया है। जो जल ग्रीष्मकाल तक विद्यमान रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला है। जल की इस जीवनदायी महता ने ही मानव को उसके पवित्र स्वरूप का मान एवं ज्ञान भी कराया, इसी कारण मानव जीवन के प्रत्येक आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुंष्ठान में जल का स्थान अतिविशिष्ट रहा है। जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादयुक्त, पारदर्शी, वाष्पशील और गतिशील द्रव है। जो अलौकिक गुणों से सम्पन्न है। जल समस्त रोगों की औषधि है।[37]

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून" जैसी काव्य कल्पना ही नहीं, परम्परा से चली आ रही, यह सीख भी है कि एक साधे, सब सधे, सब साधे, सब जाय, भारत में पानी के संदर्भ में शत–प्रतिशत ठीक बैठती है। जीवन रक्षा के लिए पानी का जितना महत्व है, इसका उतना ही महत्व राष्ट्र के संदर्भ में भी है। राष्ट्र के जीवन–मरण और विकास की पूँजी पानी ही है, राष्ट्र के उत्कर्ष में पानी संजीवनी बूटी के समान उत्प्रेरक रहा है। मानव सभ्यता की उत्पति और विकास भी पानी के स्रोतों के निकट ही हुई है।[38] पृथ्वी के लगभग तीन चौथाई भाग पर जल मण्ड़ल का विस्तार पाया जाता है।

जल प्रदूषण को परिभाषित करते हुए सी.एम. आउथविक (1976) ने लिखा है कि " मानवीय क्रिया कलापों तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते है।[39]

जल प्रदूषण के प्रकार :– जल प्रदूषण के प्रकारों में सतही जल का प्रदूषण, सागरीय जल का प्रदूषण, भू जल प्रदूषण सम्मिलित हैं। भू सतह पर जल नदी, झील, तालाब अन्य सूक्ष्म स्थानों पर मिलता हैं। सागरीय जल प्रदूषण सागरीय तटीय क्षेत्रों में स्थित नगरों के द्वारा विसर्जित अपशिष्ट पदार्थो तथा इनमें विकसित उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ संयुक्त रूप से प्रदूषण फैलाते हैं। भू जल प्रदूषण कृषि अपशिष्टों तथा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से विसर्जित कचरे द्वारा होता हैं।

जल प्रदूषण के कारण :– जल प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय कारण से होता है। प्राकृतिक कारण के अन्तर्गत ज्वालामुखी क्रिया, भू–क्षरण, मृत वनस्पति एवं जीव, खनिज पदार्थ, मृदा, मल–मूत्र इत्यादि से होता हैं। मानवीय कारण के अन्तर्गत उद्योगो से निकलने वाले प्रदूषित पदार्थ, वाहित मल, पेट्रोलियम या खनिज तेल का रिसाव, घरेलू बहिस्राव, कृषि बहिस्राव, रेडियों धर्मी अपशिष्टों द्वारा प्रदूषण प्लास्टिक से प्रेम आदि के कारणों से होता हैं। आज एक के बाद एक हमारी नदियां और झीले, कारखानों के जलरीले पदार्थो द्वारा प्रदूषित होती जा रही हैं। औद्योगिक कचरे में खतरनाक रसायन होते हैं। इन रयायनों में मुख्य हैं क्रोमियम ऐलकिन, अमोनिया, आर्सेनिक जहर, नाइट्रो मिश्रण आदि। इन रसायनों को बिना संसाधित (Treat) किये जल में छोड़ दिया जाता हैं। नीदरलैण्ड की राइन नदी तो इतनी विषाक्त हो चुकी हैं कि इसे यूरोप की मल निर्यात मोरी कहा जाने लगा हैं।[40] देश की गंगा, यमुना, पेरियार कवम नदी, अडयार मीठी नदी, पाताल गंगा आदि नदिया बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी हैं। पेरियार केरल में पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। कभी जीवनदायनी मानी जाने वाली यह नदी अभिशाप बन गई हैं। एलोर–एडयार औद्योगिक क्षेत्र के लगभग तीन सौ कल कारखानों का कचरा इस नदी में डाला जाता हैं। चेन्नई में कूवम नदी एक बड़ा नाला नजर आती हैं चेन्नई की दूसरी नदी अडयार काफी प्रदूषित हों चुकी हैं। मुंमई में मीठी नदी सिर्फ नाम की ही मीठी हैं, इसका पानी समुद्र में जब जाता हैं तो कई नालों का कचरा भी साथ ले जाता है। मुम्बई से करीब 150 किमी. दूर दमन गंगा अरब सागर में पानी को इतना जहरीला बना चुकी हैं कि समुद्र तट के किनारे की मछलियां खत्म हो चुकी हैं। करीब 8000 किमी. लम्बे समुद्र तट पर बसे महानदियों से लेकर छोटे–छोटे शहर और गांव भी अब प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं।[41]

विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों से नदी एवं अन्य जल स्रोतों में तेल एवं तेलीय पदार्थो के उत्सर्जन के कारण तेलीय प्रदूषण हो रहा हैं। समुद्री जहाजों से तेल समुद्र में रिसता रहता हैं तथा जहाजों के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण भंयकर आग लग जाती हैं इससे समुद्री जल प्रदूषित हो जाता हैं।

जल प्रदूषण का अन्य कारण प्लास्टिक से प्रेम भी हैं। प्लास्टिक के गंभीर खतरे के प्रति जागरूकता लाने हेतु तंजावुर के 19 वर्ष के पर्यावरण कार्यकर्ता ने नहर में कूदकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। सबूत के रूप में उसने एक विडियो अपने पीछे छोड़ा। उसके मुताबिक जब

शांतिपूर्ण विरोध के सभी प्रयास विफल हो गये तो मुझे आत्म हत्या करनी पड़ रही हैं। प्लास्टिक के विश्व व्यापी प्रदूषण पर दो प्रतिक्रियाएं हैं एक जूझने की जबकि दूसरी अंत की। लेकिन दोनों में जो बात सामान्य हैं वह विषाक्त प्लास्टिक से हमारा प्रेम सम्बन्ध दर्शाना। सस्ता टिकाऊ और सुविधाजनक होने के कारण दुनिया में इसकी पहुंच हैं इस वक्त हम पिछले 50 वर्ष की तुलना में 20 गुना अधिक प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं। हम प्लास्टिक की एक कृत्रिम दुनिया में रह रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान हैं कि अभी समुद्रों में 15 करोड़ टन प्लास्टिक मौजूद हैं अगर यह क्रम ऐसे ही जारी रहा तो 2050 तक यह कचरा समुद्र में मछलियों से अधिक होगा।[42]

जल प्रदूषण के प्रभाव :– जल प्रदूषण के मनुष्यों पर अनेक प्रभाव पडते हैं सम्पूर्ण विश्व में 2 अरब लोग दूषित जल जनित रोगों की चपेट में हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लोग गंदे पानी के इस्तेमाल के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत में करीब 85 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता। भू जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम जैसे खतरनाक रसायन मिले हुए हैं। दूषित जल के सेवन से पक्षाघात, पीलिया, पोलियो, हैजा, डायरिया, मियादी बुखार, क्षयरोग, पेचिस जैसे खतरनाक रोग फैलते हैं।[43]

सतही और भूमिगत जल भण्डारों का जल धीरे–धीरे प्रदूषण की चपेट में आने लगा है फलतः पेयजल का भण्डार घटता जा रहा है। पर्यावरणविद् जंयत बंदोपाध्याय ने बताया है कि भारत में स्थायी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तेल नही बल्कि पानी है। हमारे देश में दुनिया की 18 प्रतिशत जनसंख्या बसती है लेकिन यहाँ सिर्फ दुनिया का 4 प्रतिशत पानी है। साफ पानी की लगातार सप्लाई खेती, उद्योग और आम जीवन के लिए अनिवार्य है। हमारी नदियाँ बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है और जमीनी पानी तेजी से नीचे जा रहा है भयानक यह है कि भारत अपने जल स्रोतों के 33.9 प्रतिशत का इस्तेमाल कर रहा है। मुख्य धारा के अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरण पर असर की उपेक्षा की है।[44]

प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह नष्ट नहीं होती। ऐसे में समुद्र में जाने वाला प्लास्टिक बिना परिवर्तित हुए सैकड़ों साल तक पड़ा रहेगा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि बहुत से खतरनाक रसायन जैसे पैथलेट्स और बिसफिनोलए उच्च तापमान पर बाहर निकल जाते है। यह शरीर का संतुलन बिगाड़ने का काम करते है इससे तमाम तरह का विकार जैसे बांझपन, पैदायशी दिक्कत ,एलर्जी और कैंसर तक का खतरा रहता है यह बेहद गम्भीर है। सुजेन फ्रेंकेल ने अपनी किताब "प्लास्टिक : ए टॉक्सिक लव स्टोरी में लिखा है" प्लास्टिक इतनी सस्ती है कि इसका आसानी से उत्पादन हो जाता है इसका प्राकृतिक "संसाधनों का इतना बेतरतीब वितरण कर दिया है कि बहुत से देश अमीर बन गए है। जबकि अन्य द्ररिद्रता से जूझ रहे है इसने देशों को विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया है। प्लास्टिक ने आदर्श लोक वादा किया है जो सबके लिए उपलब्ध हो" विडम्बना यह है कि प्लाास्टिक के दुष्परिणामों से परिचित होने के बाद भी इससे हम

बच नहीं पा रहे है। अटलांटा स्थित सेंटर फॉर डिज़ीज कंट्रोल के मुताबिक कम से कम 80 प्रतिशत अमेरिकन के शरीर में प्लास्टिक पाया गया है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हम सभी थोड़ा–थोड़ा प्लास्टिक हो गए है।[45]

मृदा पदूषण :– मृदा पर्यावरण की आधारी तत्व और मानव सहित समस्त जीव धारियों की जननी है। वनस्पतियों एवं फसलों के लिए उपजाऊ मृदा हमेशा से आकर्षण रही है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जिसका उपयोग हजारों साल से होता आ रहा है। और आगे भी होता रहेगा क्योकि भोजन अनिवार्य आवश्यकता है। मृदा की रचना चट्टानों के चूर्ण जीवाश्म और जल के मिश्रण से होती है। चट्टानों के खनिज मृदा के पोषक तत्व निर्मित करते है। जीवाश्म उसकी उत्पादकता को प्रभावित करता है और जल इन पोषक तत्वो का संचार करता है। साथ ही मृदा में निहित तापमान उसकी कार्यपणाली को बनाये रखने में मदद करता है। उपयुक्त मृदा उसे कहते है जिसमें पौधों के पोषण के लिए नाइट्रोजन, कैल्सियम, फास्फोरस तथा पोटेशियम उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमीनियम तथा लोहा अन्य महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी मृदा के अभिन्न अंग है। गोण पोषक तत्वो में सल्फेट, मेंगनीज ,आयोड़ीन ताँबा एवं जस्ता का नाम आता है। मृदा में इन पोषक तत्वों की उपस्थिति चक्रीय प्रक्रिया से बनी रहती है। लेकिन जब भौतिक या रासायनिक गुणवत्ता में व्यतिक्रम आता है तो मृदा की उत्पादकता घटने लगती है जो इसके अवक्रमण को प्रकट करता है। ऐसा तब होता है जब मृदा प्रदूषित होने लगती है।[46]

मृदा प्रदूषण के कारण :– जब भौतिक और मानवीय कारणों से मृदा की गुणवता घटने लगती है तो उसे मृदा का ह्रास कहा जाता है। यह ह्रास मृदा के कटाव, अधिक उपयोग से पोषक तत्वों की कमी तापमान का घट–बढ़ जाना, जीवांश का असंतुलित अनुपात और प्रदूषकों के मिश्रण से उत्पन्न होता है। अतः जब मृदा में प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा कीटनाशक दवा एवं उर्वरक अत्यधिक मात्रा में प्रवेश कर जाते है तो उनसे मृदा की गुणवता घट जाती है। इसे मृदा का प्रदूषण कहा जाता है।[47]

मृदा प्रदूषण प्राकृतिक व मानवीय कारणों से होता हैं। प्राकृतिक कारणों के अन्तर्गत मृदा अपरदन, ज्वालामुखी क्रियाएं, भू स्खलन, समुद्री तूफान आदि आते हैं। मानवीय कारण के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरक तथा जैवनाशी रसायन, लवणीयता व क्षारीयता, ई कचरा, उद्योग, वन विनाश, कूड़े–कचरे का अंबार, मरूस्थलीकरण, खनन प्रक्रिया, गहन कृषि व कृषि अपशिष्ट आदि आते हैं।

विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या की खाघान्न सबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि का व्यावसायिकरण हुआ इसमें कम समय में अधिक उपज देने वाले बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा है। अधिक उपज देने वाली किस्मों में कीडों का अधिक प्रकोप होने के कारण जैवनाशी रसायनों का उपयोग भी बड़ा है। इन रसायनों में शाकनाशी,

कवकनाशी, कीटनाशी मृदा अनुकूलक, धूमक प्रमुख है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 97 से 99 प्रतिशत कीटनाशक तथा 95 प्रतिशत खरपतवार नाशक दवाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाती है चाहे उन्हे जितनी भी सावधानी से प्रयोग किया जाय, वे केवल मिट्‌टी में प्रवेश कर भूमि को और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देती है।[48]

देहरादून में जन्मी वंदनाशिवा का नाम पर्यावरण आंदोलन के बड़े नेताओं में गिना जाता है। उन्होनें कहा पेस्टिसाइड़ (कीटनाशक) की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये तो लोगों को मारने के लिए तैयार किए गये थे। असल में ये वॉर केमिकल थे। हिटलर इन्हें गैस चैम्बर में लोगों को मारने के लिए तैयार करता था। अगर बात भारतीय खेती की करे तो यहाँ एक ही कीड़ा बहुत बार उभरता नहीं है। ये बात 1905 में ही प्रमाणित हो गई थी। पेस्टिसाइड़ खेती की जरूरत से नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जरूरत से फैलाए गए है। भारत में तो ये ज़हर है। ये लोगों को मारने के लिए बने, कीड़ों को मारने के लिए तो बाद में इनका इस्तेमाल होने लगा था।[49]

भूमि की लवणता देश की एक प्रमुख समस्या हैं। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि लवणीय व क्षारीय हो गई हैं। लवणीय भूमि बंजर या बेकार भूमि में तब्दील हो जाती है।

ई–कचरे के कारण मृदा प्रदूषित हो रही हैं। ई–कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उन सभी बेकार चीजों का सामूहिक नाम है जो कि अपशिष्ट वस्तुओं में विभिन्न स्रोतों जैसे टेलीविजन, व्यक्तिगत कम्प्यूटर, टेलीफोन, एयरकंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनें आदि के रूप में होते है। घरों, कार्यालयों तथा कल–कारखानों इत्यादि में प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान को खराब या अप्रोज्य हो जाने पर जब व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है तो उसे ई–कचरा कहा जाता हैं। ई–कचरे में कुछ जहरीले अपशिष्ट पदार्थों के अलावा कैडमियम, सीसा, पारा, आर्सेनिक और कई अन्य प्रकार के खतरनाक रसायन पाए जाते है जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक है।[50]

इसी तरह उद्योगों से बड़ी मात्रा में निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को खुले भू–भाग पर छोड़ दिया जाता है जिससे निकटवर्ती भूमि प्रदूषित होती है। उद्योगों की चिमनियों द्वारा छोड़ी जाने वाली विषैली गैसें व कण वर्षा जल के साथ भूमि पर आकर मृदा प्रदूषण बढ़ाते है। अम्लीय वर्षा इसी का एक रूप है। वायुमण्डल में तैरते विभिन्न ठोस कण जो उद्योगों द्वारा छोड़े हुए होते है अन्ततः धरातल पर आकर जमते है। उद्योगों के बहिःस्त्राव के रूप में निकला रसायन युक्त जल मृदा में मिलकर उसकी गुणवता नष्ट करता है। अनेक बार ठोस कचरे के रूप में निकले औद्योगिक अपशिष्ठों को भूमि में गहरा दबा दिया जाता है जो भूमि प्रदूषण का कारण बनते है। कागज एवं लुगदी उद्योग, तेल शोधन शालाएं, रसायन व उर्वरक उद्योग, चीनी उद्योग, डिस्टीलरी, ताप विद्युत ग्रह, संगमरमर व ग्रेनाइट उद्योग भूमि प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य उद्योग है। विभिन्न उद्योगों की भट्टियों व ताप विद्युत ग्रहों से बड़ी मात्रा में निकलने वाली राख निकटवर्ती क्षेत्रों में जमा होकर भूमि को प्रदूषित करती है।

वनस्पति एवं मृदा का घनिष्ट सम्बन्ध है। वन विनाश का दुष्प्रभाव मृदा पर पड़ता है। वनस्पति आवरण से रहित भूमि का अपरदन अधिक होता है। मृदा को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही मृदा में जल की उपस्थिति भी वनस्पति आवरण पर निर्भर करती है। मृदा में उपजाऊपन बढ़ाने वाले जैविक तत्व पौधों से प्राप्त होते है। वृक्षों की अनुपस्थिति में मृदा में जैविक अंश की धीरे–धीरे कमी हो जाती है। मरूस्थली मिट्टियों में वनस्पति अंश का अभाव इसका उदाहरण है। इस प्रकार वन विनाश से मृदा का गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास होता है तथा मृदा प्रदूषण बढ़ता है।

कूड़ा–कचरा भूमि प्रदूषण का महत्वपूर्ण कारण है। कचरे में गोबर और मल चीजो के अलावा पोलीथीन के थैले, नाइलोन, काँच लोहे व ऐल्युमिनियम के डिब्बे, प्लास्टिक का सामान भवन निर्माण सामग्री कागज रबर लकड़ी के टुकड़े, चूल्हे की राख, आदि सम्मिलित है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों में प्लास्टिक व कागज के बने सामानों को "इस्तेमाल करो और फेंको (USE AND THROW)" प्रकृति पाई जाती है, इसके कारण गाँव व शहरों में कचरे के ढ़ेर लगे हुए है।

नेचर पत्रिका ने अपने 2013 के अंक में कहा था, कि भारत तेजी से दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उत्पादक देश बनने की राह पर बढ़ रहा है। गैर सरकारी संगठन सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सी एस ई) की निदेशक सुनिता नारायण कहती है "हम अपने ही मल मूत्र में डूबते जा रहे है भारत तेजी से विश्व में कचरे के सबसे बड़े ढ़ेर के रूप में तब्दील हो रहा है।" रोजना लगभग 2 करोड़ यात्रियों को ढोने वाली भारतीय रेलों में साफ–सफाई का भारी अभाव है। ज्यादातर ट्रेनों में कचरे का डिब्बा नहीं होने की वजह से लोग इधर–उधर या खिड़कियों से बाहर कचरा फेंकते है। ट्रेन के शौचालयों की गंदगी सीधे पटरियों पर गिरने की वजह से रेल पटरियों पर मोर्चा लगता रहता है इससे रेलवे सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है।[51]

औद्योगिक विकास के साथ–साथ खनिजों की माँग बढ़ी जिनमें मुख्य–मुख्य ये है :– कोयला, लोहा, जिंक, बाक्साइड और क्रोमाइट। खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वनों या जंगलों को साफ करके जमीन के नीचे काफी गहराई तक रास्ते तैयार किए जाते है। इसके लिए सिर्फ फावड़े या कुदाली ही नहीं विध्वंसकों (Dynamite) तक का प्रयोग किया जाता है। आसपास के सारे क्षेत्र में कम्पन होने लगता है और विस्फोटकों के इस्तेमाल से आग लग जाती है। भारत की झरिया कोयला खानों में भयंकर आग लग चुकी है। खनन प्रक्रिया के कारण आसपास की सारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है।[52]

भूमि को लगातार उपयोग में लेने से जैविक तत्व कम होने लगते है। इससे मृदा में जैविक व अजैविक पदार्थो का सन्तुलन बिगड़ने लगता है।

मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव :– मृदा में एकत्रित कीटनाशकों का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, फ्यूजीगेन्ट्स जैसे D.D.T., B.H.C. एल्ड्रिन आदि मिट्टी में

एकत्रित होकर मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में फसलों, सब्जियों, दूध आदि द्वारा खाने में आ जाते है व कई घातक बीमारियों को जन्म देते है। जैसे पॉलिक्लोरिनेटिव बाई फिनाइल (PCB) फेफड़ें के रोग, केंसर व तंत्रिका तन्त्र अनियमितता को जन्म देता है। वाहित मल के कारण उत्पन्न मृदा प्रदूषण मानव जाति की अनेक बीमारियों का कारण बनता है।[53]

खेती में कीटनाशक व रासायनिक खाद के अधिक प्रयोग के कारण पंजाब में कैंसर से 18 लोग रोज मर रहे है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में कीटनाशकों का दुष्प्रभाव किस कदर हावी है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता कि क्षेत्र से गुजरने वाली एक रेलगाड़ी का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। सेंटर फॉर साइस एंड़ एनवायरमेंट के संस्थापक अनिल अग्रवाल की मौत कैंसर से हुई थी। उन्होने "माई स्टोरी टुडे, योर स्टोरी टूमॉरो" में लिखा है कि जब उन्होंने पहली बार अपने मित्रों को बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन इस और इशारा करते है कि मुझे कैंसर कीटनाशक अवशेषों के कारण हुआ था।[54]

मृदा प्रदूषण का सीधा प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। मृदा अपरदन तथा प्रदूषण के कारण मृदा की उर्वरता घट जाती है। कीटनाशकों के छिड़काव से मृदा में रहने वाले अनेक मित्र जीव भी नष्ट हो जाते है जैसे बैक्टीरिया, केंचुए आदि प्रदूषित मृदा के हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला द्वारा विभिन्न जीव जन्तुओं के शरीर में पहुँचकर हानि पहुँचाते है।

पर्यावरणविद् डॉ. वंदना शिवा के अनुसार पेस्टिसाइड़ की हमें जरूर नहीं है। अगर बात भारतीय खेती की करें तो यहां एक ही कीड़ा बहुत बार उभरता नहीं है। भारत में तो यह जहर है। एक उदाहरण के जरिये इसके भयावह नुकसान को समझिए मधुमक्खी जिसके बिना पौधों में प्रजनन नहीं हो सकता। आज 75 फीसदी मधुमक्खियाँ इस पेस्टिसाइड नामक जहर की वजह से मर गई है। हमारी सरकार ने भले ही इसे दवा का नाम दे दिया, लेकिन असल नाम तो इसका जहर होना चाहिए। ये हरित क्रान्ति में सन् 1965 में लाए गये थे। अमरीका में साफ कहा गया था कि ये रसायन फैलाएगें लेकिन भारत में कहा गया कि इनमें उत्पादन बढ़ेगा। आज देखिए पंजाब में किस कदर कैंसर फैल गया। जब आप रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करेगें तो पौधे में पानी देगें, तो पौधा कमजोर होता जाता है। जहां–जहां हरित क्रान्ति आई, वहां इरिगेशन की जरूरत होती है। पुराने ज्वार, बाजरे पर कीड़े कम लगेगें, हाइब्रिड़ पर ज्यादा लगेगें। ये कीड़ों को मारते नहीं है, बल्कि इनमें कीड़ों में रेजिस्सटेंस आ जाता है। दूसरा बड़ा नुकसान यह होता है कि जो मित्र कीड़े जैसे लेड़ी बग, मकड़ी का जाल आदि अच्छे खेतों में होता है वो भी जब मर जाएगे तो और तरह के कीटपेस्ट बन कर निकलेगें। खेती के असंतुलन में पेस्ट बन जाते है ऐसे पेस्टो की तादाद बढ़ गई है।[55]

ध्वनि या शोर प्रदूषण :– अंग्रेजी का नॉयज (Nosic) शब्द लैटिन भाषा के नाउसिया (Nouse) शब्द से लिया गया है। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गम्भीर समस्याओं ने जन्म लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग ही माना है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं यातायात के साधनों के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गम्भीर समस्या के रूप में उभरा है। मैक्सवेल के अनुसार "शोर वह कोई भी ध्वनि है, जो कि अवांछनीय है यह वायुमण्डलीय प्रदूषण का प्रकार है।"[56]

ध्वनि प्रदूषण का मापन :– ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसीबल इकाई निर्धारित की गई है। मानवीय कान (Ear) 30 Htz से 20,000 Htz तक की ध्वनि तरंगों के लिए बहुत अधिक संवेदनशील है लेकिन सभी ध्वनियाँ मनुष्य को नहीं सुनाई देती है। डेसी का अर्थ 10 और वैज्ञानिक ग्राहमबेल के नाम से "बेल" शब्द लिया गया है।[57]

विश्व स्वास्थय संगठन (WHO) द्वारा तय मानकों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की मात्रा दिन के समय 55 तथा रात्रि के समय 45 डेसीबल तक होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में 70 डेसीबल तक की गई है जबकि व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के समय 65 तथा रात्रि के समय 55 डेसीबल तक तथा शांत क्षेत्रों में दिन के समय 50 तथा रात्रि के समय 40 डेसीबल तक निर्धारित की गई है। अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों तथा न्यायालयों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को "शांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। दिन का समय प्रातः 6 बजे से सायं 9 बजे तक एवं रात का समय सायं 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक माना गया है। सामान्यतः 60 डेसीबल से अधिक की ध्वनि को हानिकारक माना जाता है।[58]

ध्वनि प्रदूषण के कारण :– ध्वनि प्रदूषण प्राकृतिक व मानवीय कारणों के द्वारा होता हैं। प्राकृतिक कारणों में अहम भूमिका बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, विभिन्न प्रकार के चक्रवात, ओला वृष्टि, जल प्रपात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकम्प आदि की होती हैं।

ध्वनि प्रदूषण व मानवीय कारणों के अन्तर्गत परिवहन के साधन, उद्योग, खनन, घरेलू उपकरण, रक्षा उपकरण आदि आते हैं। देश की प्रगति के साथ ही दो पहियां, चार पहियां वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही हैं जिनमें कार, टैक्सी, बसे और ट्रक शामिल हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा हैं। इन साधनों के अतिरिक्त रेल, हवाई जहाज, जलपोत, कारखानों में चलने वाली भारी मशीनों की गड़गड़ाहट, ताप विद्युत गृहों में लगें बॉयलर टरबाइन आदि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता हैं। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए टी.वी., रेडियो, लाउडस्पीकर, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम आदि साधनों द्वारा अपना मनोरंजन करता हैं। जिससे भी ध्वनि प्रदूषण होता हैं। खनन क्षेत्रों में विस्फोटकों के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण होता हैं। युद्ध, युद्धाभ्यास के समय राइफल, मशीनगन, टैंक, तोप, रॉकेट, लॉचर, मोर्टार आदि के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता हैं।

ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव :– शोर से उत्पन्न प्रदूषण एक धीमी गति वाला मृत्यु दूत हैं। इस प्रदूषण के कारण मनुष्यों पर बोलने में व्यवधान, चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधान, आचार व्यवहार में परिवर्तन आदि प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च रक्त चाप, उत्तेजना, हृदय रोग, मानसिक तनाव, मांसपेशियों में खिंचाव आदि रोग हो जाते हैं। विस्फोटों तथा सोनिक बूम से अचानक आने वाली ध्वनि के कारण गर्भवती महिलाओं के गर्भपात भी हो सकता हैं। अनवरत तीव्र ध्वनि से पशु–पक्षी अपने आवास से पलायन कर अन्यत्र चले जाते हैं। भवनों में दरारे पड़ जाती हैं, बांधों को खतरा उत्पन्न हो जाता हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता राबर्ट कोचीन ने सन् 1910 में ध्वनि प्रदूषण के खतरनाक पहलुओं की तरफ मानव जाति का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि "एक दिन ऐसा आयेगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा।"[59]

नाभिकीय प्रदूषण :– परमाणु बम के आविष्कारों में स्थान रखने वाले जे रॉबर्ट ओमनहीमर ने जब इस प्रचंड हथियार का पहला परीक्षण देखा, तो उन्होंने श्रीमद्भागवत गीता की यह पंक्ति उद्धत की "अब मैं मृत्यु बन गया हूँ , संसार का संहारक।"[60] संयुक्त राज्य अमरीका के एक वायुयान बी 29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम डाला। इस महासंहार के साथ परमाणु युग का सूत्र पात हुआ। एलबर्ट श्विटजर ने 1954 में नोबल पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा था। "मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया है परन्तु उसकी बुद्धि उस अतिमानुषी मान तक उन्नत नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है।" परमाणु हथियारों के सर्वनाश करने की सामर्थ्य के कारण मेंक्स लर्नर आज के युग को "अतिमारकता का युग" कहते है।[61]

आज विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आण्विक ऊर्जा के अनेका अनेक संयत्रों की स्थापना हो रही है। विश्व में ऊर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत परमाणु ऊर्जा है जिसका उद्योगों में भी प्रयोग होता है। तृतीय विश्व के लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है। आण्विक स्रोतों का निर्माण भी आजकल प्रचुर मात्रा में हो रहा है। दुनिया में अभी 9 परमाणु शक्ति सम्पन्न देश है इनमें सबसे नया देश उत्तरी कोरिया है ।

एच.पी.जेमट के अनुसार "पर्यावरण में प्राकृतिक विकिरण के बढ़ने को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते है।" परमाणु एवं हाइड्रोजन बम के विस्फोट के समय बने रेडियो एक्टिव पदार्थ धूल में मिल जाते है। इस क्रिया को रेडियोएक्टिव फाल तथा बने कणों को रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ कहते है। ये आण्विक या रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते। परमाणुओं के नाभिकों से लगातार विकिरणें उत्पन्न हो रहती है। एक नाभिकीय विस्फोट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन के साथ–साथ अल्फा, बीटा, गामा, एक्स आदि कई विकिरण भी निकलते है। जो कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाते है। कुछ रेडियोएक्टिव पदार्थ रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, कार्बन आदि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में उपलब्ध है।[62]

विकिरण के प्रकार :– दो प्रकार के होते है।

(अ) विद्युत चुम्बकीय विकिरण :– भौतिक लक्षणों में यह रूप प्रकाश के समान है। इसके अंतर्गत ऊर्जा का विस्तृत स्पेक्ट्रम आता है। ये निम्नलिखित है[63] :–

(1) पराबैंगनी किरणें (2) एक्स–किरणें (3) गामा किरणें (4) अवरत किरणें (INFRA&RED RAYS) (5) रेड़ियो तंरग (6) दृश्य प्रकार किरणें।

(ब) कणिकीय विकिरण :– इनमें वह कण है जो परमाणु से उच्च वेग पर और प्रायः भारी ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूटॉन होते है। नाभिकीय विघटन से होने वाले विद्युत चुम्बकीय अथवा कणिकीय विकिरण बहुत तीव्र गति से होता है। तथा इसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। जो जीवित ऊतकों को हानि पहुँचाती है। इस प्रकार की विकिरणों के अन्तर्गत निम्न आते है।[64] (A) बीटा कण :– ये उच्च वेग इलेक्ट्रॉन होते है, कई रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइड़ द्वारा उत्सर्जित होते है। (B) अल्फा कण :– ये तीव्र गतिमान कण होते है इनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूटॉन होते है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते ये धन आवेशित होते है। (C) प्रोटॉन कण :– इनका प्रभाव अल्फा कण के समान होता है। (D) अंतरिक्ष किरणें या कॉस्मिक किरणें :– ये सूर्य तथा बाह्य अंतरिक्ष के तीव्र कण है। ये पृथ्वी पर उच्च वेग के साथ गिरते है तथा कुछ ठोस शैल को कई हजार फीट तक भेद सकते है। अधिकतर कॉस्मिक किरण कण आवेशित परमाणु नाभिक होते है जो प्रथम पिच्छ कहलाते है। अन्य प्रकार की कॉस्मिक किरणें गौण पिच्छ कहलाती है। ऊँचे स्थानों पर रहने वाले लोग कॉस्मिक किरणों के प्रभाव में अधिक आते है। ये अन्तरिक्ष यात्रा में बड़ा खतरा है। 20 कि.मी. पर कॉस्मिक विकिरण अधिक तीव्र हो जाती है। (E) उग्र न्यूटॉन ।

नाभिकीय प्रदूषण के कारण :– नाभिकीय प्रदूषण के दो कारण है जो निम्न हैं[65] (A) प्राकृतिक कारण (B) मानवीय निर्मित कारण

(A) प्राकृतिक कारण :– सभी रेडियोधर्मी कारण इसके अन्तर्गत आते है इन्हें दो भागों में बांटा गया है– (1) कॉस्मिक किरणें :– ये सभी किरणें सूर्य से आती है तथा वायुमण्डल की परतो को भेदकर पृथ्वी पर आती है। इन किरणों से मानव शरीर को अधिक नुकसान पहुँचाता है। समुद्र तल या जल की सतह पर परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण इनकी शक्ति बढ़ जाती है। (2) वातावरणीय कारण :– इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है–

(i) स्थलीय विकिरण :– पृथ्वी पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का भण्डार उपस्थित है, जिन्हें मानव न छेड़ें तो भी वे लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते है। ये विकिरण अल्फा, बीटा या गामा किरणों के रूप में होते है जो कि जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के घटकों के लिए पथरीली

चट्टानों में ज्यादा होती है। उदाहरण एक्टिनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम आदि। (ii) वायुमण्डलीय विकिरण :— इनकी मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है इसमें विभिन्न विकिरण सूर्य या पृथ्वी से आती है तथा जीव को स्थानान्तरित कर दी जाती है। (iii) आंतरिक विकिरण :— ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर के ऊतकों में कुछ मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ रहते है। इनमें यूरेनियम, कार्बन—14 आदि समस्थानिक आते है।

(B) मानवीय निर्मित कारण :— नाभिकीय विस्फोट व हथियारों का निर्माण के कारण नाभिकीय प्रदूषण होता हैं। बीसवीं सदी में कई देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में किया था। विश्व के परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों ने अब तक कम से कम 2000 परमाणु परीक्षण किए है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज्यादा 1054 परमाणु परीक्षण किए। सोवियत संघ ने 715, फ्रांस ने 210, ब्रिटेन ने 45, चीन ने 45, भारत ने 6, पाकिस्तान ने 6, उत्तरी कोरिया 3, परमाणु परिक्षण किए गए।[66]

विस्फोट में लगभग 50 प्रतिशत ऊर्जा स्फोटन, 33 प्रतिशत ऊष्मा की तरह और शेष 17 प्रतिशत रेडियो ऐक्टिवता में जाती है। नाभिकीय विस्फोटन पदार्थ उच्च दाब से अति उच्च तापमान, पर गर्म करके तप्त गैस में वाष्पीकृत होता है। रेडियोऐक्टिव धूल जो परमाणु विस्फोट के पश्चात पृथ्वी पर गिरती है। रेडियोऐक्टिव अवपात कहलाती है। उत्पादित रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइड का अर्ध आयु काल कुछ सेकण्ड से हजार वर्षो तक भिन्न होता है जैसे स्ट्रॉन्शियम 90 का अर्ध आयुकाल 28 वर्ष, सीजियम—137 का 30 वर्ष, स्ट्रॉन्शियम—89 का 50 दिन, कार्बन—14 का 5000 वर्ष आयोडीन—131 का 8 दिन है। नाभिकीय परीक्षणों से रेडियोऐक्टिव अवपात में दो सबसे अधिक खतरनाक पदार्थ स्ट्रॉन्शियम—90 और सीजियम—137 है। ये दोनों कई वर्षो के लिए पर्यावरण प्रदूषित करते है। नाभिकीय हथियार परीक्षणों से विशेषकर कार्बन—14, स्ट्रॉन्शियम—90 और सीजियम—137 से रेडियोऐक्टिव प्रदूषण होता है। C—14 पादपों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। SR—90 और CS—137 मनुष्य शरीर में खाद्य श्रृंखला के दौरान केन्द्रित होता है, SR—90 डेयरी उत्पादों में वनस्पति द्वारा तथा इसके पशुओं द्वारा प्रयोग से फिर मनुष्यों में प्रदूषित आहार, मांस, दुग्ध, डेयरी उत्पादों के उपभोग से पहुँच जाता है। SR—90 दुग्ध स्रावित मां के दुग्ध में केन्द्रित हो जाता है। जो शिशु में चला जाता है। मनुष्यों में अधिकतम स्ट्रॉन्शियम अस्थियों में केन्द्रित हो जाता है, जहाँ यह मज्जा कोशिकाओं और रूधिर कोशिका (R.B.CS.W.B.CS.ETC) उत्पादन करने वाले ऊतकों को क्षति पहुँचाता है।[67]

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार परमाणु हथियार धरती पर मौजूद सबसे ताकतवर हथियार है। निःशस्त्रीकरण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का कहना है "इससे ना केवल एक पूरे शहर को खत्म किया जा सकता है बल्कि लाखों लोगों को मारा जा सकता है और पर्यावरण और आने

वाली पीढ़ी को भी नुकसान पहुँचाया जा सकता है।" रिक वे मैन के अनुसार 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट से शायद हमने कुछ भी नहीं सीखा" वो कहते हैं, "हमने कुछ नहीं सीखा इसका सबूत ये है कि ऐसे हथियार आज भी मौजूद है और आज उनसे पहले से अधिक खतरा है।"[68]

नाभिकीय शक्ति संयत्रों से रेडियोऐक्टिव अपशिष्ट उत्पाद के कारण नाभिकीय प्रदूषण होता हैं। नाभिकीय संयंत्रों के रेडियोऐक्टिव अपशिष्ट गैस, द्रव या ठोस रूप में हो सकते है। कोई भी नाभिकीय संयंत्र असंदूषित नहीं होता क्योंकि कई बिन्दुओं से रिसाव से अपशिष्ट निकल सकता है जो रडियो एक्टिव होता है 1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका में थ्री माइल आईलैंड़ नाभिकीय शक्ति संयंत्र रिसाव और 1986 मे USSR में चेरनोबिल नाभिकीय शक्ति संयंत्र का मेल्टडाउन नाभिकीय संयंत्र दुघटनाओं के उदाहरण है। 11 मार्च 2011 को जापान में आये भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरों की चपेट में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आ गया था, इस संयंत्र से भारी नुकसान हुआ ।

नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव :– प्रदूषण से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया हैं। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, इसके अतिरिक्त अन्य देश भी परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहे है। उत्तर कोरिया ने हाल में अमेरिका की ताकत के प्रतीक न्यूयार्क स्थित मैन हटन को नक्शे से मिटाने की धमकी दी। इससे पहले भी उत्तर कोरियाई तानाशाह किमजोंग उन अमेरिका पर मिसाइल दागने की धमकी दे चुके है। ईरान की परमाणु क्षमता इजराइल के लिए खतरा पैदा कर रही है। अयातुल्ला खमैनी ने कहा अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उसको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा अगर मैं चाहूँ तो दो दिन के भीतर रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी की ही नहीं, बल्कि पड़ोसी पोलैण्ड़, रामानिया लिथुआनिया की राजधानियों में होगी ।[69]

भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध हमेशा तनाव पूर्ण रहते है और दोनों देश परमाणु शक्ति सम्पन्न है। अगर कोई परमाणु युद्ध होता है तो हमारे दुश्मन चीन या अमेरिका या यहाँ तक कि वे एक–दूसरे के नहीं हो सकते। खुद पृथ्वी ही हमारी दुश्मन हो जाएगी। मूल तत्व–आकाश, वायु, पवन और जल– हमारे विरूद्ध हो जायेगें। उनका प्रतिशोध भयावह होगा। हमारे शहर और जंगल, हमारे खेत और गाँव कई दिनों तक जलते रहेगें। नदियाँ जहरीली हो जाएगी, हवा आग हो जाएगी, बयार लपटों की तरह चलेगी।[70]

विकिरणों के प्रभाव :– विकिरणों के प्रभाव को दो भागों में बांटा गया हैं।

(A) कायिक प्रभाव (B) आनुवांशिक प्रभाव

(A) कायिक प्रभाव :– ये विकिरण शरीर कोशिकाओं और ऊतकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते है। विकिरण, चिकित्सक (Radiologists) यूरेनियम खान के श्रमिक और रेडियम पटल के पेन्टरों को

सबसे अधिक क्षति पहुँचाती है। विकिरण क्षति का मान और प्रकार के अधिक प्रमाण नागासाकी और हिरोशिमा उत्तर जीवियों के अध्ययनों से मिलते है। कायिक प्रभाव तात्कालिक या देरी से हो सकते है। उच्च विकिरण अनावरण में अधिक विषाक्त होती है और प्राणी को शीघ्र ही मार सकता है। पूर्ण शरीर पर 400 से 500 रून्टगन की मात्रा 50 प्रतिशत मनुष्यों में और 600–700 प्रायोगिक रूप से प्रत्येक प्रयोग में घातक रक्तस्राव होती है। ग्रसित (Victim) एनिमिया, संक्रमण तथा रक्तस्राव जैसी बीमारियों से भर जाता है। शरीर के भाग संवेदनशील में भिन्न होते है। तीव्र मात्राओं से अधिक संवेदनशील उत्तक आंत्र, लसीका ग्रन्थि, प्लीहा और अस्तिमज्जा है। विकिरण शरीर की प्रतिरक्षित अनुक्रिया का विनाश करता है। विकिरण के विलंबित प्रभाव के अन्तर्गत नेत्र मोतियाबिन्द, ल्यूकीमिया, मैलिगनेन्ट, ट्यूमर, हृदय वाहिका विकार, कालपूर्व जरण और समानीत जीवन अवधि आते है। गर्भवती महिला का निदान सूचक एक्स किरण, अनावरण शिशु में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है।[71]

(B) आनुवांशिक प्रभाव :– जीवों में इन विकिरणों का प्रभाव आनुवांशिक तौर पर देखा जा सकता है। इन विकिरणों का प्रभाव सीधे गुणसूत्रों पर पड़ता है। इन किरणों से बच्चे अंधे, बहरे, शारीरिक रूप से अपंग, मानसिक रूप से अविकसित आदि हो सकते है।[72]

ऊष्मीय प्रदूषण :– विभिन्न उत्पादक संयंत्रों तथा परमाणु रियेक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी, समुद्र एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है, शीतलन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊष्ण जल पुनः जल स्रोतों में गिराया जाता है। इस तरह के उष्ण जल से जल स्रोतों के जल के ताप में हानिकारक वृद्धि हो जाती है। इसे ही ऊष्मीय प्रदूषण कहा जाता है। उष्मीय प्रदूषण के कारण निम्न हैं[73] :–

1. थर्मल प्रदूषण का एक सामान्य कारण बिजली संयंत्रों और औद्योगिक निर्माताओं द्वारा शीतलक के रूप में पानी का उपयोग करने से होता है पानी का शीतलक के रूप में उपयोग करने वाले उद्योगों में मुख्य है हाइड्रो–इलैक्ट्रिक पावर प्लान्ट, कोयला चालित विद्युत संयंत्र, वस्त्र, कागज और लुगदी उद्योगों से औद्योगिक अपशिष्ट। एक आंकलन के अनुसार वर्ष 2000 के अन्त तक अमरीका के जल का 80 प्रतिशत विद्युत उत्पादन संयंत्रों के शीतलन तंत्रों में होकर गुजरा था। जो जलाशयों के तापमान में अत्यधिक वृद्धि का कारण बना। एक परम्परागत संयंत्र की तुलना में परमाणु ऊर्जा चालित संयंत्र 40 से 50 प्रतिशत अधिक अपशिष्ट ऊष्मा उत्पन्न करते है।
2. समुद्रों में किए गए अन्तर्जलीय परमाणु विस्फोटों तथा अन्तरिक्षयानों के जल में उतरने से भी ऊष्मीय प्रदूषण में वृद्धि हो रही है।
3. ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा, जहरीली गर्म गैसें, जलवाष्प, राख, चट्टान चूर्ण आदि समुद्री जल को गर्म कर देते है।

4. गर्मियों के मौसम में शहरी बहावों के छोटे जल स्रोतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि पानी बहुत गर्म होकर पार्किंग स्थलों, सड़कों और राहगीरों के लिए चलने वाले स्थानों से होकर बहता है।

5. नगर सीवेज में भी आम तौर पर उच्च तापमान होता है जो नालियों के माध्यम से होकर नदी और नहरों में बहता है।

ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव :– इसके प्रभाव निम्न हैं।[74]

(1) बड़ा हुआ तापमान आमतौर पर पानी में उपस्थित ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है। भंग ऑक्सीजन के स्तरो में कमी मछली और उभयचर जैसे जलीय जानवरों को नुकसान पहुँचा सकती है।

(2) थर्मल प्रदूषण में जलीय जानवरों की एंजाइम गतिविधि के रूप में उपापचय की दर बढ़ जाती है परिणामतः जीवाश्म अल्प समय में ज्यादा खाद्य पदार्थ सेवन करने लगते है। उपापचयी क्रिया में बदलाव के कारण खाद्य पदार्थ में कमी होती जा रही है। आस्ट्रेलिया में जहॉ कई नदियों में गर्म तापमान है वहां देशी मछली प्रजातियों का सफाया हो चुका है। मैक्रो अकशेरूकी जीव भी काफी बदल गये है और वह अपनी शक्ति खो रहे है।

(3) मछलियाँ अपना स्थान बदल सकती है, वह ऐसे स्थान पर जा सकती है जो उनके रहने के लिए अनुकूल हो।

(4) जलाशयों में अप्राकृतिक रूप से ठंडे पानी की कमी, मछली के जनजीवन पर प्रभाव डाल सकती है जो नदियों के मेक्रो अपिटेब्रेटिक जीवों और नदी उत्पादकता को कम करते है।

(5) विषाक्ता में वृद्धि हो सकती है बढ़ता तापमान पानी के भौतिक और रासायनिक गुणों को बदलता है। तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पोटेशियम साइनाइड के विषाक्त प्रभाव को दुगना करता है।

(6) प्रजनन के साथ हस्तक्षेप जैसे कई गतिविधियां मछलियों में, घोसलें का निर्माण, फसल, अंडे सेने प्रवास और प्रजनन आदि जो कि एक अनुकूल तापमान पर निर्भर करती है। ऐसे में सही तापमान ना होने पर अंडे नष्ट हो जाते है।

(7) बीमारी के लिए भेद्यता में वृद्धि कई रोगजनक सूक्ष्म जीवों की उच्च तापमान के कारण वृद्धि होती है पानी के तापमान में बदलाव मछली में बैक्टीरिया रोग का कारण बनता हैं।

(8) थर्मल प्रदूषण जीवों पर आक्रमण की अनुमति देता है जो गर्म पानी और अत्यधिक विनाशकारी है।

(9) कई प्लैक्टन, छोटी मछली और कीट लार्वा की कंडेनसर में ठण्डे पानी के साथ आ जाते है ये थर्मल दबाव के कारण नष्ट हो जाते है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास :– (1) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (2) राष्ट्रीय स्तर (3) राज्य स्तर।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर :– 1960 के दशक तक पर्यावरण विषयक सरोकार सार्वभौमिक नहीं थे बल्कि इनका भी उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम की तरह बुनियादी अंतर नजर आता था। लेकिन रैशेल वेल्व द्वारा लिखी पुस्तक द सायलैंट स्प्रिंग ने पाठकों का ध्यान डी.टी.टी. जैसे रसायन कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले खतरे की और दिलाया गया। ऐरिक एकहोम की "लूजिंग ग्राउंड" में यह स्पष्ट किया गया कि जंगलों के कटान से नदियों के तल में रेती भरने से वह कैसे उथली होती जाती है और फिर पानी को बहा कर समुद्र तक पहुँचाने वाली क्षमता घटने के साथ प्रलयकारी बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिकी भूगोल शास्त्री दम्पत्ति हेरोल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने अपनी पुस्तक "स्पेसशिप अर्थ" में यह दलील दी थी कि मानव जाति के अस्तित्व को प्रकृति के कोप द्वारा नष्ट किए जाने से बचाने का एक ही तरीका है पर्यावरण को सार्वभौमिक मुद्दा समझ सहकारी ढंग से इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना।[75]

अमरीका में 1969 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति विधेयक बनाया गया। तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति ने 1 जनवरी को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी। 1970 में ही हॉलेण्ड़ की सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा पर एक श्वेत पत्र में सरकारी पुनर्गठन का आधार पेश किया ताकि पर्यावरण विभाग की स्थापना की जा सके। 1971 मे फ्रांस की सरकार ने प्रकृति एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अलग मंत्रालय की स्थापना की। इसी तरह स्वीडन, कनाडा, जापान एवं अन्य राष्ट्रों द्वारा भी पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम एवं कानून बनाए गए।[76]

1969 में गैर–सरकारी संस्था फ्रेण्डम ऑफ दी अर्थ बनाई गई जिसे पर्यावरण की रक्षा में नागरिकों को भाग लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया। 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने "प्रदूषक खर्चा पे" सिद्धान्त बनाया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशो को उसकी कीमत देनी चाहिए। 1972 में मेसाचूसेट्स इंस्टीस्यूट ऑफ टेकनोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह "क्लब ऑफ रोम" ने अपनी रिपोर्ट "लिमिटस टू ग्रोथ" प्रकाशित की जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान विकास दर को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई।[77]

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

स्टॉक होम सम्मेलन 1972 :– मानवीय पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन 5 जून 1972 से लेकर 16 जून 1972 तक स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की हिस्सेदारी

महत्वपूर्ण रही और उनका उस वक्त दिया भाषण आज भी यादगार समझा जाता हैं। श्रीमती गांधी ने जहां एक ओर पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता देना बेहिचक स्वीकार किया, वहीं उन्होंने इस बात को भी जोरदार ढंग से सामने रखा कि इस मुद्दे का समाधान विकास की समस्या के साथ जोड़कर ही ढूंढा जाना चाहिए। श्रीमती गांधी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि पर्यावरण के लिए जो संकट वर्तमान में उत्पन्न हुआ हैं, उसके लिए खुद औपनिवेशिक शक्तियां कम जिम्मेदार नहीं। तेल हो या खनिज, अपनी जरूरत के लिए इन संसाधनों का दोहन करते वक्त प्रकृति के स्वास्थ्य की कोई चिंता सम्पन्न पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी।

पूंजीवादी जीवन–यापन शैली में फिजूलखर्च, स्वार्थी, उपभोक्तावादी मानसिकता प्रबल थी जबकि भारत जैसे विपन्न देशों में गांधीवादी सोच के प्रति गहरा आकर्षण था, जहां यह बात सहज स्वीकार की जाती थी कि प्रकृति का भंडार प्रत्येक मनुष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए तो भरा–पूरा हैं, पर किसी समुदाय या राष्ट्र विशेष के लालच की तृप्ति में असमर्थ ही सिद्ध होता हैं।[78] इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा–पत्र को स्वीकार किया। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने के लिए 7 क्षेत्रों की पहचान की गई जो निम्न हैं[79] :– (1) मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। (2) मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य–योजना। (3) संस्थागत तथा वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव। (4) विश्व पर्यावरण दिवस के निर्धारण पर प्रस्ताव। (5) परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव। (6) दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने पर प्रस्ताव। (7) राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के सम्बन्ध में सरकारों को सिफारिशें किए जाने का निर्णय।

रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 :– संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से 1992 में रियों डि–जैनेरियो में पृथ्वी शिखर (Earth Summit) आयोजित की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप निम्न 5 बड़े समझौतो पर हस्ताक्षर किये गये।[80]

(1) जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क :– यह एक कानूनी संधि है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान पर विश्व–स्तर पर मूल्यांकन करना था।
(2) जैविक–विविधता संधि :– अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक कानूनी संधि है जिसके अन्तर्गत पृथ्वी पर जैविक–विविधता को संरक्षण प्रदान करना हैं।
(3) सभी प्रकार के वनों का प्रबंधन संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि :– यह अबाध्यकारी/ऐच्छिक समझौता विश्व के वनों का संरक्षण एवं उनकी धारणीय वृद्धि के लिए किया गया था।
(4) घोषणा पत्र :– यह एक ऐच्छिक समझौता है जिसमें पर्यावरण से सम्बन्धित 27 सिद्धान्त मानव तथा पृथ्वी के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थाई एवं टिकाऊ बनाने में सहायक होते है।
(5) ऐजेंडा 21 टिकाऊ विकास :– यह एक ऐच्छिक समझौता है जिसे एजेंडा 21 के नाम से सम्बन्धित किया जाता है। इस कार्य सूची के अन्तर्गत टिकाऊ विकास पर बल दिया गया है।

एजेंडा 21 के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है (1) ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा का सदुपयोग करके प्रदूषण की वृद्धि में कमी करना (2) जलवायु परिवर्तन (3) समताप मण्डल की ओजोन परत का संरक्षण करना (4) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियन्त्रण (5) स्थलीय तथा सागरीय जल संसाधनां का संरक्षण (6) मृदा अपरदन तथा बढ़ते हुए मरूस्थलीकरण को रोकना (7) वन ह्रास को रोकना (8) रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित प्रबंध करना (9) खतरनाक रासायनिक पदार्थो का सुरक्षित ढ़ंग से आयात–निर्यात करना (10) संपत्ति एवं वन के असमान वितरण को कम करना।

मांट्रियल प्रोटोकॉल :– मांट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन ओजोन परत का ह्रास करने वाले तत्वों एवं पदार्थो के सम्बन्ध में किया गया था।

वियना सभा :– ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में आस्टिया की राजधानी वियना में "वियना कन्वेंशन" हुई थी जो ओजोन क्षरण पदार्थो पर सम्पन्न प्रथम प्रयास था।

क्योटो प्राटोकॉल :– वर्ष 1997 में जापान के एक पुराने नगर क्योटो में हुआ विश्व सम्मेलन एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी। सम्मेलन 21 वीं शताब्दी में भू मण्डल को जलवायु परिवर्तन और अनेक आपदाओं से बचाने के लिए हुआ था। सम्मेलन में भाग लेने वाले तीन प्रमुख खेमे थे– अमेरिका, यूरापीय संघ और स्वयं जापान। यूरापीय संघ का प्रस्ताव यह था कि 1990 के गैस उत्सर्जन–स्तर को आधार मानकर 15 वर्षो के भीतर इसमें 15 प्रतिशत तक की कमी लाई जाए। लेकिन अमेरिका और जापान को यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं था। इन्होने केवल यह प्रस्ताव माना कि 15 वर्षो के भीतर गैस उत्सर्जन–स्तर में कमी लाई जाएगी। अंत में विकसित देशो से यह अनुरोध किया गया कि वर्ष 2012 तक गैंसो के उत्सर्जन–स्तर में कम से कम 5.2 प्रतिशत तक की कमी लाए। विकसित देशो ने कमी लाने का जो प्रतिशत स्वीकार किया, वह इस प्रकार था– अमेरिका (7 प्रतिशत) यूरोपीय संघ (8 प्रतिशत) और जापान (6 प्रतिशत), 1 जून 2007 तक संसार के 172 देश क्योटो संधि की पुष्टि कर चुके थे तथा 37 अन्य देशो ने इस पर अपनी सहमति जताई। भारत ने 2002 में संधि पर हस्ताक्षर किए।[81]

लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन :– 2 दिसम्बर 2014 को लीमा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नई जलवायु परिवर्तन संधि के लिए मसौदा तैयार करना था, जिससे दिसम्बर 2015 में पेरिस में होने वाली वार्ता में सभी देश एक नए महत्वाकांक्षी और बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर कर सके। सम्मेलन में विश्व के देशो ने उत्सर्जन कटौती के राष्ट्रीय संकल्प के मसौदे को स्वीकार कर लिया। लीमा में सम्मेलन के दौरान आयोजित इस मसौदे में 3 प्रमुख पहलुओं विज्ञान, नीतियां, प्रक्रिया एवं कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। "हरित जलवायु कोष" को बढ़ाकर लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर भी किया गया।[82]

21 वाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन :– संयुक्त राष्ट्र का 21 वां जलवायु परिर्वतन सम्मेलन कॉप 21 फ्रांस की राजधानी पेरिस के उत्तरी शहर ली बुर्जेट में दिनांक 20–11–15 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर एक ऐसा सार्वजनिक समझौता तैयार करना था जिसका पालन करना विश्व के सभी देशों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी हो।

स्वीकृत समझौते का मसौदा :– तेरह दिनों की जद्दोजेहद और 24 घण्टे से अधिक समय तक सम्मेलन लम्बित रहने के बाद 12 दिसम्बर की रात को अन्ततः वर्ष 2020 से प्रभावी होने वाला जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध मसौदा स्वीकृत हो गया और समझौते के अन्तिम मसौदे को भारत, चीन और अमेरीका सहित 195 पक्षकारो के प्रतिनिधियों ने इसे अपनी मंजूरी देते हुए हस्ताक्षरित किया। पृष्ठीय मसौदे की प्रस्तावना के मुताबिक सभी देश सम्पोषणीय जीवन–शैली या न्यूनतम विलासिता पूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेगे जिसके तहत उपभोग की अतिभौतिक एवं पर्यावरणीय अपकर्षण बढ़ाने वाली चीजों की खपत और उनका उत्पादन कम किया जाएगा और विकसित देश इसके लिए सबसे पहले कदम उठायेगें। धारणीय जीवन शैली और पर्यावरण के साथ न्याय की दृष्टि से यह समझौता ऐतिहासिक और निर्णायक स्थिति माना जा रहा है जो सम्पूर्ण विश्व को स्वर्णिम भविष्य की और बढ़ाने वाला है। इस मसौदा में भारत द्वारा पिछले एक वर्ष में जोरदार तरीके से प्रस्तुत की गई दो संकल्पनाओ जलवायु न्याय और सततीय जीवन शैली को समाहित किया गया है। समझौते के प्रमुख बिन्दु निम्न है[83] :–

(1) वर्ष 2020 में समझौता लागू होने से पहले सभी देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य की समीक्षा करेगे ताकि यथा सम्भव अधिक कठोर लक्ष्य तय किए जाएं।

(2) अधिकांश देशो ने वर्ष 2025 तक कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य तय किया है जबकि कुछ देशों ने कहा है कि वर्ष 2030 तक उनकी कार्बन उत्सर्जन की सीमा उच्चतम स्तर पर पहुँचेगी।

(3) वर्ष 2023 से हर 5 वर्ष के अन्तराल में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के प्रभावों की समीक्षा की जाएगी और उसके अनुसार बदलाव किया जाएगा ।

(4) अमीर देश 100 अरब डॉलर की वार्षिक मदद वर्ष 2020 से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हर साल विकासशील देशों को देगें और वर्ष 2025 से इसकी समीक्षा होगी ।

(5) हर सम्भव और अधिकतम प्रयासों द्वारा पृथ्वी के वैश्विक ताप में होने वाली वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2^0C से कम पर सीमित किया जाएगा।

संक्षेप में इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए सामान्य सहमति वाले "विश्व व्यापी प्रारूप" की स्वीकृति रही है जिसमें भारत सहित विकासशील देशों की चिंताओं का समाधान किया गया है।

प्रमुख संगठन व एजेन्सियां :– पर्यावरण वानिकी, वन्यजीव और अन्य सम्बन्धित कार्यो के क्षेत्रों में कई अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन तथा एजेंसियां कार्यक्रम बनाते हैं। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण संगठन निम्नलिखित हैं[84] – अर्थ स्केन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संकटापन्न जातियों पर अधिवेशन, पर्यावरण परिरक्षण एजेंसी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ह्यूमन एक्पोजर असैसमेन्ट लोकेशन, इन्टरनेशनल काऊन्सिल ऑफ सांइटिफिक यूनियन्स (ICSU), प्रकृति और प्राकृतिक सम्पदाओं के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (ICSU), अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सलाहकार संगठन, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र, शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग, पृथ्वी रक्षा कार्यक्रम, पृथ्वी परियोजना, पृथ्वी यात्रा, मनुष्य एवं जीवमण्डल कार्यक्रम। इसके साथ ही ग्रीन पीस जैसे संगठनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त बंगारी मथाई ने भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ग्रीन बेल्ट आंदोलन का शुभारम्भ किया।

राष्ट्रीय स्तर :– राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न प्रयास किये गये।

पर्यावरण संरक्षण व भारतीय संविधान :– भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी मुख्य संवैधानिक उपलब्ध निम्न प्रकार से किए गए है जो कि इस प्रकार है:– 42 वें संविधान संशोधन द्वारा वन, वन्य जीव जन्तुओं और पक्षियों का रक्षण समवर्ती सूची में कर दिए गए। अनुच्छेद 19 (1) छ किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से या अनैतिक ढ़ग से पेशा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है कि "किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं।" उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार प्राण का अधिकार के अन्तर्गत सम्मिलित अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचार बाबत उपबंध किए गये है जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को पर्यावरणीय मामलों के लिए अनुच्छेद 12 में बताए गए "राज्य" के विरूद्ध परमादेश लेख तथा अन्य प्रकार के युक्ति युक्त निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त हैं।[85]

अनुच्छेद 47 के अधीन राज्य का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक–स्वास्थ्य के सुधार करने के प्रयास करें तथा विशेषतया औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का प्रतिषेध

करने का प्रयास करें। अनच्छेद 48(क) यह अपेक्षा करता है कि राज्य देश के पर्यावरण को सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।[86] अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य होगा कि वह "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी है उनकी रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।"[87]

भारत सरकार की वन नीति :— भारत में सबसे पहले वन नीति 1884 में अपनायी गई थी जिसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति व वनों का संरक्षण था। स्वतन्त्रता के बाद 1952 को नवीन वन नीति घोषित की गई। इस नीति के अनुसार भूमि के 33 प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए। वन सम्बन्धी नीति के दो उद्देश्य है एक वन साधनों के दीर्घकालीन विकास की व्यवस्था करना और दूसरा निकट भविष्य में इमारती लकड़ी तथा ईंधन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करना।[88]

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 :— यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया। इस अधिनियम में 4 अध्याय व 26 धाराएँ हैं। धारा 2 में पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषण, किसी पदार्थ के सम्बन्ध में "हथालना" ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन पैकेज, भण्डारकरण, परिवहन उपयोग, संग्रहण, विनाशक, परिसंकटमय पदार्थ, किसी कारखाने या परिसर के सम्बन्ध में '' अधिष्ठाता, विहित, शब्दों की परिभाषाएँ दी गई है। द्वितीय अध्याय में 4 धाराएं दी गई है जिनमें धारा 3 केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति है। धारा 5 में निर्देश देने की शक्ति तथा धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियमों का उल्लेख है। अध्याय 3 में पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियन्त्रण और उपशमन से सम्बन्धित है। धारा 7 उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्तारण न होने देना तथा धारा 8 परिसंकटमय पदार्थो को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी रक्षोपायों का पालन किया जाने सम्बन्धित है। धारा 11 में नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है।[89]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम 1981 :— इस अधिनियम को 29 मार्च 1981को संसद द्वारा पारित किया गया तथा सम्पूर्ण भारत 15 मई 1981 को लागू किया गया। इस सम्पूर्ण अधिनियम को सात भागो में बाँटा गया है जिससे कुल 54 धाराएँ है। अधिनियम की धारा (2) में वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण, अनुमोदित उपकरण, अनुमोदित ईधन, मोटरगाड़ी, बोर्ड, केन्द्रीय, बोर्ड, चिमनी, नियन्त्रण उपकरण, उत्सर्जन, औद्योगिक संयंत्र, सदस्य अधिभोगी विहित, राज्य बोर्ड़ आदि शब्दों को परिभाषित किया गया है। अधिनियम के भाग 4 में वायु प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण से सम्बन्धित प्रावधान धारा 19 से 31 क तक उल्लेखित है। जिसमें मुख्य प्रावधान निम्न हैं[90] — (1) धारा 19 वायु प्रदूषित नियन्त्रण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति, (2) धारा 20 मोटर गाड़ियों के

उत्सर्जन के लिए मानक, (3) धारा 21 औद्योगिक संयंत्र के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध, (4)धारा 22(क) न्यायालय के समक्ष आवेदन, (5) धारा 23 राज्य बोर्ड तथा अन्य को सूचना देना, (6) धारा 24 प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति, (7) धारा 25 जानकारी प्राप्त करना, (8) धारा 26 नमूने लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, (9) धारा 27 नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट, (10) धारा 28 राज्य वायु प्रयोगशाला।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 :– इस अधिनियम में 8 अध्याय और 64 धाराएँ है। धारा 2 में बोर्ड़, सदस्य अधिष्ठाता, निकास, प्रदूषण, विहित, मल बहिःस्राव, आदि की परिभाषाएं दी गई है। अध्याय 2 केन्द्रीय तथा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित है। अधिनियम की धारा तीन में केन्द्रीय बोर्ड का गठन, धारा 4 में राज्य बोर्डो का गठन, धारा 5 में सदस्यो की सेवा के निबन्धन और शर्ते, धारा 6 में निरर्हताएँ, धारा 8 में बोर्ड के अधिवेशन, धारा 9 में समितियों का गठन आदि का उल्लेख है। अध्याय 3 की धारा 13 में संयुक्त बोर्डो का गठन, धारा 14 संयुक्त बोर्डो की संरचना से सम्बन्धित है। अध्याय 4 में बोर्डो की शक्तियो और कृत्यों का उल्लेख है। धारा 16 में केन्द्रीय बोर्ड़ के कृत्य, धारा 17 में राज्य बोर्ड के कृत्य, धारा 18 में निर्देश देने की शक्तियाँ, आदि का उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 जल प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण का उल्लेख किया गया है। धारा 19 में राज्य सरकार की इस अधिनियम के लागू होने को कतिपय क्षेत्र तक निर्बन्धित करने की शक्ति, धारा 20 में जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति, धारा 21 में बहिःस्रावो के नमूने लेने की शक्ति और उसके सम्बन्ध के अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, धारा 22 धारा 21 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट, धारा 23 प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, धारा 24 में प्रदूषक पदार्थ आदि के व्यसन के लिए सरिता या कुएँ के उपयोग पर प्रतिषेध, धारा 26 मल या व्यापसायिक बहिःस्राव के विद्यमान निस्सरण के बारे में उपबन्ध, धारा 27 राज्य बोर्ड़ द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना, धारा 28 में अपीलें, धारा 30 में कतिपय संकमो को क्रियान्वित करने की राज्य बोर्ड की शक्ति, धारा 32 सरिता या कुएँ के प्रदूषण की दशा में आपात उपाय आदि का उल्लेख किया गया है। धारा 51 केन्द्रीय जल प्रयोगशाला धारा 52 में राज्य जल प्रयोगशाला, धारा 63 में केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति धारा 64 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति आदि का उल्लेख है।[91]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 :– आजादी के पश्चात् भारत सरकार ने वन्य प्राणियों, पक्षियों तथा पादपो के संरक्षण बाबत् 9 सितम्बर 1972 को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम 1972 को संसद ने पारित किया जिसका उद्देश्य इन वन्य प्राणियों, पक्षियों तथा पेड़–पौधों की विलुप्त होती हुई जातियों, प्रजातियों को संरक्षित करना तथा उनसे सम्बन्धित या अनुषांगिक या प्रासंगिक सभी विषयों का उपबन्ध करना है।[92]

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 :– राष्ट्रीय पर्यावरण नीति संविधान के अनुच्छेद 48(क) तथा 51(क) (छ) में अधिदेशित तथा अनुच्छेद 21 की न्यायिक विवेचना द्वारा पुष्ट की गई स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हमारी वचन बद्धता संबन्धी प्रतिक्रिया है। यह स्वीकार किया गया है कि स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नही है बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य निम्न हैं[93] – (1) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनो का संरक्षण (2) वर्तमान पीढ़ी में समता गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा (3) पीढ़ियों में समता (4) आर्थिक तथा सामाजिक विकास में पर्यावरणीय सरोकारो का एकीकरण (5) पर्यावरणीय संसाधनो के प्रयोग में दक्षता (6) पर्यावरणीय संचालन (7) पर्यावरण संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी ।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के निम्न सिद्धान्त हैं[94] :– (1) सभी मानव अविच्छिन विकास सरोकारों के केन्द्र बिंदु है (2) विकास का अधिकार (3) पर्यावरणीय सुरक्षा विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है (4) एहतियाती दृष्टिकोण (5) आर्थिक क्षमता (6) अतुल्य महत्व की हस्तियां (7) समता, (8) वैधानिक उत्तर दायित्व (9) सार्वजनिक न्यास का सिद्धान्त, (10) विकेंद्रीकरण (11) एकीकरण (12) पर्यावरणीय मानको का निर्धारण (13) निवारक कार्रवाई (14) पर्यावरणीय प्रतिकार ।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) :– पर्यावरण से सम्बन्धित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं सम्पत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे सम्बन्धित या उससे जुड़े मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अन्तर्गत 18–10–2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु–अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादो को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।[95]

भारत का जलवायु "परिवर्तन कार्य योजना" आठ मिशन :– जलवायु परिवर्तन की चुनौतियो से निपटने के लिए भारत सरकार ने 30 जून 2008 को "राष्ट्रीय क्लाइमेंट चैंज एक्शन प्लान" की घोषणा की। इस प्लान में आठ राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करने की परिकल्पना की गई थी। ये आठ मिशन निम्नलिखित हैं[96] – (1) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (2) राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा बचत मिशन (3) राष्ट्रीय सतत् पर्यावास मिशन (4) राष्ट्रीय जल मिशन (5) राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिक्षण मिशन (6) राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (7) राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (8) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक–ज्ञान मिशन

पर्यावरण विभाग :– तिवारी समिति के परामर्शो को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1980 में एक स्वतन्त्र पर्यावरण विभाग का गठन कर उसे पर्यावरण प्रबन्धन और पारिस्थितिकीय विकास का काम सौंपा।

पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्रालय का गठन :– इसका गठन 1985 में भारत सरकार ने किया है। इस मंत्रालय को निम्न जिम्मेदारी सौंपी गयी हैं[97] – (1) पर्यावरण और पारिस्थितिकी (2) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण एवं वानस्पतिक उद्यान (3) भारतीय जीव सर्वेक्षण विभाग (4) नेशनल म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री (5) जल प्रदूषण नियत्रंण (6) वायु प्रदूषण नियंत्रण (7) पर्यावरण संरक्षण (8) जैव मण्डल रिजर्व कार्यक्रम (9) राष्ट्रीय वन नीति और वन विभाग (10) भारतीय वन सेवा (11) वन्य जीव संरक्षण (12) उच्च संस्थाओं में वन आधारित शोध को प्रोत्साहन और सहयोग (13) पद्मजा नायडू हिमालयी जैव पार्क (14) राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं बंजर भूमि विकास काउन्सिल (15) राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड (16) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (17) जंगल संवर्धन नीति ।

राज्य स्तर :– राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न प्रयास किये गये।

जोधपुर नरेश ने सबसे पहले वनों को सुरक्षित रखने की योजना लगभग 1910 में बनाई । उसी प्रकार टोंक राज्य में 1901 में शिकार एक्ट बनाया जिसमें वन्य जीवों और वनों के संरक्षण का ध्यान रखा गया। उदयपुर राज्य में भी वर्ष 1936 में वन क्रियाशील योजनाएं बनाई गई। राजपूताना में वनों के संरक्षण तथा उनको विकसित करने की दिशा में उठाये गये अन्य कदमों में मारवाड़ शिकार नियम, 1921, कोटा, जंगलात कानून 1924 तथा जयपुर शिकार कानून 1931 आदि थे।[98]

स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान राज्य ने पशु–पक्षियों को जीवित बनाए रखने सम्बन्धी "राजस्थान प्रिजरवेशन ऑफ सरटेन एनीमल एक्ट" 18 अप्रेल 1950 को निर्मित किया। इस एक्ट के अन्तर्गत 6 धाराएँ है। इसके बाद राजस्थान राज्य में वन्य पशु व पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु "राजस्थान वन्य पशुओं एवं पक्षियो हेतु सुरक्षा अधिनियम" 1951 पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 धाराएँ है।[99]

राजस्थान वन अधिनियम 1953 :– इस अधिनियम में 13 अध्याय तथा 89 धाराएँ है। अध्याय प्रारम्भिक परिचय व परिभाषाओं से सम्बन्धित है। अध्याय 2 आरक्षित वनों के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। अध्याय 3 ग्राम वनों से सम्बन्धित है। अध्याय 4 संरक्षित वनों से सम्बन्धित है। अध्याय 5 ऐसे वन एवं भूमियों पर नियंत्रण से संबधित है जो राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है। अध्याय 6 इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज पर शुल्क के सम्बन्ध में प्रावधान करता है। अध्याय 7 इमारती लकड़ी व अन्य वन उपज के अभिवहन पर नियंत्रण से सम्बन्धित है।[100]

राजस्थान कोलाहल (नियंत्रण) अधिनियम 1963 :– इस अधिनियम के कुल 10 धाराएं है। अधिनियम की धारा 1(1) के अनुसार यह अधिनियम राजस्थान कोलाहल (नियंत्रण) अधिनियम 1963 कहलायेगा। धारा 1(2) विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान में होगा। अधिनियम की धारा 2 में लाउडस्पीकर व सार्वजनिक स्थान को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 रात्रि के समय कोलाहल की घोषणा करने तथा उस पर निषेध से सम्बन्धित है। अधिनियम की धारा 4 लाउडस्पीकरों के प्रयोग व बजाने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 5 किसी भी समय और किसी भी स्थान पर ध्वनि

प्रदूषण रोकने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 6 में शान्ति संबंधी प्रावधान किये गये है। धारा 7 प्रक्रिया से संबधित है। धारा 8 अधिनियम के विरूद्ध कार्य करने पर पुलिस के बंदी बनाने की शक्ति प्रदत्त करती हैं।[101]

राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 :– राज्य सरकार को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 के अधीन दी गई शक्तियों की अनुपालना के राजस्थान राज्य की सरकार ने अपने राज्य बोर्ड (राज्य पदूषण नियंत्रण बोर्ड) के परामर्श से राजस्थान राज्य में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए पृथक से राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 तथा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अपील नियम 1977 पारित कर लागू किये। राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1975 में कुल 39 नियम 12 अध्यायों में निम्नानुसार विभक्त हैं[102] :–

अध्याय	शीर्षक	नियम
1.	प्रारम्भिक	1–2
2.	बोर्ड और उसकी समितियों के सदस्यों की सेवा की शर्ते और निबन्धन	3–5
3.	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की शक्तियां और कर्तव्य तथा अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां	6–8
4.	राज्य बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थाई सम्बन्ध	9
5.	परामर्शी–अभियंता की नियुक्ति व शक्तियां	10–15
6.	राज्य बोर्ड का बजट	16–21
7.	राज्य बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट	22
8.	राज्य बोर्ड के लेखे	23
9.	राज्य बोर्ड विश्लेषक की रिपोर्ट	24
10.	राज्य जल प्रयोगशाला	25–26
11.	बोर्ड की शक्तियां और कृत्य	27–30
12.	बोर्ड के कार्य–कलापों की प्रक्रिया	31–39

राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1983 :– राज्य सरकार को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 54 के अधीन दी गई नियम बनाने की शक्तियों का निर्वहन करते हुए राजस्थान राज्य की राज्य सरकार के अपने राज्य बोर्ड से परामर्श

के पश्चात् राजस्थान राज्य में वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए राजस्थान वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण नियम 1983 पारित कर लागू किया। इसमें कुल 15 नियम है जो 12 अध्यायों में निम्नानुसार विभक्त हैं[103]–

अध्याय	**अध्याय का शीर्षक**	**नियम**
1.	प्रारम्भिक	1–2
2.	वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की रीति	3
3.	राज्य बोर्ड की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, उस पर दी जाने वाली फीस, आवेदन पत्र दिये जाने की अवधि, आवेदन पत्र के विवरण और अनुमति देने के लिए की जाने वाली जांच के लिए प्रक्रिया	4–6
4.	राज्य बोर्ड, प्राधिकारियों या अभिकरणों को जानकारी देना	7
5.	वायु या उत्सर्जन के लिए नमूना लेने की रीति	8
6.	सूचना का प्रारूप	9
7.	राज्य बोर्ड विश्लेषण की रिपोर्ट का प्रारूप	10
8.	सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का प्रारूप	11
9.	राज्य वायु प्रयोगशाला के कृत्य	12
10.	सरकारी या बोर्ड विश्लेषक की अर्हताएं	13
11.	अपीलें	14
12.	रजिस्टर का रख–रखाव	15

राजस्थान पर्यावरण विभाग :– इस विभाग की स्थापना अक्टूबर 1983 में की गई। यह विभाग जल, वायु एवं भूमि आदि के प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण हेतु प्रयासरत है, साथ ही वन, वन्य जीवों राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारणों का भी संरक्षण करता है। यह विभाग भारत सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को भी संचालित करता है।[104]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल :– राजस्थान राज्य पदूषण नियन्त्रण मण्डल का गठन जल एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था।[105]

राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। वायु एवं जल प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए यह मण्डल कार्यरत है। इसके प्रमुख कार्यों में राज्य के प्रदूषण को न्यूनतम करना, शहर के प्रदूषित जल को नियन्त्रित करना, गंदे जल को उचित क्रियाविधि से सिंचाई एवं औद्योगिक कार्यों में प्रयोग लेना, नवीन उद्योग धन्धों के स्थान निर्धारित करने के लिए उचित परामर्श देना यदि आवश्यक हो तो विद्यमान उद्योगो को नवीन स्थानों पर स्थापित करने हेतु आवश्यक परामर्श देने का कार्य भी करता है।[106]

राजस्थान धूम्रपान का प्रतिशेध और अधुम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम 1999 :– यह अधिनियम 1 अगस्त 2000 से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया गया ।

हरित राजस्थान योजना :– प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए जन जन के सहयोग से वृक्षारोपण की महत्वकांक्षी पंचवर्षीय योजना (2009–10 से 2013–14) हरित राजस्थान जुलाई 2009 से प्रारम्भ वन विभाग द्वारा अन्य विभागों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ–साथ भूमि तथा सड़क मार्गो वृक्षारोपण के कार्य करवाए गये है।[107]

केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर (काजरी) :– केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के मरूस्थल की गम्भीरता को दृष्टिपात रखते हुए अक्टूबर 1952 में मरूस्थल वृक्षारोपण शोध केन्द्र की स्थापना जोधपुर में की थी।

पर्यावरण संरक्षण में अड़चनें (बाधाएं) –

विश्व स्तर पर अड़चने :–

(1) जापान के शहर क्योटो में जिस समझौते पर अधिकांश देशों ने हस्ताक्षर किए, उसके लिए राजनय और अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श कई वर्ष तक चला। इस संवाद में जो बात उभर कर आई और विवाद का विषय बनती रही वह यह थी कि हाइड्रो कार्बन वाले ईधन के उपयोग से पैदा होने वाले प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है ?[108]

(2) विकास की धुरी प्रायः वनों के दोहन से प्रारम्भ होती है। बढ़ती जनसंख्या, शहरों के विस्तार कृषि भूमि बांधो के निर्माण आदि के कारण वनों की अन्धाधुन्ध कटाई से पर्यावरण असन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(3) दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के अलग–अलग राष्ट्र राज्यों के पर्यावरण सम्बन्धी सरोकार अलग है। अलग–अलग हिस्सो में बांट कर ही पर्यावरण के विषय में राजनयिक परामर्श चलता रहा हैं। पर्यावरण के सार्वभौमिक मुद्दे का टुकड़ों में बांट इसके स्वरूप क्षेत्रीय बना दिया गया है। [109]

(4) विड़ंबना यह है कि पर्यावरण विज्ञानियों को भूमण्डलीकरण के इस दौर में अर्थशास्त्री और राजनीति विद्वान दोनों को अपना दुश्मन समझते है। जहां तक नेताओ का प्रश्न है वह तो यह मानने को बड़ी मुश्किल से तैयार होते है कि पर्यावरण विषयक शोध या भविष्यवाणियाँ वैज्ञानिक है।[110]

(5) विकसित एवं विकासशील देशों के बीच असहमति पूर्ण स्थिति भी एक कारण है।

(6) सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह रहा है कि सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच में पर्यावरण के मुद्दे को लेकर भंयकर शत्रुता का भाव देखने को मिला है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में पर्यावरण को नरम मुद्दा (स्वाफ्ट इशु) समझते है – सैनिक सामरिक कठोर मुद्दों से कही कम महत्पूर्ण।[111]

(7) आज का मानव आर्थिक तकनीकी मानव है जिसने पर्यावरण के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है ।

(8) अमीर देशों ने समझ लिया है कि बड़ी–बड़ी बातें करना काफी आसान है लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना काफी मुश्किल। समझौता यह था कि वे उत्सर्जन को घटाएगे, ताकि विकासशील देश इसे बढ़ा सके। लेकिन 1990 से 2006 के बीच कार्बन ड़ाईऑक्सवाइड का उत्सर्जन 14.5 फीसदी बढ़ गया है। ग्रीन आन्दोलन चलाने वाले यूरोप के देश भी अपनी बातों को जिंदगी में नहीं उतार पाए है।[112]

(9) निक स्टर्न की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया का बीस प्रतिशत उत्सर्जन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विकासशील देशों में जंगल बड़े पैमाने पर काटे जा रहे है।[113]

राष्ट्रीय स्तर पर अड़चनें :–

(1) कृषि एवं पर्यावरण का गहरा सम्बन्ध है। मनुष्य ने विकास के साथ–साथ कृषि विकास के लिए अनेक प्रकार के खाद व बीजों की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खादों का उपयोग निरन्तर कम होता जा रहा है खेतों में विद्यमान फसलों को रोगों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है।

(2) भारत के औद्योगिक विकास ने जहां वायु में विद्यमान जल को सल्फर डाई आक्साईड के जरिए तेजाबी बनाया है वही पृथ्वी पर विद्यमान पानी को विभिन्न किस्मों के कचरे तथा अपशिष्ट से और भी प्रदूषित किया है। जल भण्डार पर रासायनिक उर्वरकों के अलावा उद्योगों कारखानों से भी प्रदूषण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

(3) भारत में खनिजों का उत्खनन घटिया ढंग से किया जाता है जिसके कारण एक और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है तो दूसरी तरफ पर्यावरण की हानि हो रही है। उत्खनन के बाद लावारिस छोड़ी गई भूमि अनुपयुक्त होती जा रही है।

(4) आधुनिकता के कारण जल और वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है।

(5) जलवायु की शुष्कता के कारण भारत में मरूस्थलो का विस्तार हो रहा है जो भविष्य के लिए खतरा है।

(6) भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के सन्दर्भ में पर्यावरणीय प्रभावों के आंकलन के बिना कार्य हुआ है। फलतः लाभ के साथ पर्यावरणीय कठिनाइयां प्रकट होने लगी है। नर्मदा घाटी परियोजना एवं टिहरी बाँध योजना ने तूफान खड़ा कर दिया है। राजनेता लाभ बता रहे है। और पर्यावरणवादी और जनसाधारण इनकी हानियों को गिना रहे है।[114]

(7) ब्रिटिश पर्यावरणवादी नॉर्मन मार्यन्स का मानना है 5 प्रतिशत वनों की कटाई का कारण पशुपालन, 19 प्रतिशत अत्यधिक भारी लॉंजिग के कारण, 22 प्रतिशत पाम तेल के पौधों के बढ़ते क्षेत्र के कारण, तथा 54 प्रतिशत स्लेश और जलांकर खेती के कारण है।[115]

(8) पर्यावरणीय समस्याओं के केन्द्र में यहाँ की बढ़ती जनसंख्या है। इसके कारण वन विनाश उर्वर भूमि पर अधिवास निर्माण, असन्तुलित संसाधन दोहन और कम आय के कारण गरीबों की संख्या बढ़ रही है। कहा जाता है कि गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषक है। अपने पेट की आग बुझाने के लिए गरीब आदिवासी नन्हें पेड़ों को काटने में तनिक भी नही सोचता, जबकि वह भी कम घातक नही है। अशिक्षित के लिए किसी प्रकार के लिखित निर्देशन का कोई अर्थ नही है।

(9) आधुनिकीकरण के नाम पर जिस प्रकार पश्चिमी जीवन पद्धति की भौंड़ी नकल की जा रही है उससे भारतीय जीवन पद्धति, जो पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील रही है नष्ट होती जा रही है। गंगा को प्रदूषित करने में यही मनोवृति प्रधान रही है। वन विनाश भी पश्चिमी प्रभाव में किया गया । औद्योगिक विस्तार भी उसी तर्ज पर आयातित तकनीकी के द्वारा किया जा रहा है।

(10) अपनी नई किताब "ग्रीन वॉर्स" में पर्यावरण विशेषज्ञ पत्रकार बहार दत्त ने लिखा है "जब भी मै पर्यावरण की कोई खबर लिखती, तो एक बड़े मीडिया घराने के संपादक शिकायत करते कि पर्यावरणवाद की वजह से विकास रूक रहा है मेरी दिलचस्पी इस देश के लिए सिर्फ दहाई अंक वाली विकास दर में है।" भारत के अभिजात वर्ग में यह धारणा बहुत प्रचलित है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एक दूसरे के विरोधी है। यह धारणा सम्पादकों अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों और राजनेताओं में भी प्रचलित है। मुक्त बाजार के विचारक गुरूचरण दास ने अत्यंत उपेक्षा के साथ पर्यावरण आंदोलन के नजरिये को कट्टरवादी और अतार्किक बताया है। प्रफुल्ल पटेल जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि विकासशील देशों में विकसित देशों के पर्यावरण के पैमाने लागू नहीं किए जा सकते ।[116]

(11) आज की दुनिया की सबसे दुखद बात ये है कि शिक्षित और पैसे वाला वर्ग हमारे अस्तित्व की अहम मूलभूत चीज धरती माता, जानवरों और पेड़ पौधों से कट गया है जिसे ये धरती पालती पोसती है। प्रकृति की योजना अनुसार बनी यह दुनिया बुरी तरह से लूटी खसोटी जा रही है।

राज्य स्तर पर अड़चने :–

(1) राजस्थान के लिए अकाल व अभाव बहुत जानें–पहचानें शब्द है। यहाँ के ग्रामीण जीवन से इनका चोली–दामन का सम्बन्ध रहा है। राज्य के कई जिले प्रायः अकाल से प्रभावित होते रहते है।

(2) इन्दिरा गाँधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे आस–पास के गाँव और चक वीरान होने लगे है। तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ भूमि हजारो हैक्टेयर क्षेत्र में नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है।

(3) पिछले वर्षो में आरक्षित वनों पशु पक्षियों के शरण स्थलों में खनन कार्यो के बढ़ने से पर्यावरण को हानि पहुँची है। अलवर जिले में सरिस्का क्षेत्र में मार्बल, लाइमस्टोन, सोपस्टोन, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि के खनन से पर्यावरण को क्षति पहुंची है। इससे इस क्षेत्र में मिट्टी को क्षति पहुंची है और श्रमिक वनों से ईधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुँचाते है।

(4) राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलो मीटर है जिसमें से 32,701 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन है जो कि कुल क्षेत्र का 9.55 प्रतिशत ही है। तीव्र गति से होने वाला वन विनाश पर्यावरण संतुलन के लिए घातक है। राज्य के मरूक्षेत्रो में "ओरणो" में कमी से वन क्षेत्र में कमी आई है स्वतन्त्रता के पश्चात् भूमि के नियमनों में "ओरणो" का कृषि जोतों में परिवर्तित होना, उनकी भूमि पर अतिक्रमण, वृक्षों की अवैध कटाई, जंगली बबूल, सत्यानाशी, पार्थेनियम जैसे घातक विदेशी खरपतवार के अनियन्त्रित अतिक्रमण, वन्य जीवों के शिकार, मानवीय संवेदना एवं आध्यात्मिक एवं प्रकृति प्रेम के प्रति घटती रूचि आदि के कारण "ओरणो" संस्कृति विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है।

(5) राजस्थान राज्य में मौजूद सतही जल में से 82 लाख एकड़ फुट जल के उपयोग की योजनाएँ पूरी होने के बाद भी 76 लाख एकड़ फुट पानी बेकार चला जाता है।[117]

स्थानीय (पंचायत) स्तर पर अड़चनें :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में खुले में शौच जाने की आदत हैं।
2. प्लास्टिक से प्रेम के कारण लोग इसका प्रयोग अभी भी करते हैं।
3. ईंधन के लिए लोग वनों से लकड़ी काटते हैं।
4. कई गांवों में अभी भी गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं हुआ हैं।
5. गांवों में सफाई हेतु कर्मचारी अभी नहीं लगाये गये हैं।
6. गांवों के पास ही अवैध ईट भट्टे चल रहे हैं।
7. गांवों में कचरा प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं हैं। गांवों के पास ही कचरे के ढ़ेर पड़े रहते हैं।

8. हैण्डपम्पों में पानी की मोटरे डालने के कारण निरन्तर भूमिगत जल बाहर बहता रहता हैं जिसे कोई देखने वाला नहीं हैं।
9. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की पर्यावरण के प्रति उदासीनता का भाव रहता हैं।
10. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगाये पौधों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके फलस्वरूप पौधें नष्ट हो जाते हैं।
11. स्थानीय स्तर पर पर्यावरण निगरानी हेतु कोई उड़न दस्ता नहीं हैं जो गांवों में पर्यावरण की स्थिति पर नजर रख सके।
12. ग्राम पंचायतों के पास दण्डात्मक शक्तियां नहीं हैं तथा अधिकारों की कमी हैं।
13. ग्रामीण जनता पर्यावरण संरक्षण के प्रति अभी तक पूर्ण जागरूक नहीं हुई हैं।
14. हमारे कई जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण कानूनों की जानकारी नहीं हैं।
15. गांवों में गरीबी व अशिक्षा की समस्या हैं जिससे भी पर्यावरण संरक्षण में बाधा आती हैं।

निष्कर्ष :– सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर पौधों और प्राणियों के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध है, जिसके कारण इसे वसुन्धरा कहा गया है। पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है जो पृथ्वी के जैव जगत को आवृत किए हुए है तथा जिसके प्रभाव से जीवन स्पन्दित होता है। पर्यावरण दो अवयवो जैविक व अजैविक से मिलकर बना है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता प्राचीन समय से रही है। पाँचवी शती ई.पू. में हिप्पोकेट्रीस ने "वायु, जल और स्थान" पर पुस्तक लिखी थी जिसे सामान्यतया, पर्यावरणीय सिद्धान्त पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। इसके बाद प्लेटो, मांटेस्क्यू बोड़िन, वकिल, एल्सवर्थ हंटिगटन आदि ने पर्यावरण की चर्चा की है। तथा मानव–पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणो से किया गया ।

पर्यावरण अवनयन की सीधा सम्बन्ध मानव–प्रकृति के बिगड़ते सम्बन्धों से है। सम्बन्ध में दुराव का मुख्य कारण मानव समाज की भौतिकवादी संस्कृति है जिसका मूल उद्देश्य प्रकृति के संसाधनो का अविवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति के प्रति शत्रुता पूर्ण व्यवहार और प्रकृति को बलपूर्वक अपने वश में करने की भावना। भौतिकवादी संस्कृति में आर्थिक मानव का प्रभाव आध्यात्मिक मानव के ऊपर माना जाता रहा है। आर्थिक निश्चयवाद में जकड़ा मानव समाज प्रकृति के प्रति क्रमशः उदासीन होता गया, फलतः मानव–प्रकृति सम्बन्ध दिनों दिन बिगड़ता गया जो आज पर्यावरण अवनयन का प्रमुख कारण बन गया है। आज जो भय विश्व में देखने को मिल रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी संकटपूर्ण हो गई है। पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी सामयिक समस्या है जिससे मानव सहित जैव जगत के लिए जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही है। पर्यावरण के तत्वों में गुणात्मक ह्रास के कारण जीवनदायी तत्व, जैसे वायु, जल, मृदा, वनस्पति

आदि के नैसर्गिक गुण ह्रासमान होते जा रहे है जिससे प्रकृति और जीवों का आपसी सम्बन्ध बिगड़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी हो गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये गये है। जिनमें मुख्य है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अन्तर्गत ऐजेंडा 21—टिकाऊ विकास के नाम से समझौता किया गया। वर्ष 1997 में जापान के एक पुराने नगर क्योटो में हुआ विश्व सम्मेलन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 का उद्देश्य नई जलवायु परिवर्तन संधि के लिए मसौदा तैयार करना था। अन्तराष्ट्रीय समुदाय के इन प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की भावना को गति मिल रही है। लेकिन विश्व के देशों द्वारा पर्यावरण को सार्वभौम मुद्दा समझकर पर्यावरण संतुलन के लिए और प्रयास करने होगें तथा केन्द्रीय, राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी स्थानीय संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरण अभियान चलायें।

≈≈≈≈

संदर्भ सूची

1. गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. : मानव एवं पर्यावरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2005 पृष्ठ 01
2. त्रिवेदी, पी.सी. गुप्ता गरिमा : पर्यावरण अध्ययन, आविष्कार पब्लिशर्स ड्रिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2007, पृष्ठ 01
3. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2008, पृष्ठ 4,5
4. सिंह, सविन्द्र : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहबाद, 2009, पृष्ठ 475
5. कुरूक्षेत्र, वही, पृष्ठ 05
6. जोशी, रतन : मानव एवं पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा,
7. राव, बी.पी., श्रीवास्तव, वी.के. : वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2009, पृष्ठ 310
8. जौहरी, जे.सी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा राजनीति, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, न्यू देहली, संस्करण 2001, पृष्ठ 590
9. गुर्जर, जाट : मानव एवं पर्यावरण, वही, पृष्ठ 26,29
10. गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. : पर्यावरण भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2012, पृष्ठ 59
11. गुर्जर, जाट : पर्यावरण भूगोल, वही, पृष्ठ 60
12. गाबा, ओम प्रकाश : राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स नौएडा, संस्करण 2000, पृष्ठ 416
13. हुसैन, माजिद : पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी, एसेस पब्लिशिंग इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली 2015, पृष्ठ 6.18
14. तायल, बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सुल्तान चन्द एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 200
15. त्रिवेदी, गुप्ता : वही, पृष्ठ 4,5
16. दवे, दया : वेदों में पर्यावरण, सुरभि पब्लिकेशन्स, जयपुर 2000, पृष्ठ 21
17. उपर्युक्त पृष्ठ 07
18. जैन, प्रेम सुमन : पर्यावरण सन्तुलन एवं शाकाहार, संधी प्रकाशन, जयपुर 1995, पृष्ठ 51
19. शर्मा, दामोदार, व्यास हरिशचन्द्र : हमारा पर्यावरण, साहित्यगार, जयपुर 1995, पृष्ठ 121
20. जैन, प्रेम सुमन : वही, पृष्ठ 54
21. गुहा, रामचन्द्र : भारत गांधी के बाद भारत के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास, पेंगुइन बुक्स इंडिया, गुड़गांव 2014 पृष्ठ 266,279
22. गुर्जर, जाट : पर्यावरण अध्ययन, वही, पृष्ठ 25
23. समकालीन समसस्याएं एवं विश्लेषण, मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, मार्च 2015 पृष्ठ 113
24. तायल बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, वही, पृष्ठ 164
25. शर्मा, दामोदर, व्यास : हमारा पर्यावरण, वही पृष्ठ 23

26. शर्मा, निरंजन, त्रिवेदी, पी.सी., धनखण्ड आर.एम. : पारिस्थितिकी एवं पादपों की उपयोगिता, रमेश बुक डिपो, जयपुर 2005, पृष्ठ 309
27. सिंह, सविन्द्र : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद 2009, पृष्ठ 486
28. नारायण, सुनिता : नामुकिन नहीं प्रदूषण की जंग जीतना, आलेख राजस्थान पत्रिका, दिनांक 13–11–17, पृष्ठ 04
29. रावत, ज्ञानेन्द्र : बांधों से निकलने वाली मीथेन के खतरे, आलेख हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, दिनांक 14–06–2013, पृष्ठ 10
30. त्रिवेदी, गुप्ता : वही, पृष्ठ 131, 132
31. सिंह, सविन्द्र : पर्यावरण भूगोल, वही, पृष्ठ 493
32. गुर्जर, जाट : मानव एवं पर्यावरण, वही, पृष्ठ 217
33. गौतम, अलका : जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2014–15, पृष्ठ 318, 319
34. तायल बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, वही, पृष्ठ 186
35. गुर्जर, जाट : पर्यावरण अध्ययन, वही, पृष्ठ 231
36. राजस्थान, पत्रिका : प्रसिद्व मेडिकल जर्नल लेन्सेट में प्रकाशित रिपोर्ट में खुलासा दिनांक 01–11–2017 पृष्ठ 05
37. राजस्थान सुजस अगस्त 2016 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर, पृष्ठ 49
38. शर्मा, दामोदर, महर्षि हरि : जल और जल प्रदूषण, साहित्यगार, जयपुर, 1996 पृष्ठ 129
39. गुर्जर, जाट : पर्यावरण अध्ययन, वही, पृष्ठ 162
40. तायल, बी.बी. : वही, पृष्ठ 178
41. अबरीश, कुमार : समुद्र में जहर घोल रही हैं देश की नदियां, आलेख हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2014, पृष्ठ 10
42. www.downtoearth.org.in प्लास्टिक की सनक
43. कुरूक्षेत्र, मई 2015, पृष्ठ 21
44. गुहा, रामचन्द्र : पर्यावरण और विकास की नई सोच, आलेख हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, दिनांक 09–08–2014, पृष्ठ 08
45. www.downtoearth.org.in स्रोत वही
46. राव, बी.पी., श्रीवास्तव वी.के. : पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वही, पृष्ठ 355
47. राव, बी.पी., श्रीवास्तव वी.के. : वही, पृष्ठ 356
48. लोढ़ा, राजमल, माहेश्वरी, दीपक : मानव और पर्यावरण, हिमांशु पब्लिकेशंस, उदयपुर 1999, पृष्ठ 306
49. शिवा, वन्दना : ये दवा नही जहर हैं, आलेख राजस्थान पत्रिका, दिनांक 5 मई 2013 पृष्ठ 17

50. प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2016, पृष्ठ 83
51. m.dw.com कचरे के पहाड़ पर बैठा हैं भारत
52. तायल, बी.बी. : वही, पृष्ठ 175
53. शर्मा, वन्दना, जोशी, सुलेखा : पर्यावरण अध्ययन, रोहिणी बुक्स, जयपुर 2006, पृष्ठ 125
54. कोठारी, गुलाब : कैंसर के खेत, आलेख राजस्थान पत्रिका, दिनांक 5 मई 2013, पृष्ठ 17
55. शिवा, वन्दना : ये दवा नही जहर हैं, आलेख राजस्थान पत्रिका, दिनांक 5 मई 2013 पृष्ठ 17
56. वर्मा, खत्री, कायमखानी : वही, पृष्ठ 176
57. hindiindiawaterportal.org ध्वनि प्रदूषण
58. गुर्जर, जाट : पर्यावरण भूगोल, वही, पृष्ठ 230
59. त्रिवेदी, गुप्ता : वही, पृष्ठ 153
60. केविन, रैफर्टी : परमाणु विकल्प तलाशना, जापान, आलेख दैनिक भास्कर, दिनांक 21–08–2012, पृष्ठ 06
61. फडिया, बी.एल. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन, आगरा, 2015, पृष्ठ 13
62. आमेटा, सुरेश, भारद्वाज शिप्रा : पर्यावरण अध्ययन एक परिचय, हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, 2005, पृष्ठ 159,160
63. शर्मा, पी.डी. : वही, पृष्ठ 562
64. वही, पृष्ठ 562,563
65. आमेटा, भारद्वाज शिप्रा : वही, पृष्ठ 160,161
66. https.hi.m.wikipedia.org परमाणु परीक्षण
67. शर्मा, पी.डी. : वही, पृष्ठ 565
68. www.bbc.com अमेरिका से भी अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं।
69. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ,दिनांक 15 मार्च 2016, पृष्ठ 17
70. रॉय, अरूधंति : न्याय का गणित, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005 पृष्ठ 14
71. शर्मा, पी.डी. : वही, पृष्ठ 568, 569
72. आमेटा, शिप्रा : वही, पृष्ठ 163
73. प्रतियोगिता दर्पण, मार्च 2013, पृष्ठ 12, 81
74. www.hindi.com ऊष्मीय प्रदूषण के प्रभाव
75. पंत, पुष्पेश : अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध, टाटा मैक्ग्राहिल पब्लिशींग कम्पनी लि., नई दिल्ली, 2008 पृष्ठ 189
76. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2013, पृष्ठ 741
77. समकालीन समस्याएं एवं विश्लेषण, मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, मार्च 2015, पृष्ठ 107

78. पंत, पृष्पेश : 21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, टाटा मैक्ग्राहिल्स पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली 2008, पृष्ठ 15,16
79. घई, यू.आर. : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्वान्त एवं व्यवहार, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2015, पृष्ठ 372
80. हुसैन, माजिद : वही, पृष्ठ 5.1—5.3
81. तायल, बी.बी. : वही, पृष्ठ 202
82. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, फरवरी 2015, पृष्ठ 22
83. प्रतियोगिता दर्पण, मई 2016, पृष्ठ 100, 101
84. शर्मा, पी.डी. : वही, पृष्ठ 640
85. सिंह, सुरेन्द्र, सैनी श्रवण कुमार : पर्यावरण विधि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2006, पृष्ठ 37 से 39
86. पाण्डेय, जयनारायण : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, इलाहाबाद 1989, पृष्ठ 271, 272
87. पाण्डेय, जयनारायण : उपरोक्त पृष्ठ 278
88. मामोरिया, चतुर्भुज, गुप्ता के.एल. : भारत का भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2013, पृष्ठ 140
89. पर्यावरण अधिनियम, अधिनियम 1986
90. सिंह, सुरेन्द्र व सैनी : वही, पृष्ठ 98, 116
91. जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974
92. सिंह, सुरेन्द्र व सैनी : वही, पृष्ठ 224
93. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 2006, पृष्ठ 08
94. उपरोक्त पृष्ठ 10
95. envfor.nic.in नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
96. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, नवम्बर 2017, पृष्ठ 141
97. राव, श्रीवास्तव : वही, पृष्ठ 529, 530
98. भल्ला, एल.आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2015, पृष्ठ 39
99. बागडा, परमेश्वरी : पर्यावरण संरक्षण एवं पंचायती राज, प्रतीक्षा पब्लिकेशन्स, जयपुर 2017 पृष्ठ 95
100. राजस्थान वन अधिनियम 1953
101. बागडा, परमेश्वरी : वही, पृष्ठ 108, 109
102. राठी, आर. एल. : वही, पृष्ठ 352
103. राठी : वही, पृष्ठ 361

104. बागडा : वही, पृष्ठ 72

105. environment.rajasthan.gov.com.in

106. बागडा : वही, पृष्ठ 73

107. भल्ला, एल.आर. : वही, पृष्ठ 45

108. पंत, पुष्पेश : 21वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मेक्ग्राहिल एजूकेशन प्रा.लि., नई दिल्ली, 2014 पृष्ठ VIII 50

109. पंत, पुष्पेश : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, वही, पृष्ठ 191

110. वही, पृष्ठ 92

111. वही, पृष्ठ 196

112. नारायण, सुनिता : पर्यावरण की राजनीति, पृष्ठ 124

113. उपरोक्त पृष्ठ 125

114. राव, श्रीवास्तव : वही, पृष्ठ 525

115. प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2018, पृष्ठ 115

116. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, दिनांक 09–08–14, पृष्ठ 08

117. शर्मा, एच.एस., शर्मा एम.एल. : वही, पृष्ठ 190

अध्याय–तृतीय
पंचायतीराज की अवधारणा और विकास

लोकतन्त्र मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं समानता, राजनीतिक निर्णयों में जन भागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता है। लोकतन्त्र राजनीतिक परिस्थिति या शासन चलाने की पद्वति मात्र नही हैं अपितु यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन, एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, एक विशेष मनोवृति एवं जीवन जीने की विशिष्ट पद्वति भी है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का आधार शासन में जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण है, उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायतीराज व्यवस्था है। गांधीजी ने अपने अन्तिम सार्वजनिक लेख वसीयतनामे में लिखा है कि ''सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे 10–20 आदमी नही चला सकते, वह तो नीचे से गाँव के हर आदमी द्वारा चलाई जानी चाहिए।''[01]

लोकतंत्र शासन की सफलता के लिए जनता में जिस राजनीतिक चेतना की आवश्यकता होती है उसे सुचारू रूप से उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि जनता आंशिक रूप से अपना शासन स्वयं भी करे। इस दृष्टि से स्थानीय स्वशासन–संस्थाओ का बहुत उपयोग है। लार्ड ब्राइस ने ठीक ही लिखा है कि जो व्यक्ति ग्राम के मामलो में क्रियाशील और संयत होकर सार्वजनिक भावना की शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वह इस बात का पहला पाठ पढ़ लेगा कि एक विशाल राज्य के नागरिक के प्राथमिक कर्तव्य क्या हैं ?[02] ग्राम स्थानीय स्वशासन की इकाई होते हैं। ग्रामों से मिलकर जिला बनता है, जिले का शासन जिले के लोगों के ही सुपुर्द होता है। इसी प्रकार प्रत्येक नगर के शासन व प्रबंध के लिए नगर सभा का निर्माण किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की ये सब संस्थाऐं लोकतंत्रवाद की सफलता के लिए बहुत उपयोगी होती है।

लोकतंत्र के वास्तविक फल स्थानीय शासन के ही द्वारा जनता के लिए प्राप्य हो सकते है। हेरल्ड जे. लास्की ने कहा है ''हम लोकतन्त्रीय शासन से पूरा लाभ उस समय तक नही उठा सकते जब तक कि हम यह न मान ले कि सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानो पर उन्ही लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित होते है।'' डी टाक्वीले ने भी कहा है ''स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति स्थानीय संस्थाएँ होती है। एक राष्ट्र स्वतन्त्र शासन की स्थापना कर सकता पर स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतन्त्रता की भावना नहीं रह सकती।''[03]

पंचायतीराज का अर्थ एवं परिभाषा :– पंचायतीराज का सीधा सा अर्थ है पंचायतों का नीति–निर्माण, क्रियान्वयन और राजकाज में भागीदारी। शाब्दिक दृष्टि से पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों से पंचायत और राज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है–''पांच जनप्रतिनिधियों

के समूह का शासन। ये पाँच प्रतिनिधि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा पाँचवा परमेश्वर। भारत में प्राचीन साहित्यक ग्रन्थों में भी पंचायत अथवा पंचायती शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार पंचायत शब्द संस्कृत भाषा के पंचायतन शब्द से व्युत्पन्न है। संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरुष सहित पाँच पुरुषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायत के नाम से सम्बोधित किया जाता है। उपन्यास सम्राट और प्रख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने अपनी कहानी पंच परमेश्वर में भारतीय मानस की यह विचारधारा बडे सटीक ढंग से व्यक्त की है। एक प्रसिद्व कहावत भी है–पांच पंच मिल कीजै काजा, हारे जीते हो न लाजा। अर्थात पंचों के निर्णय मे हार अथवा जीत में लज्जा या शर्मिंदगी नही होती है।[04] पंचायत का अर्थ– पांच व्यक्तियों की समिति। अतः पंचायत के पांच सदस्य होने चाहिये। जैसे– प्रेम, निर्भयता, ज्ञान, उद्योग, स्वच्छता।[05] पंचायतीराज की परिभाषाएं विद्वानो द्वारा निम्न प्रकार दी गई है[06] – डॉ. कोल कहते है कि–''स्थानीय शासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारो का उपभोग करता है।'' डॉ. आशीर्वादम के मुताबिक ''स्थानीय शासन केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी प्रशासकीय इकाई है जिसमे नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते है और जो अपने अधिकार क्षैत्र की सीमाओ के भीतर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग जन–कल्याण के लिए करते है।'' ब्रिटैनिका शब्द कोश कहता है कि–स्थानीय शासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक आंतरिक प्रतिबन्धित और छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा इनको लागू करने वाली सत्ता।

स्पष्ट है कि पंचायतीराज की परिभाषा में ही सत्ता निहित है लेकिन इसका स्वरूप जरूर स्थानीय स्तर का होता है।

पंचायतीराज संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास :– पंचायतीराज का विकास एवं इतिहास अतीत से वर्तमान कालखण्ड तक का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है।

प्रागैतिहास काल या आध्य इतिहास :– पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता का अर्द्ध–मानव छोटे–छोटे समूहों में रहता था और बुजुर्ग आदमी समूह का मालिक होता था। उसके दिशा निर्देशन मे ही समूह कार्य करता था। मध्यपाषाणकालीन सभ्यता का आरम्भ ई.पूर्व 8000 के आस पास हुआ। इस युग में बस्तियाँ बननी प्रारम्भ हो गई थी और बस्ती का वयोवृद्ध व्यक्ति अन्य प्रौढ़ व्यक्तियो से सलाह मशविरा कर बस्ती के लिए कार्य करता था। विकसित कृषि व्यवस्था और स्थायी ग्राम व्यवस्था का सम्भवतः ईसा से 5000 वर्ष पूर्व मध्य–पूर्व में जन्म हुआ। भारत में स्थायी संस्कृति के प्राचीनतम अवशिष्ट बलोचिस्तान और निचले सिन्ध में पाये जाने वाले खेतिहर ग्रामो के है जो सम्भवतः ई.पू. चौथी शताब्दी के अन्त से प्रारम्भ होते हैं।[07] इन प्रारम्भिक ग्रामों मे ही ग्रामीण स्वशासन के बीज नजर आते हैं।

वैदिक काल :– वैदिक ग्रन्थ ही ऐसे प्राचीनतम साधन है जिनके द्वारा भारतीय सभ्यता को समझा जा सकता है। भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं।

पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को है। राजा पृथु वेन के पुत्र थे, जो सर्वप्रथम राजा थे जिन्होंने धर्मपूर्वक शासन करते हुए प्रजा को प्रसन्न किया जिससे उन्हें राजा कहा जाने लगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचायत प्रणाली राजा पृथु ने गंगा और यमुना के बीच के धरातल में स्थापित की थी। वैदिक काल से ही ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता रहा है।[08]

वैदिक काल के आरम्भ में ग्राम का प्रबन्ध गाँव के मुखिया द्वारा होता था जिसे ग्रामीणी कहा जाता था। गाँव की चौपाल पर इस सभा के सदस्य बैठ कर चर्चा करते थे। वैदिक काल में सभा होती थी जिसमें प्रत्येक नागरिक भाग लेता था, जहाँ राजा भी डरता हुआ जाता था कि कही उसे पदच्युत या मुअत्तिल न कर दिया जाए।

अर्थवेद में उल्लिखित है कि[09]

सा उद्क्रामत् सा सभाया न्यक्रामत्।
सा उद्कामत सा समितौ न्यक्रामत्।
सा उद्कामत सा आमन्त्रणो न्यक्रामत्।।

अर्थात जनशक्ति उत्क्रान्त होकर ग्राम सभा में परिणित हो गई। ग्राम सभाए छोटी थी एवं एक दूसरे से संबंधित नही थी। इस कारण जनशक्ति और उत्क्रान्त होकर समिति में परिणित हुई। इस समिति का स्वरूप विस्तृत था। अतः इसके द्वारा संकल्पित विचारों के कार्यान्वयन हेतु एक प्रतिनिधि सभा के गठन की आवश्यकता अनुभव की गई तथा जनशक्ति का स्वरूप प्रतिनिधि सभा के रूप में सामने आया।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का मत है कि विदथ सम्भवतः जनसभा थी जिसमें सभी व्यस्क स्त्री पुरूष समान रूप से भाग लेते थे। यह धार्मिक एवं युद्ध संबंधी कार्य विशेष रूप में करती थी। सम्भवतः इसकी बैठके आयोजित होती थी तथा इसके सदस्य परस्पर वाद–विवाद के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। यह विद्थ संस्था स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रतिनिधि करती थी। वैदिक युग में राज्य आकार में अधिक विशाल नही होते थे तथा उनकी राजधानी का आकार भी छोटा होता था। प्रत्येक गाँव में जनता की ''सभा'' होती थी और राजधानी सम्पूर्ण राज्य की केन्द्रीय लोकसभा होती थी जिसे ''समिति'' कहा जाता था। राजा स्वामी होते हुए भी निरंकुश नहीं था। सभा एवं समिति नामक संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती थी।[10] ये सभा व समितिया लोगो की भलाई के लिए कार्य करती थी। अथर्ववेद में इस आशय का एक श्लोक भी मिलता है :

''ये ग्रामा वदरण्यं या सभा अथिभूम्याम।
ये संग्रामाः समितियस्तेषु चारू वेदम ते।।''

अर्थात पृथ्वी के ग्रामों, वनों व सभाओं में हम सुंदर(चारन) वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करे।[11]

राजा का निर्वाचन करते समय समिति व सभा राजा से निवेदन करती थी कि वह अपने कर्तव्य का दृढ़ता से पालन करें। वह अपने की प्रतिष्ठा का ध्यान रखे और शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करें। अथर्ववेद 6/86/88 का पूरा सूक्त निम्नवत् हैं :–

''आ त्वाहार्षमन्त्र भूर्ध्रु वर्स्तिष्ठा विचाचलत्।

विश्रृस्तवा सर्वा वात्र्छन्तु या व्वद् राष्ट्रमधिभ्रशत्।।''

हे राजन ! तुम प्रसन्नता के साथ हमारे मध्य में आवो, आविचलन होकर अवस्थित हो जाओ। समस्त विशः–प्रजा तुमको चाहती रहें। तुम्हारे राष्ट्र का अकल्याण न हो अथवा तुमसे राष्ट्र को किसी प्रकार की हानि न हो।

वैदिक युग में राजाओं का समिति में उपस्थित होना अनिवार्य था। सभा और समिति दोनों राजा की रक्षा करती थी व उचित सलाह भी देती थी। (सभा को ''नरिष्टा'' भी कहा गया हैं) राजा स्वयं कहता था कि सभा और समिति मेरी रक्षा करें। सभा और समिति एक उच्च कोटि की निर्वाचित शासन प्रबन्ध की संस्थाएँ थी जो लोकतन्त्रीय पद्धति पर विकसित होकर ग्रामीण समाज की स्वशासित संस्थाओं के रूप में समाज का एक आवश्यक अंग बन गई थी।[12]

आर्य कई जनों में विभक्त थे इनमें पाँच जनों के नाम अक्सर मिलते हैं– अनु, दुह्य, यदु, पुरन, तुर्वस। इन्हें ''पन्चजन'' कहा गया हैं। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। परिवार का स्वामी पिता अथवा बडा भाई होता था जिसे ''कुलप'' कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम वस्तुतः आत्मनिर्भर होते थे। ग्राम की सुरक्षा के लिए ऊंचे टीले पर एक पुर (दुर्ग) बना होता था। ग्राम का मुखिया ''ग्रामणी'' कहा जाता था। ''ग्रामणी'' सम्भवतः नागरिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ग्राम से बडी संस्था ''विश'' होती थी जिसका स्वामी ''विशपति'' कहलाता था। अनेक विशों का समूह ''जन'' होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए ''राष्ट्र'' शब्द आया है किन्तु यह प्रभुता सम्पन्न राज्य का सूचक नही हैं। ऋग्वेद में पुरोहित सेनानी तथा ग्रामणी इन तीनों अधिकारियों तथा स्पश (गुप्तचर) तथा दूत नामक कर्मचारियों का उल्लेख मिलता हैं।[13]

प्राचीन भारत की पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ''विश्व इतिहास की झलक'' में प्राचीन वैदिक काल में ''ग्राम स्वराज्य'' संबंधी अध्याय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए[14] –

''ये गाँव प्रायः स्वतन्त्र थे और इनका प्रशासन चुनी हुई पंचायतों के पास था। कई गाँव व कस्बो का एक समूह किसी एक राजा के अधीन होता था। वह राजा भी प्रायः चुना हुआ होता था, परन्तु वहा परम्परागत राजा भी होते थे। ये ग्राम–समूह मिलजुलकर सड़के, निवास गृह, नहरें आदि बनाते थे और स्वयं सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेते थे। राजा मनमानी नहीं करता था, उसे आर्यों के रीति–रिवाजों का पालन करना होता था। ये जन–पंचायतें उस राजा पर जुर्माना कर

सकती थी और उसे गद्दी से हटा भी सकती थी। ग्राम पंचायत या चुनी हुई काउंसिल को शासन और न्याय संबंधी बहुत अधिकार प्राप्त थे। राज्य के अधिकारी उस पंचायत के सदस्यों का सम्मान किया करते थे। पंचायतें भूमि वितरण करती थी और लगान तथा करो की वसूली कर राजा को उसका अंशदान देती थी। कुछ पंचायतों पर एक ''परिषद'' होती थी जो अपने क्षेत्र की पंचायतों की निगरानी करती थी और आवश्यकता होने पर उनके कार्यों में हस्तक्षेप भी करती थी।''

सूत्रकाल :– सूत्र साहित्य में वेदांग, यास्क–कृत ''निरूक्त'' पाणिनिकृत ''अष्टाध्यायी'' तथा श्रौतसूत्र ''गृह्म सूत्र'' और ''धर्मसूत्र'' सम्मिलित थे। पाणिनि–कृत अष्टाध्यायी–पाणिनि के व्याकरण में विश्रृंखला संदर्भो को एकत्र करके तत्कालीन भारत का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। पाणिनी ने कलिंग, सिन्ध, तक्षशिला, कच्छ और स्वातघाटी का उल्लेख किया है। उसने 22 जनपदों या राज्यों का भी उल्लेख किया हैं जैसे गान्धार, अवन्ति, वृजि, मगध, कम्बोज, कुरू, भद्र, कोशल, उषीनर, इत्यादि। उसने पाच्य जनपदों का उल्लेख भी किया है। जनपदों में क्षत्रिय राजा थे और उन्हे जनपदिन कहा जाता था। एक ही जनपद के वासियों को सजन पद कहा जाता था। प्रत्येक जनपद की सुनिश्चित सीमाऐं होती थी। जनपद की प्रशासनिक इकाइयाँ थी विषय नगर और ग्राम। गाँव के प्रमुख ग्रामणी कहलाता था।[15]

गृह्य सूत्र–गृह्य सूत्रो में लोगो के घरेलू जीवन की चर्चा है। जन्म से मृत्यु तक लोगो के कर्तव्यों का उल्लेख है। कर्तव्य पालना करना लोगों के लिए अनिवार्य था। धर्मसूत्र–धर्मो सूत्रों के अनुसार राजा कानून बनाने वाला न होकर कानून की रक्षा करने वाला है। गौतम ने कहा है ''न्याय का प्रशासन वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदागों, पुराणों व उपवेदों के आधार पर किया जाएगा। वसिष्ट का मत हैं ''राजा का कर्तव्य हैं कि वह विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और कबीलों से अपने अपने नियमों का पालन कराये और चारों जातियों को अपने–अपने काम में लगाये रखे।'' सभी व्यावसायिक वर्गों को अपने–अपने नियम बनाने की छूट थी। धर्म–सूत्रों में ग्राम्य जीवन को अधिक अच्छा समझा गया है। शहरी जीवन की भर्त्सना की गई है। बौधायन के मतानुसार ''धूल–धूसरित शहर में रहने वाला व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता।'' अच्छे लोगों को शहर में न जाने के लिए कहा जाता था। शहरों में किसी भी समय मन्त्रों का उच्चारण करने की आज्ञा न थी। लोगो को विदेश जाने की आज्ञा न थी। समुद्र यात्रा पूर्णतः वर्जित थी।[16]

महाकाव्यों का युग :– रामायण के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि उस समय प्रशासन पुर तथा जनपद दो भागों में विभक्त था। गाँवों की गणना जनपद में की जाती थी तथा वहाँ के निवासी जनपदा कहलाते थे। वाल्मीकि रामायण में पौर तथा जानपदा सभाओं की सत्ता का उल्लेख मिलता हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब कौशल जनपद के राजा दशरथ ने प्राचीन भारतीय राजाओं की परम्परा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो उन्होंने पौर–जनपद की सम्मति ली। ग्राम–महाग्राम व घोष का उल्लेख भी रामायण में मिलता हैं। रामायण में श्रेणी तथा नैगय जैसी संस्थाओं का भी उल्लेख किया गया हैं।[17]

रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा हैं –

"जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी।

सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।

श्री रामचरित मानस के उक्त दोहे में अभिव्यक्त भाव प्रजा कल्याण ही शासक के मुख्य ध्येय को इंगित करता हैं तात्कालिक शासन प्रणाली राजतंत्र, प्रजातंत्र एवं विद्वत तंत्र की अद्भुत समन्वित प्रणाली थी। पंचायतों का स्वरूप आधार से विकास एवं स्वशासन के भाव पर गठित था। सम्पूर्ण राज्य की एक जाति पंचायत होती थी। राज्यव्यापी पंचायत से चुना प्रतिनिधि राजा की मन्त्रिपरिषद् का सदस्य होता था। इस प्रकार राज्य की मन्त्रिपरिषद् में राज्य में बसने वाली सभी जातियों के उक्त प्रतिनिधियो की सम्मति की उपेक्षा राजा के लिये असम्भव थी।[18]

महाभारत में शांतिपर्व के अध्ययन से स्पष्ट होता हैं कि शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसके ऊपर क्रमशः दस, बीस, शत तथा सहस्त ग्राम समूहों की इकाईया थी। ग्राम शासन का प्रमुख अधिकारी "ग्रामिक कहलाता था। अपने ग्राम तथा उसके निवासियों की स्थिति विशेषतः कठिनाइयों की, वह अपने से श्रेष्ठ दस ग्रामाधिकारियों (दशप) को देता था। इसी प्रकार दशप विशत्याधिप को तथा विशत्याधिप शत ग्रामपाल को और शत ग्रामपाल शतग्रामाध्यक्ष सहस्त्र ग्रामपति को अपने–अपने क्षेत्र से संबंधित आवश्यक सूचनाऐं देते थे और उनके आदेशानुसार शासन करते थे। ये अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानीय कर संग्रहीत करते थे तथा अपने क्षेत्र की रक्षा के दायित्व का भी निर्वहन करते थे। आदिपर्व में ग्राम मुख्य का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः ग्रामीण जनता का प्रतिनिधि होता था। सभा पर्व में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है।[19]

धर्मशास्त्रों का युगः–धर्मशास्त्र में मुख्य मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य और नारद की स्मृतियाँ हैं। मनुस्मृति में स्थानीय स्वायत्त शासन का उल्लेख मिलता हैं। देश में कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं थी। देश कई राज्यों में बंटा हुआ था। एक राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र स्वयं देशो, जनपदों या विषो में बँटा था। राजा के आधीन अन्य शासक सामन्त कहलाते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था और उसके ऊपर थे दशी विंशी, शतेश और सहस्त्रेश जो क्रमशः दस, बीस, सौ और एक हजार ग्रामों के अधिकारी थे। ग्रामणी को अनाज, पेय, ईधन और सब्जी के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था। दशी, विंशी, शतेश और सहस्त्रेश के वेतन उनकी स्थिति के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। राजा राज्य का प्रमुख था। वह जनता का रक्षक भी था। उसके बहुत से सहकारी सहाय कहलाते थे। वह एक परिषद् से भी परामर्श लेता था जिसका प्रमुख मुख्यामात्य कहलाता था। राजा निरंकुश नहीं था। अपने मामलों में लोगों को पर्याप्त स्वशासन प्राप्त था। राजा का कर्तव्य कानून बनाना न होकर कानून की रक्षा करना था। किसी भी विशेष विषय पर सन्देह होने पर एक विशारद–सभा बुलाई जाती थी जिसे परिषद् कहा जाता था। परिषद् का मत राजा को मान्य होता था। कुल, जाति, श्रेणी और जनपद को अपने कानून स्वयं बनाने की छूट थी। राजा का कर्तव्य उन कानूनों को मान्यता देना और उनको लागू करना था।[20]

याज्ञवल्क्य स्मृतिः—याज्ञवल्क्य स्मृति में स्थानीय स्वायत्त शासन का उल्लेख मिलता है। उसने कुल, जाति, श्रेणी, गण और जनपद जैसे नियमों का उल्लेख किया है जिन्हें अपने आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता प्राप्त थी। शुक्र स्मृति में शुक्र के मुताबिक प्राचीन भारत के गांवो में निम्नलिखित 6 प्रकार के राज्य कर्मचारी हुआ करते थे[21] –(i) व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क लेने वाला कर्मचारी, (ii) शासनादेशों की लिखा–पढी करने वाला लेखक, पर (iii) गाँव का अधिपति, (iv) गाँव का सुरक्षाधिकारी, (v) प्रतिहार (vi) कृषि संबंधी राजस्व वसूलने वाला कर्मचारी।

महर्षि गौतम ने स्थानीय संगठनो की विधायिका शक्ति राज्य शक्ति में ही निहित मानी तथा उन्होंने स्थानीय संगठनो को धर्म विरूद्ध नियम निर्माण का अधिकार नहीं दिया। बहस्पति व नारद ने भी स्थानीय संगठनों का उल्लेख किया हैं तथा प्रतिपादित किया है कि राजा इन संगठनों के विधान का संरक्षण करें। वशिष्ट राज्य द्वारा स्थानीय संगठनों पर प्रशासकीय नियन्त्रण को स्वीकृत करते हैं।[22]

विष्णु सहस्त्रनाम के लोकाध्यक्ष एवं लोकबंधु तथा गणपति, गणराज्य एवं गणतंत्र जैसे शब्द यह बताते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का विचार अत्यन्त प्राचीन काल में भी था।[23]

बौद्धकाल में पंचायतराज :– (600 ई.पू. से 400 ई.पू.) बौद्धकाल में ग्रामों की शासन व्यवस्था सुनिश्चित और सुगठित थी। सम्पूर्ण जनपद के शासन की इकाई ग्राम थे। ग्राम के शासक को ग्रामयोजक कहते थे। ग्रामयोजक का चुनाव सभा द्वारा होता था, उस दौरान गांव सभी दृष्टियों से छोटे रूप में पूर्ण स्वावलम्बी प्रजातन्त्र था। ग्राम संबंधित सभी मामलों को सुलझाने का कार्य ग्रामयोजक के ऊपर था। वह गांव के अभियोगों का निर्णय करता था। मद्यपान, जुआं, पशु हिंसा जैसी दूषित प्रवृतियों को निषिद्ध करने का अधिकार उस को प्राप्त था। मादक वस्तुओं का क्रय–विक्रय उसकी आज्ञा या अनुमति पर ही संभव था। ग्रामयोजक के कार्यो के विरूद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी। खेतों पर किसान का अधिकार था। किसान को अपनी सारी उपज का छठे से बारहवां हिस्सा राज्य को देना होता था। किसान ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना अपने खेत दूसरे को नहीं बेच सकता था। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा कहा जाता था।[24]

मौर्यकालीन शासन में पंचायतीराज :– कौटिल्य ने ''अर्थशास्त्र'' में राजा को ऐसे गांव की रचना का सुझाव दिया हैं जिसमें कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहते हो। जिसमे गांवों के संगठन की व्यवस्था इस प्रकार हो कि प्रत्येक 800 गाँवों के केन्द्र में एक स्थानीय 400 गांवों के केन्द्र में एक द्रोणमुख कार्वटिक 200 गांवों के केन्द्र में तथा संग्रहण 10 गांवों के समूह में हो। कौटिल्य को नगर के लिए पुर शब्द का प्रयोग किया है तथा पुर के प्रधान अधीक्षक को नागरिक। नागरिक को नगर की सम्पूर्ण कानून एवं व्यवस्था तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी माना। कौटिल्य के नगर को कई भागों में विभक्त कर नगर के प्रत्येक एक चौथाई भाग को ''स्थानिक'' नाम के अधिकारी के अधीन रखा तथा प्रत्येक 10, 20, 40 परिवारों पर एक गोप की नियुक्ति की व्यवस्था की जिसका कार्य न केवल इन परिवारों के स्त्री व पुरुषों की जाति, नाम तथा व्यवसाय की जानकारी रखना था अपितु उनकी आय एवं व्यय की जानकारी रखना भी था। ये स्थानीय संस्थायें प्रायः सम्राट के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी।[25]

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम का अध्यक्ष ''ग्रामणी'' होता था। वह ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था तथा वेतन–भोगी कर्मचारी नहीं था। अर्थशास्त्र ''ग्रामबद्ध परिषद'' का उल्लेख करता हैं। इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे जो ग्राम शासन में ग्रामणी की मदद करते थे। ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबन्ध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्राम–वृद्धों की परिषद न्याय का भी कार्य करती थी। यह ग्रामों के छोटे–मोटे विवादो का फैसला करती तथा जुर्माना आदि लगा सकती थी। ग्रामीणी कृषको से भूमिकर एकत्र कर राजकीय कोषागार में जमा करता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य ''गोप'' नामक कर्मचारी किया करते थे।[26]

गुप्तकालीन शासन में पंचायतीराज :– गुप्तकालीन साम्राज्य में भी ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता हैं। सबसे बडा विभाग प्रान्त था जिसको देश या भुक्ति कहते थे। प्रान्तीय शासन यागिक, योगपति, गोपा, उपरीक महाराज और राज स्थानीय कहलाते थे। प्रान्तों में छोटा विभाग प्रदेश, और इससे छोटा विभाग विषय होता था जो जिले के समकक्ष था। विषयों के ऊपर विशपति, कुमारामात्य अथवा महाराज शासन करते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी जिसका मुख्य अधिकारी ग्रामिक, महत्तर अथवा योजक होता था। पुष्यभूति, वंश और काव्य कुदज साम्राज्य के बारे में हर्षचरितम में ग्रामीण शासन व्यवस्था की उत्कृष्टता का उल्लेख मिलता है। उस दौरान अपने सम्पूर्ण प्रभाव से ग्राम पंचायतें ही शासन की बागडोर संभालती थी। तत्कालीन उत्कीर्ण लेखों के अनुसार ग्राम सभा का प्रमुख महत्तर या ग्रामिक होता था जो एक सरकारी अधिकारी होता था। उसके अधीनस्थ कई कर्मचारियों की व्यवस्था होती थी। ग्रामिक के प्रमुख अधीनस्थ अधिकारियों में अष्टकुलाधिकरण (आठ कुलों का निरीक्षक) शौल्किक (शुल्क वसूल करने वाला चुँगी संग्राहक) गौल्मिक (वन, उपवन आदि का निरीक्षक) अग्रहारिक (ब्राह्मण को दिए हुए ग्रामों की देखभाग करने वाला) ध्रुवाधिकरण (भूमिकर का अध्यक्ष) भाण्डागाराधिकृत (भण्डार का अध्यक्ष) तलवाटक (गांवों का लेखा–जोखा रखने वाला) अक्षपटलिक (कागज–पत्रों का संरक्षक), दीवार या लेखक, करणिन (रजिस्ट्रार) कर्तृ या शासयितृ (कागज–पत्रों की पाण्डुलिपि बनाने वाला) होते थे।[27]

राजपूत काल में पंचायती राज :– राजपूतों का प्रशासन जागीरदारी ढंग का था। उत्तरी भारत में बहुत से राजपूत राज्य थे और प्रत्येक राज्य कई जागीरों में बंटा हुआ था। जागीर एक–एक जागीरदार के अधीन होती थी। ये जागीरदार साधारणतः राजपूतों सरदारों के परिवार के ही होते थे। राज्य की शक्ति और सुरक्षा उन जागीरदारों पर ही निर्भर थी। किसी दुर्बल व्यक्ति के राजा बनने पर अव्यवस्था फैल जाती थी। अतः झगडे लगे ही रहते थे। राजपूत साहित्य में नियमित नौकरशाहों के उल्लेख है। कर्मचारी वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द ''कायस्थ'' था। राज्य की आय का स्रोत भूमिकर था। बडी–बडी घटनाओं से विचलित हुए बिना ही ग्रामीण पंचायतों से अपना काम करते रहते थे। राजस्व पंचायतों के मध्य से ही एकत्र किया जाता था। पंचायतें दीवानी और

फौजदारी न्याय भी करती थी। गांव का मुखिया और पटवारी भूमिकर एकत्र करने का अपना सामान्य कार्य करते थे और उसे कोष में पहुंचा देते थे। [28]

चोल–साम्राज्य में पंचायतीराज :– चौल प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। ग्राम और नगर परिषदे प्रारम्भिक परिषदें थी और ''नादु'' परिषदे, प्रतिनिधि परिषदे थी। उत्तरमेरूनर से प्राप्त 919 तथा 929 ई. के लेखों के आधार पर हमें ग्रामसभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त होता हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केन्द्रीय नियन्त्रण से मुक्त होकर स्वतन्त्र रूप से ग्राम–शासन का संचालन करती थी। इस उद्देश्य से उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाऐ कार्यरत थी[29]–

1. उर :– शास्त्री के अनुसार इससे तात्पर्य ''पुर'' से हैं जो गांव और नगर दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। कुछ लेखों में उरोय–इषैन्दु–उरोय अर्थात ग्रामवासी उर के रूप मिलें, उल्लेखित मिलता हैं। इससे सूचित होता हैं कि उर की बैठको में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे और यह सामान्य मनुष्यों की संस्था थी।

2. सभा या महासभा :– यह अग्रहार (ब्राह्मण को दान में दिये गये) ग्रामो में होती थी। ऐसे ग्रामों को ''ब्रह्मदेय अथवा मंगलम्'' भी कहा गया हैं। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। इनमें शासन के लिए ''महाजन'' नामक संस्था थी जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि शामिल थे। तोडमण्डलम् तथा चोलमण्डलम् के लेखों से अग्रहार के विषय में सूचना मिलती हैं। इनसे स्पष्ट हैं कि कांची तथा मद्रास क्षेत्रो में ऐसी कई सभाएं थी। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। इन्हें ''वारियम्'' कहा गया हैं।

ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या भिन्न–भिन्न स्थानों पर भिन्न–भिन्न होती थी। कही–कही सभी व्यवस्क पुरूष इसकें सदस्य होते थे जबकि कुछ स्थानों में यह एक निर्वाचित संस्था थी। ऐसी स्थिति में इसके सदस्यों का चुनाव ग्रामवासियों द्वारा किया जाता था तथा सदस्यो के लिए निर्धारित योग्यताएं भी होती थी। ग्रामसभा की बैठके प्रायः मन्दिरों तथा मण्डपों पेड़ की छाया, तालाब किनारे आदि स्थानों पर होती थी। बैठक के लिए निर्धारित स्थान को बह्म स्थान कहा जात था। प्रत्येक सभा अथवा महासभा के अन्तर्गत कई समितियाँ होती थी जिन्हे ''वारियम्'' कहा जाता था। ये समितियाँ अलग–अलग विभागों का काम देखती थी। कुछ प्रमुख समितियाँ इस प्रकार थी[30]–

(1) तोट्ट वारियम्–यह उद्यान समिति थी। (2) एरिवारियम्–यह तटांक (तालाब) समिति थी। (3) पोनवारियम्–यह स्वर्ण समिति थी इसका कार्य सम्भवतः मुद्रा का नियमन करना था। (4) पंचवार–वारियम–पॉच समितियो के कार्य का निरीक्षण करना, इसके जिम्मे था। (5) सम्वत्सर

वारियम्। (6) उदासीन वारियम्। (7) न्यायत्तार वारियम्। (8) कोमिल्वारियम्। (9) गणवारियम्–यह ग्राम के कार्यो की व्यवस्था के लिए थे। (10) महाजन।

उत्तरमेरूर से प्राप्त परान्तक प्रथमकालीन दो अभिलेखो (919 ईस्वी से 921 ईस्वी) से समिति के सदस्यो के निर्वाचन के संबंध में भी कुछ सूचनाये दी गयी है ग्राम के 30 भागो में से प्रत्येक को निश्चित योग्यता वाले व्यक्तियों में से एक–एक व्यक्ति मनोनीत करना था। ये योग्यताऍं थी एक चौथाई ''वेली'' भूमि का स्वामित्व, अपनी भूमि पर बने घर में निवास, 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु और वैदिक मंत्रो का ज्ञान अथवा ''वेली'' के आठवें भाग की भूमि का स्वामित्व और एक वेद तथा एक भाष्य का ज्ञान। चुने गए 30 व्यक्तियो में बारह को वार्षिक समिति में, बारह को उपवन समिति और छः को तालाब समिति में नियुक्त किया जाता था। एक स्थायी समिति और एक स्वर्ण समिति भी नियुक्त की जाती थी ''कुदावोलई'' प्रणाली इस प्रकार थी कि उम्मीदवारो के नाम खजूर के पत्तो पर लिख दिए जाते थे और पत्तो को घडे में डाला जाता था और उसे हिलाया जाता था। एक छोटे बालक को उसमें से उतने पत्ते निकालने के लिए कहा जाता था जितने व्यक्ति चुनने होते थे। जिनके पत्ते बालक चुन ले उन्हें सफल कहा जाता था।[31]

ग्रामसभा को राज्य के प्रायः सभी अधिकार मिले हुये थे। उसके पास सामूहिक सम्पत्ति होती थी जिसे वह जनहित में बेच सकती अथवा बन्धक रख सकती थी। वह न्याय का भी काम करती तथा ग्रामवासियो के सामान्य झगडों का फैसला करती थी। ग्राम सभा के पास बैंक भी होते थे तथा वह धन, भूमि तथा धान्य के रूप में जमा राशि प्राप्त करती तथा फिर ब्याज पर उन्हें वापस लौटा देती थी। गॉंव की सभी अक्षयनिधियॉ ग्रामसभा के अधीन होती थी। सभा को ग्रामवासियों पर सभी कर लगाने, वसूलने तथा उन्हें बेगार लेने का भी अधिकार था। पीने के पानी, उपवनो, सिंचाई तथा आवागमन के साधनो की व्यवस्था करना ग्रामसभा के मुख्य कार्य थे। अकाल अथवा संकट के समय यह ग्रामवासियों की उदारतापूर्वक मदद करती थी। ग्रामसभा मंदिरो, शिक्षण संस्थाओं एवं दान–गृहो का भी प्रबन्ध चलाती थी तथा राजस्व संग्रह कर सरकारी कोष में जमा करती थी। ग्रामवासियो के स्वास्थ्य, जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना भी ग्रामसभा का कर्तव्य था। केन्द्रीय सरकार को वार्षिक कर देना उसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। इस प्रकार चोलकाल में प्रत्येक ग्राम वस्तुतः एक लघु गणतन्त्र ही था जिसे अपने कार्यो में स्वायत्तता मिली हुई थी। प्रत्येक ग्राम राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर था।[32]

सल्तनतकाल में पंचायतीराज :– सल्तनत के प्रारम्भिक काल में प्रान्तों का स्वरूप निश्चित नहीं था बल्कि अविजित या अर्द्वविजित क्षेत्रों को अमीरों में बॉंट दिया जाता था और इन अमीरों का कार्य उन क्षेत्रों को जीत कर उन पर नियन्त्रण स्थापित करना था। इन क्षेत्रों को इक्ता और इन अमीरों को मुक्ति कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में दो प्रकार के इक्ते थे। प्रथम वे इक्ते जो पहले से चले आ रहे थे। द्वितीय नवविजित दक्षिणी राज्य जिन पर उसने सैनिक सूबेदार नियुक्त किए। दिल्ली सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था उनके शासन की मुख्य विशेषता रही। इस

प्रणाली का प्रारम्भ सुल्तान इल्तुमिश के शासनकाल में हुआ। प्रान्त का सूबेदार अपने प्रान्त में सुल्तान के समान सभी शक्तियों का केन्द्र होता था। प्रान्तो में साहिब–ए–दीवान राजस्व विभाग का प्रमुख था जो सूबेदार से स्वतन्त्र था तथा जिसकी नियुक्ति वजीर की अनुशंसा पर सुल्तान करता था। उसके सहायक दो अधिकारी मुतार्रिफ और कारकुन होते थे। अन्यप्रान्तीय अधिकारियों में नाजिर वाकुफ, प्रान्तीय आरिज और काजी होते थे।[33]

चौहदवी शताब्दी में सल्तनत के विस्तार तथा प्रशासनिक संगठन के कारण प्रान्तों को उपखण्डो में विभाजित किया गया जिन्हें शिको कहते थे। शिक का मुख्य अधिकारी शिकदार था। कुछ समय बाद शिको का उपखण्डों में विभाजित किया गया इन उपखण्डो को परगना कहा जाता था। जो कई गाँवों का समूह होता था। इब्नबतूता ने सौ गाँवों के मण्डल या सादीका उल्लेख किया है। परगना का मुख्य अधिकारी चौधरी और राजस्व अधिकारी होता था। परगना महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी क्योंकि इस स्तर पर प्रशासन और जनता का सम्पर्क होता था। इस समय तक परगना प्रशासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। इसके मुख्य अधिकारी थे– आमिल (शिकदार), मुशरिफ, (अमीन) मुन्सिफ, खजान्ची, दो कारकुन और एक कानूनगों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव था जिसमें स्वायत्त शासन व्यवस्था का रूप था। मुखिया (मुकद्दम) पटवारी इसके मुख्य अधिकारी थे। सामान्य तथा न्याय प्रशासन सामान्यतः गॉव की पंचायतें करती थी।[34]

मुगलकाल में पंचायतीराज :– जदुनाथ सरकार के मतानुसार ''मुगल साम्राज्य की प्रान्तीय प्रणाली केन्द्रीय सरकार का पूर्णरूपेण एक छोटा रूप था।'' प्रान्तों की संख्या समय–समय पर घटती–बढ़ती रहती थी। अकबर के समय में सूबो की संख्या 15 थी। जहाँगीर के समय 17 सूबे थे और शाहजहाँ के काल में प्रान्तो की संख्या 22 तक पहुंच गई थी। औरंगजेब के समय में कुल 21 सूबे रह गये थे।''[35] सूबे का सर्वोच्च अधिकारी ''साहिब–ए–सूबा'' सूबेदार या नाजिम होता था। उसकी सहायता दीवान, बख्शी, फौजदार, कोतवाल, काजी, सदर, आमिल, बितिकची, पोतदार या खिजानदार, वाकया नवीस, कानूनगों और पटवारी इत्यादि किया करते थे। सूबा सरकार और परगनो में विभक्त था। ग्रामीणों को स्वतन्त्र छोड रखा था और उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। जब तक कि कोई घोर अनर्थ या सम्राट के आदेश की अवज्ञा नहीं हो जाती। सूबेदार को नागरिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक सूबा अनेक जिलों अथवा सरकारो में विभक्त था। यह क्षेत्र फौजदार के अधिकार में होता था। प्रत्येक सरकार परगनो या महलो में विभक्त होता था। प्रत्येक परगने में एक शिकदार, एक आमिल, एक पोतदार और थोड़े से बितिकची होते थे। शिकदार परगने के शासन का अधिकारी होता था। उसका कर्तव्य अपने क्षेत्र में शान्ति और नियम बनाये रखना था। प्रत्येक नगर मोहल्लो में विभक्त होता था। यह प्रत्येक ग्राम स्वायत्त शासन गण–संघ माना जाता था।[36]

ब्रिटिशकाल में पंचायतीराज :– अंग्रेजो द्वारा विकसित किए गए स्थानीय शासन के इस कालखंड को निम्नलिखित 3 खण्डो में विभाजित किया जा सकता है–

(अ) 1687 से 1882 तक का काल

(ब) 1883 से 1919 तक का काल

(स) 1920 से स्वतन्त्रता–प्राप्ति तक का काल

(अ) 1687 से 1882 तक का काल :– इस काल में पहली बार स्थानीय संस्थाएँ प्रेजिडेन्सी नगरों में अस्तित्व में आई। 1687 में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी। इस संस्था में अंग्रेज और भारतीय सम्मिलित थे और इन्हे एक श्रेणी मण्डप, एक जेल, एक पाठशाला बनाने तथा नगरपालिका के कार्यकर्ताओं के वेतन आदि अथवा नगर की अन्य सुविधाओं, रक्षा आदि के लिए बनाए जाने वाले प्रयोजनों के निर्माण के लिए कर लगाने की अनुमति दी गई। 1726 ईस्वी में महापौर के न्यायालय की स्थापना की गई परन्तु महापौर का कार्य अधिकतर न्यायिक था। इस प्रकार के महापौर के न्यायालय बम्बई और कलकत्ता में भी स्थापित किए गए।[37]

सन 1773 के रेगुलेटिंग ऐक्ट द्वारा प्रेसीडेसी नगरों–मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में जस्टिस ऑफ पीस की नियुक्तियाँ की गई। इनका मुख्य कार्य शहर की सफाई व स्वास्थ्य की देखभाल करना था। इस अधिनियम द्वारा निगमों में कुछ परिवर्तन भी किए गये। स्थानीय स्वशासन संस्थाओ में अधिक सुधार एवं उनकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए सन 1793 में पुनः अधिनियम को संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सवैधानिक आधार प्राप्त हो गया। इसी अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता के तीन महाप्रान्तीय नगरों में नगर प्रशासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में तीन शान्ति दण्डाधिकारियो की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। इन दण्डाधिकारियों को नगर, सफाई, पुलिस व्यवस्था तथा सड़कों के रखरखाव के लिये भवनो तथा भूमि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया।[38]

प्रेजिडेन्सी नगर के बाहर, नागरिक संस्थाओं का आरम्भ 1842 के बंगाल अधिनियम से आरम्भ हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य भी नगर में ''सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सुविधाओं'' के लिए प्रबन्ध करना था। परन्तु यह अधिनियम केवल अनुज्ञेय ही था, और 2/3 नगरवासियो के प्रार्थना करने पर ही नगर में नागरिक संस्था स्थापित हो सकती थी और केवल एक ही नगर में नगरपालिका स्थापित हुई और यहाँ भी जब नगर–आयुक्त ने प्रत्यक्ष कर लगाने अथवा वसूल करने का प्रयत्न किया तो उस पर ''अनधिकार प्रवेश'' के लिए मुकदमे चला दिए गए। सन 1850 में यह अधिनियम समस्त ब्रिटिश प्रदेश में लगा दिया गया और नगरपालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने की अनुमति दे दी गई। इसके फलस्वरूप उत्तर–पश्चिमी प्रान्त में बहुत से नगरो में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। सन 1868 में राजकीय सैन्य स्वच्छता आयुक्त रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर नागरिक संस्थाओ को बहुत बढावा मिला। यद्यपि यह रिपोर्ट मुख्यतः सेना से संबंधित थी परन्तु इसने सरकार का ध्यान नगरो में अस्वच्छता की ओर आकर्षित किया। परिणाामस्वरूप बहुत से नगरो में नगरपालिकाएँ स्थापित की गई। पंजाब तथा मध्य प्रान्त में निर्वाचित तत्व भी सम्मिलित किए गये।[39]

14 दिसम्बर 1870 को लार्ड मेयो ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए कौंसिल में प्रस्ताव स्थापित करने का पहला प्रयास किया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता को बढावा तथा वित्तीय साधन जुटाना था। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं, सड़कों के रखरखाव और निर्माण आदि का काम प्रान्तीय सरकारों को हस्तांतरित करने तथा इस हेतु उन्हें अनुदान देने का निर्णय किया। इस प्रकार 1871 के अधिनियम के अनुसार बंबई, बंगाल, पंजाब व उत्तर–पश्चिमी प्रान्तो में मेयो प्रस्ताव के बाद स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों की स्थापना हुई। इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपकर (सेस) को कानूनी दर्जा दिया गया तथा व्यय को पूरा करने के लिए उन्हे बढाया भी जा सकता था। इसमें जिला समिति के गठन की व्यवस्था थी तथा सरकारी व गैर–सरकारी सभी सदस्यो के मनोनयन आदि का उल्लेख था। जिला समिति का अध्यक्ष सरकारी व्यक्ति को बनाने का प्रावधान था।[40]

लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा गया है। लार्ड रिपन ने 1882 में अपना एक प्रस्ताव जारी किया था। इस प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया था। लार्ड रिपन के प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बाते स्पष्ट की गई थी[41] :–

1. स्थानीय स्वशासन की स्थापना प्रशासन की सुविधा हेतु की गई है। इसकी स्थापना केवल जनता को व्यावहारिक राजनीतिक शिक्षा देने के लिये की जा रही है। रिपन सरकार स्थानीय संस्थाओं को लोकप्रिय संस्थाये बनाना चाहती थी। इन निकायो में अधिकतर निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्य और अध्यक्ष होने चाहिये।
2. स्थानीय निकायों पर राज्य का नियन्त्रण प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होना चाहिये। प्रान्तीय सरकारों द्वारा देखभाल के दो तरीके रखे गये है(क) कुछ कानूनों को लागू करने में कर्ज वसूली में, नवीन करारोपण में सम्पत्ति के विक्रय में तथा धर्म संबंधी विषयो में सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक हो (ख) प्रान्तीय सरकारें खास–खास विषयों में स्थानीय संस्थाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखे। विशेष परिस्थितियो में स्थानीय संस्थाओ के निर्णय रद्द करने, उत्तरदायित्व निर्वाह में असमर्थ होने पर प्रान्तीय सरकार के पास उसको भंग करने का अधिकार होना चाहिए।
3. पूरे देश में स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था की जाये और उनको अपने क्षेत्रो में निश्चित उत्तरदायित्व व स्वतन्त्र आर्थिक साधन प्रदान किये जाने चाहिए। इसलिये स्थानीय राजस्व के कुछ साधन स्थानीय निकायों को उपलब्ध करा दिये जाये और उन्हें प्रान्तीय बजट से समुचित अनुदान मिलता रहे। इनको कर लगाने का अधिकार होना चाहिए। इनको अपने बजट पर भी पूर्ण अधिकार दिया जाना चाहिए।

4. स्थानीय स्वशासन के कर्मचारी स्थानीय निकायो के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करे। सरकार जो कर्मचारी स्थानीय शासन के कार्य हेतु भेजे, उन्हें स्थानीय शासन का नौकर समझा जाये और वे कर्मचारी उन्हीं के नियन्त्रण में रहे।

5. प्रस्ताव में यह भी प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक प्रान्त अपनी परिस्थिति के अनुरूप प्रस्ताव को लागू करे।

(ब) 1883 से 1919 तक का काल :– वर्ष 1883 में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत के आत्मनिर्भर गांवों को लघु गणराज्य नाम दिया था। उनका कहना था, ''जहां कुछ भी नहीं टिकता, वहां ये टिके रहते है। एक के बाद एक राजवंश धाराशाही होते रहे है। एक के बाद दूसरी क्रान्ति आती है। हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिख एवं अंग्रेज सभी बारी–बारी से अपना स्वामित्व स्थापित करते है किन्तु ग्राम समाज ज्यों के त्यों बने रहते है। संकटकाल में ये अपने हथियार सज्जित करते है तथा मोर्चाबंदी करते है। इन ग्रामीण समाजो में प्रत्येक में अपना छोटा–सा राज्य है। इनकी एकता ही वह शक्ति है जो इन्हें समस्त प्रकार की क्रान्तियों एवं परिवर्तनो के बावजूद सुरक्षित बनाए रखती है। यही एकता ही इनके सुखो, स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्भरता का मूल कारक रही है।''[42]

वर्ष 1884 में चेन्नई एवं बंगाल में यूनियन पंचायतों के गठन के संबंध में कार्रवाई एक उल्लेखनीय प्रयास था। उस समय देहाती बोर्ड (रूरल बोर्ड) के काम नगरपालिकाओ जैसे ही थे। जैसे–स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, अकाल–सहायता आदि। इनकी आय के स्रोत थे–कर, फीस, चुंगी, काजी हाउस फीस, शिक्षा संबंधी सरकारी अनुदान, चिकित्सा संबंधी सरकारी अनुदान आदि। 19 वी सदी के उत्तरार्द्व में दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाल आदि नेताओ ने ग्रामीण जनता को उसकी प्राचीन ग्राम पंचायतो तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज व्यवस्था की याद दिलाई। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी पुस्तक ''स्वदेशी समाज'' में निम्न स्तर से निर्मित आत्मनिर्भर समाज की कल्पना की। उनके शब्दो में ''हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम गाँवों को उनकी पिछली सत्ता लौटा दे जिससे कि वे अपनी–अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।'' वे चाहते थे कि शासन की उच्चतर इकाईयां निचले स्तर पर आधारित हो।[43]

सन 1907 में भारत सरकार व प्रान्तीय सरकार एवं उनकी अधीनस्थ संस्थाओं के मध्य स्थित वित्तीय एवं प्रशासनिक संबंधो की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया गया जो राजकीय विकेन्द्रीकरण आयोग कहलाया। आयोग के अध्यक्ष सी.ई.एच. हॉबहाउस थे। पाँच अन्य सदस्य भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। आयोग को यह पता लगाना था कि विकेन्द्रीकरण करके अथवा न करके सरकारी व्यवस्था को सरलीकृत किया जा सकता है अथवा नही। आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1909 में दिया था। आयोग की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित थी[44] :–

1. स्थानीय निकायों में निर्वाचित सदस्यो का पर्याप्त बहुमत होना चाहिये।
2. गाँवों को स्थानीय स्वशासन की आधारशिला मानना चाहिये। प्रत्येक गाँव में पंचायत हो। नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन किया जाना चाहिये।
3. स्थानीय संस्थाओं को अधिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिये, जिससे उनकी शक्ति का ठीक विकास हो सके।
4. प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगरपालिका का होना चाहिये। नगरपालिकाओं को आवश्यक सत्ता प्रदान की जानी चाहिये जिससे वे कर निर्धारित कर सके और कुछ न्यूनतम धनराशि कोष में जमा कराकर अपना बजट बना सके।
5. स्थानीय निकायों पर परामर्श सुझाव व लेखा परीक्षण द्वारा ही नियंत्रण होना चाहिये।
6. नगरपालिका अपना अध्यक्ष स्वयं चुने। जिलाधीश स्थानीय जिला परिषद का अध्यक्ष बना रहे।
7. बडे नगरों को एक पूर्णकालिक नियत अधिकारी की सेवायें उपलब्ध कराई जाए। स्थानीय निकायों का अपने कर्मचारियो पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
8. नगरपालिकाओं की ऋण लेने की शक्ति पर सरकार का नियंत्रण बना रहना चाहिये। नगरपालिका की समाप्ति को पट्टे पर देने अथवा बेचने के लिये सरकार की पूर्ण मंजूरी ली जानी चाहिये।

20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत मे संवैधानिक सुझावों का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार बनाना है और इसलिए प्रथम प्रयत्न स्थानीय स्वायत्त–शासन के क्षेत्र में ही था। मान्टफोर्ड रिपोर्ट में सुझाव था कि ''जहाँ तक संभव हो सके स्थानीय संस्थाओं में पूर्ण लोकप्रिय नियन्त्रण हो और उन्हें बाहरी नियन्त्रण से अधिकतम स्वतन्त्रता हो।'' 16 मई 1918 के भारत सरकार के प्रस्ताव में 20 अगस्त 1917 की घोषणा के प्रकाश में समस्त प्रश्न की समीक्षा की गई और यह कहा गया कि जहॉ तक हो सके इन संस्थाओं को प्रतिनिधि संस्थान बना दिया जाए और उनका अधिकार जिस भी क्षेत्र में हो, वास्तविक हो नाममात्र नही। उन पर नियन्त्रण कम से कम हो और उन्हें गलतियों से सीखने दिया जाए। विकेन्द्रीकरण आयोग द्वारा सुझावो को उन्होने पृष्ठांकित किया और नगरपालिकाओं को कर लगाने के मामले में अधिक अधिकार दिए गए। ग्राम पंचायतो के संबंध में भी यह कहा गया कि इनको केवल स्थानीय संस्थाओं का परिशिष्ट अथवा विशेषण ही नही बनना चाहिए। परन्तु इस क्षेत्र में उन्हें अधिक न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्तियॉ देने का सुझाव मृतपत्र ही रहा है।[45]

1919 के अधिनियम में प्रान्तो में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली आरंभ की गई इसमें प्रान्तीय विषयों को दो भागो में बांटा गया (1) आरक्षित (2) हस्तान्तरित विषय। सुरक्षित विषयो का शासन प्रांतीय गवर्नर अपनी कार्यकारिणी के परामर्श के अनुसार करता था। हस्तांन्तरित विषयो का शासन उन मन्त्रियों के हाथ में था जिनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यो में से की

जाती थी। मुख्य हस्तान्तरित विषय निम्न थे—स्वशासन संस्थाएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, खेती, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारी समितियाँ आदि। इस तरह से राजनीतिक सत्ता को गवर्नर और मंत्रियो के बीच विभक्त किए जाने को डायर्की या द्वैधशासन कहा गया। सुरक्षित और हस्तांतरित विषयों के लिए आय के साधनो की पृथक रूप से व्यवस्था नही थी। सरकार के बजट का निर्माण स्वयं एक सुरक्षित विषय था और यह कार्यकारिणी के वित्त सदस्य को ही जिम्मेदारी थी। प्रान्तो के लिए आय के स्रोत हेतु मालगुजारी सिंचाई कर, आबकारी, स्टांप रजिस्ट्रेशन, जंगलात और खानो पर कर निर्धारित किए गए। प्रान्तीय सरकारों को यह भी दिया गया कि वे सीमित स्तर पर केंद्र की अनुमति के बिना, नए कर लगा सकते थे और आवश्यकता होने पर भारत और विदेशो में ऋण उठा सकते थे।[46]

(स) 1920 से स्वतन्त्रता—प्राप्ति तक का काल :— वर्ष 1922 में गया मे हुए कांग्रेस के सम्मेलन में देशबंधु चितरंजनदास ने अपनी 5 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। इसमें पंचायतों को भारतीय शासन के पुनर्निर्माण का आधार बनाया गया। इन पर ही उच्च स्तर की सरकार आधारित करने की तथा उन्हें अवशिष्ट शक्तियां देने की कल्पना की गई थी। देशबन्धु का नारा था ''स्वराज जनता का होगा तथा जनता ही स्वराज लेगी।''[47] 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की योजना रखी गई। प्रान्तीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम का प्रमुख पुरस्कार थी। साधारणतया प्रान्तीय स्वायत्ता का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रथम तो यह कि प्रांतों का शासन उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में हो। दूसरे प्रान्तों को केन्द्र के नियंत्रण से यथासम्भव स्वतन्त्र रखा जाए, विशेषकर प्रांतीय विषयों के प्रशासन में। 1935 के अधिनियम के अन्तर्गत जिस प्रांतीय स्वायत्ता की योजना रखी गई उसकी रूपरेखा इस प्रकार थी[48] :—

केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच शक्तियो का विभाजन किया गया। विषयों को तीन सूचियो में बाँटा गया—संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषयो को रखा गया। इन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय विधानमण्डल को को दिया गया। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमण्डलों को दिया गया। समवर्ती सूची के विषयो पर केन्द्र तथा प्रांत दोनो ही कानून बना सकते थे। संघर्ष की स्थिति में साधारणतया केन्द्रीय कानून को मान्यता दिए जाने का विधान था। परन्तु यदि प्रांतीय कानून पर गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिल चुकी हो तो वह कानून रद्द नहीं हो सकता।

प्रान्तों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी। दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता के लिए एक मन्त्रिपरिषद का गठन किया जाता था। मंत्री विधानमंडल के सदस्यो में से चुने जाते थे तथा वे अपने सभी कार्यों के लिए वे विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमण्डल अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उन्हें हटा सकता था। शासन का उत्तरदायित्व मन्त्रियों का था परन्तु गवर्नर कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता था। इनके प्रयोग में वह

मंत्रियों से परामर्श लेने के लिये बाध्य नही था। गवर्नर को कुछ व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियाँ प्राप्त थी।[49] 1937 में प्रांतीय स्वराज्य भारत के 11 प्रान्तों में शुरू किया गया। सिंध, पंजाब, और बंगाल में यह लगभग 10 वर्ष चला। अन्य प्रांतो में जहां कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे, यह केवल दो वर्ष तक चला। अक्टूबर 1939 में ब्रिटिश युद्व–नीति के विरोध में कांग्रसी मंत्रिमण्डलो ने त्याग पत्र दे दिए। मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने पर प्रांतो में गवर्नर का शासन लागू कर दिया गया। यह व्यवस्था इन प्रांतो में 1946 तक चलती रही।[50]

स्वतन्त्रता के पश्चात पंचायतीराज का विकास :– गांधीजी कहा करते थे कि भारत की स्वतन्त्रता तल से प्रारम्भ होनी चाहिए। उनका सोच था कि राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों का इस प्रकार विकेन्द्रीकरण किया जावे कि भारतीय ग्राम प्राचीन एवं वैदिककाल की तरह एक स्वावलम्बी इकाई बन सके। ग्राम पंचायतों की भूमिका स्वशासी स्थानीय सरकार की हो। उनका मानना था कि समयानुकूल आवश्यक संशोधन कर इन संस्थाओ को वास्तव में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। उनके ग्राम–स्वराज की कल्पना निम्न शब्दों में भली–भॉति प्रतिबम्बित है। ''गॉव की सरकार 5 व्यक्तियों (पंच परमेश्वर) की हो जिनका निर्वाचन समस्त व्यस्क ग्रामीण करें परन्तु मतदान के अधिकार के लिए एक स्तर (शैक्षणिक) अवश्य हो। एक वर्ष की अवधि के लिए चयनित इस ग्राम सरकार को स्थानीय स्तर की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी समस्त शक्तियॉ प्राप्त हो।''[51]

लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ पर नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन पहले ही दिसम्बर 1946 में किया जा चुका था। संविधान सभा में जब उद्देश्य और लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया गया तो उसमे स्वतंत्र भारत में पंचायतों के स्थान, भूमिका आदि का उल्लेख नही था। संविधान सभा में बहस का एक मुख्य मुद्दा स्वतंत्र भारत में पंचायतों के स्थान का था। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने तर्क दिया कि गांवो का भारत के इतिहास में कोई योगदान नही है, यह जानकर हम उन पर कैसे गर्व कर सकते है। यह ठीक है कि वे परेशानी में भी जीवित रहे, लेकिन किसलिए ? निचले स्तर पर केवल स्वयं के लिए। गाँव क्या है? वह स्थानीयता का कूप है, अज्ञान और संकीर्णता और साम्प्रदायिकता की गुफा है। मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे में गांव को नही, बल्कि व्यक्ति को इकाई माना गया है।''[52]

गांधीजी ने हरिजन में लिखा है ''मुझे बताया गया है कि संविधान के मसविदे में ग्राम पंचायतों एवं विकेन्द्रीकरण के लिए कोई नीति–निर्देश नहीं है। यह निश्चित ही एक बडी भूल है जिसमें अविलम्ब सुधार होना चाहिए तभी स्वतंत्र भारत में जनसाधारण की आवाज को बल मिलेगा। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होगी, जनसाधारण का उतना ही अधिक हित होगा।''[53] संविधान सभा में भारी विचार विमर्श के बाद 22 नवम्बर 1948 को श्री संथनम ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ''प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए प्रयास करेगा और उन्हें ऐसी पर्याप्त शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके।''[54]

सन् 1948 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन पहली बार हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अमृतकौर ने कहा था ''मेरा विश्वास है कि यह पहला अवसर है जबकि भारत सरकार ने सम्मेलन बुलाया है। यह तो प्रत्यक्ष है कि अब तक स्थानीय स्वशासन का उत्तरदायित्व वहन करने वालो का कोई सम्मलेन नहीं बुलाया गया, क्योंकि यह विषय पूर्णतः प्रान्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत है, फिर भी स्थानीय स्वशासन का विषय सामान्य कल्याण के लिये इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि यदि किसी ऐसे विवाद–स्थल का निर्माण किया जा सके, जहाँ समस्त भारत के वे लोग, जो प्रशासन की इस महत्वपूर्ण शाखा के लिये उत्तरदायी है, समय–समय पर मिल सके, विचार–विनिमय कर सके और सामान्य हित की समस्याओ पर चर्चा कर सके, तो इससे निश्चय ही लाभ होगा।''[55]

इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ''स्थानीय स्वायत्त शासन किसी भी सच्ची लोकतान्त्रिक व्यवस्था का आधार है और होना भी चाहिए। हम लोगों की आदत हो गयी है कि हम लोकतंत्र प्रशासन के ऊंचे स्तरों पर ही सोचते है, नीचे के स्तरो पर नही। जब तक लोकतंत्र का नीचे की इन आधारशिलाओं पर निर्माण और विकास नही किया जाता, तब तक उच्च स्तरो पर वह कदापि सफल नही हो सकता।''[56] भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। पंचायतों को संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वो में स्थान दिया गया। संविधान का अनुच्छेद–40 ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हे आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व–सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने से संबंधित है।[57]

सन 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई तब पं. जवाहरलाल नेहरु को आभास हुआ कि जनसहभागिता एवं जनसहयोग से ही विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अतः 2 अक्टूबर 1952 से केन्द्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आर्थिक नियोजन तथा सामाजिक पुनरूद्वार की राष्ट्रीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता की सक्रिय रूचि जाग्रत हो तथा ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने में उनका अपना परिश्रम तथा प्रयास हो। अतः जनता से यह अपेक्षा की गई कि इस कार्यक्रम में वह सरकार को सक्रिय सहयोग देगी।[58]

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एवं स्थानीय स्वशासन में सुधार हेतु अनुशंसाये देने के लिये भारत सरकार ने 1957 में बलवंतराय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह थी कि इसमें जनता के सहयोग का नितान्त अभाव था। बलवन्तराय मेहता समिति के 5 मुख्य सिद्वान्त निम्न थे[59] :–

1. पंचायतीराज संस्थाओ की तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए—ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति व जिला स्तर पर जिला परिषद।
2. लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की निम्न इकाई प्रखण्ड या समिति स्तर को माना जाये।
3. ये संस्थाये निर्वाचित हो।
4. इन संस्थाओ को भरपूर वित्तीय सहायता दी जाये। शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये। विकेन्द्रीकरण एक गतिशील अवधारणा है और इन संस्थाओ को लगातार शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
5. विकास का नियोजन एवं क्रियान्वयन इन्हीं संस्थाओं द्वारा होना चाहिये।

अप्रैल 1958 में मेहता समिति की सिफारिशो को स्वीकार कर लिया गया। प्रमुख भारतीय विद्वान प्रो. रजनी कोठारी का मानना है कि–''राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शी कार्य था पंचायतीराज की स्थापना। इसमें भारतीय राजव्यवस्था का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश की आंतरिक एकता बढ रही है क्योंकि देश में एक स्थानीय संस्था आकार ले रही है।''[60] भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि गाँव वालों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो फिर चाहे वे हजार गलतियाँ भी करे, घबराने की जरूरत नही है। पंचायतों को अधिकाधिक अधिकार सौंपने चाहिए ताकि वे सत्ता में भागीदारी निभा सके।[61] इसी अवधि के दौरान पंचायती राज शब्द की लोकप्रियता लोगो के संकल्प को ग्रामसभा के जरिये लोकसभा से जोडने की शासन प्रक्रिया के रूप में बढ़ रही थी। श्री एस.के.डे. के अनुसार ''पंचायती राज'' शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।[62]

''राष्ट्रीय विकास परिषद्'' ने बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिशो को अनुमोदित करते हुए राज्यों को प्रस्तावित किया कि वे अपनी स्थानीय परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में पंचायतीराज संस्थाओं के ढांचे के संबंध में निर्णय लेकर इन्हें गठित करे। क्योंकि स्थानीय स्वशासन ब्रिटिशकाल से ही प्रांतों (राज्यों) का विषय रहा है, अतः इस बारे में अन्तिम निर्णय राज्यो को ही करना था। राज्यो की प्रतिक्रिया अत्यन्त अनुकूल थी। राजस्थान ने इस दिशा में पहल की। दिनांक 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायतीराज का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे ''नये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम'' घोषित किया। उन्होंने आगे कहा ''राजस्थान भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का हृदय प्रदेश रहा है। दूर दराज गांवों में रहने वाले राजस्थान निवासियो ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में एक बडी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। राज्य सरकार ने अधिनियम बनाकर सारे दायित्व और अधिकार आपको (जनसाधारण को) सौंप दिये हैं। सारी दुनिया आपको देख रही है। इस महान क्रान्तिकारी कदम के माध्यम से आपको राजस्थान में जागरूकता लानी है। विकास कार्यक्रमों को सफल बनाना है ताकि भावी पीढ़ी बड़े गौरव के साथ कह सके कि उनके अंग्रेजो ने (आपने) प्रजातंत्र की ठोस एवं मजबूत नींव डाली है।''[63]

पंचायतीराज व्यवस्था के विधिवत क्रियान्वयन से देश को अनेक लाभ हुए। पहला तो यह कि देशभर में लोकतंत्र व्यवस्था का बीजारोपण हुआ। दूसरा, कुछ सीमा तक नौकरशाही व जनता के बीच का फासला कम हुआ। तीसरा, ग्रामीण जनता के मन में सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक विकास की भावना जागृत हुई। चौथा, राज्यों ने अपने यहाँ इस व्यवस्था का अवलोकन व मूल्यांकन करने के लिए जांच समितियां गठित की।[64]

अशोक मेहता समिति :– सन् 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार ने भारत में पंचायतीराज का मूल्यांकन करने के लिए 12 दिसम्बर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति ने सन् 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति की प्रमुख अनुशंषाएं निम्नलिखित थी[65] :–

1. पंचायतें दो स्तरो पर गठित होनी चाहिए : जिला स्तर पर जिला परिषद् तथा ब्लाक स्तर पर मंडल पंचायत। औसतन 15000 से 20000 की जनसंख्या पर एक मण्डल पंचायत होनी चाहिए। ग्रामों को ग्राम समितियों के माध्यम से मण्डल पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। चुनावो में अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। मण्डल व जिला स्तर पर दो ऐसी महिलाओं को भी, जिन्होने जिला परिषद के चुनाव में अधिकतम मत प्राप्त किए हो, परिषद् का सदस्य बनाया जाए। जिला परिषद विभिन्न समितियों के द्वारा कार्य करेगी। ग्रामसभा का गठन होगा जिसकी वर्ष में दो सभाएं होगी। पंचायती राज चुनावो में राजनैतिक दलो की भागीदारी होगी।
2. पंचायतों की कार्य सूची विकास की गतिशीलता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। विकेन्द्रीकरण राजनैतिक खैरात या प्रशासनिक रियायत नही होनी चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को संबंधित स्थानीय स्तरों पर, पर्याप्त अधिकारो और कार्यो का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए तथा उसी अनुपात में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जिला परिषद् राज्य के सभी विकेन्द्रीकृत, कार्यक्रम संभाले तथा जिला स्तर पर योजना बनाए। पंचायतों को विकास कार्य सौंपना तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक कि पंचायतों का स्वयं निर्णय लेने और अपनी निजी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम बनाने का अधिकार नहीं दिया जाए।
3. पंचायतों को केवल जनता के विचार जानने की सभा न बनाकर, उन्हें उपलब्ध संसाधनों से स्वयं अपने लिये योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद् जिले की योजना बनाए। जिला स्तर पर जिला योजना बनाने के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने होगें।
5. राज्य सरकार के कार्यो का विकेन्द्रीकरण करने के साथ–साथ सभी जिला स्तर के अधिकारियों को जिला परिषदों तथा उसके नीचे के स्तरों के अधीन रखना होगा। श्रेणी–1 और श्रेणी–2 का राजपत्रित कर्मचारी वर्ग राज्य सरकार के कैडर में ही रहे जबकि श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 का कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से पंचायतीराज सरकारों को हस्तानान्तरित कर दिया जाए। जिला परिषद् के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति स्वतंत्र राज्य तथा जिला स्तर के बोर्डो द्वारा की जानी चाहिए। पंचायतो के लिए अलग से एक मंत्री होना चाहिए।
6. राज्य सरकार द्वारा बजट हस्तान्तरित करने के अलावा, पंचायतों को स्वयं भी अपने वित्तीय साधन जुटाने होगें, तभी वे सही ढंग से अपने दायित्वों को निभा सकती है। वसूल किए गए ऐच्छिक करो के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। भू–राजस्व पर उपकर, जन्मदर पर उपकर, स्टाम्प, शुल्क पर अधिमूल्य, मनोरंजन कर, प्रदर्शन कर पंचायतों को सौप देना चाहिए। इनमें अधिक प्रतिशत मंडल पंचायतों का होना चाहिए। बाजर, हाट, मंडी, मेले आदि राजस्व के महत्वपूर्ण साधन है। ये सब पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायती राज वित निगम स्थापित किए जाने चाहिए।
7. मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलग–अलग व संयुक्त कार्यक्रम चलाने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन होना चाहिए। महिला मंडल के गठन को प्रोत्साहन देना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।
8. सहकारी समितियों व पंचायतीराज संस्थाओं में समन्वय का संबंध होना चाहिए। मंडल पंचायतों का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए। जिला परिषद् व मंडल पंचायत का नगरपालिकाओं से संबंध स्थापित होना चाहिए।

समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, केन्द्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशो पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

डॉ. सी.एच. हनुमंथराव समिति :– हनुमंथराव की अध्यक्षता मे सन् 1982 में योजना आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था मे ऐसे संगठनात्मक एवं कार्यात्मक सुधारों हेतु सुझाव देना था जिनके द्वारा गरीबी निवारण कार्यक्रमों जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा अन्य संगठनो जिनका उद्देश्य निम्न स्तर तक विकास करना है, के विकास कार्यक्रमो से पंचायती राज संस्थाओं को अधिकाधिक जोडा जा सके। इस समिति ने मई 1984 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे उल्लेखित किया कि विकास की योजनायें केन्द्रीकृत रही है,

अतः इसमे स्थानीय लोगों की सहभागिता का अभाव रहा है। समिति ने अनुशंषा की कि योजनाओं का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। इस हेतु योजना निर्माण प्रक्रिया के प्रारूप से ही जनसहभागिता को सुनिश्चित किया जाये।[66]

जी.वी.के. राव समिति :– ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पंहुची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायतीराज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाही की इस प्रक्रिया के कारण पंचायतीराज संस्थाए कमजोर हो गई और परिणामस्वरूप इसे ''बिना जड की घास'' कहा गया। अतः समिति ने पंचायतीराज पद्वति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशे की, जो निम्नप्रकार है।[67] –

1. जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। यह कहा गया है कि ''नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिये जो उस स्तर पर संचालित किये जा सकते है।''
2. जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओ को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिये।
3. प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
4. एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिये।
5. पंचायती राज संस्थाओ में नियमित निर्वाचन होने चाहिये।

एल.एम. सिंघवी समिति की रिपोर्ट :– 1986 में राजीव गॉधी सरकार ने ''लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायतीराज संस्थाओ का पुनरूद्वार'' पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में किया। इसने निम्न शिकायते की, जो निम्नप्रकार थी।[68]:–

1. पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोडा जाये। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने में मदद मिलेगी। इसने पंचायतीराज विभाग के नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनान कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी।
2. गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाये।

3. ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गाँवों का पुनर्गठन किया जाना। इसने ग्रामसभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पूर्ति बताया।
4. गाँव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
5. पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिये न्यायिक अभिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये।

सरकारिया आयोग प्रतिवेदन :– केन्द्र, राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु केन्द्र सरकार ने मार्च 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया, जिसने नवम्बर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमे निम्न सुझाव दिये–स्थानीय स्वशासन की संस्थायें सुचारू रूप से कार्य कर सके इसके लिये आवश्यक है कि इन संस्थाओं (जिला परिषद व म्यूनिसिपल संस्थाओं) के चुनाव नियमित रूप से हो, कानून द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन संस्थाओं को अधिक समय तक भंग न रखा जाए तथा पूरे देश मे इस संदर्भ में एक समान संसदीय कानून लागू किया जाए।[69]

जिलाधीशों की कार्यशालायें :– भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (प्रशिक्षण शाखा) विभाग द्वारा दिसंबर 1987 से जून 1988 के दौरान उत्तरदायी प्रशासन विषय पर जिलाधीशों की विभिन्न स्थानों पर पाँच कार्यशालाएँ भोपाल, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर एवं कोयम्बटूर मे आयोजित की गयी। इन कार्यशाला में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं ने पंचायतों को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए विभिन्न सिफारिशे पेश की। जो निम्न है[70]:–

प्रथम, उत्तरदायी प्रशासन के लिए स्थानीय स्तर पर प्रजातांत्रिक ढांचा होना जरूरी है। दूसरा, पंचायतों के लगातार चुनाव होने आवश्यक है। चुनावों के साथ–साथ यदि पंचायतें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नही कर रही है तो उचित ''सेफगार्ड'' के साथ उन्हे समाप्त करने का प्रावधान भी होना चाहिए। तीसरा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। चौथा, कार्य व शक्तियों का हस्तांतरण पंचायतों के स्तर पर साफ–सुथरे तरीके से हो तथा वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण राज्य सरकार से जिला स्तर पर ऐसे होना चाहियें जैसे केन्द्र स्तर से राज्य स्तर पर होता है। राज्य वित आयोग की स्थापना भी होनी चाहिए। राज्य स्तर से साधनों के हस्तांतरण के अलावा पंचायतों को स्वयं भी साधन जुटाने चाहिए। जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र को मिलाकर संपूर्ण जिले की योजना बनाने के लिए समिति होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी जिला परिषद को दे देनी चाहिए। इसके सदस्य, सांसद व विधायक भी होने चाहिए। इस समिति का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होना चाहिए। बेहतर होगा यदि जिलाधीश को इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया जाएं।

पी.के. थुंगन समिति :– कार्मिक जनशिकायत एवं पैंशन मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की एक उप–समिति श्री पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में गठित की गई। इस

समिति ने निम्न संस्तुति दी–पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव 5 वर्ष में सुनिश्चित करने की संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, जहां पंचायतीराज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था नही है वहाँ भी इसे लागू किया जाए, निर्धारित समय पर चुनाव कराने और जिला परिषदों को विकास एवं आयोजना का मुख्य अभिकरण बनाने पर बल दिया, केवल जिला परिषद ही जिले में योजना एवं विकास का अभिकरण हो, जिला कलक्टर को जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने की बात की, जिला परिषद के साथ उस क्षेत्र में सांसदो व विधायकों को जोडा जाए तथा राज्य वित आयोग का गठन तथा पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करना भी इस समिति की सिफारिश थी।[71]

64वाँ संविधान संशोधन विधेयक :– 15 मई 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायतों के संदर्भ में 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के पटल पर रखा। अनुच्छेद 243 के अन्तर्गत नवें हिस्से के रूप में जोडे जाने के लिए प्रस्तावित इस विधेयक मे स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं को ज्यादा उपयोगी, क्रियाशील एवं विकासोन्मुखी बनाने हेतु गठन, निर्वाचन प्रक्रिया, वित्त व्यवस्था एवं कार्यक्षेत्र संबंधी प्रस्ताव रखे गये थे।[72]

73वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक :– 16 सितम्बर 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव ने संविधान का 72वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक 64 वें संविधान संशोधन विधेयक का सुधरा हुआ रूप था। लोकसभा ने 72 वें संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा। नाथूराम मिर्जा की अध्यक्षता में गठित संयुक्त प्रवर समिति ने विधेयक का अध्ययन किया तथा अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के बाद 72वाँ संविधान संशोधन 73 वे संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा तथा अगले दिन राज्यसभा में पारित होकर 17 राज्य विधानमण्डलों की स्वीकृति से भी गुजरा। 20 अप्रैल 1993 को को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर यह विधेयक 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम के रूप में लागू हुआ।[73]

अधिनियम का महत्त्व :– इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड–9 सम्मिलित किया। इसे ''पंचायतें'' नाम से उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ''ण'' के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11 वी सूची भी जोडी। इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषयवस्तु है। यह अनुच्छेद 243–जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40 वें अनुच्छेद को एक व्यावहारिक रूप दिया, जिसमे कहा गया है कि ''ग्राम पंचायतों'' को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक सिद्वांतों का एक हिस्सा है।'' इस अधिनियम ने पंचातीराज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अन्तर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। यह अधिनियम देश मे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओ के विकास में एक एक महत्वपूर्ण कदम

है। यह ''प्रतिनिधित्व लोकतंत्र'' को ''भागीदारी लोकतंत्र'' मे बदलता है। यह देश मे लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है।[74]

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं[75] :–

पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर :– 73 वे संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग ''9'' ''पंचायत'' शीर्षक जोडा गया है। इसके माध्यम से संविधान मे अनुच्छेद 243 जोडते हुए देश मे पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है अपितु ''पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता ओर चुनावों से संबंधित प्रत्याभूति प्रदान की गई है।

ग्रामसभा का प्रावधान :– संविधान संशोधन अधिनियम यह उपबंध करता है कि ग्राम स्तर पर ग्रामसभा ऐसी शक्तियो का संव्यवहार और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधानमण्डल अधिनियम द्वारा सुनिश्चित करे।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज :– प्रत्येक राज्य मे ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। इन्ही प्रावधानों में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायतीराज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है।

चुनावों में आरक्षण :–

(क) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण :– संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानो/सीटो का आरक्षण किया जाएगा।

(ख) महिलाओं के लिए आरक्षण :– इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक पंचायतीराज संस्था के चुनावों में महिलाओ हेतु स्थानो का आरक्षण भी किया गया है। इसमे संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित, प्रत्येक पंचायतीराज संस्था में कम से कम एक–तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी बारी से किया जाता रहेगा।

(ग) सभापित/अध्यक्ष के लिए आरक्षण :– अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायतीराज की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों/सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओ के लिये राज्य विधानमण्डल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेगे। इस प्रावधान के परंतुक मे यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज इकाइयो के अध्यक्ष/सभापति के पदो के लिए आरक्षित किए गये स्थान उस राज्य मे इन वर्गो की जनसंख्या के अनुपात मे होने चाहिए।

(घ) पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण :– राज्य विधानमण्डल समस्त पंचायती राज संस्थाओं मे पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान, अधिनियम बनाकर कर सकेगे।

पंचायतों का कार्यकाल :– यह अधिनियम सभी स्तरो पर पंचायतो का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। विघटित होने की दशा मे इसके विघटन होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के पूर्व नए चुनाव कराने होगें।[76]

सदस्यों के लिए अयोग्यताएं :– कोई व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि वह किसी विधि द्वारा राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचनो के प्रयोजनों के लिए अयोग्य है। परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नही होगा कि 25 वर्ष से कम आयु का है यदि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी पंचायत का कोई सदस्य इन अयोग्यताओ के अधीन आ गया है तो ऐसे प्रश्नो का निर्णय ऐसे प्राधिकारी द्वारा और उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा प्रावधान करे।[77]

पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियाँ और दायित्व :– विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यो, दायित्वों और उनकी शक्ति के संदर्भ मे संशोधन अधिनियम मे कहा गया है कि संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधानमण्डल कानून बनाकर इन संस्थाओ को स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप में कार्य करने मे सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और सत्ता दे सकेगें। ऐसे कानून इन संस्थाओ को विशेष रूप से लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11 वी अनुसूची में सम्मिलित मामलों सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विशिष्ट प्रावधान कर सकेंगे। [78]

संविधान मे ग्यारहवी अनुसूची जोडी गई है जिसमे पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अग्रलिखित विषयो को सम्मिलित किया गया हैं[79] :–

(1) कृषि (कृषि विस्तार सहित) (2) भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि विकास चकबंदी एवं संरक्षण (3) लघ ुसिंचाई, जल प्रबंध और जल आच्छादन विकास (4) पशुपालन, डेयरी एवं मुर्गीपालन (5) मत्स्यपालन (6) सामाजिक वनोद्योग एवं फार्म वनोद्योग (7) लघु वन उत्पादन (8) लघु उद्योग जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है (9) खादी ग्राम व कुटीर उद्योग (10) ग्रामीण आवास (11) पेयजल (12) ईंधन व चारा (13) सड़कें, पुल, पुलिया फेरी जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन (14) ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी हैं (15) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (16) निर्धनता निवारण कार्यक्रम (17) शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (18) तकनीकी प्रशिक्षण व व्यवसायिक शिक्षा (19) प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा (20) पुस्तकालय (21) सांस्कृतिक गतिविधियां (22) मेले व बाजार (23) स्वास्थ्य एवं सफाई (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र एवं औषधालय सहित) (24) परिवार कल्याण (25) महिला एवं बाल विकास (26) समाज कल्याण (विकलांगो तथा मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियो के कल्याण सहित) (27) कमजोर वर्गो का कल्याण और मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण (28) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (29) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण।

कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ :– 73वें संविधान संशोधन मे पंचायतीराज संस्थाओं के कोष निर्माण और उसमे होने वाली आय के लिए इन संस्थाओ के द्वारा लगाये जाने वाले करो के संबंध में कहा गया है कि राज्य विधानमण्डल, विधि द्वारा उसमे निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अन्तर्गत पंचायतीराज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। राज्य का विधानमंडल इन संस्थाओ को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान कर सकेगा। संशोधन अधिनियम प्रावधान करता हे कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाये जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायतीराज इकाईयों के मध्य वितरण किया जा सकेगा और जो कर पंचायतीराज संस्थाएँ आरोपित करेगी उन्हें वे न केवल एकत्र कर सकेगी अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर ही कर सकेगी।[80]

वित्त आयोग के गठन का प्रावधान :– राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतो को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशे करेगा।[81]

1. सिद्वान्त जो नियंत्रित करेगे :–

(a) राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करो, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों के मध्य बंटवारा।

(b) करो, चुंगी, मार्गकर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए हैं।

(c) राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को जाने वाली अनुदान सहायता।

(d) पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय।

2. राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो।

राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, इनके सदस्यो की आवश्यक अर्हता तथा उनके चुनने के तरीके को निर्धारित कर सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग :– 73 वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यो में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह उल्लेखित किया गया है कि पंचायतो के समस्त निर्वाचनो के लिये मतदाता सूचियाँ तैयार करने उसके संचालन हेतु नियंत्रण, निर्देशन तथा अधीक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।[82]

लेखा परीक्षण :– राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है।

अन्य कुछ क्षेत्रों मे पंचायत व्यवस्था का लागू न होना :– नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्यों तथा मणिपुर राज्यों के पहाडी क्षेत्रों जहाँ जिला परिषद विद्यमान है तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाडी क्षेत्रो मे जहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद विद्यमान है में 73 वे संविधान संशोधन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

चुनावी मामलो में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक :– यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्र मे सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमे यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नही दी जाएगी।[83]

संक्षेप में पंचायतों से सम्बान्धित अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं [84]

अनुच्छेद	विषय वस्तु
243	परिभाषाएँ
243 ए	ग्राम सभा
243 बी	पंचायतों का संविधान
243 सी	पंचायतों का गठन
243 डी	सीटों का आरक्षण
243 ई	पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि
243 एफ	सदस्यता से अयोग्यता
243 जी	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
243 एच	
243 आई	पंचायतों की करारोपण की शक्ति
	वित्तीय स्थिति की समस्या के लिए
243 जे	वित्त आयोग का गठन
243 के	पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण
243 एल	पंचायतों का चुनाव

243 एम	संघीय क्षेत्रों पर लागू होना
243 एन	कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना
243 ओ	पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना
	चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

दिलीप सिंह भुरिया समिति :— संविधान के 73 वें संशोधन भाग 9 के प्रावधान पाँचवी एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों तक कैसे या किस रुप में लागू हो सकते है, के अध्ययन के लिए केन्द्र सरकार ने 10 जून 1994 को सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 विशेषज्ञ सदस्यो से एक समिति गठित की। समिति ने 17 जनवरी 1995 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।

इसमें मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है।[85]

(1) जनजातीय क्षेत्रों एवं इनके निवासियों की जीवनशैली विशेष प्रकार की हैं अतः इसके लिए परम्परागत संस्थाओं एवं आधुनिक पंचायती राज का मिश्रित स्वरुप अपनाया जाए।

(2) पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत गठित होने वाली जनजाति सलाहकार परिषद् की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करें तथा इसे अधिक सक्रिय बनाते हुए इसकी बैठक त्रैमासिक होनी चाहिए।

(3) जनजातिय मामलों की केन्द्रीय सलाहाकार परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। इसमें गृहमंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को सदस्य बनाया जाए और इस परिषद के निर्णय संबन्धित विभागो के लिए बाध्यकारी होने चाहिये।

(4) जनजाति क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन किया जाए। इन क्षेत्रों में सहकारिता के आधार पर स्थानीय संगठन बनाए जाए ताकि इनकी परम्पराओं में छिपी संभावनाओं का विकास हो सके।

(5) इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से ग्राम सभा का स्वरूप गणतंत्रात्मक हैं अतः इस ग्राम सभा को पर्याप्त सशक्त एवं प्रभावी बनाये रखा जाये ताकि वह ग्राम पंचायत पर नैतिक नियंत्रण रख सके।

(6) इनकी जिला स्तरीय पंचायतों को स्वायतशासी जिला परिषद नाम दिया जाए।

(7) जनजाति क्षेत्रों के राजस्व, वन, पुलिस तथा आबकारी इत्यादि विषयों पर सरकारी कार्मिकों का हस्तक्षेप कम होना चाहिए स्थानीय पंचायत इन विषयों का प्रशासनिक नियंत्रण करें।

(8) पाँचवी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में गठित पंचायती राज संस्थाएं यह सुनिश्चित करे कि संसाधनों का सर्वाधिक हिस्सा मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यय हो।

पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 :– दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक संसद में पेश किया गया जिसको राज्य सभा ने 12 दिसम्बर 1996 व लोक सभा में 19 दिसम्बर 1996 को पारित कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक 24 दिसम्बर 1996 से लागू हो गया था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न है[86] –

(1) विधान सभा पंचायतों पर जो भी कानून बनाए वह पारम्परिक कानून सामाजिक और धार्मिक रिवाजों और समुदाय के संसाधनों के पारम्परिक प्रबंधन के तरीको के अनुरूप हो।

(2) एक गांव सामान्यतया निवासी या निवासियों के समूह या खेडें या खेडों के उस समूह को माना जाएगा जिसमें एक समुदाय के लोग रह रहे है और अपने कामकाज को परम्पराओं और रिवाजों के अनुसार चला रहे हैं।

(3) प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल होगें जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए बनाई गई मतदाता सूची में शामिल होगे।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगो की परम्पराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान सामुदायिक संसाधनों और झगडे सुलझाने के परम्परागत तरीको की रक्षा करने में सक्षम होगी।

(5) सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति ग्राम सभा देगी तथा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को भी चिन्हित करेगी और सुनेगी। पंचायतो को इन कार्यक्रमों व योजनाओ के संबंध में वित्त का उपयोग करने के बारे में ग्राम सभा से प्रमाण प्रत्र लेना होगा।

(6) प्रत्येक पंचायत में सम्बन्धित समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलने का प्रावधान हैं। इसके साथ यह भी शर्त हैं कि अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कुल स्थानों के 50 प्रतिषत से कम न हो तथा पंचायत के सभी स्तरो पर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियो के लिये आरक्षित होगे।

(7) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए लोगो का पुनर्वास करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत के उचित स्तर से सलाह ली जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी

परियोजनाओं की वास्तविक योजना के निर्माण और क्रियान्वन में सामंजस्य राज्य स्तर पर भी किया जाए।

(8) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए लाइसेंस या खनन पट्टी देने के लिए ग्राम सभा या पंचायत के उचित स्तर की सिफारिश अनिवार्य हैं।

(9) राज्य विधान सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतो को स्वशासन के योग्य बनाने के लिए उचित शक्तियां और अधिकार देने के साथ साथ ग्राम सभा और पंचायतो के विभिन्न स्तरों पर निम्न अधिकार भी प्रदान करेगा।

(क) किसी भी मादक पदार्थ के उपयोग या बिक्री को नियमित,सीमित या प्रतिबन्धित करना।

(ख) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व।

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तान्तरण रोकने और किसी अनुसूचित जनजाति की अवैध रूप से हस्तान्तरित भूमि को वापस लेने के लिए उचित कारवाई का अधिकार।

(घ) गाँवों के बजारों के प्रबंधन की शक्ति

(ड़) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने की प्रक्रिया पर नियंत्रण की शक्ति

(10) पंचायतों के स्वायत्त शासन की संस्थानों के रूप मे कार्य करने मे समर्थ बनाते समय राज्य विधान मंड़ल सुनिश्चित करे कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों को हाथ में न ले।

पंचायती राज पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन (1997) :– पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2 अगस्त 1997 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्यमंत्रियो का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें पंचायती रात संस्थाओ को शक्तियां/कार्य और जिम्मेदारियां सौपने, जिला आयोजना समितियों का गठन करने, राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टो के कार्यान्वयन जिला परिषदो के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जोड़ने, पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियो को प्रशिक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। विस्तृत चर्चा के आधार पर सम्मेलन में (क) 23 दिसम्बर 1977 से पूर्व केन्द्रीय अधिनियम 1996 के अनुरूप राज्यो के कानून बनाने की सिफारिश देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संविधान की अनुसूची – 5 में शामिल किए गए 8 राज्यो के पंचायत और जनजाति विकास मंत्रियों की समिति (ख) पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियाँ सौंपने और पंचायती राज संस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बनाने से सम्बन्धित मामलो का अध्ययन करने और उचित उपाय सुझाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में

मुख्यमंत्रियों की समिति के गठन की सिफारिश की गई। मुख्यमंत्रियों की समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थी[87]:–

(1) लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के लिए छोड़ दिया जाए।

(2) 10,000 रूपये तक के कार्यों के लिए तकनीकी मंजूरी की शर्त को त्याग दिया जाए।

(3) ग्राम पंचायतों को पर्याप्त जनशक्ति सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रक्रिया सोची जाए।

(4) इस जनशक्ति पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ग्राम पंचायतों दिया जाए।

(5) जिला परिषद् के अध्यक्षों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का अध्यक्ष बनाया जाए।

(6) निलम्बन/बर्ताखस्तगी से पूर्व पंचायती राज संस्थानों को सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाए।

(7) ग्राम पंचायत का अध्यक्ष केवल ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है।

(8) जिला आयोजना समितियों का गठन शीघ्र किया जाए।

''केन्द्रीय टास्क फोर्स'' की सिफारिशे (2001) :– पंचायती राज संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की 11 वी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़ी गतिविधियों के साथ–साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण हेतु अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहाकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन 16–07–2001 को किया गया। इस टास्क फॉर्स के द्वारा अगस्त 2001 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की जिसमें मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी।[88]

(1) जिला पंचायत, खण्ड़ पंचायत के ग्राम पंचायत स्तर पर 29 विषयों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ स्टाफ मय प्रशासनिक शक्तियों व फण्ड्स मय वित्तीय अधिकारों के हस्तांतरण की सिफारिश।

(2) डी.आर.डी.ए. का जिला परिषद् के साथ विलीनीकरण

(3) आयोजना व गैर आयोजना बजट का राज्य सरकार द्वारा जिलेवार व पंचायत समितिवार वार्षिक आवंटन।

(4) उपयुक्त प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी अधिकारियो का पदस्थापन।

(5) सशक्त जिला आयोजन समितियो का गठन।

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (2000–02):– वर्ष 2000 मे न्यायमूर्ति एन.एम. वैंकटचलैया की अध्यक्षता मे गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे निम्न सुझाव दिये।[89]

(1) स्थानीय स्वाशासन निकायों के चुनाव संबंधी समस्त प्रावधानों को एक कानून में समेकित किया जाना चाहिए।

(2) किसी चुनाव क्षेत्र के परिसीमन, आरक्षण तथा चक्रानुचक्र क्रम के कार्य हेतु एक परिसीमन आयोग बनना चाहिए।

(3) राज निर्वाचिन आयोग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव होने चाहिए।

(4) राज निर्वाचिन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए।

(5) नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओ को उचित अधिकार देने के लिए अनुच्छेद – 243 में संशोधन किया जाना चाहिए।

(6) संविधान की 11वी एवं 12वी अनुसूची की पुनसंरचना कर पंचायती राज संस्थाओ तथा नगरीय संस्थाओं के लिए विशेष राजकोषीय सम्पदाएं निर्धारित की जानी चाहिए।

(7) अनुच्छेद 280 में संशोधन कर इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि वित्त आयोग व्यापक स्तर पर समीक्षा कर सके।

(8) सभी स्थानीय निकायो को राज सरकार एवं वित्तीय संस्थाओ से उधार लेने की अनुमति होनी चाहिए।

(9) पंचायती राज संस्थाओ को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा लेखा नियंत्रण के अधिकार दिये जाने चाहिए।

(10) मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य पंचायत परिषद् का गठन किया जाना चाहिए।

पंचायत राज मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली 11–07–2001 :– दिनांक 11–07–2001 को राज्यों के पंचायत राज मंत्रियो की कॉन्फ्रेस नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेस द्वारा निम्न सिफारिशे की गयी[90] :–

(1) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 5 वर्षों में नियमित रूप से बिना पार्टी के आधार पर कराये जावें। जिन राज्यों में चुनाव नही होते हैं उनके आयोजना आयोग द्वारा फण्ड्स रोक दिये जावे।

(2) 73वे संविधान संशोधन की 11वी अनुसूची मे वर्णित विषय मय वित्तीय, प्रशासनिक अधिकारों के पंचायती राज संस्थाओ को 31 मार्च 2002 तक हस्तान्तरण कर दिया जावे।

(3) पंचायतों को ''अनटाइड फण्ड'' उपलब्ध कराये जावे ताकि पंचायते स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विकासकार्य करवा सके। जो पंचायते स्वयं के कर आदि लगाने मे अग्रणी रहती है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जावे।

(4) जिला आयोजना समितियों का गठन वर्ष 2001 के अंत तक कर दिया जावे एवं जिला परिषद् के अध्यक्ष को ही जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष बनाया जावे।

(5) ''ग्राम सभा'' को सशक्त बनाया जावे। ''ग्राम सभा'' की कम से कम 4 बैठके हर वर्ष की जावे। जिला/खण्ड स्तरीय अधिकारियो की उपस्थिति इन बैठको में अनिवार्य की जावे।

(6) ग्राम सभा को वैधानिक रूप से ''सामाजिक अंकेक्षण'' के अधिकार दिये जावे।

(7) विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावे।

(8) राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में पंचायती राज प्रतिनिधियों के राज सरकार द्वारा निलम्बित/बर्खास्त करने के अधिकार को संशोधित किया जावे क्योंकि यह 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के विरूद्ध है।

(9) पंचायती राज संस्थाओं के समान्तर गठित समितियों को हटाया जावे क्योंकि यह 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के विरूद्ध है।

(10) अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 के अनुरूप सबन्धित नियमों में 31 मार्च 2002 तक संशोधन कर दिये जावे।

पंचायत अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन (2002) :– 5 **और 6** अप्रैल 2002 को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पंचायत अध्यक्षो का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विभिन्न प्रदेशों से आये पंचायती राज अध्यक्षो के विचार सुनने के बाद सम्मेलन के संयोजक श्री एम.वैकैया नायडू ग्रामीण विकास मंत्री ने सर्वसम्मति से पंचायती राज संस्थाओ को सुदृढ करने के लिए 15 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र इस प्रकार है।[91]

(1) जिन राज्यों में पंचायतों के चुनाव नही हुए है वे राज्य अपने यहाँ 31 दिसम्बर 2002 तक पंचायतों के चुनाव करा ले।

(2) सभी राज्य पंचायती राज संस्थाओ को निधियां, कार्य और कर्मचारी हस्तान्तरित करने के लिए अविलम्ब (31 दिसम्बर 2002 तक) कार्यवाही करें।

(3) राज्य सरकारे पंचायतों को और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। पंचायतों की आय बढाने के लिए पंचायती राज निकायो के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारे पंचायतों को कर लगााकर अपने लिए संसाधन जुटाने मे सहायता करेगी।

(4) भारत सरकार पंचायतों के द्वारा कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं के लिए पंचायतों को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

(5) किसी पंचायत को भंग करने अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने से पहले जांच कराने के लिए सभी राज्य प्रत्येक जिले में एक लोकपाल की 31 दिसम्बर 2002 तक नियुक्ति करे यह लोकपाल कोई सेवानिवृत जिला न्यायाधीश हो सकता है।

(6) राज्य सरकार 31 दिसम्बर 2002 तक विद्यमान कर्मचारियों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण पंचायतों को हस्तांतरित कर दे और नये कर्मचारियों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाएं ही करें।

(7) सभी राज्य सरकारें 31 दिसम्बर 2002 तक जिला आयोजना समितियों का गठन और उनके कामकाज शुरू कर देना सुनिश्चित करे। इन समितियों के अध्यक्ष जिला समितियों के अध्यक्ष होंगे।

(8) प्रत्येक ग्राम पंचायत को चुनने वाली ग्राम सभा की वर्ष में कम से कम चार बैठक अवश्य होनी चाहिए इन बैठकों की तिथियाँ 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर हो सकती हैं।

(9) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत आयोजना कमेटी का गठन किया जाए।

(10) राज्य सरकारें 31 दिसम्बर 2002 तक कानून में ऐसे प्रावधान कर ले, जिनके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को भूमि जल, लघु वन उत्पादों और खनिजों जैसे संसाधनों पर नियन्त्रण और उनके उपयोग के अधिकार मिल सके।

(11) प्रत्येक पंचायत चार सूत्रो को अपने कार्य का आधार बनाए। ये चार सूत्र हैः– कार्यों में पूरी पारदर्शिता, ग्राम सभा की अधिकाधिक भागीदारी, केन्द्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास से सम्बद्व योजनाओ के प्रति जागरूकता और सामाजिक लेखा परीक्षा।

(12) केन्द्र और राज्य सरकारे श्रेष्ठ जिला पंचायत, श्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत और श्रेष्ठ ग्राम पंचायत का चयन कर उन्हें समुचित रूप से पुरस्कृत करने की व्यवस्था करें।

(13) केन्द्र और राज्य सरकार पंचायत राज संस्थाओं के निवाचित प्रतिनिधियों और अन्य कर्मियो के प्रशिक्षण का प्रावधान करें।

(14) केन्द्र और राज्य सरकारे दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ग्राम पंचायतो को लाभकारी सूचना प्रौद्यौगिकी उपलब्ध कराएं ताकि उनकी कार्य पद्धति में सुधार हो सकें।

(15) सभी राज्य सरकारे 31 दिसम्बर 2002 तक यह भी सुनिश्चित करे कि विशेष रूप से ग्राम स्तर पंचायत के समानान्तर कार्यरत हर संस्था निर्वाचित पंचायत के अधीन काम करना शुरू कर दे।

पंचायती राज मंत्रालय का गठन :– भारत में वर्ष 2004 में केन्द्रीय स्तर पर पंचायती राज के कार्य निर्देशित एवं समन्वित करने के लिए पृथक से एक मंत्रालय की स्थापना की गई। पंचायती राज मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व,पंचायती राजमंत्री करता है। इस मंत्रालय का कार्य इस प्रकार हैं[92]:–

(1) पंचायती राज तथा पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित नीति, कानून एवं कार्यक्रमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन करना।

(2) पंचायती राज सशक्तिकरण हेतु राज्यो से समन्वय करना।

(3) संविधान की भावना के अनुरूप पंचायतो का कार्य कोष तथा कार्मिक हस्तान्तरित कराने में मार्ग दर्शन देना।

(4) गोलमेंज सम्मेलनों में पारित प्रस्तावो का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

(5) राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का अद्यतन कराना।

(6) राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करना।

(7) जिला आयोजना समितियों को प्रभावी तथा सशक्त बनाने में सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

(8) पंचायत विकास और प्रशिक्षण योजना के माध्यम से पंचायती राज जनप्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों की क्षमता वृद्धि कराना।

(9) पंचायतों में ई–शासन, क्रियात्मक अनुसंधान योजना ग्रामीण व्यापार केन्द्रों तथा रतन जोत विकास योजना (जैव ईधन को बढ़ावा)

पंचायती राज मंत्रियों के साथ गोलमेंज सम्मेलन (जुलाई–दिसम्बर 2004) :– 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओ के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार के पंचायती राज विभाग कि पहल पर देश के सभी पंचायती राज–मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलन जुलाई–दिसम्बर 2004 में निम्नानुसार आयोजित किये गये :–

प्रथम सम्मेलन	कोलकत्ता	24–25 जुलाई 2004
द्वितीय सम्मेलन	मैसूर	28–19 अगस्त 2004
तृतीय सम्मेलन	रायपुर	23–24 सितम्बर 2004
चतुर्थ सम्मेलन	चंडीगढ	7–8 अक्टूबर 2004
पांचवा सम्मेलन	श्रीनगर	28–29 अक्टूबर 2004
छठा सम्मेलन	गुवाहाटी	27–28 नवम्बर 2004
सातवां सम्मेलन	जयपुर	17–19 दिसम्बर 2004

सम्मेलनों में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों तथा निधियों के प्रभावी अंतरण, ग्राम सभा, आयोजना पंचायत अधिनियम 1996,महिलाओं के लिए आरक्षण, संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज, पंचायती राज न्याय प्रक्रिया, पंचायतों की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाये जाने वाले कर, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव, लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ''ई–गवर्नेंस'' आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा करके प्रस्ताव पास किये गये जिनमें मुख्य निम्न हैं[93]:–

(1) पंचायती राज संस्थाएँ ऐसे कार्यों के संदर्भ में, जो उन्हें अन्तरित किये गये हैं अन्य प्राधिकरणों के लिए सिर्फ कार्यान्वयन एजेंसी के स्थान पर स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करे। पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरित कार्यों में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारियों और प्रौद्योगिकीविदों का संवर्ग बनाने के उद्धेश्य से राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ''पंचायती राज प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा'' शुरू कर सकते हैं।

(2) पंचायती राज संस्थाओ में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जवाबदेही और अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत इन संस्थाओं के तीनों स्तरों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य सुविधाऐं उपलब्ध होनी चाहिए।

(3) पंचायत का ''सुदृढ वित्तीय आधार'' अनुच्छेद 243 i द्वारा राज्यो पर लागू की गई संवैधानिक बाध्यता है। इस संवैधानिक बाध्यता के अनुपालन में राज्यो और केन्द्र को संघीय राजकोषीय की भावना के अनुरूप निर्वाचित स्थानीय निकायो की वित्तीय स्थिति सुदृढ करने लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

(4) संविधान के अनुच्छेद 243 क के भाग ix मे ग्राम सभाओं को स्थापित करने का प्रावधान है ताकि वे ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करे और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य निष्पादित करे जो राज्य विधान सभा द्वारा कानून उन्हें प्रदान किये गये हैं।

(5) राज्य सरकारों के बजट मे राज्य क्षेत्र एक जिला क्षेत्र के बीच परम्परागत वितरण के अतिरिक्त प्रत्येक विभागीय बजट मे पंचायत क्षेत्र को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र मे संबन्ध केन्द्रीय मंत्रालयो से परामर्श कर योजना आयोग इसी तरह की उपयुक्त व्यवस्था कर सकता हैं।

(6) जिला योजनाओं को तैयार करने में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिक सेवाओं को दूसरी प्राथमिकता, ग्रामीण विपणन केन्द्रो को तीसरी प्राथमिकता और सामान्य आर्थिक विकास को चौथी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) ग्राम सभा के निम्न तीन मुख्य कार्यो को राज्यों के अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। (क) लाभार्थियों का चयन (ख) पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति, (ग) विकास कार्य कि प्रगति को सत्यापित करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जारी करने के प्राधिकृत करना। यह महत्त्वपूर्ण है कि ग्राम सभा के सामाजिक लेखा परीक्षण कार्यों को कानून मे वर्णित किया जाए।

(8) पंचायत चुनावों से सम्बंधित सभी मुद्दे संविधान द्वारा राज्य विधान मंडलों को सौंप दिए गए है, फिर भी यदि चुनाव प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों में एकरूपता नहीं हैं तो इससे समानता लाने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया सम्बंधी सभी दायित्वों को अलग– अलग हिस्सों में बाँटने की बजाय राज्य चुनाव आयोगों को सौंपना वांछनीय होगा इनमें निम्नलिखित शामिल है।

(क) मतदाता सूची तैयार करना (ख) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (ग) आरक्षण और बारी (घ) उम्मिदवारों की योग्यता (ड़) चुनाव कराना (च) चुनाव विवादों मे निर्णय लेने के संदर्भ में।

(9) केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, तथा इन चुनावों को कराने से संबंधित आदर्श संहिता बनाने पर विचार करेगी। पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को आसान बनाने लिए केन्द्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से राज्य चुनाव आयोगों के इस्तेमाल हेतु ''ईवीएम'' की खरीद के लिए धन देने से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त एक प्रभावी लेखा परीक्षा पंचायती रांज संस्थाओं मे भ्रष्टाचार को रोकने कम करने और धीरे–धीरे समाप्त करने में ठोस भूमिका अदा कर सकती है। यह आवश्यक है कि पंचायतों के कार्यों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा और लेखा मानक बनाए जावे और उनका पालन किया जाए। लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड गठित किया जा सकता हैं और राज्य स्तर पर लेखा–परीक्षा आयोग अथवा इसी तरह के नियामक निकायों का गठन करके उसका पूरक बनाया जा सकता है। सामाजिक अंकेक्षण औपचारिकता लेखा–परीक्षा का पूरक है। पंचायती राज के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक अंकेक्षण और औपचारिकता लेखा–परीक्षाओं के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाए।

(10) पंचायती राज से जुड़ें लोगों के प्रशिक्षण हेतु विविध राज्यों में पाठयक्रम तैयार किये जावे, उनमें कुछ विषय ऐसे हो जो स्थानीय संदर्भ के साथ सभी राज्यों के लिए प्रयुक्त हो सके जैसे ग्राम–स्वराज, मौलिक अधिकार, गरीबी उन्मूलन योजना, सामाजिक अंकेक्षण तथा सूचना का अधिकार आदि। मानव संसाधन व्यवस्था प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था, आपदा तथा वित्त प्रबंधन जैसे आधार भूत विषय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अवश्य होने चाहिए। इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय तथा देश के अन्य खुले विद्यालय राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का दायित्व निर्वाह कर सकते हैं। सातवें और अंतिम गोलमेंज सम्मेलन की समाप्ति पर राज्यो के पंचायत राज मंत्रियो की सदस्यता वाली एक पदिषद् गठित करने का निर्णय लिया गया जो इन सम्मेलनों में उभरे सुझावों की क्रियान्विति सुनिश्चित करेगी। एक और समिति बनाने का भी निर्णय लिया जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव तथा पंचायती राज सचिव सदस्य होंगे। इस समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित करने का तय किया गया।

पंचायती राज परिवर्तन की ओर :— पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गाँधी ने 27 जनवरी 1989 को पहले सम्मेलन में कहा कि ''हमने आजादी की लड़ाई में और आजादी की लड़ाई के बाद संविधान में वायदा किया था कि पंचायत हमारे लोकतन्त्र की तीसरी कतार है, हम उसे मजबूत करेंगे। पहली और दूसरी कतारे तो दिल्ली में और राज्यों की राजधानी में है। उनकी जड़ इतनी मजबूत

हो गयी है कि उन्हें कोई हिला नही सकता लेकिन तीसरी कतार कमजोर रह गई है और इसका असर पहली तथा दूसरी कतार पर भी होता है। हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिल्ली में ही नहीं, राज्यो की राजधानी में ही नहीं, बल्कि पंचायत स्तर पर भी लोकतन्त्र को मजबूत करें।"[94]

1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी राजीव गाँधी के शासन में स्थानीय ग्रामीण शासन के पुनर्निर्माण के लिए सर्वाधिक साहसिक प्रयास किये गये 1989 के भारतीय संसद के मानसून सत्र में 64 वे संविधान संशोधन के रूप में एक विधेयक प्रस्तुत किया। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की व्यवस्था की गयी थी। यद्यपि यह संवैधानिक संशोधन विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो पाया।

73 वे संविधान संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संविधान में भाग–9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद (243–243 ण तक) और एक अनुसूची (ग्यारहवी अनुसूची) जोड़ी गयी। इस भाग में ग्राम पंचायत के गठन, उसके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए है। अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि ''ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेरित है।'' अनुच्छेद 243 (क) के अनुसार ''ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा, विधि द्वारा उपबन्धित किए जाएं।" अनुच्छेद 243 (ख) (1) के अनुसार ''प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धो के अनुसार पंचायतो का गठन किया जाएगा।''[95]

अनुच्छेद 243 (सी) के अनुसार ग्राम पंचायत (ब्लॉक एवं पंचायत समिति) में अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिन राज्यों में मध्य स्तर का प्रावधान नही होगा, यह प्रतिनिधित्व जिला स्तर पर होगा। इसी तरह मध्य स्तरीय पंचायत के अध्यक्ष जिला परिषदो के सदस्य होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद एवं ब्लॉक पंचायत के सदस्य होंगे बशर्ते कि वे उस क्षेत्र का पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रतिनिधित्व करते हो। अनुच्छेद 243 (जी) में ग्राम पंचायतों को में नियमान्तर्गत इतना सक्षम बनाने की व्यवस्था की गई है। वे आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु योजना बना सके। तभी ये संस्थाऐं एक प्रभावी स्थानीय स्वशासन की इकाई बन पायेगी। अनुच्छेद 243 (जी) में ग्राम पंचायतों के कार्य–क्षेत्र को सुस्पष्ट करने हेतु संविधान में एक नया शैड्यूल जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजनाऐं बनाने तथा क्रियान्वित करने हेतु 29 विषय दिये हुए है इन विषयों में भूमि सुधार, चकबन्दी, एवं भू–संरक्षण, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल नियंत्रण क्रम, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, पीने का पानी, ईधन चारागाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य, सफाई, महिला एवं बाल विकास आदि सम्मिलित किये है।[96]

73वें सविंधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम सभा को अनेक कार्य व शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो निम्न है– (1) ग्राम सभा के विकास के लिए प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर कार्य करेगी (2) ग्राम पंचायत के साथ मिलकर योजना बनाना और उसे लागू करने में सहयोग देना (3) ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे कार्यो से सम्बन्धित प्रश्न पूछना जैसे अमुक कार्य कब होगा और कब खत्म होगा। किसी भी निर्माण कार्य या योजना के क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को सुझाव देना होगा। (4) विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही लाभार्थी की पहचान ग्राम सभा द्वारा करना। (5) ग्राम सभा द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत सदस्यो से किसी विशिष्ट, क्रियाकलाप सरकारी विकास कार्यक्रमों, आय और व्यय के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगना। (6) ग्राम सभा द्वारा यह निगरानी रखना कि ग्राम पंचायत की बैठक नियमित रूप से हो रही है या नहीं। (7) ग्राम सभा द्वारा ग्राम विकास के लिए श्रमदान करवाना और ग्राम विकास हेतु ईंधन जुटाने मे मदद करना। (8) ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को नए वर्ष की कार्य योजना निर्माण हेतु सुझाव देना। (9) ग्राम सभा द्वारा ग्राम में सचांलित शिक्षा व अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर खुली बहस का आयोजन करवाना। (10) ग्राम सभा द्वारा ग्राम में समाज के सभी वर्गो में एकता और समन्वय में वृद्धि के उपाय पर चर्चा करवाना (11) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए वार्षिक बजट पर परीक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना।[97]

ग्राम सभा जमीनी लोकतन्त्र का सशक्त आधार है। यही एक मात्र माध्यम है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। वह गाँवो के सभी नागरिको को पंचायत की कार्यपालिका के प्रस्तावों पर विचार उनकी आलोचना करने उन्हे मंजूर या ना मंजूर करने तथा पंचायत के विगत कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अनुपम अवसर प्रदान करता हैं। वर्ष 1999–2000 और 2009–2010 को ग्राम सभा वर्ष के रूप में मनाने की केन्द्र सरकार की मंशा यह रही कि स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम सभा और अधिक सुदृढ़ हो और मजबूती से स्थानीय स्वशासन और सुशासन की अवधारणा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर सके।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे प्रयासों का प्रमुख अंग है और वर्ष 1957 से ही इसके लिए प्रयास हो रहे है। बलवंतराम मेहता समिति ने महिलाओं तथा बच्चो से संबन्धित कार्यक्रमों को देखने लिए जिला परिषद् में दो महिलाओं को लाने की अनुशंसा की थी। ''भारत मे महिलाओं का स्थान'' विषय पर गठित समिति ने वर्ष 1974 मे अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाएं जिनमें केवल महिलाएँ हो। वर्ष 1978 मे अशोक मेहता समिति ने अनुशंषा की कि दो महिलाओं को जिन्हें सबसे अधिक वोट मिले, जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाए। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फार दि विमेन 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद् तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। कर्नाटक पंचायत अधिनियम 1983 में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटो के आरक्षण का प्रावधान था। मध्यप्रदेश के 1990 के

अधिनियम में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी और जनपद तथा जिला परिषद् के स्तर पर 10–10 प्रतिशत की। महाराष्ट्र पंचायत अधिनियम में 30 प्रतिशत और ओड़िशा अधिनियम में कम–से–कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान संविधान में हुए 73वें संशोधन से पहले से रहा हैं।[98]

73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान मे एक नया खण्ड–खंड़ (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) मे उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (द) के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में उपरोक्त प्रकार का आरक्षण करना है और उनके बीच से भी महिलाओं के लिए कम–से –कम एक तिहाई स्थान आरक्षित होने है। अन्य पिछ़डे वर्गों के लिए आरक्षण का विषय राज्य के विधानमण्ड़लों पर छोड़ दिया गया है। संविधान संशोधन में हमारे देश के कर्णधारों ने पंचायतों को अहम भूमिकाएं सौपी, जिनमें से एक थी महिलाओ की राजनैतिक भागीदारी को बढावा देना। संविधान 73 वे संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को एक नई दिशा दी गई। इससे सबसे बडा लाभ यह हुआ कि जनसहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला। 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनावों में भागीदारी का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यो में 43 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि चुन कर सशक्तिकरण के मार्ग की और अग्रसर हुई।[99]

देश भर में पंचायतों के जरिए जहाँ–जहाँ महिलाएँ सरपंच चुनी गई, वहाँ–वहाँ कामोवेश वे पूरे उत्साह के साथ विकास कार्यों में जुट गई। जिन्होंने कानून को नहीं समझा उन्होंने उसे समझने का प्रयास किया। अधिकार की जो लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती थी, समूह के साथ लड़ने में वे सक्षम हुई और ग्राम स्वराज में उन्होंने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। रास्ते आसान न होते हुए भी वे ग्राम विकास के लिए एक प्रकार के भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ने को तैयार है और अपनी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक पहुंचाने का साहस उनमें आ रहा है। कल्याणकारी कार्यों में लगी महिलाओ ने अपने उद्देश्यों को परिवार नियोजन स्वास्थ्य सेवा आदि तक सीमित नही रखा बल्कि प्रशासनिक भूमिका को भी बखूबी निभाया पंचायती राज संस्थाओं में परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 60 लाख महिलाओ के प्रतिनिधित्व ने सामाजिक लाभबंदी की प्रक्रिया को तेजी दी है।[100]

कुछ राज्यों ने अपने पंचायती राज कानूनों में ''समाज सुधार के कार्य'' शीर्षक के अन्तर्गत एक अलग श्रेणी का प्रावधान रखा है जो 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल 11वीं अनुसूची के 29 विषयो से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़ा है। असम, बिहार और पंजाब के पंचायती राज कानून मे समाज सुधार की गतिविधियों को जिला परिषद् को सौंपा गया है, इनमें से कुछ इस

प्रकार है (1) अंधविश्वासो, जातिवाद, अस्पृश्यता, शराबखोरी, खर्चीले विवाहों एवं सामाजिक समारोहों, दहेज एवं दिखावटी उपयोग के खिलाफ अभियान। (2) सामूहिक विवाह उत्सव एवं अन्तर्जातीय विवाहों को बढावा देना (3) बेरोजगारो और एवं अन्तर्जातीय विवाह करने वालो जोडों, जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति–जनजाति का हो, के लिए भत्ते कि व्यवस्था करना। (4) पारम्परिक त्यौहारों को नया सामाजिक संदर्भ प्रदान करना।[101]

अशोक मेहता समिति जिसका गठन श्री मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में किया था। इस समिति ने पंचायत राज संस्थाओ के चुनावों में दलीय पद्धती के प्रवेश की अनुशंषा की थी। अपनी अनुशंषा के समर्थन में यह तर्क दिया कि राजनितिक स्तर पर दलीय प्रतिस्पर्द्धा से पंचायत राज संस्थाओं के क्रियाकलाप में कुशलता बढ़ेगी क्योंकि जहाँ इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अलावा शायद ही कोई पार्टी अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तर पर उसके समकक्ष खडी हो सकती है। वही भारत का लगभग हर राजनीतिक दल कुछ पंचायत समिति में अथवा जिला परिषदों में अपना वर्चस्व स्थापित करके अपनी कार्यकुशलता का परिचय दे सकता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों की वैचारिक प्रतिस्पर्द्धा का प्रशासनिक स्तर पर आकलन संभव हो जायेगा और प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत होगी। अतः अशोक मेहता समिति ने अनुशंषा की कि पंचायत राज संस्थाओ में दलों की सक्रियता का स्वागत किया जाना चाहिए तथा उनके प्रतिनिधियों को निर्दलीय रूप में चुनाव में भाग लेने के नाटक करने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अपने सर्वविदित चुनाव चिह्नों पर ही अपने प्रत्याशियों को निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति दे देनी चाहिए। 80 के दशक के मध्य में एन.टी. आर. रामाराव (आन्ध्रप्रदेश व रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक) ने अशोक मेहता समिति की अनुशंषाओं को अपने राज्य में संस्थापित कर दिया तथा अपने राजनीतिक दलों का वर्चस्व पंचायत राज संस्थाओ में स्थापित करने का प्रयास किया।[102]

संविधान में 73 वे संशोधन के पश्चात् पिछले वर्षों में पंचायत राज संस्थाओं का पंचायतों के रूप में संवैधानिकीकरण होने से उनका राजनीतिकरण भी हो रहा है तथा विभिन्न राजनीतिक दलो की सक्रियता बढ़ रही है। पंचायतों में चुनाव व स्त्रियों के लिये क्षेत्र न केवल आरक्षित है परन्तु हर पाँच वर्ष में उनके क्षेत्रों में पांच वर्ष बाद परिवर्तन करना व अपने प्रत्याशियों का परिवर्तन करने की व भविष्य में स्त्रियों के चयन करने की नई राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। इसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में भी परिलक्षित होने की संभावना है। राजनीतिक दलों को स्थानीय स्तर पर अपने राजनीतिक नीतियों की जनता से मान्यता प्राप्त करवाने की चाहत रहती है। उन्हें आरक्षण से उभरी इन दोनों नयी चुनौतियों का भी सामना करने के लिये नयी भूमिका का निर्वाह का करना ही होगा अन्यथा उनकी इन वर्गो पर उचित पकड नही होगी। इसमे प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया का तेजी से राजनीतिकरण होने से राजनीतिक दलों की भूमिका भी अधिक वेग से गति प्राप्त करने लगी है।[103]

पंचायती राज संस्थाएं गांवों को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाकर उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार ने 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना करके पंचायती राजव्यवस्था से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु एक साहसिक कदम बढाया है। गावों में विद्यमान बेरोजगारी, गरीबी व निरक्षरता जैसी भयावह समस्याओं के समाधान में पंचायतें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, देश मे गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। पंचायतें जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। ग्रामीण गरीबी, भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओ के समाधान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 2006 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के कार्यान्वयन में पंचायतो का योगदान सराहनीय रहा है। इस योजना के संचालन से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बेरोजगारों को काम उपलब्ध होने से गांवों से शहरों की तरफ पलायान की प्रवृति पर अंकुश लगा है। इस योजना में सामाजिक अकेंक्षण का दायित्व ग्राम सभाओं को सौंपकर इस योजना के संचालन में उनकी भूमिका सुनिश्चित की गई है।[104]

सामाजिक अंकेक्षण का तात्पर्य है किसी योजना/कार्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर करवाए गए कार्यो की गुणवत्ता, किए गए भुगतान का विस्तृत विवरण, मजदूरों की संख्या, सामग्री की मात्रा एवं उपयोग समाज के लिए इन कार्यों की उपयोगिता एवं जिस रूप मे जो कार्य चाहा गया (स्वकृति किया गया) वह उसी रूप में हुआ अथवा नही आदि की समुदाय के प्राथमिक लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी से जांच करना। सामाजिक अंकेक्षण जन निरीक्षण की एक सतत प्रक्रिया है तथा मूल उद्देश्य जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके मुख्य अंग है[105]–

पारदर्शिता – प्रशासनिक निर्णयों में पूर्ण पारदर्शिता।

भागीदारी – कार्य व निर्णय में जन सहभागिता विचार विमर्श एवं निर्णयों को सामुहिक रूप में सुनिश्चित करना।

जवाबदेही– निर्वाचित जन प्रतिनिधियो एवं सरकारी अधिकारीयो को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

परिवेदना/शिकायत निवारण–सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से जनता से प्राप्त परिवेदनाओ एवं शिकायतो का निराकरण।

विभिन्न राज्यों की पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जहाँ से प्रजातान्त्रिक नेतृत्व का उदय हो रहा है वहाँ भ्रष्टाचार की प्रवृति पर भी रोक लगना

जरूरी है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से एक और जहाँ कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आ रही है उसमे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वही दूसरी और महत्वपूर्ण सूचना बैंक तक लोगों की पहुँच आसान होगी। पंचायत को स्थानीय स्वशासन की प्रतिनिधि सस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्र पंचायत राज मंत्रालय कार्य कर रहा है, जो पंचायत को नीतिगत मार्गदर्शन देता है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से पंचायतों का कार्य आसान हो रहा है। ग्रामीण राजस्थान के लिए जनमित्र योजना में विकास कार्यों ने प्रगति की है। नागरिक सेवाओं में त्रुटियो की शिकायत की जा सकती है। और गुणवत्ता के लिए सुझाव दिये जा सकते है। सुचना का अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी के विवेक पूर्ण उपयोग से पंचायते ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य बदलने का काम बखूबी कर रही हैं।[106]

सम्पूर्ण स्वछता अभियान के जरिए पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कटिबद्ध है। इस अभियान के अन्तर्गत सफाई, गृह स्वच्छता, शुद्व जल, मलमूत्र के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सुलभ शौचालयों का निर्माण भी प्राथमिकता के तौर पर किया गया है। इसी दिशा में कदम बढाते हुए गांवो में स्वच्छता एवं सफाई को प्रोत्साहित करने के लिए "निर्मल ग्राम पुरूस्कार योजना" प्रारंभ की गई है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर गांवों में ही किया जा रहा है जिससे समय, श्रम, धन व ऊर्जा की बचत होती है। पंचायतीराज व्यवस्था के प्रभावी होने की वजह से गाँवों में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जाग्रति एवं राजनैतिक सहभागिता का सूत्रपात हुआ है। सदियों से शोषित दलित वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सत्ता में भागीदारी व नेतृत्व बढने से उनमे नवीन शक्ति, सामर्थ्य व चेतना का संचार हुआ है।[107]

1996 का पेसा (विस्तार अधिनियम) पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग–9 पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नही होता। यद्यपि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम 1996 पारित किया जिसे पेसा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के निम्न उद्देश्य है।[108]

1. संविधान के भाग–9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना।
2. जनजातिय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना।
3. सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्रामसभा को सभी गतिविधियों का केन्द्र बनाना।
4. पारंपरिक परिपाटियों की सुंसगता में उपयुक्त प्रशासनिक ढाँचा विकसित करना।
5. जनजातियों समुदायों की परम्पराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना।

6. जनजातिय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना।
7. उच्च स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों के छिनने से रोकना।

73 वे संविधान संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है। यह वित्त आयोग राज्यपाल को सुझाव देने हेतु अधिकृत है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा और अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य विधानमण्डल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जो पंचायतों के समस्त निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करने उसके संचालन हेतु नियंत्रण, निर्देशन तथा अधीक्षण का कार्य करेगा। इस आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानो के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता को न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जा सकता। निर्वाचन याचिका के अतिरिक्त किसी पंचायत का कोई निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।[109]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत की संगठनात्मक संरचना को निम्न चार्ट के द्वारा समझाया जा सकता है।[110]

ग्राम पंचायत की संगठनात्मक संरचना

73 वे संविधान संशोधन से पूर्व

- 1 पचांयत परिषद
  - सरपंच(अध्यक्ष)
  - उपसरपंच(उपाध्यक्ष)
  - सदस्य–निर्वाचित सदस्य
    (वार्ड पंच)
    सह सदस्य
    सहवृत सदस्य
    –सचिव–ग्राम सेवक
- 2 समितियां
  - उत्पादन समिति
  - शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा समिति
  - समाज कल्याण समिति
- 3 प्रशासन
  - सचिव (ग्राम सेवक)

73 वें सविधान संशोधन के पश्चात

- 1 पंचायत परिषद
  - सरपंच (अध्यक्ष)
  - उपसरपंच(उपाध्यक्ष)
  - वार्ड पंच(निर्वाचित सदस्य)
- 2 समितियां
  - प्रशासन और स्थापना
  - वित्त और कराधान
  - विकास और उत्पादन
  - कार्यक्रम
  - शिक्षा
  - ग्रामीण जल प्रदाय
  - स्वास्थ्य, स्वच्छता
- 3 प्रशासन तंत्र (ग्राम सचिवालय
  पंचायत सचिव
  प्राथमिक शाला के अध्यक्ष
  ए.एन.एम. नर्स
  पटवारी
  ग्राम–स्तर के विद्युत व
  जलप्रदाय के संबंधित

कार्मिक

निष्कर्ष :– भारत के प्राचीन इतिहास की पृष्ठभूमि के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में भी पंचायतीराज का अस्तित्त्व था। तत्कालीन राजा पंचायतों के माध्यम से राजकार्य संभालता था, उस दौरान ग्राम का प्रमुख ग्रामिणी होता था, जो पंचायत का भी प्रमुख होता था। तत्कालीन नीतिज्ञ एवं राजनीतिशास्त्र के ज्ञाता चाणक्य ग्राम को राजनीति की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। चोल शासकों के साम्राज्य में भी स्थानीय स्वशासन के ग्राम महत्त्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत में स्वशासन या पंचायत प्रथा को संगठित करने एवं उसके स्वरूप को मुखरित करने में सर्वाधिक भूमिका चोल शासको की ही रही और उनमें राजराजे चोल (प्रथम) को शुरूआत करने का श्रेय दिया जाता है। चोल शासकों के साम्राज्य में ग्रामीण शासन सर्वाधिक संगठित और विकसित होता था। पंचायतो को महासभा कहते थे। मध्यकाल के सल्तनत काल के दौरान राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव थी। इसमे ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक स्तर अत्यन्त उत्कृष्ट था। गांवों की प्रबन्ध व्यवस्था लम्बरदारो पटवारियो और चौकीदारों पर थी।

यद्यपि ब्रिटिश काल में भारत की प्राचीन सुदृढ़ शासन व्यवस्था को तहस नहस करने में सर्वप्रथम पंचायत व्यवस्था को चुना परन्तु यह सुदृढ़ शासन प्रणाली टूटी नही और उसका स्वरूप बिरादरी ने ले लिया। लेकिन इसके बाद विकास के मूल में अंग्रेजो ने पंचायत के महत्त्व को समझा और सन् 1920 ई. मे सभी प्रान्तों में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर उसे अत्यल्प अधिकारों के साथ क्रियान्वित किया गया। यद्यपि लार्ड रिपन को आधुनिक भारत के इतिहास मे स्थानीय सरकारों को स्थापित करने वाला व्यक्ति माना जाता है। उसने सन् 1882 ई. में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायतों का पुनर्गठन करने एवं पुनः निर्माण के लिए एक ब्लूप्रिन्ट निकाला।

आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय संस्था के रूप में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना, शिखर से धरातल तक लोकतंत्र के प्रवाह की दिशा में सशक्त कदम है। शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप में अर्थात लोकतंत्र की जमीनी स्तर (ग्रास रूट) पर स्थापना पंचायती राज के माध्यम से ही संभव हुई है, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की मूर्तरूप पंचायती राज संस्थाओ ने निर्धन, निरक्षर, असंगठित तथा उपेक्षित ग्राम जनों को आवाज एवं जुबान दोनों ही दी है। पंचायती राज संस्थाएं प्राचीन काल से आज तक के रूप में कार्य करती हुई चली आ रही हैं। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कही जा सकती है।

≈≈≈≈

सन्दर्भ सूची

1. जोशी, आर.पी., मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण द्वितीय 2003, पृष्ठ 1, 2
2. विद्यालंकार सत्यकेतु, : राजनीतिशास्त्र, श्री सरस्वती सदन, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, संस्करण नौवा 1997, पृष्ठ 417
3. आशीर्वादम, एडी, मिश्र कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण बारहवा 2010, पृष्ठ 664
4. निशीथ, राकेश शर्मा : पंचायती राज तब और अब, जाह्नवी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण 2011, पृष्ठ 09
5. दत्त, विजय रंजन : पंचायती राज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1997, पृष्ठ 23
6. सिंह, निशांत : पंचायतीराज और महिलाएं, सुनील साहित्य पालम गांव, दिल्ली, संस्करण प्रथम 2008, पृष्ठ 11, 12
7. परमार, श्रीमति आशा : दलित महिलाओ का सशक्तिकरण एवं पंचायती राज संस्थाएं, (पाली जिले के सन्दर्भ में एक अध्ययन) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 2012, पृष्ठ 22, 23
8. पंचायती राज व्यवस्था : सिद्वान्त एवं www.pustak.org.
9. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 11
10. जोशी, आर.पी. एवं भारद्वाज, अरूणा : भारत मे ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण प्रथम 200, पृष्ठ 11
11. महीपाल : पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली संस्करण प्रथम 2004, पृष्ठ 3
12. वही, www.pustak.org.
13. श्रीवास्तव, के.सी. तथा श्रीवास्तव एम : प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, संस्करण बारहवा 2014–15, पृष्ठ 85, 86
14. परमार, आशा : वही, पृष्ठ 23, 24
15. महाजन, विद्याधर : प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चन्द, एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण पुनर्मुद्रित 2010, पृष्ठ 115
16. उपरोक्त पृष्ठ 116, 118
17. जोशी, भारद्वाज : भारत मे ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 11, 12

18. जोशी, आर.पी. मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायती राज, वही, पृष्ठ 08
19. जोशी, भारद्वाज : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 12
20. महाजन, विद्याधर : वही, पृष्ठ 129, 130
21. सिंह, निशांत : वही, पृष्ठ 17
22. जोशी, भारद्वाज : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय, वही, पृष्ठ 13
23. निशीथ, शर्मा राकेश : वही, पृष्ठ 10
24. शर्मा, के.के. : भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, संस्करण पुन मुद्रित 2012, पृष्ठ 02
25. जोशी, आर.पी. भारद्वाज, अरूणा : भारत में स्थानीय प्रशासन, शील सन्स, जयपुर, संस्करण प्रथम 2000, पृष्ठ 15
26. श्रीवास्तव के.सी. तथा श्रीवास्तव एम : वही, पृष्ठ 258
27. शर्मा, के.के. : वही, पृष्ठ 03
28. महाजन, विद्याधर : वही, पृष्ठ 619, 620
29. श्रीवास्तव के.सी तथा श्रीवास्तव एम : वही, पृष्ठ 737,
30. वही, पृष्ठ 738
31. महाजन, विद्याधर : वही, पृष्ठ 747
32. श्रीवास्तव, के.सी. तथा श्रीवास्तव एम : वही, पृष्ठ 741, 742
33. महाजन, वी.डी. : मध्यकालीन भारत, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि.रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण पुन मुद्रित 2013, पृष्ठ 216, 217
34. उपरोक्त पृष्ठ 217
35. उपरोक्त पृष्ठ 177, 178
36. उपरोक्त पृष्ठ 178, 181
37. ग्रोवर बी.एल., मेहता अलका, यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास, एक नवीन मूल्यांकन, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण 34 वां 2014, पृष्ठ 360
38. चोपडा, सरोज बाला : स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण प्रथम 1993, पृष्ठ 32, 33
39. ग्रोवर, मेहता, यशपाल : वही, पृष्ठ 361
40. महीपाल : वही, पृष्ठ 07
41. चौपडा, सरोजनबाला : वही, पृष्ठ 36, 37
42. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 15
43. वही, पृष्ठ 16
44. चौपडा, सरोज बाला : वही, पृष्ठ 38

45. ग्रोवर, मेहता, यशपाल : वही, पृष्ठ 363
46. शुक्ल, रामलखन : आधुनिक विश्व का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, संस्करण 25 वां 2015 पृष्ठ, 784
47. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 17
48. राय, सत्या एम : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, संस्करण द्वितीय 1985, पृष्ठ 229
49. उपरोक्त पृष्ठ 229
50. उपरोक्त पृष्ठ 231
51. मिश्र निरंजन : भारत में पंचायती राज, परिबोध 83/12 अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, संस्करण प्रथम 2006, पृष्ठ 16
52. महीपाल, : वही, पृष्ठ 12
53. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 17
54. महीपाल : वही, पृष्ठ 12
55. चौपडा, सरोजबाला : वही, पृष्ठ 42
56. सिंह, निशांत : वही, पृष्ठ 24
57. लक्ष्मीकान्त, एम. : भारत की राजव्यवस्था, मेग्राहिल्स एजूकेशन (इण्डिया) प्रा.लि., नई दिल्ली, संस्करण 11 वां 2015, पृष्ठ 8.2
58. जोशी, भारद्वाज : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 21
59. जोशी, मंगलानी : भारत में पंचायती राज, वही, पृष्ठ 13
60. सिंह, निशांत : वही, पृष्ठ 09
61. वही, पृष्ठ 09
62. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 19
63. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 21, 22
64. महीपाल : वही, पृष्ठ 15
65. महीपाल : वही, पृष्ठ 18
66. जोशी, भारद्वाज : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 24
67. लक्ष्मीकांत, एम. : वही, पृष्ठ 34.5, 34.6
68. लक्ष्मीकांत एम. : वही, पृष्ठ 34.6
69. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 101
70. महीपाल : वही, पृष्ठ 21
71. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 101
72. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 45

73. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 105

74. लक्ष्मीकांत, एम. : वही, पृष्ठ 34.7

75. शर्मा, अशोक : भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर संस्करण 2016, पृष्ठ 27, 28

76. लक्ष्मीकांत, एम. : वही, पृष्ठ 34.8

77. जोशी, भारद्वाज : भारत में स्थानीय प्रशासन, वही, पृष्ठ 27

78. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 30

79. जोशी, मंगलानी रूपा : पंचायती राज के नवीन आयाम, वही, पृष्ठ 30

80. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 31

81. लक्ष्मीकांत एम. : वही, पृष्ठ 34.8

82. जोशी भारद्वाज : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 37

83. लक्ष्मीकांत, एम. : वही, पृष्ठ 34.9

84. लक्ष्मीकांत एम. : वही, पृष्ठ 34.12

85. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 110

86. महीपाल : वही, पृष्ठ 30,31

87. निशीथ, राकेश शर्मा : 112

88. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 56

89. निशीथ, राकेश शर्मा : 115

90. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 57

91. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 116, 117

92. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 118

93. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 59 से 63

94. जोशी, मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायती राज, वही, पृष्ठ 280

95. कुरूक्षेत्र : जनवरी 2014 ग्राम सभा, जमीनी लोकतन्त्र का सशक्त आधार, आलेख, सिंह संतोष कुमार, पृष्ठ 29

96. मिश्र, निरंजन : वही, पृष्ठ 50

97. कुरूक्षेत्र : जनवरी 2014 वही, पृष्ठ 30

98. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 116, 181

99. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 116, 182

100. निशीथ, राकेश शर्मा :वही, पृष्ठ 116, 183

101. कुरूक्षेत्र : जनवरी 2014 पंचायती राज प्रणाली में जनसहभागिता, आलेख, कुमार सोनी, पृष्ठ 06

102. जोशी, मंगलानी, रूपा : भारत में पंचायती राज, वही, पृष्ठ 196, 197

103. वही, पृष्ठ 200, 201

104. कुरूक्षेत्र : जनवरी 2014 ग्रामीण विकास और पंचायते, आलेख, मोदी अनीता, पृष्ठ 10, 11

105. महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका 2012 निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर, पृष्ठ 05

106. निशीथ, राकेश शर्मा : वही, पृष्ठ 171,172

107. कुरूक्षेत्र : वही, पृष्ठ 11, 12

108. लक्ष्मीकांत, एम : वही, पृष्ठ 34.10, 11

109. जोशी, भारद्वाज, अरूणा : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, वही, पृष्ठ 36, 37

110. शर्मा, विनय : पंचायती राज रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण प्रथम 2012, पृष्ठ 28

अध्याय–चतुर्थ

राजस्थान राज्य में पंचायती राजव्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन

"राजस्थान" शब्द का सबसे पहले प्रयोग सिरोही जिले के बसन्तगढ़ में स्थित खीमल माता के मन्दिर में पाये गये सं. 682 वि. (625 ई.) के शिलालेख में होना पाया जाता हैं। इसके बाद सन् 1665 में रचित "मूता नेनसी की ख्यात" और सन् 1731 में वीरभाण कृत "राजरूपक" में उक्त शब्द का प्रयोग हुआ। परन्तु शिलालेख और दोनों ग्रन्थों में "राजस्थान" शब्द का प्रयोग प्रदेश के रूप में नहीं वरन् राजाओं के निवास स्थान के संदर्भ में किया गया हैं। "राजस्थान" शब्द का प्रदेश के रूप में सबसे पहले प्रयोग सुप्रसिद्व इतिहासकार कर्नल टॉड ने सन् 1829 में रचित अपने ग्रन्थ "अनाल्स एण्ड एन्टी क्वीटीज ऑफ राजस्थान" में किया हैं। टॉड ने राजस्थान शब्द की परिभाषा करते हुए उक्त ग्रन्थ में कहा हैं कि राजस्थान भारत के उस भाग का नाम है जहाँ राजपूत राजा राज्य करते हैं। टॉड के पूर्व विलियम फ्रेकलिन ने सन् 1805 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "मिलिटेरी मेमोइर्स ऑफ मि. जार्ज टॉमस" में इस प्रदेश का नाम "राजपूताना" दिया था। ब्रिटिश शासको ने अधिकृत रूप से प्रदेश के इसी नाम को स्वीकार किया। सन् 1832 में भारत सरकार ने प्रदेश की रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए अजमेर में "एजेन्ट टू दी गर्वनर जनरल" (ए.जी.जी.) की नियुक्ति की तो उसने उसका पूरा नाम "ए.जी.जी. फॉर राजपूताना" रखा।[01]

वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने के पूर्व इसमें 19 राजाओं की रियासतें दो ठिकाने तथा अजमेर–मेरवाड़ा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश सम्मिलित थे। वर्तमान राजस्थान के निर्माण का कार्य सन् 1948 से प्रारम्भ होकर विभिन्न चरणों में होता हुआ सन् 1956 में पूरा हुआ।[02]

राजस्थान में पंचायतों की स्थापना (गठन) :– राजस्थान से प्राप्त लेखों से यह ज्ञात होता हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी। वे "पंचकुली" कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता में जिसे महंत कहा जाता था कार्य करती थी। "राजकूल" द्वारा दिये जाने वाले दान की सूचना पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना आवश्यक था। आहड़ और कालीबंगा सभ्यता से यह पता चलता है कि वहाँ ग्रामीण और नगरीय शासन व्यवस्था बहुत विकसित थी। इनके शासन का स्तर ऊँचा था। चित्तौड़ के पास राशमी गाँव के एक अभिलेख से ज्ञात होता हैं कि वहां जागीरदारो ने कर बढ़ा दिये थे करो को कम करने के लिये ग्रामीण जनता ने जागीरदारों से अनुरोध किया। उनके अनुरोध स्वीकार नहीं करने पर ग्रामवासियों ने ग्राम सभा की, और इसके विरोध में गाँव खाली

करने का निर्णय ले लिया। परिणामस्वरूप उदयपुर महाराजा को स्वयं वहाँ पर आना पड़ा और ग्रामवासियों से गलती के लिये क्षमायाचना करनी पडी। महाराणा ने टैक्स तो कम किया ही साथ ही साथ ग्रामवासियों को बैल खरीदने के लिये 5–5 रूपये और हल खरीदने के लिए एक–एक रूपया भी दिया।[03]

छगन मेहता ने ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह बताया है कि गाँवों में प्राचीन यज्ञ प्रणाली का सामाजिक महत्त्व अत्यधिक था। उनके अनुसार यज्ञमान से ही "जिजमानी व्यवस्था" विकसित हुई थी। पंचायत के लिये इसका बड़ा महत्त्व था। नाई, चमार, लुहार, कुम्हार, सुनार आदि का विशिष्ट कार्य था सभी का सामाजिक व्यवस्था में निश्चित स्थान था इन सब की जाति पंचायत होती थी।[04]

राज्य के नियंत्रणों ने पंचायतों को मुख्य रूप सें तीन भागों में बांट दिया जो निम्न हैं [05] :–

(1) जाति पंचायत :– जाति पंचायत जो साधारणतः जाति विशेष के सामाजिक नियमों, परम्पराओं, रीति–रिवाजों एवं मर्यादाओं को सुरक्षा प्रदान करने तथा जाति विशेष के विविध प्रकार के सामाजिक विवादों को निपटाने की दृष्टि से कार्यरत थी : एक ऐसी सामाजिक व न्यायिक संस्था बनी जो मुख्यतः सामाजिक विषयों जैसे–सगाई, विवाह, पुनर्विवाह, गोद, पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे, परित्यक्ता स्त्री के निर्वाह की व्यवस्था से लेकर अवैध रूप से बाह्य स्त्री को घर में डाल लेने, स्त्री के क्रय विक्रय सम्बन्धी विवाद, अन्य सामाजिक विवाद, आत्महत्या, व्याभिचार जैसे विविध विवादों का निपटारा करने का कार्य सम्पादित करती थी।

(2) ग्राम पंचायत :– ग्राम पंचायत कार्य क्षेत्र की दृष्टि से जाति पंचायत की तुलना में कही बडी स्वायत्तशासी प्रशासनिक–न्यायिक इकाई थी। जो ग्राम या ग्राम समूह विशेष के स्थानीय प्रशासन संचालन में सहयोग से लेकर स्थानीय समस्याओं के निराकरण, ग्राम स्तर के विविध विवादो के निपटारे, ग्राम की सार्वजनिक सम्पत्ति, भूमि, कुओं, गोचर भूमि की देखभाल व तद्विषयक विविध व्यवस्थाओं, स्थानीय मेलो, त्यौहारों व धार्मिक उत्सवों पर यथावश्यक व्यवस्था करने इत्यादि विविध ग्राम के सामुदायिक स्तर के कार्यों को निष्पादित किया करती थी।

(3) व्यावसायिक–पंचायतें :– व्यावसायिक आधार पर ही संगठित होती थी जो विविध व्यवसाय विशेष में कार्यरत व्यक्तियों के निहित व्यवसायिक हितो की सुरक्षा, व्यावसायिक समस्याओं का संयुक्त स्तर पर यथासंभव सर्वसम्मत तरीके से सर्वहितकारी समाधान करने का कार्य करती थी। इनके द्वारा विविध व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसायरत व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न विविध आर्थिक, व्यावसायिक विवादों का निपटारा भी किया जाता था जो सामान्यतः उत्पादन, विक्रय, वितरण, साझे, किराये, खातो की अनियमितता तथा हिसाब में गड़बड़ी आदि से सम्बन्ध रखते थे।

बी.बी. मिश्रा के अनुसार छठी शताब्दी से सन् 1027 ई. तक पश्चिम राजस्थान में प्रतिहार राजवंश का निरकुंश शासन था। फिर भी इस राजवंश के शासन में गाँव स्वायत्त इकाई के रूप में विद्यमान थे। ग्राम या गाँव प्रशासन की अन्तिम इकाई था। गाँवो की निश्चित सीमा हुआ करती थी। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामपति या ग्रामाग्रामिका कहलाता था। महत्तरा और महात्तमा सह अधिकारी थे। ग्राम परिषद् जो गाँव के बुजुर्गो द्वारा गठित की जाती थी, ग्राम प्रशासन में ग्रामपति को सहायता देती थी। ग्राम परिषद् गाँव के झगड़ो को निपटाती थी। ग्राम परिषद् की शक्तियां फौजदारी मामलों में सीमित थी लेकिन दीवानी मामलों में इनके अधिकार और शक्तियां असीमित थे। पश्चिमी राजस्थान के भीनमाल नामक एक गाँव में सन् 1266 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ हैं जिसमें पंचकुल (पंचायत) द्वारा दिए गये दान का उल्लेख हैं। इस पर लिखा हैं "हम दान कर रहे है। इसका लाभ उत्तराधिकारियों को मिलेगा।" इससे यह स्पष्ट होता हैं कि पंचायते उस समय एक निश्चित अवधि के लिये गठित की जाती थी।[06]

वृहत्कथाकोष से पता चलता है कि अनेक पंचकुल सीमा शुल्क भी वसूल करते थे। देलवाड़ा लेख व "कान्हडदेप्रबन्ध" से ज्ञात होता हैं कि पंचकुल आयात–निर्यात कर भी लगाते थे। कही–कही पंचकुल को 'महाजन' भी कहते हैं। महाजन संस्था एक विशेष स्थान के वयोवृद्व व्यक्तियों से निर्मित होती थी। नगरों एवं कस्बों में महाजन नामक संस्थाएं काफी प्रभावशाली ढंग से कार्य करती थी। जैन स्रोतो से ज्ञात होता है कि कस्बों में "संघ" नामक एक संस्था भी होती थी जिसके सदस्य वहां के वरिष्ठ नागरिक होते थे। संघ समितियों का कार्य अधिकतर धार्मिक क्षेत्र में ही रहता था। संघ जैसी ही एक अन्य संस्था "गोष्ठी" मिलती हैं जो मन्दिरों एवं धर्म स्थलों की व्यवस्था हेतु निर्मित थी।[07]

जेम्स टॉड द्वारा लिखी पुस्तकों से यह स्पष्ट होता हैं कि जिस समय अंग्रेजों ने राजपूताना राज्यों के प्रशासन के क्षेत्र में पर्दापण किया, तब यहाँ ग्राम पंचायतें मौजूद थी। अंग्रेजो ने पंचायतों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। धीरे–धीरे, दोषी को सजा देने की शक्ति जो परम्परागत रूप से पंचायतों में निहित थी अंग्रेजो द्वारा स्थापित न्यायालयों के हाथों में चली गई। इससे पंचायतों का अन्त होने लगा। जैम्स टॉड ने स्पष्ट लिखा हैं कि इस काल में पंचायतें थी, लेकिन इनके अवशेष मात्र ही रह गये थें। यह सही है कि पंचायतो को उनकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया था लेकिन उनका सामाजिक नियंत्रण अभी भी विद्यमान था। जाति पंचायतें बहुत समय बाद तक दोषी व्यक्ति को जाति से निष्कासित करके सजा दे सकती थी। लेकिन ऐसी पंचायतों की भूमिका सम्बन्धित जाति के समुदाय तक ही सीमित थी।[08]

राजपुताना राज्यों में पंचायतों के उत्थान के प्रयास किए गए। ये प्रयास स्वतंत्रता के बाद राज्य के एकीकरण तक जारी रहे। बीकानेर पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायतों के लिए वैधानिक व्यवस्था की। सन् 1928 में बीकानेर में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। 1936

तक पंचायतों की निरन्तर उन्नति हुई इन्हें प्रारम्भ में न्यायिक और साधारण प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी ताकि स्वायत्त स्थानीय सरकार की नींव पड़ सके, और ग्राम समुदाय को हर प्रकार से सेवा करने की शिक्षा प्राप्त हो। 1943 के पश्चात् पंचायत गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किये गए। पंचायतों की शक्तियों में वृद्वि की गई। पंचायतों को पहले से अधिक दीवानी व फौजदारी मामलों की शक्तियाँ दी गई। कर लगातार कोष में राशि एकत्र करने की शक्ति दी गई। पंचायतों ने नए–नए स्कूल खोले, सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध किया, पीने के पानी की व्यवस्था की, तालाबों का संधारण किया और वृक्ष लगवाये। कुछ आदर्श ग्रामों की स्थापना की गई। यह सब पूर्णकालिक सरकारी अधिकारियों की देख–रेख में किया गया।[09]

मेवाड़ में सन् 1940 में मेवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में प्रधान जातियों के लोगों द्वारा ही नामांकन भरने की व्यवस्था थी। इसमें प्रत्येक ग्राम के लिए अलग–अलग पंचायत का प्रावधान होने से पंचायतों की वित्तीय व प्रशासनिक क्षमता प्रभावित हुई। जेम्स टॉड के अनुसार मेवाड़ राज्य में पंचायत दीवानी झगड़ों का फैसला किया करती थी। मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखते समय टॉड ने बताया कि वह एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था के सम्पर्क में आया जो राज्य की ज्यादातर समस्याओं पर निर्णय देती थी। राजस्थान के सभी बड़े नगरों में निर्णायक समिति होती थी जिसके प्रतिनिधियों का चुनाव ग्रामों और नगरों के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। राज्य के बड़े ग्रामों में पंचायते "निर्णायक समिति" द्वारा बनाए नियमों के अनुसार कार्य करती थी। यहां तक कि पंचायतों के कार्मिकों के भी चयन का आधार निर्वाचन ही होता था। सामन्त या जागीरदारों के क्षेत्रों में राणा या उसके कार्मिको को दखल देने का अधिकार नहीं था। सांमत के क्षेत्रों में पंचायतें विद्यमान थी। टॉड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब वह मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहा था तब दो स्थानों पर ग्राम पंचायतों के सदस्य उससे मिलने आए थे।[10]

सन् 1943 में "संविधान संशोधन समिति" की सिफारिशों के आधार पर जयपुर में सन् 1944 में एक विस्तृत ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया।[11]

समय समय पर राजस्थान विभिन्न राज्यों में पंचायती राज अधिनियम निम्न प्रकार हैं :–

राज्य का नाम (लागू हुए जो)	पंचायती राज अधिनियम लागू होने का वर्ष
बीकानेर	1928
बासवाड़ा	1928
किशनगढ़	1938

करौली	1939
बूंदी	1939
प्रतापगढ	1939
शाहपुरा	1939
टोंक	1939
मेवाड़	1940
जयपुर	1944
भरतपुर	1944
मारवाड़	1945
सिरोही	1947

राजस्थान के ही अलवर, धौलपुर, डूगरपुर, जैसलमेर, कुशलगढ़, लावा ऐसे राज्य थे जहाँ पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित कानून का अभाव था। स्वतंत्रता के पश्चात् 1948 में राजस्थान के 15 राज्यों में पंचायती व्यवस्था अस्तित्व में थी। 1948 में ही राजस्थान की सरकार ने "राजस्थान पंचायत अध्यादेश" पारित किया।[12]

1948 में प्रथम बार राजस्थान के उदयपुर राज्य में निर्वाचित पंचायत की स्थापना का शुभारम्भ किया गया था। इन निर्वाचित पंचायतों की कार्य विधि सामान्यतया सभी राज्यों में तीन वर्ष ही थी। प्रायः सभी राज्यों में एक स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था थी। झालावाड़ राज्य अवश्य इसका अपवाद था, वहां पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था प्रारम्भ की गयी थी। त्रिस्तरीय संस्थाएं थी–देहाती, निजाम और राज पंचायत।[13]

राजस्थान में 1949 में "मुख्य पंचायत अधिकारी" के अधीन पंचायत विभाग की स्थापना की गई। फरवरी 1950 में राजस्थान सरकार ने अपने एक आदेश द्वारा पंचायत विभाग का सहकारी विभाग में सम्मेलन कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 'रजिस्ट्रार सहकारी समितियों' का नाम परिवर्तित कर रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ और ग्राम पंचायत रख दिया गया। 1953 तक राजस्थान के विभिन्न भागों में एक से अधिक पंचायत अधिनियम प्रवर्तित होने से अनेक प्रशासनिक कठिनाईयां विद्यमान थी। इन्हीं कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान कि विधानसभा ने राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 पारित किया जिसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात 1 जनवरी 1954 से राज्य में प्रभावी माना गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया।[14]

भारत के ग्रामीण विकास की दिशा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यक्रम की गति को तीव्र करने, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने तथा स्थानीय प्रशासन की महत्ता को उत्कृष्ट बनाये रखने के लिए जनवरी 1957 में बलवन्तराय मेहता समिति गठित की गई। इस समिति के सदस्यों एवं सचिव ने ग्रामीण जनता से रू–ब–रू होकर, अपनी रिपोर्ट 24 नवम्बर 1957 को केन्द्र सरकार को पेश की। प्रान्त के नीचे स्तर पर अधिकारों एवं दायित्वों के विकेन्द्रीकरण होने की अत्यन्त आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि प्रान्त से निचले स्तर की सत्ता ऐसी संस्था को सौंपी जाए जो अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विकास कार्यो के लिए उत्तरदायी हो और सरकार का कार्य मात्र उसका मार्गदर्शन, उच्चस्तर की योजना बनाना एवं आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराना हो। भारत सरकार द्वारा समिति की उक्त सिफारिशों को स्वीकार किया गया और इन संस्थाओं का नामकरण पंचायती राज किया गया।[15]

2 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधानमण्डल ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इनके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की।[16] पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्र सरकार ने संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, जी.वी.के. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति आदि का गठन का किया था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी पंचायती राज संस्थाओं में सुधार हेतु निम्न समितियों का गठन तथा सम्मेलन भी आयोजित किये गये थे, जो निम्न हैं :–

सादिक अली समिति :– राजस्थान सरकार द्वारा श्री सादिक अली की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का निर्माण नवम्बर 1962 में कर दिया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को 1964 में प्रस्तुत किया।[17]

दल के अनुसार "पंचायती राज ने निश्चित रूप से एक अंश तक सफलता प्राप्त की हैं और लोगों की आशाओं को पूरा किया हैं।" दल ने पंचायती राज में निम्न प्रवृतियां पाई हैं जो निम्न हैं–[18]

(1) पंचायती राज के बाद जो नई चेतना आई है, उससे विभिन्न क्षेत्रों में दलबन्दी पैदा हो गई हैं।

(2) कर्तव्य और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिकार एवं शक्तियों पर जोर देने की प्रवृति अधिक हैं।

(3) कुछ मामलों में सरकारी और गैर सरकारी लोगों में समुचित ताल–मेल स्थापित नहीं हुआ है। सरकारी व गैर सरकारी लोगों के सम्बन्धों में सुधार करने के लिए निरन्तर शिक्षा देने की आवश्यकता हैं।

(4) पंचायती राज संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं में उचित सम्बन्ध अभी विकसित होना हैं।

(5) कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब हुआ है और उनकी नियुक्ति और पदोन्नति में भी कठिनाई अनुभव की गई हैं।

(6) विभिन्न स्तर पर सेवाओं के अनुशासनिक नियंत्रण के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है वह ठीक साबित नहीं हुई हैं।

(7) संस्थाओं के नियंत्रण और देख–रेख की वर्तमान प्रणाली ने भी ठीक से कार्य नहीं किया हैं। यह अपर्याप्त, सुदूर व अव्यवस्थित हैं। त्रुटि होने वाले मामलों में तत्काल कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाती है।

(8) वित्तीय व्यवस्था तथा बजट और हिसाब किताब रखने की पद्वतियों तथा ऑडिट करने तथा एक स्टेन्डर्ड स्वरूप देने की दृष्टि से सुधार की गुंजाइश हैं।

(9) पंचायती राज संस्थाओं को अपने कर्तव्य का निर्वाह वांछित सीमा तक ऊपर से मार्ग दर्शन एवं सहायता नहीं मिली हैं।

(10) स्थान्तरित योजनाओं की क्रियान्विती तत्परता से नहीं हुई हैं।

(11) जन सहयोग के स्वरूप में सुधार की आवश्यकता हैं।

हाँ सफलता नहीं मिली वहां समिति ने उपाय सुझाएं है कुछ सुझाव निम्न हैं [19] :–

(1) पंचायत स्तर पर सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष को ग्राम पंचायत का सह सदस्य बनाने की सिफारिश की।

(2) 5000 से 10,000 की आबादी वाले कस्बों/गाँवों में नगर पंचायतों के गठन का सुझाव दिया।

(3) दल ने यह सुझाव दिया कि पंचायत समिति और जिला परिषद् में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य भी होने चाहिए। प्रधान और प्रमुख का निर्वाचन मण्डल सीमित होने से यह पाया गया कि निर्वाचन के दौरान भ्रष्ट तरीके अपनाये जाते है। इसे दूर करने के लिए इनके निर्वाचन मण्डल को विस्तृत करने का सुझाव दिया।

(4) पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य स्तर पर उनके सामान्य हितो के मामलों में मार्गदर्शन देने और परामर्श देने के लिए "पंचायती राज सलाहकार परिषद्" के नाम से एक संघीय संस्था गठित करने की वकालत की।

(5) पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ा कर 5 वर्ष किया जाये।

(6) दल का यह मानना था कि इन संस्थाओ को सक्रीय दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। यदि गाँव की एकता व सभी व्यक्तियों द्वारा किसी एक उम्मीदवार के स्वीकार्य होने पर सर्वसम्मति से चुनाव होते हैं तो स्वागत योग्य है किन्तु ऐसे चुनावों के लिये किसी प्रकार का वित्तीय प्रोत्साहन आवश्यक नहीं हैं।

(7) समिति का यह मानना था कि जिला परिषदो को जिला स्तर पर अत्यधिक शक्ति सम्पन्न संस्था का रूप देना अभीष्ट नहीं हैं क्योंकि इससे नीचे के स्तर पर संस्थाओं के विकास के आगे चल कर बाधा पड़ेगी। जिला परिषदों को कुछ मूल कार्यकारी दायित्व ही सौंपे जाने चाहिये। इन्हें जो कार्य सौंपे जाये वे राज्य क्षेत्र में से उन्हें दिये जाने चाहिए। कार्यकुशलता की दृष्टि से जिला परिषदों को कुछ ऐसे कार्य भी सौंपे जा सकते है कि वे वर्तमान में पंचायत समितियों के पास हैं।

(8) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वर्ग का एक अधिकारी जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये।

(9) पंचायती राज के तीनों ही स्तर की संस्थाओं द्वारा कर लगाने का सुझाव दिया गया। साथ ही दल ने यह उपयुक्त माना कि कुछ करो को आवश्यक प्रकृति का बना देने से इन संस्थाओं द्वारा कर लगाने के प्रति झिझक की समस्या हल हो सकेगी।

(10) दल के कुछ सुझाव कार्मिक, प्रशासन, समन्वय, वित्त प्रशासन आदि से सम्बन्धित थे।

इस समिति की सिफारिशों को मानते हुए राज्य सरकार ने अधिनियमों में आवश्यक संशोधन किये जैसे ग्राम पंचायतों में सेवा सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों को सहसदस्यता प्रदान की और प्रधान व प्रमुख के निर्वाचन मण्डल को विस्तृत बनाया गया। 1971 में राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया।

गिरधारी लाल व्यास समिति :– 8 नवम्बर 1971 को राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित करके गिरधारी लाल व्यास की अध्यक्षता में पंचायती राज पर एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की। जून 1973 में गिरधारी लाल व्यास समिति की मुख्य रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा कि पंचायती व्यवस्था को सीमित मात्रा में सफलता मिली हैं और समय पर चुनाव नहीं होने के कारण पंचायती राज व्यवस्था विफल होती नजर आ रही हैं। पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना चाहिये। पंचायती संस्थाओं के सभी स्तरो पर अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाये तथा इन्हे दिलाने हेतु एक न्यायिक समिति स्थापित की जाये। किन्तु इन सिफारिशों के अनुकूल पंचायती राज व्यवस्था में सुधार नहीं किये जा सके थे। सरकार की पंचायतों के प्रति उदासीनता बनी रही।[20]

बीकानेर पंचायती राज सम्मेलन :– पंचायती राज के इतिहास में बीकानेर में आयोजित 30 जनवरी 1982 का पंचायती राज सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना हैं। सम्मेलन के दौरान प्रधानों का भत्ता बढ़ाकर 400 रू. तथा प्रमुख का 600 रू. मासिक कर दिया। इस सम्मेलन में यह भी घोषणा की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाने वाले वे समस्त कल्याण एवं विस्तार कार्यक्रम जिनकी प्रभावी देख–रेख उन तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जा सकती है जो पंचायत समिति स्तर पर उपलब्ध है या उपलब्ध कराये जा सकते हैं, पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जाय।[21]

जयपुर पंचायती राज सम्मेलन 1984 :– पंचायत व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री माथुर ने पंचायतीराज के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अक्टूबर 1984 में जयपुर सम्मेलन बुलाकर पंचायतीराज की जयंती मनाई गयी। इसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को बुलाया गया था। सम्मेलन की निम्न घोषणाएँ थी[22] :–

(1) उच्च प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद् को हस्तान्तरित कर दी जाये। (2) प्रौढ़ शिक्षा पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दी जाये। (3) पंचायत समितियो को उनके कर्मचारियो के लिए चिकित्सा व्यय हेतु 1 करोड़ राशि स्वीकृत की जाये। (4) पंचायत समिति एवं जिला परिषदो के भवन पूर्ण कराये जाये। (5) विकास कार्य के लिए पंचायतो द्वारा चुंगीकर या अन्य कर लगाये जाये एवं उनको 50 प्रतिशत अनुदान राज्य द्वारा भी दिया जाये। (6) ग्रामीण रोजगार के लिए 25 हजार तक की लागत के कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार जिला परिषद् को दिए जायें। जिला परिषद् द्वारा ही कुशल तकनीकी नियंत्रण के लिये आवश्यक तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जाये।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 :– भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बनाया गया हैं।

यह अधिनियम सरकार द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 1994 से पूरे राज्य में लागू किया गया है इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना संख्या प. 2(2) विधि/2/94 दिनांक 23 अप्रैल 1994 को जारी की गई। इस अधिनियम में कुल 124 धाराएँ हैं तथा 3 अनुसूचियां हैं।

पंचायत की स्थापना :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम धारा 9 के अनुसार [23] :–

(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या छावनी बोर्ड में सम्मिलित नहीं किये गये किसी गाँव या गाँवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाले किसी भी स्थानीय क्षेत्र को पंचायत सर्किल घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी।

(2) प्रत्येक पंचायत, राजपत्र में अधिसूचित नाम से, एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उसे क्रम, दान द्वारा या अन्यथा, स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अंतरित करने तथा कोई भी संविधा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत के या पंचायत सर्किल के निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात् किसी भी पंचायत का नाम परिवर्तित कर सकेगी।

पंचायत समिति की स्थापना :– इसकी स्थापना के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख हैं[24] :–

(1) राज्य सरकार राजपत्र (धारा 10) में अधिसूचना द्वारा, एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खण्ड के रूप में घोषित कर सकेगी और इस रूप में घोषित प्रत्येक खण्ड के लिए पंचायत समिति होगी जो, इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, खण्ड के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी।

परन्तु कोई पंचायत समिति पंचायत समिति के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ट किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति राजपत्र में अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उसे क्रम, दान द्वारा या अन्यथा, स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित, प्रशासित और अंतरित करने तथा कोई भी संविधा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

(3) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत समिति के या पंचायत समिति खण्ड के भीतर के किसी भी क्षेत्र के निवासियों के निवेदन पर विहित रीति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात किसी भी समय, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी ऐसी पंचायत समिति का नाम या कार्यालय का स्थान परिवर्तित कर सकेगी।

जिला परिषद् की स्थापना (धारा 11) इसकी स्थपना के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख हैं[25]:–

(1) प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद् होगी जो इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, जिले के ऐसे प्रभागों को अपवर्जित करते हुए, जो तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड में सम्मिलित किये गये हैं, सम्पूर्ण जिले पर अधिकारिता रखेगी।

परन्तु कोई जिला परिषद् जिले के अपवर्जित प्रभाग के भीतर समाविष्ठ किसी भी क्षेत्र में अपना कार्यालय रख सकेगी।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् उस जिले के नाम से होगी। जिसके लिए वह गठित की गई हैं और एक निगमित निकाय होगी जिसका उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन अधिरोपित किन्हीं भी निर्बन्धनों और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उसे क्रम, दान या अन्यथा, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारित और प्रशासित और अन्तरित करने और कोई भी संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चलायेगी और उस पर वाद चलाया जायेगा।

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 :– इसका प्रसार किसी नगरपालिका द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा–निर्दिष्ट राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में होगा। यह 26 जून 1999 की और से प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

इस अधिनियम के कुछ प्रावधान निम्न हैं [26] :–

(1) प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतो और विवाद सुलझाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिरक्षित रखने में सक्षम होगी।

(2) प्रत्येक पंचायती राज संस्था के अनुसूचित क्षेत्रो में स्थानों का आरक्षण उस पंचायती राज संस्था में ऐसे समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 15 और 16 के अधीन आरक्षण दिया जाना अपेक्षित हैं।

(3) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का नाम निर्देशन कर सकेगी जिनका किसी पंचायत समिति में या किसी जिला परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो।

(4) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजो के लिए किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ग्राम सभा या पंचायती राज संस्था की ऐसे स्तर पर और ऐसी रीति से विहित की जाये, पूर्ण सिफारिश प्राप्त किए बिना, कोई पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा मंजूर नहीं किया जायेगा।

(5) गौण वन उपज का नियंत्रण और प्रबंध करने के लिए ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, गौण वन उपज का स्वामित्व होगा।

(6) स्थानीय योजना और स्रोतो या जनजाति उप–योजना को सम्मिलित करते हुए ऐसी योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक और रीति से नियंत्रण रखने की शक्ति होगी।

राजस्थान पंचायती राज नियम 2000 :– राजस्थान पंचायती राज नियम 2000 के अन्तर्गत स्थायी समितियों का गठन किया गया। प्रत्येक स्थायी समिति में पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला

परिषद् जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों में से 5 निर्वाचन सदस्य होगें। प्रशासन एवं स्थापना समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।[27]

पंचायतीराज संस्थाओं का सशक्तीकरण :– 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में 2 अक्टूबर 2010 को आम जनता से जुड़े 5 विभागों क्रमशः प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कृषि विभाग की जिला स्तर तक की निधियाँ, गतिविधियाँ एवं स्टाफ पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए हैं, साथ ही हस्तान्तरित स्टाफ पर प्रभावी पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। हस्तान्तरित गतिविधियों एवं स्टाफ आदि के क्रियान्वयन के सुचारू रूप से सम्पादित करने व हस्तान्तरण को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया हैं। इसी क्रम में जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया हैं। हस्तान्तरित 5 विभागों के बजट के कार्यकलापों एवं अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए सम्बन्धित विभागीय लेखा शीर्षो के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के लिए निर्धारित लघु शीर्ष 196,197 एवं 198 के अधीन कर 1 अप्रैल 2011 से प्रावधान कर दिया गया हैं।[28]

पंचायती राज संस्थाओं का पुर्नगठन :– राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 4 मार्च 2014 के निर्णय अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन का कार्य नवम्बर 2014 को पूर्ण किया गया था। इसके पश्चात् राज्य में 47 पंचायत समितियाँ नवसृजित, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित किए जाने की अधिसूचना दिनांक 05–11–14 को जारी कर दी गई। इस प्रकार अब राज्य में 9891 ग्राम पंचायते 295 पंचायत समितियां एवं 33 जिला परिषदे अस्तित्व में हैं।[29]

वर्तमान में राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं की स्थिति निम्न प्रकार हैं [30] :–

क्र.सं.	जिला परिषद् का नाम	पंचायत समितियों की कुल संख्या	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1	अजमेर	09	282
2	अलवर	14	512
3	बांसवाड़ा	11	346
4	बांरा	07	221
5	बाड़मेर	17	489
6	भरतपुर	10	374

7	भीलवाड़ा	12	384
8	बीकानेर	07	290
9	बूंदी	05	183
10	चित्तौड़गढ़	11	290
11	चुरू	07	254
12	दौसा	06	231
13	धौलपुर	05	171
14	डूंगरपुर	10	291
15	हनुमानगढ़	07	251
16	जयपुर	15	532
17	जैसलमेर	03	140
18	जालोर	08	274
19	झालावाड़	08	252
20	झुंझुनू	08	301
21	जोधपुर	16	466
22	करौली	06	227
23	कोटा	05	155
24	नागौर	14	467
25	पाली	10	321
26	प्रतापगढ	05	165
27	राजसमंद	07	207
28	सवाईमाधोपुर	06	200
29	सीकर	09	343
30	सिरोही	05	162
31	श्रीगंगानगर	09	336
32	टोंक	06	230
33	उदयपुर	17	544
कुल	33	295	9891

राजस्थान में पंचायतराज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की संख्या निम्न प्रकार हैं [31] :—

कुल जिला परिषद् – 33

कुल पंचायत समितियां – 295

कुल ग्राम पंचायत –9891

औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति –34

औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद् –08

कुल प्रशिक्षण केन्द्र –05

प्रशिक्षण क्षमता –250

जिला प्रमुख –33

प्रधान –295

जिला परिषद् सदस्य – 1014

पंचायत समिति सदस्य –6236

सरपंच –9891

वार्ड पंच – 107707

राजस्थान पंचायती राज विभाग :– 73 वें संविधान संशोधन की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत राजस्थान पंचायती राजनियम 1996, 30 दिसम्बर 1996 से लागू किए गए तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु न्यायिक, वित्तीय और प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया गया हैं। इस क्रम में विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का नाम अब ग्रामीण विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का नाम "पंचायती राज विभाग" कर दिया गया हैं।[32]

पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक संगठन

↓

मंत्री/राज्यमंत्री

↓

अतिरिक्त मुख्य सचिव व विकास आयुक्त

↓

प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग

↓

शासन सचिव एवं आयुक्त (निदेशालय)

↓

- उपशासन सचिव एवं पदेन उपविकास आयुक्त(3) → उपविकास आयुक्त(2) → उपविधि परामर्शी(1)
- उपशासन सचिव आयोजना(1) → उपनिदेशक जिला आयोजना(1) → सांख्यिकी अधिकारी जिला जिला आयोजना(1) → सहायक लेखाधिकारी जिला आयोजना(1)
- मुख्य लेखाधिकारी → लेखाधिकारी(1) → सहायक लेखाधिकारी(6) → लेखाकार(2)
- अधिशासी अभियन्ता(2) → पर्यवेक्षण अधिकारी(1) → कनिष्ट अभियन्ता(1)
- सांख्यिकी अधिकारी → प्रोग्रामर
- संपादक → सहायक सम्पादक (राजस्थान विकास)

राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया।

(1) गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत (2) खण्ड स्तर पर पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर जिला परिषद।

इन संस्थाओं की संरचना निम्न प्रकार हैं [33] :–

(1) पंचायत की संरचना :– (धारा 12) किसी पंचायत में

(क) एक सरपंच और

(ख) इतने वार्डों में प्रत्यक्षतः निर्वाचित पंच, जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जाये होंगे।

राज्य सरकार ऐसे नियमों के जो इस निमित विचरित किये जाये, अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए पाँच से अन्यून वार्डों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या जहाँ तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत सर्किल में समान हो।

राज्य सरकार द्वारा धारा 12 के अन्तर्गत पंचायतो की संरचना के लिए प्रत्येक पंचायत सर्किल को एकल सदस्य वार्डो में विभाजित करने के लिए निम्न प्रावधान किया जाता हैं –

3000 तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में कम से कम 9 वार्ड होगे और किसी ऐसे पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी जनसंख्या 3000 से अधिक हैं, 3000 से अधिक प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए 9 की उक्त संख्या में 2 की बढोतरी कर दी जायेगी।

ग्राम पंचायत की संगठनात्मक संरचना

↓

सरपंच (अध्यक्ष) | सचिव (निर्वाचित) (प्रशासनिक कार्यकारी)

↓

उपसरपंच

↓

वार्ड पंच

(निर्वाचित सदस्य)

पंचायत समिति की संरचना :— (धारा 13) (1) किसी पंचायत समिति में निम्नलिखित होगे। (क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जाये।

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधान सभा के सभी सदस्य, जिनमें पंचायत समिति क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं।

(ग) पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायतों के अध्यक्ष —

परन्तु खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को प्रधान या उपप्रधान के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय, पंचायत समिति की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के जो इस निमित विरचित किये जाये, अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के लिए पन्द्रह से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में समान हो।

परन्तु एक लाख से अनधिक की संख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में पन्द्रह निर्वाचन क्षेत्र और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हैं, एक लाख से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जायेगी।[34]

पंचायत समिति की संगठनात्मक संरचना

- पंचायत समिति
  - प्रधान
  - उपप्रधान
  - सदस्य – निर्वाचित
    - सामान्य वर्ग से
    - अनुसूचित जातिवर्ग से
    - अनुसूचित जनजाति वर्ग से
    - पिछड़ा वर्ग से
    - समस्त वर्ग का 50 प्रतिशत महिलाओं से
  - पंचायत समिति क्षेत्र के विधायक
- स्थायी समितियाँ
  - –प्रशासन एवं स्थापन समिति
  - –वित्त एवं कराधान समिति
  - –विकास और उत्पादन
  - –कार्यक्रम समिति
  - –शिक्षा समिति
  - –समाजसेवा एवं सामाजिक न्याय समिति
  - –विशेषतः गठित सर्तकता समिति
- प्रशासन तंत्र
  - खण्ड विकास अधिकारी (B.D.O.)
  - प्रसार अधिकारी
    - सहकारिता
    - शिक्षा
    - प्रगति
    - कृषि
    - पशुपालन
    - उद्योग
  - कनिष्ठ अभियन्ता
  - कनिष्ठ लेखाकार
  - वरिष्ठ लिपिक
  - कनिष्ठ लिपिक
  - ग्राम सेवक
  - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

जिला परिषद् की संरचना :– (धारा 14) (1) किसी जिला परिषद् में निम्नलिखित होगें[35]:–

(क) इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षः निर्वाचित सदस्य जो उपधारा (2) के अधीन अवधारित किये जाये।

(ख) ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें जिला परिषद् क्षेत्र सम्पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं।

(ग) जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्य सभा के सभी सदस्य।

(घ) जिला परिषद् क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायत समिति के अध्यक्ष।

परन्तु खण्ड (ख) (ग) और (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों को प्रमुख या उप–प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने के सिवाय जिला परिषद् की सभी बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे नियमों के जो इस निमित विरचित किये जाये, अनुसार प्रत्येक जिला परिषद् के लिए सत्रह से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या अवधारित करेगी और ऐसा होने पर ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित करेगी कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में समान हो।

परन्तु 4 लाख तक की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद् क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होगें और ऐसे जिला परिषद् क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या चार लाख से अधिक हैं चार लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए, सत्रह की उक्त संख्या में दो की बढ़ोतरी कर दी जाएगी।

जिला परिषद् की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैं [36] :–

जिला परिषद् की संगठनात्मक संरचना

- परिषद्
  - जिला प्रमुख
  - उपजिला प्रमुख
  - सदस्य
    - निर्वाचित
      - सामान्य वर्ग
      - अनुसूचित जाति वर्ग
      - अनुसूचित जनजाति वर्ग
      - अन्य पिछड़ा वर्ग
      - समस्त वर्ग की 50% महिलाएं
    - (1) जिला परिषद् क्षेत्रों के सांसद
    - (2) जिला परिषद् क्षेत्रों के विधायक
    - (3) जिला परिषद् क्षेत्र की पंचायत
    - समितियों के प्रधान
- समितियाँ
  - प्रशासन एवं स्थापन समिति
  - वित्त एवं कराधान समिति
  - उत्पादन कार्यक्रम समिति
  - शिक्षा समिति
  - समाज सेवा समिति
- प्रशासन तंत्र
  - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  - जिला शिक्षा अधिकारी
  - प्रारम्भिक शिक्षा
  - मुख्य लेखा अधिकारी
  - सहायक अभियन्ता
  - लेखा अधिकारी
  - लेखाकार
  - कनिष्ठ लेखाकार
  - कार्यालय सहायक

वार्ड सभा :– राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 द्वारा सभा का प्रावधान किया गया। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा के गठन का उपबंध किया गया हैं। इसमें सम्बन्धित वार्ड के सभी व्यस्क व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। एक साल में वार्ड सभा की कम से कम दो बैठके आयोजित किया जाना आवश्यक हैं। ऐसी बैठकें वित्तीय वर्ष के प्रत्येक 6 माह में होना अपेक्षित हैं। लेकिन किसी वार्ड सभा के कुल सदस्यों का दशांश यदि

चाहे तो कभी भी वार्ड सभा की बैठक बुलाई जा सकती हैं। पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर ऐसी अपेक्षा के पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी बैठक आमन्त्रित की जा सकती हैं। [37]

ग्राम सभा :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय दो "क" में "ग्राम–सभा" शीर्ष से उसकी संकल्पना और व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण दिया गया हैं। अधिनियम में कहा गया हैं कि प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँवो के समूह से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होगे। [38]

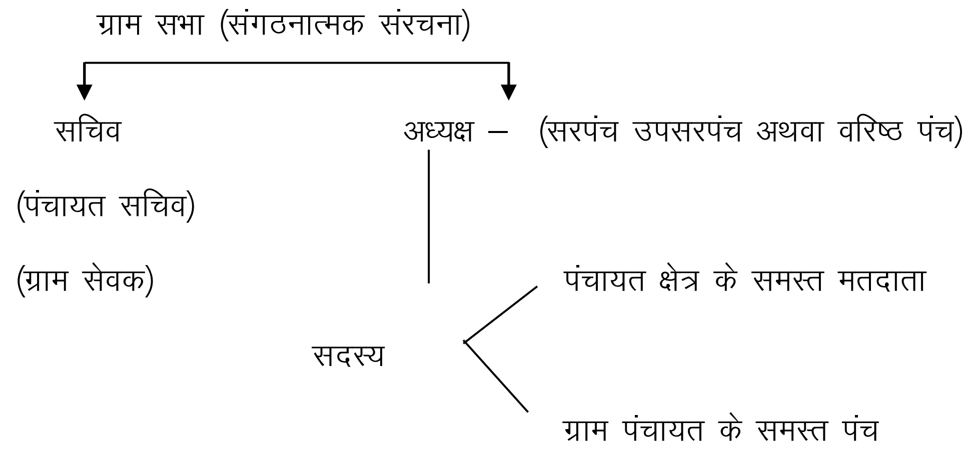

स्थानों का आरक्षण :– धारा 15 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार हैं [39] :–

(1) किसी पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान –

(क) अनुसूचित जातियों (ख) अनुसूचित जनजातियों

(ग) पिछड़े वर्गों

तथा महिलाओं के लिए उत्तरवर्ती उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेगें।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का किसी पंचायत राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथा शक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो उस पंचायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियो या, यथास्थिति जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ हैं।

(3) प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्था में स्थानों का (इक्कीस) से अनधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा जितना संबंधित जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या के

पचास प्रतिशत से कम पड़ता हैं। परन्तु जहाँ सम्बन्धित जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित ग्रामीण जनसंख्या उस जिले की कुल, ग्रामीण जनसंख्या के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं हैं वहाँ प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(4) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आरक्षित स्थान सम्बन्धित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डो या यथास्थिति, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किये जा सकेंगे।

(5) उपधारा, (2) और (3) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के आधे से अन्यून स्थान अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों या यथास्थिति पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेगें।

(6) प्रत्येक पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के आधे से अन्यून स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेगे और ऐसे स्थान सम्बन्धित पंचायती राज संस्था में विभिन्न वार्डों या यथाशक्ति, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवंटित किये जायेंगे, जो विहित किये जाये।

माननीय उच्च न्यायालय का आदेश :– डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15303/2009 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–12–2009 "In any case horizontal reservation should not exceed to more than 50% की पालना में महिलाओं के आरक्षण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे।[40] :–

(1) महिलाओं का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में जहाँ, संगणित स्थानों (वार्डो) या संगणित पदो की संख्या का भागरूप यदि कोई भिन्न (फ्रेक्शन) हो तो उसे छोड़ दिया जावें, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इस प्रकार प्रणना में प्राप्त आरक्षित वार्डों/पदों की संख्या तथा कुल पदो की उस संख्या जिसमें से महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना हैं के 1/2 भाग की संख्या इन दोनों संख्याओं में अन्तर इस गणना के लिए छोड़े गये फ्रेक्शन से अधिक का नहीं हो। अर्थात वार्डो/पदो की कुल संख्या 5 होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डो/पदो की संख्या 2 से कम, 7 होने पर 3 से कम, 9 होने पर 4 से कम, 11 होने पर 5 से कम नहीं होगी।

(2) कतिपय स्थानों पर युवाओं के लिए विशेष योग्यता सम्बन्धी धारा 19 क के प्रावधानों को फिलहाल स्थगित रखा जावे।

अध्यक्षों के पदों का आरक्षण :– धारा 16 के अन्तर्गत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण हेतु निम्न प्रावधान हैं। [41] :– (1) सरपंचो, प्रधानों और प्रमुखों के पद –

(क) अनुसूचित जातियों (ख) अनुसूचित जनजातियों (ग) पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए उत्तरवर्ती उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार आरक्षित किये जायेगे।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार आरक्षित ऐसे पदों में से प्रत्येक की संख्या का राज्य में ऐसे पदों में से प्रत्येक की कुल संख्या के साथ यथा शक्य निकटतम वही अनुपात होगा जो राज्य में की ऐसी जातियों या यथास्थिति, जन जातियो की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ हैं।

(3) किसी पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् में सरपंच या प्रधान के पदों का (इक्कीस) से अनधिक इतना प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा जितना उस पंचायत समिति या जिला परिषद् क्षेत्र मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सम्मिलित जनसंख्या का प्रतिशत ऐसी पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद् क्षेत्र की कुल जनसंख्या के पचास प्रतिशत से कम पड़ता है।

(4) राज्य में प्रमुख के पदों की कुल संख्या का (इक्कीस) प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जायेगा।

(5) राज्य में सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पदों की कुल संख्या का आधे से अन्यून महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(6) इस धारा के अधीन आरक्षित पद राज्य में विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चक्रानुक्रम द्वारा ऐसी रीति से आवंटित किये जायेगे जो विहित की जाये।

पंचायती राज्य संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन :– अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किये गये हैं [42] :–

(1) प्रत्येक पंचायती राज संस्था यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नही कर दी जाये, तो सम्बन्धित संस्था की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी का और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(3) किसी पंचायती राज संस्था का गठन करने के लिए निर्वाचन –

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व

(ख) विघटन की स्थिति में उसके विघटन की तारीख से 6 माह की कालावधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जायेगा।

(4) ऐसी कोई पंचायती राज संस्था जो उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन के फलस्वरूप गठित की गयी हो, कालावधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन वह तब तक बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की गयी होती।

किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएँ :– किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति [43] :–

(1) राजस्थान राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं हैं।
परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हैं तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का हैं।

(2) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया हैं और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया हैं।

(3) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता हैं।

(4) कुष्ठी नहीं हैं या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं हैं।

(5) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्व दोष नहीं ठहराया गया हैं और 6 माह या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया हैं

(6) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं हैं।

(7) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं हैं

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (ठ) में यह प्रावधान किया हुआ हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जिनके कि दिनांक 27–11–95 से पूर्व दो या उससे अधिक बच्चे थे, के यदि उक्त तिथि के पश्चात् एक ओर सन्तान हो जाती है तो वे पंचायती राज संस्था के पद एवं सदस्यता से अयोग्य घोषित किये जा सकते हैं। उक्त प्रावधान की क्रियान्विति को सुव्यवस्थित किये जाने हेतु राज्य सरकार यह निर्देश देती हैं कि इस प्रकार की घटना की जानकारी मिलते ही सम्बन्धित ग्राम सेवक का जिनके क्षेत्राधिकार में पंचायती राज संस्था का निर्वाचित पदाधिकारी/सदस्य रहता हैं, यह दायित्व होगा कि इस घटना की

जानकारी घटना के अधिकतम 7 दिवस की अवधि में सम्बन्धित विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् को देंवे।

(8) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो।[44]

(9) जिला परिषद् तथा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा सरपंच पद के निर्वाचन के लिए 8 वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र के मामलों में 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।[45]

सरपंच और उसका निर्वाचन :– अधिनियम की धारा 26 के उल्लेख हैं कि (1) प्रत्येक पंचायत में एक सरपंच होगा जो पंच के रूप में निर्धारित होने के लिए अर्हित व्यक्ति होना चाहिए और वह सम्पूर्ण पंचायत सर्किल के निर्वाचकों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा। (2) यदि किसी पंचायत सर्किल के निर्वाचक इस धारा के अनुसार सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं या यदि पंच उप–सरपंच का निर्वाचन करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार रिक्ति पर ऐसी रिक्ति के 6 मास की कालावधि के भीतर–भीतर निर्वाचक द्वारा भरे जाने तक किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्यक रूप से निर्वाचित सरपंच या यथास्थिति उप–सरपंच समझा जाएगा।[46]

उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया :– धारा 27 में निम्न प्रावधान किये हैं (1) प्रत्येक पंचायत में एक उप सरपंच होगा। (2) इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी पंचायत की स्थापना पर, या तत्पश्चात् उसके पुनर्गठन या स्थापना पर पंचायत की एक बैठक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरन्त बुलायी–जायेगी जो स्वयं बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा और ऐसी बैठक में उप–सरपंच निर्वाचित किया जायेगा।[47]

प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन :– अधिनियम 1994 की धारा 28 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं[48] :–

(1) पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य यथाशक्य शीघ्र, अपने में से दो सदस्यों का चुनाव क्रमशः उसका प्रधान और उपप्रधान होने के लिए करेगे और जब–जब प्रधान या उपप्रधान के पद की कोई आकस्मिक रिक्ति हो तब–तब वे अपने में से किसी दूसरे सदस्य का चुनाव प्रधान या यथास्थिति उपप्रधान होने के लिये करेगे।

(2) प्रधान और उपप्रधान का निर्वाचन और उक्त पदो में की रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो बनाये जायें।

प्रमुख और उपप्रमुख का निर्वाचन :– अधिनियम 1994 की धारा 29 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किये गये हैं[49] :–

(1) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यथाशक्य शीघ्र अपने में से दो सदस्यों को क्रमशः प्रमुख और उपप्रमुख चुनेगें ओर जब–जब प्रमुख या उपप्रमुख के पद में आकस्मिक रिक्ति हो तब–तब अपने में से किसी अन्य सदस्य को प्रमुख या यथास्थिति उपप्रमुख चुनेगें। परन्तु यदि रिक्ति एक मास से कम की कालावधि के लिए है तो कोई निर्वाचन नहीं किया जायेगा।

(2) किसी जिला परिषद् के प्रमुख उप–प्रमुख का निर्वाचन और उक्त पदो में की रिक्तियों का भरा जाना ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो बनाये जायें।

प्रतिनिधियों के त्याग पत्र से सम्बन्धित प्रावधान :– अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं[50] :–

1. पंच, सरपंच या उपसरपंच द्वारा – विकास अधिकारी
2. प्रधान द्वारा – प्रमुख को
3. पंचायत समिति के किसी सदस्य या उपप्रधान द्वारा – प्रधान को
4. प्रमुख द्वारा – संभागीय आयुक्त को
5. उपप्रमुख द्वारा – प्रमुख को

त्याग पत्र पूर्वोक्त प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की समाप्ति पर यदि वह उक्त अवधि के भीतर वापस नहीं ले लिया जावे, प्रभावी हो जायेगा।

अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास का प्रस्ताव :– अधिनियम 1994 की धारा 37 के अन्तर्गत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख निम्न प्रकार है[51]:–

(1) किसी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाला कोई प्रस्ताव अगली उप–धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस जो सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाये, प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी एक के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का व्यक्तिशः परिदत्त किया जायेगा।

(3) प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के कार्यालय पर उसके द्वारा नियत तारीख को जो उस तारीख से तीस दिन के पश्चात की नहीं होगी जिसको उप–धारा (1) के अधीन उसे नोटिस परिदत्त किया गया था, बैठक बुलायेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) यदि प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को सम्बन्धित पंचायती राज संस्था के कार्यालय के सूचना–पट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके

और उसे राज पत्र में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित करायेगा और सम्बन्धित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को और उससे, जिसको उक्त नोटिस पूर्वाक्त कार्यालय के सूचना–पट्ट पर चिपकाया जाता हैं, इस रूप में पद धारण करना बंद कर देगा और पद रिक्त कर देगा।

(6) यदि प्रस्ताव पूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या यदि गण–पूर्ति के अभाव के कारण बैठक नहीं की जा सकी हो तो, उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में विश्वास का अभाव अभिव्यक्त करने वाली किसी पश्चावर्ती प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति तक नहीं दिया जायेगा।

(7) इस धारा के अधीन प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा।

हटाया जाना और निलम्बन :– अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है[52]:–

(1) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा और सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझी जाये, किसी भी पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए किसी भी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी जो–

(क) कार्य करने से इंकार करता हैं या इस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हैं।

(ख) कर्तव्यों के निर्वहन में अवसर या किसी भी अपकीर्ति कर आचरण का दोषी हैं।

सदस्यता की समाप्ति :– अधिनियम की धारा 39 के अनुसार [53] :–

(1) किसी पंचायती राज संस्था का कोई सदस्य, ऐसा सदस्य बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि वह –

(क) धारा 19 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन हैं या हो जाता है।

(ख) सम्बन्धित पंचायती राज संस्था की तीन क्रमवर्ती बैठको से ऐसी पंचायती राज संस्था को लिखित में सूचना दिये बिना अनुपस्थित रहा है।

(ग) सदस्यता से हटा दिया गया हैं।

(घ) सदस्यता से त्याग पत्र दे देता हैं।

(ड) मर जाता हैं।

(ध) निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर सदस्यता के पद की विहित शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने में विफल रहता हैं।

(2) जब कभी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत कराया जायें कि कोई सदस्य, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों से सदस्य बने रहने के लिए अपात्र हो गया हैं तो सक्षम प्राधिकारी, उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे इस प्रकार अपात्र हो गया घोषित कर सकेगा और तत्पश्चात् वह ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद रिक्त कर देगा।

पंचायत की बैठके :– (धारा 45) कोई पंचायत अपने कार्यो के संव्यवहार के लिए उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, और 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के कार्यालय पर ऐसे समय बैठक करेगी जिसे सरपंच अवधारित करे। सरपंच द्वारा ऐसी सामान्य बैठक बुलाई जा सकेगी और पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई द्वारा बैठक बुलाई जाने का लिखित आवेदन किए जाने पर भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती हैं। साधारण बैठकों के लिए 7 दिन का नोटिस और विशेष बैठक के पूर्व 3 दिन का नोटिस ऐसी बैठक के लिए स्थान, तारीख और समय तथा उसमें विचार किये जाने वाले मुद्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए सभी सदस्यों/सम्बद्व अधिकारियों को दिया जाएगा और पंचायत के सूचना पट्ट पर भी चिपकाया जाएगा। पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच और उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच करेगा।[54]

पंचायत समिति की बैठके :– धारा 46 में निम्न प्रावधान हैं [55] :–

(1) पंचायत समिति कारबार का संव्यवहार करने के लिए एक मास में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।

(2) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक सामान्यतः पंचयात समिति के मुख्यालय पर आयोजित की जायेगी।

(3) प्रथम बैठक की तारीख प्रधान और उप–प्रधान के निर्वाचन के पश्चात् प्रधान द्वारा नियत की जायेगी और पश्चात् वर्ती सामान्य बैठक की तारीख पूर्व की बैठक के नियत की जायेगी। प्रधान जब कभी वह उचित समझे, विशेष बैठक बुला सकेगा और सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून लिखित निवेदन पर और ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर की किसी तारीख को बुलायेगा। यदि प्रधान कोई विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो उप–प्रधान या सक्षम प्राधिकारी उसके पश्चात् के पन्द्रह दिन से अनधिक के किसी दिन को विशेष बैठक बुला सकेगा और विकास अधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने और ऐसी कारवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा जो बैठक बुलाने के लिए आवश्यक हो।

(4) किसी सामान्य बैठक के लिये पूर्व दस दिन का नोटिस और किसी विशेष बैठक के लिए पूर्व सात दिन का नोटिस ऐसी बैठक आयोजित किये जाने का समय और स्थान तथा उसमें किया जाने वाला कारबार विनिर्दिष्ट करते हुए, सदस्यों को भेजा जायेगा और पंचायत समिति के सूचना–पट्ट पर चिपकाया जायेगा।

जिला परिषद् की बैठके :– (धारा 47) प्रत्येक जिला परिषद् सम्बन्धित जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर जो जिला परिषद् ठीक पूर्ववर्ती बैठक में नियत करे, प्रत्येक त्रिमास में कम से कम एक बार बैठके आयोजित करेगी। परन्तु प्रमुख और उप–प्रमुख के

निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक जिला परिषद् मुख्यालय पर ऐसी तारीख को और समय पर की जायेगी। जो प्रमुख द्वारा नियत किया जाये। [56]

गणपूर्ति और प्रक्रिया :– अधिनियम 1994 की धारा 48 के अन्तर्गत गणपूर्ति और प्रक्रिया से सम्बन्धित निम्न प्रावधान हैं [57] :–

(1) किसी पंचायती राज संस्था की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी। इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्यथा यथा–उपबन्धित के सिवाय किसी पंचायती राज संस्था की प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित संस्था का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसी संस्था का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए चुनेगें परन्तु सदस्य हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिये।

(2) सभी प्रश्न, जब तक कि विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जोयेगें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जब तक की वह मतदान से विरत नहीं रहता है, किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में मतो की संख्या की घोषणा करने के पूर्व अपना मत देगा और मतो के बराबर होने की दशा में वह अपना निर्णायक मत दे सकेगा।

(3) किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। यदि वह ऐसा प्रश्न है जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(4) यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का यह विश्वास हो कि चर्चा के अधीन के किसी भी मामले में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित हैं और यदि उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता हैं तो वह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा। सम्बन्धित पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य ऐसी चर्चा के चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुना जा सकेगा।

(5) किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी संकल्प उसके पारित किये जाने के पश्चात 6 माह के भीतर–भीतर किसी सामान्य या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून द्वारा पारित किसी संकल्प के सिवाय, उपान्तरित या रद्व नहीं किया जायेगा।

(6) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ कार्यवृत पुस्तक में बैठक के विचार–विमर्श के ठीक पश्चात अभिलिखित की जायेगी और बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा पढ़कर सुना दिये जाने

के पश्चात् उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। बैठक के विनिश्चयों पर की गई कारवाई की रिपोर्ट पंचायती राज संस्था की अगली बैठक में की जायेगी। कार्यवृत पुस्तक सदैव पंचायती राज संस्था के कार्यालय में रखी जायेगी। कार्यवृत पुस्तक किन्हीं भी परिस्थितियों में कार्यालय के बाहर नहीं ले जायी जायेगी। किसी पंचायत के मामले में सरपंच, किसी पंचायत समिति के मामले में विकास अधिकारी और किसी जिला परिषद् के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्रमशः कार्यवृत पुस्तक के अभिरक्षक होगे।

किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की सरकार की शक्ति :– (धारा 94) यदि किसी समय सरकार का यह समाधान हो जाये कि कोई पंचायती राज संस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या अन्यथा विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में सक्षम नहीं हैं या उनके पालन में बार–बार व्यतिक्रम करती हैं या अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गयी हैं या उसने उनका दुरूपयोग किया हैं तो सरकार राजपत्र के कारणों सहित प्रकाशित आदेश द्वारा, पंचायती राज संस्था को अक्षम या व्यतिक्रमी या ऐसी जो अपनी शक्तियों से आगे बढ़ गयी हैं या यथास्थिति जिनमें उनका दुरूपयोग किया हैं, घोषित कर सकेगी और ऐसी पंचायती राज संस्था का विघटन, विघटन के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से कर सकेगी।[58]

कतिपय विषयों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन :– (धारा 117) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित, निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डो के परीसीमन से या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रो अथवा वार्डो को स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित किसी भी विधि की विधि मान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा और किसी भी पंचायती राज संस्था के किसी भी निर्वाचन को ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई किसी ऐसी निर्वाचन अर्जी के सिवाय जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित हैं प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।[59]

वित्त आयोग :– (धारा 118) (1) वित्त आयोगों में जिसे इस धारा में आगे "आयोग" कहा गया है ऐसी रीति से चयनित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे जो विहित किए जाए।[60] :–

(क) ऐसे व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष जिन्हें लोक मामलों का अनुभव रहा हैं।

(ख) चार से अनधिक इतने अन्य सदस्य जितने राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करें। जो ऐसे व्यक्ति हो जो –

(1) सरकार के वित्त और लेखों का विशेष ज्ञान रखते हो या

(2) वित्तीय विषयों में और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हो या

(3) पंचायती राज संस्थाओं और कब्जेदार नगरपालिकाओं निकायों के कृत्यकरण का विशेष ज्ञान रखते हो या

(4) ग्रामीण और नगरीय विकास कार्यक्रमों की तैयारी और/या क्रियान्वयन से निकट से सहबद्ध रहे हो।

राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी और कर्मचारी वृन्द (धारा 119) :– इसमें निम्न प्रावधान हैं।[61]

(1) एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा जो राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग, सरकार के परामर्श से इस निमित पदामिहित या नाम निर्दिष्ट करें।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी –

(क) इस अधिनियम के अधीन की राज्य में की समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्वि का पर्यवेक्षण करेगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) राज्य में प्रत्येक जिले के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के परामर्श से सरकार के किसी अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदामिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा।

(4) सरकार जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा निवेदन किया जाये तो राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसा कर्मचारी वृन्द उपलब्ध करायेगी। जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि के द्वारा या अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया हैं इसमें निम्न होगें :–

राज्य निर्वाचन आयुक्त

↓

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

↓

जिला निर्वाचन अधिकारी

↓

अन्य आयोग अधिकारी व कर्मचारी

↓

आयोग की अध्यपेक्षा पर स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी।

राजस्थान में पंचायतीराज व्यवस्था का कार्यकरण :– 73वें संविधान संशोधन ने ग्यारहवी अनुसूची बनाकर 29 विषय निर्धारित किये जो स्थानीय शासन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को देने उचित समझे। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई कि ऐसे कार्य पंचायतों के सुपर्द हो ताकि पंचायत आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजना तैयार कर सके और केन्द्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जन–सहभागिता के आधार पर करवा सके। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधान सभा ने नये पंचायती राज अधिनियम को दिनांक 09–04–94 को पारित किया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात 23–04–94 से सम्पूर्ण राज्य में लागू हो गया। अधिनियम की तीन अनुसूचियों में पंचायत राज संस्थाओं के कृत्य व शक्तियों का उल्लेख किया गया हैं। जो निम्न प्रकार हैं।

ग्राम पंचायत :– अधिनियम 1994 की धारा 50 के अनुसार पंचायत ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, पंचायत प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी। पंचायतों के कृत्य और शक्तियाँ प्रथम अनुसूची में निम्न प्रकार उल्लेखित की गई हैं[62]:–

(1) साधारण कृत्य :–

(i) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना;

(ii) वार्षिक बजट तैयार करना;

(iii) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना;

(iv) लोक सम्पत्तियों पर के अतिक्रमण हटाना;

(v) सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदाय का संगठन;

(vi) गाँव (गाँवों) की आवश्यक सांख्यिकी रखना।

(2) प्रशासन के क्षेत्र में :–

(i) परिसरों का संख्यांकन;

(ii) जनगणना करना;

(iii) पंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाना;

(iv) ग्रामीण विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदायों और वित्त की अपेक्षा दर्शित करने वाला विवरण तैयार करना;

(v) ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करना जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पंचायत सर्किल में पहुंचे;

(vi) सर्वेक्षण करना;

(vii) पशु स्टैण्डों खलिहानों चरागाहों और सामुदायिक भूमियों पर नियंत्रण;

(viii) ऐसे मेलों, तीर्थयात्राओं और उत्सवों की जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार या किसी पंचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता हैं, स्थापना, रख–रखाव और विनियमन;

(ix) बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना;

(x) ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, जो पंचायत द्वारा दूर नहीं की जा सकती हो

(xi) पंचायत अभिलेखो की तैयारी, संधारण और अनुरक्षण करना;

(xii) जन्मों, मृत्युओं और विवाहों का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकथित किया जाये;

(xiii) पंचायत सर्किल के भीतर के गाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

(3) कृषि विस्तार सहित कृषि :–

(i) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास;

(ii) बंजर भूमियों का विकास;

(iii) चरागाहों का विकास और रख–रखाव और उसके अप्राकृतिक अन्य संक्रमण और उपयोग को रोकना।

(4) पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन :–

(i) पशुओं, कुक्कुटों और अन्य पशुधन की नस्ल का विकास;

(ii) डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति;

(iii) चरागाह विकास।

(5) मत्स्य पालन :– गाँव (गाँवों) में मत्स्य पालन का विकास।

(6) सामाजिक और फार्म वानिकी, लघु वनउपज, ईधन और चारा :–

(i) गाँव और जिला सड़कों के पार्श्वो पर और उसके नियंत्रण पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण;

(ii) ईधन रोपण और चारा विकास;

(iii) फार्म वानिकी की प्रोन्नति;

(iv) सामाजिक वानिकी और कृषिक पौधशालाओं का विकास।

(7) लघु सिंचाई :– 50 एकड़ तक सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण और रख–रखाव।

(8) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :–

(i) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के फायदे के लिए चेतना शिविरों सेमीनारों और प्रक्षिशण कार्यक्रमों कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन।

(9) ग्रामीण आवासन :–

(i) अपनी अधिकारिता के भीतर मुक्त आवास स्थलों का आवंटन;

(ii) आवासों, स्थलों और अन्य प्राइवेट तथा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख रखना।

(10) पेयजल :–

(i) पेयजल कुओं, जलाशयों और तालाबों का सनिर्माण, मरम्मत और रख–रखाव;

(ii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण ;

(iii) हैण्ड पम्पों का रख–रखाव और पम्प और जलाशय स्कीमें।

(11) सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन :–

(i) ग्राम सड़कों, नालियों और पुलियाओं का संनिमार्ण और रख–रखाव;

(ii) अपने नियंत्रण के अधीन के या सरकार या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे अन्तरित भवनों का रख–रखाव;

(iii) नावों, नौघाटो और जल मार्गो का रख–रखाव।

(12) ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें लोक मार्गो और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था करना और उसका रख–रखाव सम्मिलित हैं।

(13) गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत :–

(i) गैर–परम्परागत ऊर्जा स्कीमों की प्रोन्नति और रख–रखाव;

(ii) सामुदायिक और गैर–परम्परागत ऊर्जा युक्तियों का जिसमें गोबर गैस संयत्र सम्मिलित हैं, रख–रखाव;

(iii) विकसित चुल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार।

(14) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :–

(i) अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक आस्तियाँ आदि के लिए सृजन के लिए गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी जन चेतना को और उसमें भागीदारी को प्रोन्नत करना;

(ii) ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारीयों का चयन;

(iii) पूर्वोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुवीक्षण में भाग लेना।

(15) शिक्षा (प्राथमिक) :–

(i) समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोन्नत करना और ग्राम शिक्षा समितियों में भाग लेना;

(ii) प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में लड़को का और विशेष रूप से लड़कियों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(16) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :—

(i) प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्नत करना और उसका अनुवीक्षण।

(17) पुस्तकालय :—

(i) ग्राम पुस्तकालय और वाचनालय।

(18) सांस्कृतिक क्रियाकलाप :—

(i) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियान्वयन को प्रोन्नत करना।

(19) बाजार और मेले :— मेलो (पशु मेलो सहित) और उत्सवों का विनियमन।

(20) ग्रामीण स्वच्छता :—

(i) सामान्य स्वच्छता रखना;

(ii) लोक सड़को, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों की सफाई;

(iii) श्मशान और कब्रिस्तान भूमियों का रख—रखाव और विनियमन;

(iv) ग्रामीण शौचालयों, सुविधा पार्को और स्नान स्थलों और सोकपिटों इत्यादि का सन्निर्माण और रख—रखाव;

(v) अदावाकृत शवों और जीव—जन्तु शवों का निपटरा;

(vi) धोने और स्नान के घाटों का प्रबन्ध और नियंत्रण।

(21) लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :—

(i) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(ii) महामारी की रोक और उपचार के उपाय;

(iii) मांस, मछली और अन्य विनश्वर खाद्य पदार्थो के विक्रय का विनियमन;

(iv) मानव और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना;

(iv) खाने और मनोरंजन के स्थापनों का अनुज्ञापन;

(vi) आवारा कुत्तों का नाशन;

(vii) खालों और चमडों के संस्करण, चर्मशोधन और रंगाई का विनियमन;

(viii) आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का विनियमन।

(22) महिला और बाल विकास :–

(i) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना;

(ii) विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना;

(iii) आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण।

(23) विकलांगों और मंदबुद्धि बालको के कल्याण सहित समाज कल्याण :–

(i) विकलांगों और मंदबुद्धि बालकों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वन में भाग लेना।

(ii) वृद्व और विधवा पेंशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना।

(24) कमजोर वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण :–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ें वर्गो और अन्य कमजोर वर्गो के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना;

(ii) कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

(25) लोक वितरण व्यवस्था :–

(i) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्नत करना;

(ii) लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षण।

(26) सामुदायिक आस्तियों का रख–रखाव :–

(i) सामुदायिक आस्तियों का रख–रखाव;

(ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख–रखाव।

(27) धर्मशालाओं और ऐसी ही संस्थाओं का सन्निर्माण और रख–रखाव।

(28) पशु शेडों, पोखरों और गाडी स्टेण्डों का सन्निर्माण और रख–रखाव।

(29) वूचडखानों का सन्निर्माण और रख–रखाव।

(30) लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रख–रखाव।

(31) लोक स्थानों में खाद के गड्ढों का विनियमन।

(32) शराब की दुकानों का विनियमन।

(33) पंचायतों की सामान्य शक्तियाँ :– इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

(34) काँजी हाऊस :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत 1996 में विनिर्दिष्ट नियमों में काँजी हाऊस के सन्दर्भ में प्रावधान किए गए है। इनमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत के स्तर पर पृथक से काँजी हाऊस कीपर या तो पृथक से नियुक्त किया जा सकेगा या उन कर्तव्यों के निर्वाह के लिए खुली नीलामी के माध्यम से किसी ठेकेदार को अधिकृत किया जा सकेगा। ऐसा व्यक्ति या ठेकेदार पंचायत क्षेत्र के किसी भी कृषक की भूमि या फसलें या उपज को नुकसान पहुँचाने वाले किसी पशु को काँजी हाऊस में बंद कर सकेगा तथा इस सन्दर्भ में निर्मित नियमों के अधीन उस पशु के मालिक से आवश्यक रशीद देते हुए जुर्माना इत्यादि वसूल कर सकेगा। [63]

पंचायत समिति के कृत्य और शक्तियाँ :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 51 में उल्लेख हैं कि ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए जो सरकार द्वारा समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, पंचायत समिति द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राज्य की पंचायत समितियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कृत्यों और शक्तियों का जो विवरण दिया गया हैं वह इस प्रकार हैं।[64]

(1) साधारण कृत्य :– (i) अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिषद् द्वारा समनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाएँ तैयार करना और उन्हें जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए विहित समय के भीतर जिला परिषद् को प्रस्तुत करना;

(ii) पंचायत समिति क्षेत्र की सभी पंचायतो की वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना और जिला परिषद् को समेकित योजना प्रस्तुत करना;

(iii) पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना;

(iv) ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें;

(v) प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना।

(2) कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि :–

(i) कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना;

(ii) बागवानी पौध शालाओं का रख–रखाव;

(iii) रजिस्ट्रीकृत बीज उगाने वालों को बीजो के वितरण में सहायता करना;

(iv) खादों और उर्वरको को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना;

(v) खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करना;

(vi) पौध संरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना;

(vii) सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को प्रोन्नत करना;

(viii) कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना;

(ix) कृषको का प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया–कलाप।

(3) भूमि सुधार और मृदा संरक्षण :– सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद् की सहायता करना।

(4) लघु सिंचाई, जल–प्रबन्ध और जल–विभाजक विकास :–

(i) लघु सिंचाई कार्यो, एनिकटों, लिफ्ट सिंचाई, सिंचाई कुओं, बंधो, कच्चे बंधो का निर्माण और रख–रखाव;

(ii) सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यो का कार्यान्वयन।

(5) गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम :– गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों और स्कीमों, विशेषतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरू विकास कार्यक्रम सूखा समाव्य क्षेत्र विकास, परावर्ति क्षेत्र विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम स्कीमों आदि का आयोजन और कार्यान्वयन।

(6) पशुपालन, डेयरी और कुक्कट पालन :–

(i) पशु चिकित्सा और पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण और रख–रखाव;

(ii) पशु कुक्कट और अन्य पशुधन की नस्ल का सुधार करना;

(iii) डेयरी उद्योग, कुक्कट पालन और सुअर पालन की प्रोन्नति;

(iv) महामारी और सांसर्गिक बीमारियों की रोकथाम;

(v) समुन्नत चारे और दाने का स्थापन पुनः स्थापन।

(7) मत्स्य पालन :– मत्स्य पालन विकास को प्रोन्नत करना।

(8) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग :–

(i) ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना;

(ii) सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन;

(iii) मास्टर शिल्पी से और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण;

(iv) बठी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना।

(9) ग्रामीण आवासन :– आवासन स्कीमों का कार्यान्वयन और आवास उधार किस्तों की वसूली।

(10) पेयजल :–

(i) हैण्ड पम्पों और पंचायतो की पम्प और जलाशय स्कीमों को मोनीटर करना उनकी मरम्मत और रख–रखाव;

(ii) ग्रामीण जल प्रदाय स्कीमों का रख–रखाव;

(iii) जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण;

(iv) ग्रामीण स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वयन।

(11) सामाजिक और फार्म वानिकी ईधन और चारा :–

(i) अपने नियंत्रण के अधीन की सड़कों के पार्श्वो और अन्य लोक भूमियों पर विशेषतः चरागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण;

(ii) ईधन रोपण और चारा विकास;

(iii) फार्म वानिकी की प्रोन्नति;

(iv) बंजर भूमि विकास।

(12) सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन :–

(i) ऐसी लोक सड़को, नालियो, पुलियाओ और अन्य संचार साधनों का जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रण के अधीन रख–रखाव;

(ii) पंचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख–रखाव;

(iii) नावों, नौघाटों और जलमार्गो का रख–रखाव।

(13) गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत :– गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों, विशेषतः सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोन्नति और रख–रखाव।

(17) प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा :–

(i) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषतः बालिका शिक्षा का संचालन;

(ii) प्राथमिक विद्यालय भवन और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रख–रखाव;

(iii) युवा क्लबों और महिला मण्डलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति;

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य–पुस्तकों, छात्रवृतियों, पौशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण।

(15) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा :– ग्रामीण शिल्पी और व्यवसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति।

(16) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :–

(i) सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केन्द्रों और पुस्तकालयों की स्थापना;

(ii) प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन।

(17) सांस्कृतिक क्रियाकलाप :– सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति।

(18) बाजार और मेले :– पशु मेलों सहित मेलो और उत्सवों का विनियमन।

(19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :–

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(ii) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मोनीटर करना;

(iii) मेलों और उत्सवों पर स्वास्थ्य और स्वच्छता;

(iv) औषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, हौम्योपैथिक) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों आदि का निरीक्षण और नियंत्रण।

(20) महिला और बाल विकास :–

(i) महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन;

(ii) एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(iii) महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना;

(iv) आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उपापन तथा विपणन में सहायता करना।

(21) विकलांगो और मंदबुद्धि वालों के कल्याण सहित समाज कल्याण :–

(i) विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और निराश्रितों के कल्याण सहित समाज कल्याण कार्यक्रम;

(ii) वृद्ध और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन मंजूर करना।

(22) कमजोर वर्गों और विशष्टतः अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ें वर्गों का कल्याण :–

(i) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ें वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति;

(ii) ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा करना।

(23) सामुदायिक आस्तियों का रख–रखाव :–

(i) अपने में निहित या सरकार द्वारा या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख–रखाव;

(ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रख–रखाव।

(24) सांख्यिकी :– ऐसी सांख्यिकी का संग्रहण और संकलन जो पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पायी जाये।

(25) आपात सहायता :– अग्नि, बाढ़, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले में।

(26) सहकारिता :– सहकारी गतिविधियों को सहकारी सोसाइटियों की स्थापना और सुदृढीकरण में सहायता करके प्रोन्नत करना।

(27) पुस्तकालय :– पुस्तकालयों की प्रोन्नति।

(28) पंचायतों का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पंचायत योजनाओं के निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन।

(29) प्रकीर्ण :–

(i) अल्प बचतों और बीमा के माध्यम से मितव्ययिता को प्रोत्साहित करना;

(ii) पशु बीमा सहित दुर्घटना अग्नि, मृत्यु आदि के मामलों में सामाजिक बीमा दावें तैयार करने और उनके संदाय में सहायता करना।

(30) पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ :– इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किए गए कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों का प्रयोग करना।

जिला परिषद् के कृत्य एवं शक्तियाँ :– राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 52 में जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियों के सम्बन्ध मे उल्लेख हैं कि ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, जिला परिषद् तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

जिला परिषद् के कृत्य और शक्तियों का उल्लेख तृतीय अनुसूची में निम्न प्रकार है [65] :–

(1) साधारण कृत्य :– जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और ऐसी योजनाओं का अगली मदो में प्रमाणित विषयों सहित विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(2) कृषि :–

(i) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के और समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायों को प्रोन्नत करना;

(ii) कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का संचालन करना;

(iii) कृषकों का प्रशिक्षण;

(iv) भूमि सुधार और भूमि संरक्षण।

(3) लघु सिंचाई, भू–जल स्रोत और जल–विभाजक विकास :–

(i) "ग" और "घ" वर्ग के 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई संकर्मो और लिफ्ट सिंचाई संकर्मो का सन्निर्माण, नवीकरण और रख–रखाव;

(ii) जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अधीन जल के समय पर और साम्यापूर्ण वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबन्ध करना;

(iii) भू–जल स्रोतों का विकास;

(iv) सामुदायिक पम्प सैट लगाना;

(v) जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

(4) बागवानी :–

(i) ग्रामीण पार्क और उद्यान;

(ii) फलों ओर सब्जियों की खेती।

(5) सांख्यिकी :–

(i) पंचायत समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सांख्यिकीय और अन्य सूचना का प्रकाशन;

(ii) पंचायत समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित आंकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग;

(iii) पंचायत समितियों और जिला परिषद् को सौंपी गयी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सावधिक पर्यवेक्षण और मूल्याकंन।

(6) ग्रामीण विद्युतीकरण :–

(i) ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्विकता को मोनीटर करना;

(ii) कनेक्शन, विशेषरूप से नियुक्त कनेक्शन कुटीर ज्योति और अन्य कनेक्शन।

(7) मृदा संरक्षण :–

(i) मृदा संरक्षण कार्य;

(ii) मृदा विकास कार्य।

(8) सामाजिक वानिकी :–

(i) सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को प्रोन्नत करना;

(ii) बंजर भूमि का विकास;

(iii) वृक्षारोपण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषि पौध शालाओं को प्रोत्साहन;

(iv) वन भूमियों को छोड़कर, वृक्षो का रोपण और रख–रखाव;

(v) राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर सड़क के किनारे–किनारे वृक्षारोपण।

(9) पशुपालन और डेयरी :–

(i) जिला और रैफरल अस्पतालों को छोड़कर पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रख–रखाव;

(ii) चारा विकास कार्यक्रम;

(iii) डेयरी उद्योग, कुक्कट पालन और सुअर पालन को प्रोन्नत करना;

(iv) महामारी और सांसर्गिक रोगों की रोकथाम।

(10) मत्स्य पालन :–

(i) मत्स्य पालक विकास एजेंसी के समस्त कार्यक्रम;

(ii) प्राइवेट और सामुदायिक जलाशयों में मत्स्य संवर्धन का विकास;

(iii) पारम्परिक मत्स्यालन में सहायता करना;

(iv) मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना;

(v) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण स्कीमें।

(11) घरेलु और कुटीर उद्योग :–

(i) परिक्षेत्र में पारस्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास करना;

(ii) कच्चे माल की आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय पर उसका प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके;

(iii) परिवर्तनशील उपभोक्ता मांग के अनुसार डिजाइन और उत्पादन;

(iv) कारीगरो और शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(v) उप–मद (iv) के अधीन के कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना;

(vi) खादी, हाथकर्घा, हस्तकला और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना।

(12) ग्रामीण सड़के और भवन :–

(i) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख–रखाव;

(ii) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएँ;

(iii) जिला परिषद् के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख–रखाव;

(iv) बाजार, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क सड़कों और आन्तरिक क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की पहचान;

(v) नयी सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अभ्यर्पण करना;

(13) स्वास्थ्य और स्वास्थिकी :–

(i) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, उप केन्द्रों की स्थापना और रख–रखाव;

(ii) आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, युनानी रख–रखाव;

(iii) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन;

(iv) स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप;

(v) परिवार कल्याण कार्यक्रम;

(vi) पंचायत समितियों और पंचायतों की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना;

(vii) पर्यावरण प्रदूषण के विरूद्ध उपाय।

(14) ग्रामीण आवासन :–

(i) बेघर परिवारों की पहचान;

(ii) जिले में आवास–निर्माण का क्रियान्वयन;

(iii) कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

(15) शिक्षा :–

(i) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख–रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोन्नत करना;

(ii) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना;

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य;

(iv) शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

(16) समाज कल्याण और कमजोर वर्गो का कल्याण :–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृतियाँ, वृतिकाए, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तकें और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार;

(ii) निरक्षरता उन्मुलन और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल–बाडियों, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना;

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कल्याण केन्द्रों और शिल्प केन्द्रों का संचालन;

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवाना;

(v) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गो की सहकारी समितियों का गठन करना;

(vi) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

(17) गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम :– गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

(18) समाज सुधार क्रियाकलाप :–

(i) महिला, संगठन और कल्याण;

(ii) बाल संगठन और कल्याण;

(iii) स्थानीय आवारागर्दी की निवारण;

(iv) विधवा, वृद्व और शारीरिक रूप से निःशक्त निराश्रितों के लिए पेंशनों की और बेरोजगारों और अन्तरजातीय विवाह के युगलों, जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए मतों की मंजूरी और विवरण को मोनीटर करना;

(v) अग्नि नियंत्रण;

(vi) अन्धविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरूद्व अभियान;

(vii) सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना;

(viii) आर्थिक अपराधों, जैसे तस्करी, कर–वंचन, खाद्य अपमिश्रण के विरूद्व सतर्कता;

(ix) भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गयी भूमि का विकास करने में सहायता;

(x) जनजातियों द्वारा अन्य संक्रमित भूमियों का पुनर्ग्रहण;

(xi) बन्धुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास;

(xii) सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों का आयोजन करना;

(xiii) खेल–कूद और खेलो को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण;

(xiv) पारम्परिक उत्सवों को नया रूप देना और उन्हें समाज प्रिय बनाना;

(xv) निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययिता और बचत की आदतों की प्रोन्नति करना :–

(क) बचत की आदतों की प्रोन्नति,

(ख) अल्प बचत अभियान,

(ग) कूट साहूकारी प्रथाओं और ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के विरूद्व लड़ाई।

(19) जिला परिषदों की साधरण शक्तियाँ :– इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन

विनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों का और विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियो का प्रयोग करना :–

(i) लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन की किसी संस्था का प्रबंध और रख–रखाव;

(ii) ग्रामीण हाटों और बाजारों का अर्जन और रख–रखाव;

(iii) पंचायत समितियों या पंचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्यों का समन्वय करना;

(iv) कष्ट निवारण के उपायों को अंगीकार करना;

(v) जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना;

(vi) जिले में पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूर करना;

(vii) एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी स्कीम को हाथ में लेना और निष्पादित करना;

(viii) जिले में पंचो, सरपंचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, सेमीनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना;

(ix) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना;

(x) किन्हीं विकास स्कीमों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में परस्पर तय पायी जाये, संयुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना।

पंचायतीराज संस्थाओं के पर्यावरण से जुड़े विषय :– भारतीय संविधान के 73 वे संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया अपितु उन्हें अनेक अधिकार भी दिए गए। संविधान की 11 वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 विषय दिये गये हैं उनमें निम्नलिखित विषयों का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से हैं जो निम्न हैं :–

(1) कृषि जिसमें कृषि प्रसार भी सम्मिलित हैं।

(2) भूमि अभिवृद्धि, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, भूमि चकबन्दी तथा भूमि संरक्षण।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन तथा जल विभाजक विकास (वाटर शैड प्रबन्धन)

(4) पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन आदि।

(5) मत्स्य पालन।

(6) सामाजिक वानिकी एवं प्रक्षेत्रवानिकी।

(7) पेयजल।

(8) ईंधन तथा चारा।

(9) गरीबी कम करने के कार्यक्रम।

(10) स्वास्थ्य एवं सफाई।

(11) परिवार कल्याण।

(12) सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण।

निष्कर्ष :– राजस्थान की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता से पुरानी बतलाई जाती हैं। राजस्थान में कालीबंगा, आहड़, बागोर आदि सभ्यताएं विकसित हुई हैं। राजस्थान से प्राप्त लेखो से यह ज्ञात होता हैं कि यहां पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी होने से ग्रामीण जनता में राजनैतिक चेतना, जागृति एवं सहभागिता का सूत्रपात हुआ हैं। सदियों से शोषित दलित वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सत्ता में भागीदारी व नेतृत्व बढ़ने से उनमें नवीन शक्ति, सामर्थ्य व चेतना का संचार हुआ हैं। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण समाज की रीढ़ हैं। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

≈≈≈≈

सन्दर्भ सूची

1. पनगडिया, बी.एल. : राजस्थान का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, संस्करण 1996, पृष्ठ 01
2. भल्ला, एल.आर. : सामयिक राजस्थान, राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति, कुलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर, संस्करण 2006, पृष्ठ 67
3. शर्मा, रविन्द्र : ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स जयपुर, संस्करण 1985, पृष्ठ 1, 2
4. शर्मा, रविन्द्र : वही, पृष्ठ 02
5. भनोत, शिव कुमार : राजस्थान में पंचायत व्यवस्था, "यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्रा. लि.", जयपुर, संस्करण 2000–2002, पृष्ठ 10,11
6. शर्मा, रविन्द्र : वही, पृष्ठ 3,4
7. भनोत, शिव कुमार : वही, पृष्ठ 50,51
8. शर्मा, रविन्द्र : वही, पृष्ठ 05
9. वही, पृष्ठ 05,06
10. वही, पृष्ठ 06
11. वही, पृष्ठ 07
12. श्रीवास्तव, अरूण : भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस. पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण 1994, पृष्ठ 24
13. उपरोक्त पृष्ठ 24
14. शर्मा, अशोक : भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, संस्करण 2016, पृष्ठ 358
15. शर्मा, के.के. : भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, संस्करण 2012, पृष्ठ 07
16. उपरोक्त पृष्ठ 07
17. शर्मा, रविन्द्र : वही, पृष्ठ 224
18. वही, पृष्ठ 225
19. वही, पृष्ठ 226
20. परमार, आशा : दलित महिलाओं का सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, राजस्थान विश्व विद्यालय को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 2012, पृष्ठ 98
21. शर्मा, रविन्द्र : वही, पृष्ठ 87
22. परमार, आशा : वही, पृष्ठ 100
23. चतुर्वेदी, नरेन्द्र : पंच सरपंच निर्देशिका, आनन्द प्रकाशन, कोटा, संस्करण 1998, पृष्ठ 02

24. गहलोत, सुखवीर सिंह : राजस्थान पंचायतीराज कानून, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, संस्करण, 2012, पृष्ठ 17,18
25. उपरोक्त पृष्ठ 18
26. उपरोक्त पृष्ठ 247,248
27. उपरोक्त पृष्ठ 305
28. जायसवाल, नीरज, जायसवाल अरविन्द : राजस्थान सरकार के फ्लेगशिपक कार्यक्रम, आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स जयपुर, संस्करण 2013, पृष्ठ 62
29. Rajpanchayat.rajasthan.gov.in राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रतिवेदन वर्ष 2017–18, पृष्ठ 142
30. Panchayat Raj. Rajasthan.gov.in Rajasthan panchayat Directory.
31. Rajpanchayat.rajasthan.gov.in राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
32. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 36
33. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 18,19
34. शर्मा अशोक : वही, पृष्ठ 130
35. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 20
36. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 158
37. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 12
38. शर्मा अशोक : वही, पृष्ठ 177
39. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 21
40. वही, पृष्ठ 23
41. www.Rajpanchayat.rajasthan.gov.in राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, पृष्ठ 10
42. उपरोक्त पृष्ठ 11
43. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 31,32
44. पंचायती संस्थाओं के चुनाव मार्गदर्शिका राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर 2015, पृष्ठ 85
45. राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पत्र क्रमांक एफ/7(1) पंचा./रा.नि.आ. /14–15/99 दि. 02–01–2015 पृष्ठ 1–3
46. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 55
47. वही, पृष्ठ 56

48. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वही, पृष्ठ 20
49. वही, पृष्ठ 21
50. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 69
51. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम वही, पृष्ठ 25
52. वही, पृष्ठ 27
53. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 75
54. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 119
55. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 81
56. वही, पृष्ठ 83
57. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वही, पृष्ठ 30,31
58. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 175
59. वही, पृष्ठ 217
60. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, वही, पृष्ठ 58
61. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 222
62. वही, पृष्ठ 235–238
63. शर्मा, अशोक : वही, पृष्ठ 125
64. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 238–242
65. गहलोत, सुखवीर सिंह : वही, पृष्ठ 242–246

अध्याय पंचम

पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

(झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन)

जिला झालावाड़ का ऐतिहासिक भौगोलिक और राजनीतिक परिचय :–

ऐतिहासिक परिचय :– राजस्थान के दक्षिण–पूर्वी सीमान्त जिला हाड़ौती सम्भाग में है तथा यह जिला राजपूताना और मालवा की संस्कृतियों का अनूठा स्थल है। झालावाड़ को "झालाओं की भूमि" से परिभाषित किया गया है जो भूतपूर्व झालावाड़ राज्य के शासक वंश में से थे, मुगलकाल में झालावाड़ का अधिकांश क्षेत्र मालवा प्रदेश में सम्मिलित था।

1420 ई.वी में माण्डू के शासकों द्वारा राघवदेव झाला को यह क्षेत्र जागीर में प्राप्त हुआ था। झाला राजपूत 15 वीं शताब्दी में काठियावाड़ के हलबल प्रदेश के एक छोटे से अधिपति राजघर के वंशज माने जाते है। इनके नवे उत्तराधिकारी माधोसिह ने कोटा के महाराव के यहां नौकरी कर ली और अच्छे कार्य करने पर जागीर तथा सेनापति का पद अर्जित किया। माधोसिह के बाद मदन सिंह उत्तराधिकारी बने और उनके बाद हिम्मतसिंह ने कार्य भार संभाला। इनकी मृत्यु के बाद सन् 1780 में जालिम सिंह को सेनापति का पद प्राप्त हुआ।[01]

कोटा राज्य की सम्पूर्ण सम्पन्नता का एक महत्त्वपूर्ण कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में खोजा जाए तो वह था झालावंशी राजपूत जालिम सिंह। 50 वर्षो तक जालिम सिंह ने कोटा के वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया।

झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से की गई सन्धि में गुप्त शर्त रखकर तथा शासन की सारी शक्तियाँ अपने हाथ में संचित कर एक पृथक झाला राज्य का सूत्रपात कर दिया था। दिसम्बर 1817 ई को कम्पनी सरकार और कोटा राज्य के मध्य एक सन्धि हुई थी। मार्च 1818 ई में इस सन्धि के अन्तर्गत 2 अतिरिक्त शर्ते जोड़ दी थी। इन शर्तो के अनुसार महाराव उम्मेद सिंह और उसके उत्तराधिकारी को कोटा के राजा स्वीकार किए गये थे। झााला जालिम सिंह और उसके उत्तराधिकारियों को कोटा का वास्तविक शासक बनने का अधिकार दिया गया था।[02] इन शर्तों के कारण कोटा राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी। अंत में कोटा राज्य विभक्त हुआ।

झालावाड़ राज्य का वास्तविक निर्माण झाला मदनसिंह के समय 12 अप्रैल 1838 में हुआ। अंग्रेज सरकार ने उनको राजपूताने की अन्य रियासतों के राजाओं के समान सम्मान दिया। मदनसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महाराज राणा पृथ्वी सिंह ने अंग्रेजी फौजदारी व दीवानी कानून झालावाड़ में लागू किये तथा एक छापेखाने की स्थापना कराई। यहाँ से समाचार पत्र भी निकलने लगे।[03] महाराज राणा पृथ्वी सिंह की सन् 1875 ई. में मृत्यु हो जाने के बाद कुंवर बखत सिंह को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया और इनका नाम जालिम सिंह (द्वितीय) रखा गया। जालिम सिंह द्वितीय के बाद राणा भवानी सिंह (1899–1929) ने राज्य में सामाजिक सांस्कृतिक प्रशासनिक, सार्वजनिक निर्माण एवं शिक्षा आदि के क्षेत्रों में व्यापक सुधार करके झालावाड़ को आधुनिक रूप प्रदान किया। इनके पश्चात राणा हरिशचन्द्र राजगद्दी पर आसीन हुए ये झालावाड़ राज्य के अन्तिम शासक थे। सन् 1948 ई. में इन्होंने वृहद् राजस्थान में झालावाड़ राज्य का विलय कराया।[04]

भौगोलिक परिचय :– प्राकृतिक सौन्दर्य तथा खनिज सम्पदाओ से भरपूर विंध्याचल पर्वत मालाओं से घिरा हुआ यह जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 23^0 45′20′′ से 24^0 52′17′′ उत्तर की ओर तथा 75^0 27′35′′ से 76^0 56′48′′ पूर्व की ओर फैला हुआ है इसका कुल क्षेत्रफल 2289 वर्गमील तक है राजस्थान में आकार में 22 वां स्थान है।[05]

अपवाह तंत्र :– झालावाड़ जिले की मुख्य नदियां कालीसिंध, आहु, परवन, उजाड़, चन्द्रभागा आदि हैं। जिले में कादिला मानसरोवर, गोमतीसागर, कृष्णसागर कृत्रिम झीलें है।

जलवायु एवं वर्षा :– जिले का जलवायु सामान्यतः शुष्क रहता है। यहाँ न्यूनतम तापमान 1.0 से 3.0 डिग्री तथा उच्चतम तापमान 43.0 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। न्यूनतम तापमान दिसम्बर जनवरी तथा उच्चतम तापमान मई जून माह में होता है। यहाँ की सामान्यतः औसत वर्षा 900 मिलीमीटर वार्षिक हैं। समुद्र तल से यह जिला न्यूनतम 900 और अधिकतम 1880 फिट की ऊँचाई पर स्थित है।[06]

राजनीतिक स्थिति : – झालावाड़ राज्य में 26 नवम्बर 1946 को प्रजामण्डल की स्थापना हुई। इस प्रजामण्डल ने झालावाड़ राज्य में जनता की लोकप्रिय सरकार के गठन हेतु आन्दोलन किया। सन् 1947 में झालावाड़ में लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई। प्रधानमंत्री स्वयं महाराज राणा हरिशचन्द्र जी बने। 25 मार्च 1948 को झालावाड़ राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गया। महाराज राणा हरिशचन्द्र जी ने 1949 से 1950 तक रोम में सन् 1951 से 1954 तक रंगून में विदेश विभाग में कार्य किया। सन् 1956 से सक्रिय राजनीति में प्रदेश किया और 1960 में राजस्थान मन्त्रिमण्डल में सार्वजनिक निर्माण और विद्युत विभाग के मंत्री के पद पर कार्य किया। जनहित को सर्वोपरि महत्व प्रदान करते हुए आपने

गढ़ महल, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री भवानी परमानन्द पुस्तकालय, श्री भवानी क्रिकेट ग्राउण्ड, भव्य मदन विलास कोठी, राजस्थान सरकार को सौंप दी।[07] इस प्रकार आपने चहुँमुखी विकास हेतु अनेक कार्य किये।

झालावाड़ की माटी से अटूट रूप से जुड़े हुए विधायक सम्पतराज, गौरी शंकर मुनीम, जिला प्रमुख नागरमल, श्री सुजान सिंह जी गुर्जर आदि की अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में चिरस्मरणीय भूमिका रही थी। जिला झालावाड़ की अधिकांश सीमा मध्यप्रदेश के साथ लगी हुई। यहां से श्रीमती वसुन्धरा राजे 1989 में पहली बार लोक सभा के लिए निर्वाचित हुई। तब से लगातार पांच बार इसी निर्वाचन से लोक सभा के लिए निर्वाचित होती रही हैं तथा दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं।

पंचायत समिति झालरापाटन का परिचय :– झालावाड़ नगर से मात्र 6 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण में झालरापाटन नामक नगर स्थित है। यह नगर 24^0 32′ उत्तर अक्षांश और 76^0 16 पूर्व देशान्तर में स्थित है। इस नगर की स्थापना वि. संवत् 1853 (सन् 1796 ई) में कोटा राज्य के प्रसिद्ध दीवान झाला जालिम सिंह ने की थी।[08] झालरापाटन नगर एक चौकोर भूमि पर स्थित है इसकी बनावट प्राचीन भारतीय खेल चौपड़ की भाँति है इसमें दो मुख्य मार्ग एक दूसरे को काटते हुए बनाये गये है और इनके समानान्तर अनेक छोटे–छोटे मार्ग या गलियाँ बनाई गई है। यह नगर एक परकोटे से घिरा हुआ है जो लगभग 8 से 10 फीट चौड़ा और 12 से 15 फीट ऊँचा है इस दुर्ग के परकोटे में चार बड़े दरवाजे हैं। इनके नाम सूर्यपोल दरवाजा, लंका दरवाजा, गिन्दौर दरवाजा और इमली दरवाजा है। इस दुर्ग की दीवारो में दो खिड़कियाँ भी है। इनके नाम महुआ बारी और नीम बारी है।

जालिम सिंह प्रथम के समय में सन् 1894 में झालरापाटन में नगरपालिका की स्थापना की थी। यहाँ का प्रशासन मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय पुलिस को सौंप रखा था। न्याय एवं पुलिस सभी कार्य नगरपालिका अध्यक्ष के अधीन थे जो कुछ भी राजस्व एकत्रित होता था वह सब द्वारकानाथ को समर्पित होता था। शहर की नगरपालिका का कार्य शहर की सफाई रोशनी एवं छोटे–छोटे मामलों को निपटाना था। इसके सदस्य प्रायः कर्मचारी बैंकर्स, व्यापारी एवं स्थानीय प्रभाव के व्यक्ति होते थे। जो कि सरकार के द्वारा मनोनीत होते थे। सभी सदस्य स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करते थे। इन्हें वेतन या आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी।[09]

इस नगर के नामकरण के विषय में इस प्रदेश में अनेक किवदन्तियाँ प्रचलित है। एक किवदन्ती के अनुसार यहाँ पर स्थित प्राचीन नगर में 108 मन्दिर थे। इन मन्दिरों की झालरे (घन्टियां) निरन्तर बजती रहती थी। इन झालरो के निरन्तर बजने के कारण इस नगर का नाम "झालरापाटन" हो गया। एक अन्य किवदन्ती के अनुसार इस प्राचीन नगर में अनेक पानी के झरने होने के कारण इसका

नाम झालरापाटन पड़ गया। एक अन्य किवदन्ती के अनुसार इस नये नगर झालरापाटन को झाला जालिम सिंह के द्वारा बसाये जाने के कारण उसके वंश झाला के नाम पर इस का नाम झालरापाटन हो गया।[10] झाला जालिम सिंह ने इस वर्तमान झालरापाटन नगर को प्राचीन चन्द्रावती नगरी के ध्वंसावशेषों पर बसाया था।

झालरापाटन पंचायत समिति का कुल क्षेत्रफल 1329.17 वर्ग कि.मी. है इस पंचायत समिति में पूर्व में 48 ग्राम पंचायते सम्मिलित थी लेकिन नवीन पंचायत समिति भवानीमण्डी के निर्माण के कारण वर्तमान समय में झालरापाटन पंचायत समिति में 29 ग्राम पंचायते सम्मिलित है। पंचायत समिति में कुल गाँवो की संख्या 225 है। पंचायत समिति झालरापाटन की कुल जनसंख्या 143107 है।[11]

पंचायत समिति झालरापाटन में संचालित पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित योजनाएँ :–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम :– 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005" के तहत राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गांरटी योजना का शुभारम्भ किया और यह भारत के 200 सबसे पिछड़े जिलो में लागू की गई। वर्ष 2007 में इसे और 130 जिलो को लागू किया गया और 1 अप्रैल 2008 से इसे सभी जिलो में कार्यान्वित किया गया।[12] विशेष बात यह है कि इस योजना को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है। यह योजना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत गांरटीकृत है। इस योजना की क्रियान्विति के लिए 90 प्रतिशत निधियाँ केन्द्रीय सराकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत निधियाँ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं।[13] यह स्किम निम्न कार्यों पर केन्द्रीत हैं :–

i. पेयजल स्रोत का विकास एवं जल संरक्षण।
ii. सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य।
iii. वन भूमि को, वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी।
iv. सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।
v. भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, तालाबों का निर्माण।
vi. उद्यान, कृषि, पौधारोपण, कृषि वानिकी।
vii. गृहस्थितियों की परती भूमि का व बंजर भूमि का विकास।
viii. मत्स्यपालन।
ix. जैव उर्वरकों की सुविधाएं।
x. ठोस और द्रव अवशिष्ट प्रबन्धन।

xi. घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय।

xii. गांव में सड़क व नालियों का निर्माण।

पंचायत समिति झालरापाटन में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक निम्न कार्य किये गये जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[14] :–

सूखे से बचाव के कार्य :– पंचायत समिति झालरापाटन के द्वारा सूखे से बचाव हेतु किये गये वर्षवार कार्यों का विवरण निम्नलिखित हैं।

वर्ष	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**कार्यों की संख्या**	**व्यय राशी (लाखो में)**
2012–13	01	01	1.02
2013–14	01	01	1.05
2014–15	46	196	17.05
2015–16	29	114	15.62
योग		**312**	**34.74**

परम्परागत जल स्रोतों का पुनरूद्वार कार्य :– पंचायत समिति झालरापाटन के द्वारा किये गये परम्परागत जल स्रोतों के पुनरूद्वार कार्यों को वर्षवार विवरण निम्न तालिकानुसार हैं–

वर्ष	**ग्राम पंचायतों की संख्या**	**कार्यों की संख्या**	**व्यय राशी (लाखों में)**
2012–13	37	100	76.63
2014–15	19	37	22.99
2015–16	12	23	5.33
योग		**160**	**104.95**

जल संरक्षण एवं जल संचय :– पंचायत समिति द्वारा जल संरक्षण व जल संचय कार्य को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय राशी (लाखों में)
2012–13	48	172	129.22
2013–14	41	108	149.54
2014–15	48	164	342.97
2015–16	29	133	194.48
योग		**577**	**816.21**

भूमि विकास :– पंचायत समिति द्वारा भूमि विकास हेतु किये गये वर्षवार पंचायत कार्यों का विवरण निम्ननिखित तालिकानुसार हैं।

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	किये गये कार्यों की संख्या	व्यय राशी (लाखों में)
2012–13	43	203	99.36
2013–14	31	144	59.02
2014–15	31	101	140.81
2015–16	21	82	29.22
योग		530	328.41

सूक्ष्म सिंचाई :– वर्ष 2013–14 में सूक्ष्म सिंचाई के 6 कार्य किये गये । इन कार्यों पर 3.66 लाख रूपये व्यय किये। वर्ष 2015–16 में सूक्ष्म सिंचाई के 7 कार्य किये गये।

निष्कर्ष :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति झालरापाटन ने पिछले चार वर्षों में (वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक) कुल राशि 1287.97 लाख रूपये व्यय की गई। इससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि पंचायत राज संस्थाये जल संरक्षण के कार्यों को महत्व देते हुए उन्हें गति प्रदान कर रही हैं जिससे क्षेत्र में जल संकट की समस्या समाप्त हो सके।

व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' :– महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य ''अपना खेत अपना काम'' भी करवाये जाते हैं।[15] इसके अन्तर्गत भूमि सुधार के कार्य

जैसे भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी इसके अतिरिक्त ड्रीप, फव्वारा सिंचाई, कृषि वानिकी, उद्यानिकी, लघु सिंचाई, भू जल संरक्षण, बागवानी, पौधारोपण आदि कार्य किये जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति झालरापाटन में व्यक्तिगत लाभ के कार्य सभी ग्राम पंचायते में प्रारम्भ किये गये। वर्ष 2012–13 में कुल 48 ग्राम पंचायतों में से 41 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत लाभ के कुल 758 कार्य किय गये तथा वर्ष 2015–16 में सभी 29 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत लाभ के कुल 262 कार्य करवाये गये।[16]

मनरेगा के तहत, संचालित अन्य योजनाएँ :–

हरित राजस्थान योजना :– प्रदेश को हरा–भरा बनाने के लिए जन–जन के सहयोग से वृक्षारोपण की महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजना (2009–10 से 2013–14) हरित राजस्थान जुलाई 2009 में प्रारम्भ की गई। वन विभाग द्वारा अन्य विभागों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ–साथ भूमि तथा सड़क मार्गों पर वृक्षारोपण के कार्य करवाये गये।[17]

राज्य सरकार ने हरित राजस्थान योजना को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के साथ सम्बद्ध किया है। इस योजना की क्रियान्विति का जिम्मा ग्राम पंचायतो व वन विभाग को दिया गया था। झालावाड़ जिले में हरित राजस्थान अभियान के तहत कई प्रकार के पौधे लगाये गये है जिसमें चुरेल, बांस, नीम, खेर, बेल, खेजड़ी, बबूल, सागवान, सेमला, शीशम, जामुन, इमली, रतनजोत, अमलतास, गुलमोहर आदि मुख्य है। वर्ष 2009–10 में पौधों की रक्षा के लिए बड़ी संख्या में ट्रीगार्ड भी लगाये गये।[18]

जिले में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत विगत 5 वर्षों से वृक्षारोपण अभियान हरित राजस्थान योजना के अन्तर्गत चलाया गया इस अभियान के अन्तर्गत लगाये गये पौधे और जीवित पौधे व उन पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–[19]

क्र.सं.	वर्ष	लगाये गये पौधे	जीवित पौधे	व्यय राशी लाखों में	सुरक्षा पानी पिलाने में व्यय राशी
1	2009–10	123997	62105	603.626	
2	2010–11	271999	162615	141.916	
3	2011–12	534565	374195	156.710	

4	2012–13	168500	134629	57.887	
5	2013–14	75200	60675	314.01	
योग		**1174261**	**794219**	**1274.15**	**34.60**

पंचायत समिति झालरापाटन द्वारा पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13) में हरित राजस्थान योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य निम्न प्रकार हैं[20] :–

क्र.सं.	वर्ष	लगाये गये पौधे
1.	2010–11	11500
2.	2011–12	46800
3.	2012–13	8000
योग		66300

उपर्युक्त अवधि में लगाये गये पौधों में 38 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

अभिनव पहल :– यह योजना वर्ष 2014–15 में महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 राजकीय भवनो में वृक्षारोपण करने एवं 4 वर्ष की अवधि तक रखरखाव करने से सम्बन्धित है। इस पहल का मकसद यह है कि 4 वर्ष पश्चात् प्रत्येक राजकीय परिसर में पर्याप्त संख्या में एवं सघन वृक्षारोपण उपलब्ध हो सके। पंचायत समिति झालरापाटन की सभी ग्राम पंचायत द्वारा स्वास्थ भवन आंगनबाड़ी केन्द्रो पंचायत भवन राजकीय विद्यालयो, तथा अन्य राजकीय भवनो की चारदीवारी के अन्दर वृक्षारोपण कार्य किया गया है।[21]

निष्कर्ष :– वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक झालावाड़ जिले के कुल 1174761 पौधे लगायें गये उनमें से 794219 पौधें जीवित बताये गये जो कि 67.63 प्रतिशत हैं यानि 32.37 प्रतिशत पौधे नष्ट हो गये पौधों पर व्यय की गई राशी 1274.15 लाख हैं तथा सुरक्षा पानी पिलाने में व्यय राशि 34.60 लाख रूपये व्यय कि गई। यदि झालरापाटन पंचायत समिति की स्थिति देखे तो वर्ष 2010–11 से लेकर 2012–13 तक कुल 66300 पौधे लगाये गये लेकिन इनमें से जीवित पौधे 38 प्रतिशत ही बताये गये। अतः पौधों की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

अन्य योजनाएँ :–

मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अभियान :– राज्य को जल की दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 27 जनवरी 2016 का झालावाड़ जिले की पिड़ावा पंचायत समिति के गांव गर्दन खेड़ी से मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शुभारम्भ किया।

अभियान के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य निम्न हैं[22] :–

i. जल ग्रहण (कैचमेन्ट) क्षेत्र उपचार डीप कन्टीन्यूअस कन्टूर ट्रेन्चेज, स्ट्रेगर्ड ट्रेन्चेज, फार्म पोण्डस, मिनी पर कोलेशन टेंक, खंड़ीन, जोहड़, टांका निर्माण, वाटर हार्वेस्टींग आदि।

ii. नाला उपचार :– श्रृंखलावद्ध छोटे–छोटे एनिकट, मिट्टी के चैकडेम एवं जलग्रहण ढ़ांचा।

iii. लघुसिंचाई योजना के कार्यों की मरम्मत, नवीनीकरण।

iv. जल ग्रहण ढ़ांचो की क्षमता बढ़ना।

v. पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ीकरण करने के कार्य, कुएं एवं ट्यूबवैलो तथा कृत्रिम भूजल पुर्नभरण संरचनाओ के पुर्नजलभरण का कार्य।

vi. चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण

vii. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि हेतु फसल एवं उद्यानिकी की उन्नत विधियो (ड्रिप, सोलर पम्प आदि) को बढ़ावा देकर फसल चक्र में व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देना।

इस अभियान को पंचायत समिति झालरापाटन की 6 ग्राम पंचायतों डूंगरगाँव, खेड़ला, बड़ोदिया, टाण्डीसोहनपुरा, लावासल, असनावर में प्रारम्भ किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में कुल 11 विभागो द्वारा कार्य किये जाते हैं। इन विभागो में जल ग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण, मनरेगा पंचायती राज, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, भू जल विभाग, पशुपालन विभाग, सम्मिलित है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की विभागवार ग्राम कार्य योजना को तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।[23]

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान विभागवार ग्राम कार्य योजना पंचायत समिति झालरापाटन

क्र. सं.	**विभाग का नाम**	**प्रस्तावित विकास कार्यों की राशी (लाखों में)**					
		Iwmp	**मनरेगा**	**फोर वाटर कन्सेटर**	**मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान**	**विभागीय बजट**	**कुल**
1.	जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	316.14			820.03		1136.17
2.	मनरेगा						0
3.	पंचायती राज						0
4.	जल संसाधन विभाग			165	220		385
5.	वन विभाग				215.01		215.01
6.	ग्रामीण विकास विभाग		138		296.5		434.5
7.	कृषि विभाग						0
8.	उद्यानिकी विभाग				44.15		0
9.	जन स्वास्थ्य अभि.				47.59		
10.	भू जल विभाग						
11.	पशुपालन विभाग				0.6		
	योग	**316.14**	**138.**	**165**	**1643.88**	**0**	**2263.02**

एकीकृत वाटर शेड़ प्रबन्धन कार्यक्रम (IWMP) :– वर्तमान में डीपी एपी तथा आईडब्ल्यूड़ीपी को समेक्षित कर एकीकृत वाटरशेड़ प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एमल संशोधित कार्यक्रम वर्ष 2009–10 से लागू किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत मुख्य कार्यकलाप संस्थायन एवं क्षमता निर्माण, प्रारम्भिक स्तर के कार्यकलाप रिज क्षेत्र उपचार नाला उपचार मृदा एवं जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन एग्रोफोरेस्ट पौधे लगाना, बागवानी, चारागाह विकास, भूमिहीन व्यक्तियो के लिए आजीविका वर्धन सम्बन्धी कार्यकलाप तथा लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए उत्पादन पद्धति तथा छोटे उद्यम शामिल है।[24]

झालावाड़ जिले में कुल 20 आईडब्ल्यूएमपी की योजनाएँ वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत हुई है। इनमें से तीन योजनाएं पंचायत समिति झालरापाटन चल रही है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।[25]

क्र. सं.	स्वीकृत परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	क्षेत्रफल हैक्टेयर	लागत लाखों में	पंचायत समिति	पी आए का नाम	जल ग्रहण समतियों की संख्या	ड़ब्लयू डी.टी. सदयस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	IWMP –10	2011–12	6535	784.20	झालरापाटन	सहा. अभियन्ता झालरापाटन	07	04
2.	IWMP –11	2011–12	6292	755.04	झालरापाटन	सहा. अभियन्ता झालरापाटन	06	04
3.	IWMP –15	2012–13	5690	682.80	झालरापाटन	सहा. अभियन्ता झालरापाटन	03	04
4.	IWMP –21	2014–15	4587	प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किए गये है–				

निष्कर्ष :– एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम जल की कमी, उत्पादकता, कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी साधन के रूप में उपयोगी हैं यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में अत्यन्त उपयोगी हैं।

प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना :– राज्य में उपलब्ध जल की कमी तथा सिंचाई दक्षता के मध्यनजर कृषि/उद्यान विभाग द्वारा किसी न किसी केन्द्रीय/राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 से फव्वारा व ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे है। बूंद–बूंद सिंचाई प्रणाली जो कि जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से माइक्रोइरीगेशन योजना की अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है।[26]

सिंचाई पद्धतियाँ –

ड्रिप सिंचाई :– ड्रिप सिंचाई में पाईपो के नेटवर्क (मेन, सबमेन तथा लेटरल) पर लगे उत्सर्जक (एमिटर) के माध्यम से पौधो की जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

फव्वारा सिंचाई :– फव्वारा सिंचाई में पानी को उच्च धनत्व वाली पॉलीथलीन (एचडीपीई) पाईप में लगी नोजल्स के द्वारा हवा में दबाव के साथ छोड़ा जाता है। यह स्प्रिकलर सिंचाई प्रणाली फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना पंचायत समिति झालरापाटन में प्रभावी रूप से कारगर रही है। इस योजना से किसान परिवारो को लाभान्वित किया गया है। पंचायत समिति झालरापाटन में पिछले 6 वर्षों के सूक्ष्म सिंचाई का विवरण निम्न प्रकार है[27] :–

ड्रिप विवरण पंचायत समिति झालरापाटन

क्र. सं.	वर्ष	किसानों की संख्या	हैक्टेयर
1	2009–10	370	509.78
2	2010–11	536	735.65
3	2011–12	583	744.52
4	2012–13	802	1101.82
5	2013–14	826	1171.83
6	2014–15	1720	2286.20
योग		**4837**	**6549.80**

फव्वारा विवरण

क्र. सं.	वर्ष	किसानों की संख्या	हैक्टेयर
1	2009–10	243	321.00
2	2010–11	400	539.00
3	2011–12	158	263.00
4	2012–13	165	175.00
5	2013–14	39	57.00
6	2014–15	20	20.00
योग		**1025**	**1395.00**

निष्कर्ष :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु उपयोगी हैं पंचायत समिति क्षेत्र में किसान इस पद्धति को अपनाने लगे हैं पंचायती राज संस्थाएं किसानों को इस पद्धति को अपनाने हेतु प्रेरित कर रही हैं पिछले 6 वर्षों में 5852 किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया हैं तथा 7944.8 हैक्टेयर में सिंचाई हो रही हैं जो कि जल संरक्षण के लिए बहुत उपयोगी हैं।

जैविक खेती :– जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह पद्धति रासायनिक खेती की अपेक्षा सस्ती स्वावलम्बी एवं स्थाई है। मिट्टी को एक जीवित माध्यम माना गया है यह मात्र भौतिक माध्यम नहीं है। जैविक खेती से लक्षित उत्पादन प्राप्ति संभव है। कार्बनिक खादो का अधिकाधिक उत्पादन एवं उनका उपयोग जैसे गोबर की खाद, कम्पोस्ट खाद जलीय खरपतवारो की कम्पोस्ट, हरीखाद, वर्मीकम्पोस्ट, नीलहरित शैवाल, तालाबों की मिट्टी का उपयोग जैविक खेती के लिए आवश्यक है। जीवाणुयुक्त कल्चर जैसे – एजोला, एजोटो वैक्टर, राइजोवियम, एजोस्पाइरिलम, फास्फोरस घोलक सूक्ष्म जीवी माइकोराइजा आदि का उपयोग भी जैविक खेती में शामिल है।[28]

पंचायत समिति झालरापाटन के अन्तर्गत जल ग्रहण योजना द्वारा उत्पादन गतिविधि के अन्तर्गत लोगों को वर्मी कम्पोस्ट पिट इकाई यूनिट कि स्थापना हेतु प्रेरित किया जाता है। तथा योजना के द्वारा 19200 रू का अनुदान व 4800 रू कृषक अंशदान (कुल राशी 24000 रूपये) राशी कृषकों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के द्वारा 7 गाँवों के 12 किसान को वर्मी कम्पोस्ट पिट इकाई यूनिट की स्थापना हेतु 24000 रूपये प्रति व्यक्ति

सहायता प्रदान कि गई है। वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण होने से रासायनिक उर्वराकों के उपयोग में कमी हुई है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति व फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।[29] परम्परागत कृषि हेतु पंचायत समिति झालरापाटन में 35 कलस्टर बनाये गये हैं। इसमें अभी तक कुल 1750 व्यक्ति जोड़े गये है इसके अतिरिक्त 500 लोगों को जैविक खाद दी गई है। वर्ष 2017–18 में सभी किसानों को जैविक खाद देने का प्रयास किया जायेगा।[30]

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना :– 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम का शुभारम्भ किया। इस कार्ड में भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ–साथ किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरको के उपयोग की जानकारी दर्ज रहेगी, ताकि किसान फसलों का उत्पादन बढ़ा सके। इस योजना से किसानों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।[31]

मृदा स्वास्थ कार्ड योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति झालरापाटन के अन्तर्गत आने वाली सभी 29 ग्राम पंचायतों में मृदा के नमूने लिए जा रहे है। इस योजना के अन्तर्गत जितने खातेदार है उतने ही स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाते है। सिंचित क्षेत्र में 2.5 हैक्टेयर में एक नमूना लिया है तथा असिंचित क्षेत्र में 10 हैक्टेयर में मिट्‌टी का एक नमूना लिया जाता है। किसानों को शीघ्र ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जायेगें।[32]

प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना :– 1 मई 2016 को इस योजना की शुरूआत की। इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन करेगा। बीपीएल परिवारो को मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाना पकाने की गैस की पहुँच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और स्वास्थ्य की रक्षा होगी।[33] इस योजना से एक ओर ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई बंद होगी वहीं घरेलू धुंए से महिलाओं को होने वाली बीमारियों से बचाव होगा। पंचायत समिति झालरापाटन में कुल 43527 व्यक्तियो को LPG कनेक्शन देने थे इनमें से 24192 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दे दिये गये है। शेष 19335 व्यक्तियों को LPG गैस कनेक्शन देना शेष है।[34]

प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध :– पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या प. 08(1)/पर्या/99 पार्ट दिनांक 21 जुलाई 2010 प्रचलित कर राजस्थान में प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन को प्रतिबन्धित किया गया है।[35]

स्वच्छता सम्बन्धी कार्य :— स्वच्छता सम्बन्धी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा 1986 से प्रारम्भ किये गये जिनमें मुख्य हैं केन्द्रिय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान आदि। वर्तमान समय में 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गाँधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था।[36] पंचायत समिति झालरापाटन में स्वच्छता कार्यक्रम अभियान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय निर्माण हेतु पंचायत समिति द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2014 से पूर्व प्रति व्यक्ति 9100/— की सहायता दी जाती थी तथा दिसम्बर 2014 के बाद 12000/— प्रति व्यक्ति शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।[37] पंचायत समिति झालरापाटन की कुल 29 ग्राम पंचायतो में से 8 ग्राम पंचायते अक्टूबर 2017 तक खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। इन पंचायतों के नाम हैं बड़ोदिया, बोरदा, डोण्डा तीतरबासा, झूमकी, पनवासा, दुर्गपुरा जूनाखेड़ा। अतः यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रो में हो रहे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक होगा तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा।

जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार :— शोधार्थी द्वारा लिये गये जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार का विवरण निम्न प्रकार है :—

पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

क्र. सं.	पद	नाम ग्राम पंचायत			पंचायत समिति (सदस्य अन्य)	योग	प्रतिशत %
		असनावर	जूनाखेड़ा	लावासल			
1	प्रधान	—	—	—	01	01	2 %
2	उपप्रधान	—	—	—	01	01	2 %
3	पंचायत समिति सदस्य	—	—	—	02	02	5 %
4	सरपंच	01	01	01	—	03	7 %
5	पंच	15	11	09	—	35	84 %
6	योग	16	12	10	04	42	100 %

पंचायत समिति झालरापाटन में अध्ययन में न्यायदर्श के आधार पर कुल 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार लिये गये। इनमें प्रधान एक (दो प्रतिशत) उपप्रधान एक (दो प्रतिशत) पंचायत समिति सदस्य 2 (पांच प्रतिशत) सरपंच तीन (सात प्रतिशत) पंच पैंतीस (चौरासी प्रतिशत) हैं। इन सभी के

साक्षात्कार लिये गये। इसमें ग्राम पंचायत असनावर में सरपंच व पंच सहित 16, ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा में सरपंच व पंच सहित कुल 12, ग्राम पंचायत लावासल में सरपंच व पंच सहित 10, निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित कुल 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार के आधार पर प्राथमिक आकड़े संकलित किए गये।

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के निष्कर्ष

प्र.1

निष्कर्ष :–

पंचायतवार पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानकारी

रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या का विवरण।

ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत राज संस्थाओं के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	42	–	42

सभी 42 प्रश्न जनप्रतिनिधियो को पंचायत राज संस्थाओं की जानकारी हैं, शोधार्थी का मानना हैं कि इन संस्थाओं के प्रति ग्रामीण जनता की रूचि बढ़ रही हैं जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत उपयोगी हैं।

प्र.2

निष्कर्ष :–

निर्वाचन हेतु प्रेरणा स्रोत

ग्राम पंचायत का नाम	गाँव/वार्ड के लोगों की प्रेरणा से निर्वाचन हेतु भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	परिवार के लोगों की प्रेरणा से भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	अन्य स्रोत	योग
असनावर	14	02	–	16
जूनाखेड़ा	10	02	–	12
लावासल	09	01	–	10
अन्य	04	–	–	04
कुल योग	37	05		42

37 जनप्रतिनिधियों ने गांव/वार्ड के लोागों की प्रेरणा से निर्वाचन में भाग लिया जबकि शेष 5 व्यक्तियों ने परिवार के लोगों की प्रेरणा से निर्वाचन में भाग लिया। शोधार्थी की मानना हैं कि ग्रामीण लोग अपने गांव के लोगों से सलाह लेकर ही चुनाव लड़ना उचित समझते हैं जो कि ठीक भी हैं

प्र.3

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या का विवरण।

ग्राम पंचायत का नाम	पंचायती राज संस्थाओं से पहले से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या	पहली बार निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	04	12	16
जूनाखेड़ा	05	07	12
लावासल	02	08	10
अन्य	01	03	04
कुल योग	**12**	**30**	**42**

12 जनप्रतिनिधि चुनाव से पहले भी पंचायत राज संस्थाओं से जुडे हुए हैं 30 जनप्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता हैं कि लोगों की भागीदारी पंचायत राज संस्थाओं के प्रति बढ़ी हैं। जो कि उत्तम हैं।

प्र.4

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का विवरण।

ग्राम पंचायत का नाम	**पंचायती राज संस्थाएं लोकतान्त्रिक प्रणाली से कार्य करती हैं**	**लोकतान्त्रिक प्रणाली से कार्य नहीं करती**	**योग**
असनावर	10	06	16
जूनाखेड़ा	11	01	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**35**	**07**	**42**

35 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि पंचायत राज संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य कर रही हैं जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य नहीं कर रही हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि पंचायत राज संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य कर रही हैं।

प्र.5

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं के विकास कार्यों को करने की प्रवृति का विवरण।

ग्राम पंचायत का नाम	**पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाता हैं**	**विकास क्षेत्र में भेदभाव किया जाता हैं**	**योग**
असनावर	11	05	16
जूनाखेड़ा	10	02	12

लावासल	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	35	07	42

35 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायत राज संस्थाएं विकास के क्षेत्र में भेदभाव नहीं करती जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भेदभाव होता हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा विकास के क्षेत्र में भेदभाव नहीं होता हैं।

प्र.6

निष्कर्ष :—

पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के कार्य करने हेतु जानकारी का स्रोत।

ग्राम पंचायत का नाम	**स्वयं के निर्णय से कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**परिवार के सदस्यों से जानकारी लेकर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	11	05	16
जूनाखेड़ा	04	08	12
लावासल	05	05	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**24**	**18**	**42**

24 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों को स्वयं के विवेक से निर्णय लेकर करते हैं, 18 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे परिवार के सदस्यों से जानकारी लेकर निर्णय करते हैं। अतः शोधार्थी का मानना हैं कि धीरे–धीरे स्वयं जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं निर्णय लेने की प्रवृति बढ़ रही हैं। जो ठीक हैं।

प्र. 7

निष्कर्ष :—

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति की बैठको में जनप्रतिनिधियों की भागीदरी का विवरण।

ग्राम पंचायत का नाम	**ग्राम पंचायम की बैठकों में नियमित भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**ग्राम पंचायतों/पंचायत समिति की बैठकों में नियमित भाग नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	11	05	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	37	05	42

37 जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे ग्राम पंचायत की बैठकों में नियमित भाग लेते हैं जबकि 5 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे नियमित भाग नहीं लेते । शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि पंचायत राज संस्थाओं में भाग लेते हैं। जो कि इन संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाता हैं।

प्र. 8

निष्कर्ष :–

वार्ड/गांव/कस्बे की समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधियों के विचार।

ग्राम पंचायत का नाम	**वार्ड/गांव में समस्याएं नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**वार्ड/गांव में समस्याएं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	06	10	16
जूनाखेड़ा	07	05	12
लावासल	09	01	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**26**	**16**	**42**

26 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनके गांव/वार्ड में किसी तरह की समस्या नहीं हैं। 16 जनप्रतिनिधियों ने गांव व वार्ड में कुछ समस्याएं बताई हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि गांव में अधिकांश समस्याओं का समाधान हो चुका होगा कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिनका अभी समाधान शेष हैं।

प्र.9

निष्कर्ष :–

विकास कार्य करवाने में आने वाली समस्या पर जनप्रतिनिधियो का दृष्टिकोण।

ग्राम पंचायत का नाम	**विकास कार्य करवाने में किसी तरह की समस्या नहीं आती यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**विकास कार्य करवाने में समस्या आती हैं यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	10	06	16
जूनाखेड़ा	10	02	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	34	08	42

34 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विकास कार्य करवाने में किसी तरह की समस्या नहीं आती जबकि 08 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि समस्याएं आती हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि विकास कार्य में किसी तरह की समस्याएं नहीं आती हैं।

प्र. 10

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं की बैठको में निर्णय।

ग्राम पंचायत का नाम	**जन सहमति से निर्णय लिए यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**निर्णय की जानकारी नहीं होने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	11	05	16
जूनाखेड़ा	09	03	12

लावासल	10	—	10
अन्य	03	01	04
कुल योग	**33**	**09**	**42**

33 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं कि बैठकों में निर्णय जन सहमति से लिए जाते हैं जबकि 9 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें जानकारी नहीं हैं। शोधार्थी का मानना है कि निर्णय जन सहमति से ही लिए जाते हैं। लोकतंत्र में यह आवश्यक भी हैं।

प्र.11

निष्कर्ष :—

राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	09	07	16
जूनाखेड़ा	06	06	12
लावासल	05	05	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**24**	**18**	**42**

24 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेते हैं जबकि 18 जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण में भाग लेने से उनका दृष्टिकोण सकारात्मक दिखता हैं। प्रशिक्षण लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या ठीक हैं लेकिन सभी के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए।

प्र.12

निष्कर्ष :—

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	कार्यों को बताने लेने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	कार्य नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	16	—	16

जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**42**		**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बताया। शोधार्थी का मानना हैं कि सभी जनप्रतिनिधि पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों में रूचि लेने लगे हैं। उन्हें सामान्य जानकारी हैं जैसे सड़को, नालियों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, हैण्डपम्पों का रखरखाव, ग्रामीण स्वच्छता, शौचालयों का निर्माण, बाजार, मेले, पौधारोपण चरागाहों का विकास।

प्र.13

निष्कर्ष :–

पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गये
विभागों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिधियों।

ग्राम पंचायत का नाम	**पंचायती राज संस्थाओं के विभागों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**पंचायती राज संस्थाओं के विभागों की जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	04	12	16
जूनाखेड़ा	03	09	12
लावासल	03	07	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**12**	**30**	**42**

12 जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गये विभागों के बारे में जानकारी हैं जबकि 30 जनप्रतिनिधियों को विभागों की जानकारी नहीं हैं शोधार्थी का मानना हैं कि पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारी जनप्रतिनिधियों को पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं।

प्र.14

निष्कर्ष :–

पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	16	—	16
जूनाखेड़ा	12	—	12
लावासल	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	42		42

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण मतलब हमारे आस–पास के वातावरण से हैं। पर्यावरण प्रदूषण धुएँ के कारण, कीटनाशको के छिड़काव के कारण, गंदे पानी को नदियो में, तालाबों में डालने से, प्लास्टिक से और खुले मे शौच करने से होता हैं। शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण की सामान्य जानकारी हैं।

प्र.15

निष्कर्ष :–

पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	16	—	16
जूनाखेड़ा	12	—	12
लावासल	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**42**		**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी रखते हैं। प्रदूषण से दमा, पीलिया, एलर्जी, चर्म रोग, कैंसर, बुखार जैसी कई बीमारियां होती हैं। शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधि पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी रखते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

प्र.16

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों की जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	08	08	16
जूनाखेड़ा	07	05	12
लावासल	06	04	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	25	17	42

25 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पंचायतें स्वच्छता सम्बन्धी कार्य, शुद्ध पेयजल, चरागाहों के विकास, वृक्षारोपण, शौचालय निर्माण, तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनेक कार्य करती हैं। जनप्रतिनिधियो ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया, स्वच्छता अभियान चलाया हैं। जबकि 17 जनप्रतिनिधियों को ज्यादा जानकारी नहीं हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि सभी जनप्रतिनिधि थोड़े बहुत कार्यों के बारे में जानकारी रखते हैं क्योंकि मनरेगा योजना तो पूरे देश में चर्चित योजना हैं।

प्र.17

निष्कर्ष :–

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बताने व उसके समाधान के प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बताने व समाधान के प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**प्रदूषण की समस्या नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	03	13	16
जूनाखेड़ा	03	09	12

लावासल	02	08	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**12**	**30**	**42**

12 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बताई जैसे नाली निर्माण की समस्या, गंदे पानी की निकासी की समस्या आदि बताई तथा उनके समाधान भी करने के प्रयास किये जबकि 30 जनप्रतिनिधियों ने अपने वार्ड/गांव में प्रदूषण की समस्या नहीं बताई। शोधार्थी का मानना है कि पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे कार्यों से समस्याएं हल हो रही हैं।

प्र.18

निष्कर्ष :—

गांव/कस्बों में पौधा रोपण कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पौधारोपण करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**पौधारोपण नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	13	03	16
जूनाखेड़ा	08	04	12
लावासल	05	05	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**30**	**12**	**42**

30 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे प्रतिवर्ष पौधारोपण करते हैं उन्होंने बताया कि हम प्रतिवर्ष दस—दस पौधे लगाते हैं जबकि 12 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि वे पौधारोपण नहीं करते। शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधि पौधारोपण कार्य करते हैं जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं।

प्र.19

निष्कर्ष :—

पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को लाभ बताकर
उन्हें जागरूक करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण के लाभ बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जानकारी नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	**11**	05	16
जूनाखेड़ा	**08**	04	12
लावासल	**07**	03	10
अन्य	**04**	—	04
कुल योग	**30**	**12**	**42**

30 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लाभ जैसे शुद्ध वायु मिलती हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी, चारो ओर हरियाली रहेगी आदि लाभ को अपने क्षेत्र में बताते है। जबकि 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं देते। शोधार्थी का मानना हैं कि सभी जनप्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि साफ–सफाई प्रत्येक घरों के लोग करते हैं।

प्र.20

निष्कर्ष :–

पर्यावरण से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या ı	योग
असनावर	12	04	16
जूनाखेड़ा	10	02	12
लावासल	09	01	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	35	07	42

35 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मनरेगा योजना को अच्छा बताया हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान व मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन को भी उपयोगी बताया हैं। 7 जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण योजनाओं की जानकारी हैं। क्योंकि मनरेगा योजना में पर्यावरण संरक्षण के कार्य किये जाते हैं।

प्र.21

निष्कर्ष :—

मिट्टी की उर्वरकता हेतु जैविक खाद प्रयोग करने हेतु लोगों को प्रेरित करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	जैविक खाद के लिए प्रेरित करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जैविक खाद हेतु प्रेरित नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	11	05	16
जूनाखेड़ा	10	02	12
लावासल	10	—	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**35**	**07**	**42**

35 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में किसानों को कृषि के लिए जैविक खाद अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं जैविक खाद के लाभ बताते हैं जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे किसी को प्रेरित नहीं करते। शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतों में लोगों के पास पालतू जानवर होते हैं और गोबर, कूड़ा यहां उपलब्ध हैं इसलिए इन तीनों ग्राम पंचायतों में 80 प्रतिशत से अधिक लोग जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। ग्राम पंचायत लावासल के गांव मानपुरा में प्रतिवर्ष जैविक खाद के उपयोग हेतु सम्मेलन होता हैं जिसमें कई गणमान्य लोग आते हैं।

प्र.22

निष्कर्ष :—

प्लास्टिक के बने सामानों के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	प्लास्टिक पर रोक व प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	प्लास्टिक पर रोक नहीं लगी व जागरूक नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	08	08	16
जूनाखेड़ा	08	04	12
लावासल	05	05	10
अन्य	01	03	04
कुल योग	**22**	**20**	**42**

22 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सभी लोगों से अपील करते हैं उन्हें समझाते हैं कि प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित होता हैं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं यह गांव की सुन्दरता को खराब करती हैं, यह नष्ट नहीं होती, जानवरों की अकाल मृत्यु हो रही हैं आदि जबकि 20 जनप्रतिनिधियों ने लोगों को प्रेरित नहीं किया। शोधार्थी का मानना हैं कि अभी भी गांवों में प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्ण रोक नहीं लगी हैं।

प्र.23

निष्कर्ष :–

गांव/शहर में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ।

ग्राम पंचायत का नाम	गाँव/शहर में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य शुरू हो गया हैं	स्वच्छता सम्बन्धी कार्य शुरू हुआ या नहीं जानकारी नहीं हैं	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**42**		**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांव में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य हो रहे हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तम हैं।

प्र.24

निष्कर्ष :–

गाँव/कस्बों में स्वच्छ पानी बतलाने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**स्वच्छ पानी बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**स्वच्छ पानी नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	15	01	16
जूनाखेड़ा	11	01	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	40	02	42

40 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में नदी, तालाबों, कुओं का पानी स्वच्छ हैं/पीने योग्य हैं। जबकि 2 जनप्रतिनिधियों ने बताया की पानी स्वच्छ नहीं हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि इस क्षेत्र में पानी स्वच्छ हैं।

प्र.25

निष्कर्ष :–

वनों की कटाई रोकने हेतु जनप्रतिनिधियों के प्रयास।

कुल 42 जनप्रतिनिधियों में से 35 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामवासियों को हम जंगल में से लकड़ी नहीं काटने देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ निगरानी समितियाँ भी बनाई गई हैं जो वनों की रक्षा का कार्य करती हैं। लोगों को स्वयं की जमीन पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी–कभी प्रशासन को भी सूचित कर देते हैं। जबकि 07 जनप्रतिनिधियों ने वनों की कटाई रोकने के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि इन तीनों ग्राम पंचायतों में वनों की कटाई नहीं होती हैं।

प्र.26

निष्कर्ष :– सामाजिक वानिकी योजना के बारे में ग्रामीण समुदाय को जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	समाजिक वानिकी योजना के बारे में ग्रामीण समुदाय को जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	समाजिक वानिकी योजना के बारे में जानकारी नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	03	13	16
जूनाखेड़ा	01	11	12
लावासल	02	08	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**08**	**34**	**42**

8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे अपने क्षेत्र के लोागों को कृषि के साथ–साथ वृक्षारोपण के लिए भी जानकारी देते हैं जबकि 34 जनप्रतिनिधियों को इस योजना की जानकारी नहीं हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि सामाजिक वानिकी योजना की जानकारी जनप्रतिनिधियों को ज्यादा नहीं हैं।

प्र.27

निष्कर्ष :–

गाँवों/कस्बे में ईंधन आपूर्ति हेतु जनप्रतिनिधियों के विचार।

ग्राम पंचायत का नाम	कस्बे/गांव के लोग स्वयं संसाधन जुटाते हैं वृक्ष नहीं काटते ऐसा कहने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	कस्बे/गांव के लोग अभी भी वृक्ष काटते हैं ऐसा कहने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	14	02	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	08	02	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**38**	**04**	**42**

38 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस क्षेत्र में सबके घरों में पालतू जानवर होने से गोबर के कंडे तथा संतरे की खेती होने की वजह से यहां ईंधन के लिए सूखी लकड़ी उपलब्ध हो जाती हैं इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटता हैं। जबकि 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि अभी वृक्ष काटे जाते हैं।

शोधार्थी का मानना हैं कि इस क्षेत्र में लोागों को ईंधन अपने गांव के आस–पास उपलब्ध हो जाता हैं वृक्षों की कटाई नहीं होती हैं।

प्र.28

निष्कर्ष :–

पौधारोपण की जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पौधारोपण की जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पौधारोपण की जानकारी नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	12	04	16
जूनाखेड़ा	08	04	12
लावासल	07	03	10
अन्य	04	—	04
कुल योग	**31**	**11**	**42**

31 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वे प्रतिवर्ष जुलाई, अगस्त माह में पौधारोपण का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत तो पौधारोपण होता ही हैं लेकिन हम हमारी जमीन की मेढ़ के पास भी पौधारोपण करते हैं जबकि 11 जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं हैं। शोधार्थी का मानना है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत संचालित हरित राजस्थान योजना व अभिनव योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं ने हजारों पौधे अपने क्षेत्र में लगाये हैं और प्रतिवर्ष बंजर भूमि, सरकारी भवनो की चारदीवारी के अन्दर, सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य किया हैं।

प्र.29

निष्कर्ष :–

ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट पदार्थ/कचरा डालने की
उचित व्यवस्था बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट पदार्थ/कचरा डालने हेतु उचित व्यवस्था बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में अवशिष्ट पदार्थ/कचरा डालने हेतु उचित स्थान की व्यवस्था नहीं कि हैं ऐसा कहने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	04	12	16
जूनाखेड़ा	02	10	12
लावासल	02	08	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**10**	**32**	**42**

10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अवशिष्ट पदार्थ/कचरा डालने की उचित व्यवस्था हैं जबकि 32 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कचरा डालने की उचित व्यवस्था नहीं हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतो द्वारा कचरा डालने के उचित स्थान की व्यवस्था नहीं कि हैं। गांवों में गांव के पास किसी भी खाली पड़े भूखण्ड पर कचरा डाल देते हैं।

प्र.30

निष्कर्ष :–

ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों के निर्माण की जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधियों।

ग्राम पंचायत का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण नहीं किया गया हैं यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों के निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ हैं यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	09	07	16
जूनाखेड़ा	05	07	12
लावासल	03	07	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**19**	**23**	**42**

19 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण नहीं किया गया हैं जबकि 23 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि नालियों का निर्माण चल रहा हैं, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। शोधार्थी का मानना हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण कार्य चल रहा हैं लेकिन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ हैं।

प्र.31

निष्कर्ष :–

नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रयास करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**जवाब नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	10	06	16
जूनाखेड़ा	07	05	12
लावासल	05	05	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**26**	**16**	**42**

26 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करते है कि अपने आस–पास गन्दगी नहीं होनी चाहिए, गन्दा पानी भरा हुआ नहीं हो, स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते हैं। जबकि 16 जनप्रतिनिधियों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों ने लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित किया जो कि सकारात्मक प्रयास हैं।

प्र.32

निष्कर्ष :–

ग्राम पंचायत में वन क्षेत्र पर जनप्रतिनिधियों की राय।

ग्राम पंचायत का नाम	**वन प्रतिशत**	**वन प्रतिशत बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**वन प्रतिशत नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	**80 प्रतिशत से अधिक**	07	09	16
जूनाखेड़ा	**60 प्रतिशत से अधिक**	06	06	12

लावासल	**80 प्रतिशत से अधिक**	03	07	10
अन्य	**60 प्रतिशत से अधिक**	02	02	04
कुल योग		**18**	**24**	**42**

18 जनप्रतिनिधियों ने 60 से 80 प्रतिशत तक वन क्षेत्र बताया है जबकि 24 जनप्रतिनिधियों ने वन क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं बताया। शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को वन क्षेत्र की जानकारी ज्यादा नहीं हैं।

प्र.33

निष्कर्ष :–

क्षेत्र में उद्योग/कारखाने से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों की राय।

ग्राम पंचायत का नाम	**क्षेत्र में कोई कारखाना/उद्योग नहीं हैं यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता हैं यह कहने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	14	02	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	–	04	04
कुल योग	**36**	**06**	**42**

36 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनके गांव/वार्ड में किसी तरह का उद्योग या कारखाना नहीं चल रहा हैं। जबकि 6 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां कुछ छोटे–छोटे उद्योग चल रहे हैं जैसे ईंट भट्टा उद्योग, सीमेन्ट की ईंट बनाने के उद्योग आदि। शोधार्थी का मानना है कि गांव/वार्ड में बड़े करखाने नहीं हैं जो स्वास्थ्य के लिउ हानिकारक हों।

प्र.34

निष्कर्ष :–

पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय की गई राशी से
पर्यावरण संरक्षण को लाभ बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पंचायतों द्वारा व्यय राशी से पर्यावरण संरक्षण कार्य में लाभ हुआ हैं यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	व्यय राशी से लाभ नहीं हुआ यह बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**42**	**–**	**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के अधिकांश कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत होते हैं योजना के अन्तर्गत राशी की कमी नहीं हैं कार्यों के अनुसार राशी व्यय होती हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया की व्यय राशी से पर्यावरण संरक्षण कार्य में लाभ हुआ हैं जैसे शौचालय निर्माण, तालाब, मेढ़बन्दी, एनिकट निर्माण, नाली, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण आदि कार्य हुए हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि पंचायती राज द्वारा व्यय कि गई राशी से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लाभ हुआ हैं।

प्र.35

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी के सम्बन्ध में उत्तर नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	05	11	16
जूनाखेड़ा	04	08	12
लावासल	02	08	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	15	27	42

15 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून बनाये है जिनसे हवा, पानी को कोई व्यक्ति प्रदूषित नहीं कर सकता, जंगल की लकड़ी नहीं काट सकता। जबकि 27 जनप्रतिनिधियों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनो की ज्यादा जानकारी नही हैं जो चिन्ता का विषय हैं।

प्र.36

निष्कर्ष :–

ग्रीन हाउस के बारे में जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**ग्रीन हाउस के बारे में बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**ग्रीन हाउस के बारे में नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	03	13	16
जूनाखेड़ा	03	09	12
लावासल	02	08	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**10**	**32**	**42**

ग्रीन हाउस के बारे में कुछ जानकारी 10 जनप्रतिनिधियों को हैं इन्होंने ही कहा पहले से गर्मी अधिक पड़ रही हैं। शेष 32 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया। शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को ग्रीन हाउस के बारे में जानकारी नही हैं।

प्र.37

निष्कर्ष :–

भूमि पर मल–जल व्यावसायिक बहिस्राव के उपचार और
वायु प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी तरीका बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**प्रभावी तरीका बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**प्रभावी तरीका नहीं बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	02	14	16
जूनाखेड़ा	02	10	12

लावासल	02	08	10
अन्य	03	01	04
कुल योग	**09**	**33**	**42**

09 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांवों में गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण हो उसकी सफाई समय पर हो, सार्वजनिक जल स्रोतों में गंदे पानी की रोकथाम हो तथा प्रदूषण फैलाने वालो को कठोर सजा मिले। जबकि 33 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नहीं दिया। शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को प्रभावी तरीके से ज्यादा जानकारी नहीं हैं।

प्र.38

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने में आने वाली

बाधाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों के विचार।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण संरक्षण के कार्य को करने में किसी तरह की बाधाएंनहीं आती हैं ऐसे जनप्रतिनिधियोंकी संख्या**	**पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने में बाधाएं आती हैं ऐसा कहने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	10	06	16
जूनाखेड़ा	07	05	12
लावासल	06	04	10
अन्य	03	01	04
कुल योग	**26**	**16**	**42**

25 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं। जबकि 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बाधाएं आती हैं। जैसे पौधों की सुरक्षा, पानी की समस्या तथा वार्डो, गांवों में गंदे पानी की निकासी की समस्या, प्लास्टिक की समस्या आदि। शोधार्थी का मानना हैं कि पर्यावरण संरक्षण में किसी तरह की बाधा नहीं आती हैं।

प्र.39

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए	पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नहीं होनी चाहिए	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**42**	**–**	**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधि सहमत हैं कि पर्यावरण संरक्षण कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए। शोधार्थी का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए। यदि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझेगें तो जनता भी उनका अनुसरण करेगी।

प्र.40

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक अधिकारों की मांग करने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	अधिकार मांगने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	अधिकार नहीं मांगने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10
अन्य	04	–	04
कुल योग	**42**	**–**	**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु उन्हें और अधिकार दिये जाने चाहिए जैसे वनों की रक्षा का कार्य पंचायतें अच्छी तरह कर सकती हैं। वृक्षारोपण कार्य, उनकी सुरक्षा हेतु कर्मचारी लगाने के अधिकार, स्वच्छता कार्य हेतु कर्मचारी लगाने के अधिकार आदि। शोधार्थी का मानना हैं कि ग्राम पंचायतों को और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए।

प्र.41

निष्कर्ष :–

कुल 42 जनप्रतिनिधियों में से सभी जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इन तीनों ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में मुख्यतया नीम, इमली, बबूल, बांस, धोकड़ा, तींदू, शीशम, सागवान, आम, अशोक फलदार वृक्ष जैसे नींबू, अमरूद, संतरा आदि वृक्ष पाये जाते हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि यहां कि मिट्टी इन वृक्षों के लिए उपयुक्त हैं।

प्र.42

निष्कर्ष :–

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि तीनों ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में नीम, शीशम, बांस, बबूल तथा फलदार वृक्ष आसानी से लगाये जा सकते हैं। शोधार्थी का मानना है कि इस प्रकार के पौधें यहां लगाये जा सकते हैं।

प्र.43

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण कार्य सफलता पूर्वक करने वाली
ग्राम पंचायत पर जनप्रतिनिधियों की राय।

ग्राम पंचायत का नाम	सफल बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जवाब नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	11 (68.75%)	05	16
जूनाखेड़ा	08 (66.66%)	04	12
लावासल	07 (70%)	03	10
कुल योग	**26**	**12**	**38**

शोधार्थी का मानना है कि ग्राम पंचायत लावासल में पर्यावरण संरक्षण के कार्य सफलतापूर्वक किये गये।

प्र.44

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यक्रम की जानकारी देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जानकारी नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	07	09	16
जूनाखेड़ा	08	04	12
लावासल	05	05	10
अन्य	03	01	04
कुल योग	**23**	**19**	**42**

23 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। पौधारोपण कार्य किया जाता हैं, छात्रों के साथ रेलिया निकालते हैं, प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास किये जा रहे हैं, शौचालय निर्माण हेतु कार्य चल रहे हैं। स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा हैं। जबकि 19 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया। शोधार्थी का मानना हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरण अभियान चलाये गये हैं।

प्र.45

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय सोच में
बदलाव पर जवाब देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	जवाब देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	जवाब नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	16	–	16
जूनाखेड़ा	12	–	12
लावासल	10	–	10

अन्य	04	—	04
कुल योग	**42**	**—**	**42**

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर मानवीय सोच में बदलाव बहुत बदलाव आया हैं। अब लोग स्वच्छता पर ध्यान देने लगे हैं। पर्यावरण का बचाने हेतु पौधरोपण करते हैं उनकी रक्षा करते हैं।

प्र.46

निष्कर्ष :—

लगाये गये पौधे व उनकी ठीक अवस्था के बारे में बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**लगाये गये पौधो के नाम**	**पौधे की ठीक अवस्था बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**जानकारी नहीं रखने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	शीशम, नीम, अशोक, गूलर, चरेल	09	07	16
जूनाखेड़ा	शीशम, नीम, अशोक, गूलर, चरेल	09	03	12
लावासल	शीशम, नीम, अशोक, गूलर, चरेल	06	04	10
अन्य	शीशम, नीम, अशोक, गूलर, चरेल	04	—	04
कुल योग		**28**	**14**	**42**

शोधार्थी का मानना हैं कि पौधे ठीक अवस्था में हैं। जो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक हैं।

प्र.47

निष्कर्ष :— सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनसे मिलने के लिए कोई भी गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं का सदस्य नहीं आया हैं।

प्र.48

निष्कर्ष :—

सभी 42 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम मानपुरा में केशव आदर्श समिति द्वारा संचालित कामधेनु वर्मी कम्पोस्ट केन्द्र हैं यह क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा, गोरक्षा, जल संरक्षण, औषधि सुरक्षा, स्वच्छता आदि 5 कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। ग्राम जूनाखेड़ा में भी पौध उत्पादन हेतु निजी नर्सरी माँ जगदम्बा उच्च तकनीकी नर्सरी की स्थापना की हैं इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड–गुड़गांव द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो चुकी हैं। शोधार्थी का मानना हैं कि गांव में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं।

प्र.49

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण की योजनाएँ सफल/असफल बताने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	**पर्यावरण संरक्षण की योजनाएँ सफल बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योजनाओं को असफल बताने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**जवाब नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या**	**योग**
असनावर	10	04	02	16
जूनाखेड़ा	08	04	–	12
लावासल	07	03	–	10
अन्य	04	–	–	04
कुल योग	**30**	**10**	**02**	**42**

30 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सफल रही हैं। ग्राम पंचायतों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनेक कार्य किये हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता अभियान चलाये गये हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। जबकि 10 जनप्रतिनिधियों ने कहा योजनाएं असफल रही हैं। इन्होने बताया कि पौधों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, पौधे नष्ट हो जाते हैं मनरेगा योजना में सुधार की आवश्यकता हैं। साफ–सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं। प्लास्टिक पर रोकथाम नहीं लग पाई हैं। शोधार्थी का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण कि योजनाएं व कार्यक्रम सफल रहे हैं।

प्र.50

निष्कर्ष :–

पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव देने वाले जनप्रतिनिधि।

ग्राम पंचायत का नाम	पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव नहीं देने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या	योग
असनावर	08	08	16
जूनाखेड़ा	05	07	12
लावासल	05	05	10
अन्य	02	02	04
कुल योग	**20**	**22**	**42**

20 जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव दिये हैं जैसे :–

1. पेड़–पौधे लगाये जाये तथा इनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये।
2. प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रोकथाम लगे।
3. पंचायतो को और अधिकार मिले।
4. पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी गांव के व्यक्तियों को सौंपे।
5. वन विभाग को सख्त कार्यवाही करना चाहिए।
6. सख्त कानून बनाया जायें।
7. पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरण अभियान चलाया जाये।
8. पशुओं को सरकारी भूमि पर नहीं जाने देना चाहिए।
9. पर्यावरण संरक्षण हेतु चौकीदार की व्यवस्था हो।
10. जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़े।
11. स्वच्छता अभियान को प्रभावी तरीके से संचालित करना चाहिए।
12. पर्यावरण संरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायतो को सौंप देनी चाहिए।
13. ग्राम पंचायतों को दण्ड देने की शक्ति प्रदान कि जावे।
14. पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी चाहिए। इसे बचाना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हैं।
15. लोगों को प्रेरित करना चाहिए।
16. वृक्ष काटने पर रोक लगनी चाहिए।

17. फलदार वृक्षों को लगाना चाहिए इनकी रक्षा करनी चाहिए।
18. जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
19. जन सहयोग की भावना होनी चाहिए।
20. ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण नाम से अलग विभाग होना चाहिए।
21. हमें गन्दगी नहीं करनी चाहिये तथा नियमित साफ–सफाई होनी चाहिए।
22. सरपंच, वार्ड पंचों से पर्यावरण संरक्षण हेतु बातचीत करे, योजनाओं पर विचार विमर्श करें, सभी वार्ड पंचों को साथ लेकर चलें।

शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं। जो पर्यावरण संरक्षण करने में मदद करेगें। जिससे पर्यावरण सुरक्षित होगा।

ग्राम पंचायत असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल का अध्ययन :– शोधार्थी द्वारा पंचायत समिति झालरापाटन की तीन ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत किये गये पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अध्ययन किया हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

ग्राम पंचायत असनावर

परिचय :– ग्राम पंचायत असनावर पंचायत समिति झालरापाटन से 22 किमी. दूर व जिला मुख्यालय से 28 किमी. दूर स्थित हैं। असनावर की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 8885 हैं। यहां कि साक्षरता 64.14 प्रतिशत हैं। असनावर कस्बा उजाड़ नदी के किनारे बसा हुआ हैं। इस नदी पर असनावर से लगभग 15 किमी. दूर भीमसागर बांध का निर्माण किया गया हैं। इस बांध की जल भराव क्षमता असनावर कस्बे तक रहती हैं और वर्षा ऋतु में कस्बे के निचले क्षेत्र में पानी भरा रहता हैं। यहां उपखण्ड मजिस्ट्रेड व तहसील कार्यालय स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहां वन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं।[38]

ग्राम पंयायत असनावर का भौगोलिक क्षेत्रफल, चरागाह भूमि, बंजड़ व उसर भूमि, वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं :–[39]

1.	ग्राम पंचायत का भौगोलिक क्षेत्रफल	1119 हैक्टेयर
2.	चरागाह भूमि	40 हैक्टेयर
3.	बंजड़ व उसर भूमि	162 हैक्टेयर
4.	वन भूमि	55 हैक्टेयर

ग्राम पंचायत असनावर में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित योजनाएं :–

मनरेगा योजना :– ग्राम पंचायत असनावर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए गये हैं।

वृक्षारोपण कार्य :– ग्राम पंचायत द्वारा हरित राजस्थान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 व 2012–13 के अन्तर्गत लगाये गये पौधो का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[40]

वर्ष	**लगाये गये पौधों की संख्या**
2011–12	2000 – विभिन्न स्थानों पर
2012–13	500 – पड़ती भूमि पर

वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्न प्रकार हैं[41] :–

2015–16 में निम्न स्थानों पर चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य किया गया।

क्र.सं.	**वृक्षारोपण किये गये स्थानों के नाम**	**अनुमानित व्यय राशी (लाखों में)**
1.	चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य	4.00
2.	राजकीय भवनों की चारदीवारी के अन्तर्गत	2.50
3.	शमशान भूमि पर	4.00
योग		10.50

वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत वृक्षारोपण निम्न स्थानों पर किया गया हैं।

क्र.सं.	**वृक्षारोपण किये गये स्थानों के नाम**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**	
1.	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्य	4.00	कार्य पूर्ण
2.	मॉडल स्कूल, असनावर	7.00	9 माह
3.	कस्तूरबा गाँधी विद्यालय	5.00	9 माह
4.	शमशान भूमि पर वृक्षारोपण कार्य	8.00	9 माह
योग		**24.00**	

वर्ष 2017—18 के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया।

क्र.सं.	वृक्षारोपण किये गये स्थानों के नाम	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण कार्य	8.00
2.	राज. प्रा. विद्या. के. जी. बी. सी.	5.00
3.	कस्तूरबा गाँधी विद्यालय	5.00
4.	सामुदायिक भवन क्षेत्र	2.5
5.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	5.00
6.	देव स्थान विभाग की पड़त भूमि पर	4.00
योग		**29.50**

अतः मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों (2015—16 से 2017—18) में कुल 13 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया जिस पर अनुमानित राशी 63.5 लाख व्यय की गई।

मेड़बन्दी व भूमि समतलीकरण :— वर्ष 2012—13 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा 2 स्थानों पर मेड़बन्दी कार्य करवाये गये इस कार्य को करने में 28 हजार रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2015—16 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत 23 किसानों ने अपने खेत में मेड़बन्दी कार्य करवाया इस कार्य पर 11.50 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत के खाते की भूमि पर मेड़बन्दी ट्रेच एवं समतलीकरण कार्य करवाया गया इस कार्य पर 6.00 लाख रूपये व्यय किये गये। अतः पिछले 3 वर्षों में (2013—16 से 2016—17) मेड़बन्दी के 26 कार्य किये गये। इन कार्यों पर 17 लाख 78 हजार रूपये व्यय किये गये। इसी तरह पिछले 4 वर्षों में हुए भूमि समतलीकरण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं[42]:—

क्र.सं.	वर्ष	भूमि समतलीकरण कार्य के स्थानों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	2012—13	07	3.57
2.	2013—14	01	.51
3.	2315—16	17	8.50
4.	2016—17	03	1.50
योग		28	14.08

टांका/कुआ निर्माण/गहरा स्थान :– वर्ष 2014–15 में 15 स्थानों पर टांका निर्माण के कार्य हुए तथा व्यय राशि 7.50 लाख रूपये थी जिनमें कुछ स्थान निम्न हैं जैसे थाना भवन फैमिली क्वार्टर, भू अभिलेख निरीक्षक भवन, पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, पटवार घर, सरकारी विद्यालय, उपस्वास्थ्य केन्द्र, तहसीलदार आवास, आँगनबाड़ी केन्द्र आदि स्थानों पर टांका निर्माण हुआ। वर्ष 2016–17 में 2 स्थानों पर कुआ निर्माण व गहरा करने के कार्य हुए। इन कार्यों पर 11.00 लाख रूपये हुए। पिछले 2 वर्षों में हुए टांका निर्माण व कुआँ निर्माण के कार्यों को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[43]

क्र.सं.	**टांका व कुआँ निर्माण के स्थानों की संख्या**	**वर्ष**	**व्यय राशि (लाखों में)**
1.	15	2014–15	7.50
2.	02	2016–17	11.00
योग	**17**		**18.50**

तालाब/तलाई निर्माण कार्य :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत तलाई निर्माण, गहरी करना, तालाब निर्माण आदि कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किए गये हैं। वर्ष 2014–15 में तालाब निर्माण सम्बन्धी कार्य 8 स्थानों पर किये गये हैं इनका विवरण तालिका द्वार स्पष्ट किया गया हैं।[44]

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
		श्रम	**समग्री**	**योग (लाखों में)**	
1.	तलाई निर्माण खेड़ला रास्ते पर	3.00	0.00	3.00	6 माह
2.	तलाई गहरी करना कृषि उपज मण्डी के पीछे	3.97	0.17	4.14	6 माह
3.	तलाई गहरी करना कृषि उपज मंडी के पीछे	11.91	4.3	16.21	6 माह
4.	तलाई गहरी करना हनुमान जी वाली	5.26	4.16	9.42	6 माह

5.	ओवर फ्लों एवं तलाई निर्माण खेरखेड़ा खाल पर	11.42	6.79	18.21	6 माह
6.	नई तलाई निर्माण खेड़ला रास्ते पर	7.61	1.92	9.53	6 माह
7.	मॉडल तालाब निर्माण	14.87	9.78	24.65	12 माह
8.	तलाई निर्माण मय पिचिंग कृषि मण्डी के पीछे	9.50	3.90	13.40	12 माह
योग				98.56	

वर्ष 2015–16 में तलाई निर्माण दो स्थानों पर किये गये इनका विवरण तालिका द्वारा दिया गया हैं :–

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
		श्रम	**समग्री**	**योग (लाखों में)**	
1.	तलाई निर्माण मय पिचिंग कृषि मण्डी के पीछे	2.60	1.40	4.00	9 माह
2.	मॉडल तालाब निर्माण	2.60	1.40	4.00	9 माह
योग				8.00	

वर्ष 2016–17 में तलाई निर्माण एक स्थान पर किया गया इसका विवरण इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
		श्रम	**समग्री**	**योग (लाखों में)**	
1.	तलाई निर्माण मय पिचिंग	2.60	1.40	4.00	–

वर्ष 2017—18 में तालाब निर्माण व मरम्मत के कुल दो स्थानों पर कार्य किये गये है जिनका विवरण तालिका द्वारा दिया गया हैं।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत			कार्य पूर्ण होने की अवधि
		श्रम	समग्री	योग (लाखों में)	
1.	तालाब मरम्मत कार्य	3.90	2.10	6.00	—
2.	निर्माण कार्य	2.60	1.40	4.00	—
योग				**10.00**	

अतः पिछले 4 वर्षों में तलाई निर्माण सम्बन्धी कुल 13 स्थानों पर कार्य किये गये। इन कार्यों पर कुल राशि 120.56 लाख व्यय हुई।

एनिकट निर्माण :— वर्ष 2017—18 में ग्राम पंचायत द्वारा 1 एनिकट का निर्माण कराया गया हैं। इस कार्य पर 5.00 लाख रूपये खर्च हुए।

निष्कर्ष :— पिछले वर्षों में ग्राम पंचायत असनावर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत चरागाह विकास व वृक्षारोपण मेड़बन्दी, टांका/कुआ निर्माण/तालाब/तलाई निर्माण, एनिकट निर्माण आदि कार्य किये गये इन कार्यों पर ग्राम पंचायत द्वारा अनुमानित राशी 239.42 लाख व्यय की गई। यह सभी कार्य पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित हैं। जिससे पर्यावरण संतुलन होगा।

स्वच्छ भारत अभियान :— ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्ड में इस अभियान को प्रारम्भ किया गया हैं। प्रत्येक वार्ड में लोगों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया जा रहा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति व्यक्ति शौचालय निर्माण हेतु 12000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही हैं।

पिछले 4 वर्षों में शौचालय निर्माण का विवरण निम्न प्रकार हैं।[45]

क्र.सं.	वर्ष	कुल शौचालय निर्माण	ग्राम पंचायत द्वारा प्रति व्यक्ति देय राशि (हजारों में)
1.	2013—14	20	9100/—

2.	2014–15	218	12000/–
3.	2015–16	382	12000/–
4.	2016–17	830	12000/–
योग		1450	17342000 = 00

ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक वार्ड में घरों के पानी की निकासी साफ सफाई हेतु सड़क व नालियों का निर्माण किया हैं। पिछले 4 वर्षों के अन्तर्गत हुए सड़क व नाली निर्माण के कार्य को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[46]

क्र. सं.	**वर्ष**	**सड़क व नाली निर्माण के स्थानों की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशी (लाखों में)**
1.	2014–15	08	49.61
2.	2015–16	10	64.00
3.	2016–17	35	224.00
4.	2017–18	37	239.00
योग		**90**	**576.61**

ग्राम पंचायत द्वारा प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से प्लास्टिक की बनी थैलिया/कैरी बैग का प्रयोग नहीं करने की अपील की हैं तथा प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा हैं। कचरा प्रबन्ध हेतु प्रत्येक वार्ड में कचरा पात्र रखवाये गये है। प्रत्येक वार्ड में सफाई कार्य करवाया जा रहा हैं। लोगों को स्वच्छता हेतु प्ररित कर रहे हैं।[47]

ड्रिप व फव्वारा सिंचाई पद्वतियाँ :– इसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया है[48]:–

ड्रिप सिंचाई तालिका

क्र.सं.	**वर्ष**	**किसानों की संख्या**	**सिंचाई (हैक्टेयर में)**
1.	2009–10	08	9.44
2.	2010–11	16	26.25

3.	2011—12	13	18.39
4.	2012—13	21	41.69
5.	2013—14	16	23.48
6.	2014—15	20	28.78
योग			148.03

फव्वारा सिंचाई विवरण

क्र.सं.	**वर्ष**	**किसानों की संख्या**	**सिंचाई (हैक्टेयर में)**
1.	2009—10	02	4.00
2.	2010—11	06	12.00
3.	2011—12	04	9.00
योग		**12**	**25.00**

उज्ज्वला योजना :— ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कुल 1399 बी पी एल व्यक्तियों को एलपीजी गैस कनेक्शन देने हैं। इनमें से दिनांक 31 अगस्त 2017 तक 551 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दे दिये हैं। शेष 848 व्यक्तियों को शीघ्र गैस कनेक्शन दे दिये जायेगें।[49]

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान :—

विभागवार प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं[50] :—

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**कार्य का नाम**	**विभाग का नाम**	**लागत राशि (लाखों में)**
1.	असनावर	तलाई एवं वेस्ट वेयर उपज मंडी	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
2.	असनावर	तलाई गहरीकरण कार्य	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
3.	असनावर	तलाई गहरीकरण	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00

4.	असनावर	तलाई निर्माण	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
5.	असनावर	खान तलाई	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
6.	असनावर	तालाब निर्माण	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
7.	असनावर	हनुमान जी वाली तलाई	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
8.	असनावर	तलाई निर्माण शमशान के पास	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
9.	असनावर	खान तलाई	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
10.	असनावर	खान तलाई	जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण	2.00
योग				20.00

इस अभियान के अन्तर्गत किये गये कार्यों पर 20 लाख रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित हैं जिससे जल संरक्षण हो सकेगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड :– सन्तुलित खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग से प्रति इकाई गुणवत्ता पूर्वक अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से मृदा संरक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत असनावर द्वारा कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत असनावर में मिट्टी के 340 नमूने लिए हैं। शीघ्र ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिये जायेगे।[51]

जैविक खेती :– ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रेरित किया जाता हैं। सरकार द्वारा वर्मी कम्पोस्ट पिट इकाई यूनिट की स्थापना हेतु प्रति किसान 24000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कि जाती हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी किसानों के पास पालतू जानवर हैं और इनके गोबर को खेतो में डाला जाता हैं। यहां 80 प्रतिशत से अधिक किसान कृषि कार्य में जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। यहां वर्मी कम्पोस्ट यूनिट से 2 किसानों को लाभ पहुंचाया हैं।[52]

शोधकर्त्ता द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन :– ग्राम पंचायत असनावर में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अधिकांश कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत हुए हैं जैसे वृक्षारोपण कार्य, तालाब/तलाई निर्माण, सड़क निर्माण, भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी, टांका/कुआ निर्माण आदि।

वृक्षारोपण कार्य :– ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया हैं। जैसे चारागाह भूमि पर, शमशान के निकट पड़ती भूमि पर, देवस्थान भूमि के पास व सरकारी व निजी भवनों की चारदीवारी के अन्दर वृक्षारोपण कार्य किया हैं और इन स्थानों पर पौधे जीवित अवस्था में हैं।

तलाबा/एनिकट निर्माण :– ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्माण करके उसके पानी को रोकने हेतु एक एनिकट का निर्माण भी किया गया हैं। इस एनिकट के द्वारा तालाब में पानी का स्तर बना रहता है।

शोधार्थी द्वारा तालाब व एनिकट का लिया गया छायाचित्र

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान :– इस अभियान के अन्तर्गत जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा तलाई गहरीकरण का कार्य करवाया गया।

स्वच्छ भारत अभियान :– इस अभियान के अन्तर्गत असनावर कस्बे में शौचालय निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। 80 प्रतिशत से अधिक शौचालयों का निर्माण कस्बे में पूर्ण हो चुका हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परिसर के आस–पास के क्षेत्र में सफाई कार्य किया गया।

ग्राम पंचायत के कर्मचारी व अन्य लोग सफाई करते हुए

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा असनावर कस्बे के अन्तर्गत सड़क व नाली निर्माण का कार्य भी किया गया हैं।

निष्कर्ष :– ग्राम पंचायत असनावर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास व वृक्षारोपण तालाब निर्माण, एनिकट निर्माण, मेड़बन्दी आदि कार्य किये गये। जिन पर अनुमानित राशी 239.42 व्यय की गई। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण किया गया। सड़क व नाली निर्माण पर 576.

61 लाख अनुमानित राशी व्यय की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत तालाब निर्माण, गहरीकरण आदि कार्य किये गये इन कार्यों पर 20 लाख रूपये व्यय किये गये। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पिछले 6 वर्षों में 106 किसान ड्रिप व फव्वारा सिंचाई को अपनाया जिससे 173.03 हैक्टेयर में सिंचाई की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बनाये जा रहे हैं किसानों को जैविक खेती के लिए सरकार द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पिट इकाई यूनिट की स्थापना हेतु प्रति किसान 24000 रूपये की आर्थिक सहायता, प्रदान की जा रही हैं। शोधार्थी ने भी इन निर्माण कार्यों का अवलोकन कर छायाचित्र लिये हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण संरक्षण होगा।

ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा

परिचय :– ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा पंचायत समिति झालरापाटन से 25 किमी. दूर हैं। इस ग्राम पंचायत की आबादी सन् 2011 के अनुसार 5233 व्यक्ति हैं जिसमें 2660 पुरूष व 2573 महिला आबादी हैं। यहां की कुल साक्षरता 58.36 प्रतिशत हैं। इस ग्राम पंचायत में कुल 06 गांव सम्मिलित हैं। जिनके नाम हैं जूनाखेड़ा, मोड़ी, मेहसर, सेमली, झीतापुरा व गावड़ी।[53]

ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा का भौगोलिक क्षेत्रफल चरागाह भूमि, बंजड़ व उसर भूमि, वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है[54] :–

1.	ग्राम पंचायत का भौगोलिक क्षेत्रफल	1688 हैक्टेयर
2.	चरागाह भूमि	37 हैक्टेयर
3.	बंजर व उसर भूमि	54 हैक्टेयर
4.	वन भूमि	467 हैक्टेयर

ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित योजनाएं :–

मनरेगा योजना :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अनेक कार्य किए गये हैं। जो निम्न हैं:–

वृक्षारोपण कार्यक्रम :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता हैं। वर्ष 2014–15 से 2017–18 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निम्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया था। जिसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[55]

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम	अनुमानित राशी (लाखों में)			कार्य पूर्ण करने की अवधि
				श्रम	समग्री	योग	
1.	2014–15	रा.मा.वि.में वृक्षारोपण कार्य	जूनाखेड़ा	.86402	.55240	1.41	5 वर्ष
	2014–15	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण कार्य	झीतापुरा	.86402	.55240	1.41	5 वर्ष
3.	2014–15	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण कार्य	गावड़ी	.86402	.55240	1.41	5 वर्ष
4.	2014–15	उप स्वास्थ्य केन्द्र में वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	.86402	.55240	1.41	5 वर्ष
योग						5.64	

वर्ष 2015–16 में 05 स्थानों पर ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया जिसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	वर्ष	कार्य का नाम	ग्राम	अनुमानित लागत (लाखों में)			कार्य पूर्ण करने की अवधि
				श्रम	समग्री	योग	
1.	2015–16	राजकीय भवनों व सामुदायिक स्थान पर वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	1.63	0.88	2.50	9 माह
2.	2015–16	रा.मा.वि.में वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	2.60	1.40	4.00	9 माह
3.	2015–16	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	झीतापुरा	2.60	1.40	4.00	9 माह
4.	2015–16	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	गावड़ी	2.60	1.40	4.00	9 माह
5.	2015–16	उप स्वास्थ्य केन्द्र में वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	2.60	1.40	4.00	9 माह
योग						18.50	

वर्ष 2016—17 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत 5 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। इनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
				श्रम	**समग्री**	**योग**
1.	2016—17	राजकीय भवनों व सामुदायिक स्थान पर वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	1.63	0.88	2.50
2.	2016—17	रा.मा.वि.में वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	2.60	1.40	4.00
3.	2016—17	उप स्वास्थ्य केन्द्र में वृक्षारोपण	जूनाखेड़ा	2.60	1.40	4.00
4.	2016—17	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	गावड़ी	2.60	1.40	4.00
5.	2016—17	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	झीतापुरा	2.60	1.40	4.00
योग						18.50

वर्ष 2017—18 में ग्राम पंचायत द्वारा 2 स्थानों पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य किया गया। इन कार्यों का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	**वर्ष**	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
				श्रम	**समग्री**	**योग**
1.	2017—18	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	गावड़ी	2.60	1.40	4.00
2.	2017—18	रा.उ.प्रा.वि.में वृक्षारोपण	झीतापुरा	2.60	1.40	4.00
योग						8.00

अतः पिछले 4 वर्षों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य पर 50.64 लाख रूपये व्यय किए गये।

तलाई/तालाब निर्माण सम्बन्धी कार्य :– ग्राम पंचायत द्वारा तालाब निर्माण/तालाब गहरा करने/पिचिंग निर्माण के कार्यों का पिछले 4 वर्षों का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[56]

वर्ष 2014–15 में किये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य स्वीकृत ग्राम	वित्तीय स्वीकृति की राशि (लाखों में)			कार्य पूर्ण होने की समय सीमा
			श्रम	सामग्री	योग	
1.	तलाई गहरी करना	झीतापुरा	3.15	1.10	4.25	12 माह
2.	तलाई गहरी करना	झीतापुरा	4.60	0.33	4.93	12 माह
3.	तालाब एवं पिचिंग निर्माण	झीतापुरा	8.58	3.71	12.29	12 माह
4.	नवीन तलाई निर्माण	झीतापुरा	9.22	3.88	13.10	12 माह
5.	तलाई गहरी एवं पिचिंग निर्माण	झीतापुरा	7.78	2.84	10.62	12 माह
6.	तलाई गहरी करना	मोडी	2.90	0.20	3.10	12 माह
7.	तलाई निर्माण पिचिंग	मोडी	7.29	2.00	9.29	12 माह
8.	नई तलाई निर्माण खसरा नं. 462	मोडी	8.65	1.88	10.53	
9.	तलाई निर्माण करना बरधा ठेकेदार के खेत के ऊपर	मोडी	9.45	2.64	12.09	12 माह
10.	तलाई निर्माण मानावली खसरा नं. 468	मोडी	9.39	2.01	11.40	12 माह
11.	मॉडल तालाब निर्माण	मोडी	14.87	9.78	24.65	12 माह

12.	नवीन तलाई निर्माण खसरा नं. 293	मोडी	10.08	3.95	14.03	12 माह
13.	तलाई गहरी मय वेस्ट वियर	मेहसर	3.76	2.30	6.06	12 माह
14.	नवीन तलाई निर्माण खसरा नं. 14	मेहसर	10.61	3.90	14.60	12 माह
15.	पातला तालाब निर्माण	मेहसर	16.67	7.54	24.21	12 माह
16.	तलाई गहरी करना	सेमली	1.30	0.20	1.50	12 माह
17.	नवीन तलाई निर्माण खसरा नं. 5	सेमली	7.57	3.69	11.26	12 माह
18.	तलाई गहरी पिचिंग वेस्ट वियर	सेमली	7.29	2.00	9.29	12 माह
19.	तलाई गहरी व पिचिंग	जूनाखेड़ा	3.63	1.30	4.93	12 माह
20.	तालाब गहरा व पिचिंग	जूनाखेड़ा	9.79	5.09	14.88	12 माह
21.	तलाई निर्माण खसरा नं. 462	जूनाखेड़ा	9.93	2.66	12.59	12 माह
22.	नवीन तलाई निर्माण खसरा नं. 1304	जूनाखेड़ा	9.59	3.90	13.49	12 माह
योग			176.1	66.99	243.09	

वर्ष 2015–16 में किए गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं।

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
			श्रम	**सामग्री**	**योग**	
1.	तालाब की मरम्मत एवं पानी का रिसाव रोकना	मोडी	2.60	1.40	4.00	9 माह
2.	तालाब निर्माण	जूनाखेड़ा	3.25	1.75	5.00	9 माह

3.	तालाब निर्माण	मोडी	3.25	1.75	5.00	9 माह
4.	नवीन तलाई निर्माण	जूनाखेड़ा	3.25	1.75	5.00	9 माह
5.	नवीन तलाई निर्माण	सेमली	3.25	1.75	5.00	9 माह
6.	नवीन तलाई निर्माण	मेहसर	3.25	1.75	5.00	9 माह
7.	नवीन तलाई निर्माण	झीतापुरा	5.20	2.80	8.00	9 माह
8.	नवीन तलाई निर्माण	मोडी	3.25	1.75	5.00	
योग			27.3	14.7	42.00	9 माह

वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यों का विवरण निम्न हैं।

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
			श्रम	**सामग्री**	**योग**
1.	तालाब निर्माण	जूनाखेड़ा	3.25	1.75	5.00
2.	माना की तलाई गहरीकरण पिचिंग कार्य	मोडी	3.25	1.75	5.00
3.	तलाई गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य	मोडी	3.25	1.75	5.00
4.	नवीन तलाई निर्माण	झीतापुरा	5.20	2.80	8.00
योग			14.95	8.05	23.00

वर्ष 2017–18 में किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
			श्रम	**सामग्री**	**योग**
1.	माना की तलाई गहरीकरण पिचिंग कार्य	मोडी	3.25	1.75	5.00

2.	झर की तलाई गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य	मोडी	3.25	1.75	5.00
3.	तालाब गहरीकरण एवं पिचिंग कार्य	मेहसर	2.60	1.40	4.00
4.	तलाई गहरीकरण	झीतापुरा	9.10	4.90	14.00
योग			18.2	9.8	28.00

अतः पिछले 4 वर्षों में तालाब निर्माण/गहरीकरण आदि कार्यों पर कुल राशि 336.09 लाख व्यय हुई।

एनिकट निर्माण :– ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर एनिकट निर्माण के कार्य किये हैं। पिछले 3 वर्षों में एनिकट निर्माण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया हैं।[57]

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**ग्राम**	**वर्ष**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**			**कार्य अवधि**
				श्रम	**सामग्री**	**योग**	
1.	एनिकट निर्माण द्वितीय खाल पर	मोडी	2014–15	1.80	4.38	6.18	12 माह
2.	एनिकट निर्माण	जूनाखेड़ा	2014–15	1.62	5.51	7.13	12 माह
3.	एनिकट निर्माण अरनिया खाल पर	गावड़ी	2014–15	3.46	5.20	8.66	12 माह
4.	एनिकट निर्माण	मेहसर	2016–17	3.25	1.75	5.00	12 माह
5.	एनिकट निर्माण	गावड़ी	2016–17	3.25	1.75	5.00	12 माह
6.	एनिकट निर्माण	मेहसर	2017–18	3.25	1.75	5.00	12 माह
7.	एनिकट निर्माण	गावड़ी	2017–18	3.25	1.75	5.00	12 माह
योग				19.88	22.09	41.97	

अतःपिछले 3 वर्षों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत एनिकट निर्माण पर कुल राशि 41.97 लाख व्यय की गई।

भूमि समतलीकरण :– ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण के कार्य करवाये गये। इन कार्यों का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[58]

वर्ष 2015–16 में किये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**भूमि समतलीकरण कार्यों की संख्या**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**
1.	मोडी	08	4.00
2.	मेहसर	03	1.50
3.	झीतापुरा	04	4.50
4.	जूनाखेड़ा	08	10.24
5.	सेमली	17	8.50
6.	गावड़ी	08	5.20
योग		48	32.33

वर्ष 2016–17 में किये गये कार्यों का विवरण निम्न हैं।

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**भूमि समतलीकरण के कार्यों की संख्या**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**
1.	मोडी	05	2.5
2.	मेहसर	03	1.5
3.	सेमली	13	6.5
योग		21	10.5

पिछले दो वर्षों में भूमि समतलीकरण पर कुल 42.83 लाख रूपये व्यय किये गये।

मेडबन्दी :– ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 2 वर्षों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत किये गये मेडबन्दी के कार्यों का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[59]

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**मेडबन्दी के कार्यों की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**
1.	मोडी	02	1.00
2.	सेमली	05	2.50
3.	गावड़ी	02	1.00

4.	झीतापुरा	01	.50
योग		10	5.00

वर्ष 2016—17 में किये गये कार्यों का विवरण निम्न हैं।

क्र.सं.	**गाँव का नाम**	**मेडबन्दी के कार्यों की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**
1.	मोडी	01	.50
2.	सेमली	04	2.00
योग		05	2.50

अतः पिछले 2 वर्षों में मेडबन्दी के कार्यों पर 7.50 लाख रूपये व्यय किए गये।

टांका निर्माण :— ग्राम पंचायत द्वारा कूपरिचार्ज/टांका निर्माण/कुण्ड निर्माण/कुआ निर्माण हेतु कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत किए गये जाते हैं। वर्ष 2014—15 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनाखेडा में टांका निर्माण किया गया। इस कार्य पर 50 हजार रूपये व्यय किए गये। वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत द्वारा 8 व्यक्तियों को अपने खेतों में कुण्ड निर्माण/टांका निर्माण हेतु मनरेगा योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कि इस कार्य पर 4 लाख रूपये व्यय हुए। वर्ष 2016—17 में 16 व्यक्तियों ने अपने खेतो में कुण्ड निर्माण/टांका निर्माण/कूपरिचार्ज के कार्य किए हैं इन कार्यों पर 8 लाख रूपये व्यय हुए।[60]

अतः पिछले 3 वर्षों में कुल राशी 12.5 लाख व्यय की गई।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान :— ग्राम पंचायत जूनाखेडा में इस अभियान को वर्ष 2017—18 में प्रारम्भ किया गया। इस अभियान में जलग्रहण विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एनिकट निर्माण, चेकडेम निर्माण, मेडबन्दी आदि कार्य प्रारम्भ किए हैं इनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[61]

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**गाँव का नाम**	**कार्यकारी विभाग/संस्था का नाम**	**राशि**
1.	एनिकट निर्माण	गावड़ी	जलग्रहण विभाग	7,50,000/—
2.	मेडबन्दी कार्य	मोडी	ग्रामीण विकास	20,000/—
3.	मेडबन्दी कार्य	मोडी	ग्रामीण विकास	20,000/—

4.	मेडबन्दी कार्य	मोडी	ग्रामीण विकास	20,000/—
5.	मेडबन्दी कार्य	मोडी	ग्रामीण विकास	20,000/—
6.	मेडबन्दी कार्य	मोडी	ग्रामीण विकास	20,000/—
7.	मेडबन्दी कार्य	झीतापुरा	ग्रामीण विकास	20,000/—
8.	मेडबन्दी कार्य	सेमली	ग्रामीण विकास	20,000/—
9.	मेडबन्दी कार्य	झीतापुरा	ग्रामीण विकास	20,000/—
10.	मेडबन्दी कार्य	झीतापुरा	ग्रामीण विकास	20,000/—
11.	मेडबन्दी कार्य	झीतापुरा	ग्रामीण विकास	20,000/—
12.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
13.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
14.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
15.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
16.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
17.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
18.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
19.	मेडबन्दी कार्य	गावड़ी	ग्रामीण विकास	20,000/—
20.	पक्का चेकडेम	मेहसर	जलग्रहण विभाग	2,00000 /—
21.	एनिकट	जूनाखेड़ा	जलग्रहण विभाग	5,00000/—
22.	एनिकट	गावड़ी	जलग्रहण विभाग	4,50,000/—
23.	एनिकट	मोडी	जलग्रहण विभाग	5,00000/—
24.	पक्का चेकडेम	गावड़ी	जलग्रहण विभाग	1,50,000/—
25.	पक्का चेकडेम	गावड़ी	जलग्रहण विभाग	1,50,000/—
26.	एनिकट	जूनाखेड़ा	जलग्रहण विभाग	6,00000/—
27.	पक्का चेकडेम	जूनाखेड़ा	जलग्रहण विभाग	2,50,000/—
योग				39,10,000/—

अतः ग्राम पंचायत जूनाखेडा में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत 39,10,000/— की राशि व्यय की गई। जिससे जल संरक्षण होगा।

स्वच्छ भारत अभियान :— ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र के सभी गाँवों में स्वच्छ भारत अभियान प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा हैं। गाँव के लोगों को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया गया हैं और प्रतिव्यक्ति 12000 रूपये की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान कि जाती हैं। इस ग्राम पंचायत के सभी 6 गाँवों में शत प्रतिशत शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2016—17 में यह ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त अर्थात ओ.डी.एफ. (ओपन डेफेकेशन फ्री) हो गई हैं। गांव के लोग अपने घर में बने शौचालय का उपयोग करते हैं।[62]

ग्राम पंचायत द्वारा गांव के लोगों को अपने आस—पास की सफाई के लिए भी प्रेरित किया जाता हैं। विद्यालय के छात्र/छात्राओं द्वारा स्वच्छता हेतु रैली निकाली जाती हैं। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर गांवों में सफाई कार्य करवाती हैं। गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था करती हैं। ग्रामीणों को शुद्व पेयजल का प्रबन्ध करती हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के गांवों में प्लास्टिक की थैलियों की रोकथाम हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा हैं। प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को कपड़े के थैले या जूट से बने बैग का इस्तेमाल घरेलू सामान लाने हेतु प्रयोग की सलाह दी जाती हैं। घरेलू कचरे को कचरा पात्र में डालने हेतु प्रेरित किया गया हैं।[63]

ग्राम पंचायत द्वारा पिछले 4 वर्षों में गांवो में गन्दे पानी की निकासी व सफाई हेतु नालियों व सड़को का निर्माण किया हैं। जिसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[64]

वर्ष 2014—15 में ग्राम पंचायत द्वारा किये गये सड़क व नाली निर्माण कार्यों का विवरणः—

क्र.सं.	**गाँव का नाम**	**खुरंजा/सड़क व नाली की कुल संख्या**	**वित्तीय स्वीकृत राशि (लाखों में)**
1.	झीतापुरा	02	17.95
2.	मोडी	04	33.59
3.	जूनाखेड़ा	03	34.64
4.	गावड़ी	01	3.00
5.	सेमली	01	3.99
6.	मेहसर	02	16.00
योग		13	109.17

वर्ष 2015—16 में सड़क व नाली निर्माण कार्यों का विवरण :—

क्र.सं.	गाँव का नाम	खुरंजा/सड़क व नाली की कुल संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	जूनाखेड़ा	06	33.00
योग		06	33.00

वर्ष 2016—17 में सड़क व नाली निर्माण कार्यों का विवरण :—

क्र.सं.	गाँव का नाम	खुरंजा/सड़क व नाली की कुल संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	जूनाखेड़ा	03	15.00
2.	गांवड़ी	01	5.00
3.	झीतापुरा	01	5.00
योग		05	25.00

वर्ष 2017—18 में सड़क व नाली निर्माण कार्यों का विवरण :—

क्र.सं.	गाँव का नाम	खुरंजा/सड़क व नाली की कुल संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	मोडी	01	5.00
2.	गांवड़ी	01	5.00
3.	झीतापुरा	01	5.00
4.	जूनाखेड़ा	01	10.00
योग		04	25.00

अतः पिछले 4 वर्षों में कुल 28 स्थानों पर खुरंजा/सड़क निर्माण/नाली निर्माण आदि कार्य ग्राम पंचायत

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष											
		2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15	
		किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.
1.	जूनाखेड़ा	71	94.34	27	40.69	18	21.07	17	22.43	14	14.94	24	41.90
2.	गांवड़ी	01	3.00	01	0.74	04	2.92	–	–	05	6.07	10	14.40
3.	मेहसर	01	1.32	–	–	–	–	–	–	02	2.11	04	5.89
4.	झीतापुरा	18	18.00	18	18.15	01	0.50	10	12.21	15	15.69	16	20.21
5.	मोडी	01	1.40	03	3.52	04	5.60	02	1.05	02	2.40	02	2.16
6.	सेमली	02	2.88	02	1.91	–	–	–	–	01	3.35	02	1.58
योग		94	120.94	51	65.01	27	30.09	29	35.69	39	44.56	58	86.14

द्वारा किये गये। इन कार्यों पर कुल राशि 192.17 लाख व्यय की गई हैं।

ड्रिप व फव्वारा सिंचाई :– वर्ष 2009–10 से 2014–15 तक ग्राम पंचायत जूनाखेडा में कुल 298 किसानों को ड्रिप सिंचाई से लाभान्वित किया गया और 382.43 हैक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई कि गई हैं।

ड्रिप सिंचाई का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[65]

इसी तरह पिछले 4 वर्षों में (वर्ष 2009–10 से 2012–13) ग्राम पंचायत द्वारा 28 किसानों को फव्वारा सिंचाई हेतु प्रेरित कर उन्हें लाभान्वित किया गया तथा 33.5 हैक्टेयर में सिंचाई की गई।

फव्वारा सिंचाई का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[66]

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वर्ष							
		2009–10		2010–11		2011–12		2012–13	
1.	जूनाखेड़ा	5	5.00	3	5.50	1	1.00	–	–
2.	गांवड़ी	–	–	2	2.00	–	–	–	–
3.	मेहसर	–	–	1	2.00	–	–	–	–
4.	झीतापुरा	–	–	4	6.00	5	5.00	1	1.00
5.	मोडी	–	–	2	2.00	4	4.00	–	–

6.	सेमली	—	—	—	—	—	—	—	—
योग		5	5.00	12	17.50	10	10.00	1	1.00

मृदा परीक्षण कार्ड योजना (सॉयल हैल्थ कार्ड) :– क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आने वाले गांवों के किसानों के खेती से कृषि विस्तार विभाग झालावाड़ द्वारा मिट्टी के 315 नमूने लिए हैं। इन मिट्टी के नमूनों की जाँच करके सॉयल हैल्थ कार्ड जारी किये जायेगे। ग्राम पंचायत जूनाखेडा में कुल 1200 मृदा कार्ड में से 600 मृदा कार्ड तैयार हो चुके हैं। इन्हें शीघ्र ही किसानों को वितरित किया जायेगा।[67]

जैविक कृषि :– जैविक कृषि के अनेक लाभ होने के कारण ग्राम पंचायत किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रेरित करती हैं। वर्ष 2016–17 में ग्राम जूनाखेडा के 4 किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु 24000 रूपये प्रतिव्यक्ति आर्थिक सहायता प्रदान की गई।[68]

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :– ग्राम पंचायत जूनाखेडा में कुल 723 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन देने हैं। इसमें से 486 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं। शेष 237 व्यक्तियों को भी गैस कनेक्शन देना शेष हैं।[69]

शोधकर्ता द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन :– ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 6 गांव सम्मिलित हैं। जिनके नाम निम्न हैं।

जूनाखेडा | मोडी | सेमली | मेहसर | झीतापुरा | गांवडी

जूनाखेडा :– इस गांव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य किए गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जूनाखेडा में सड़क व नाली का निर्माण पूर्ण हो चुका है। यह गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका हैं। यहां सभी घरो में शौचालय का उपयोग किया जाता हैं।

ग्राम जूनाखेड़ा में सड़क व नाली निर्माण का छायाचित्र

मोडी :— ग्राम मोडी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण व एनिकट निर्माण के कार्य किए गये हैं। शौधार्थी द्वारा तालाब का लिया गया छायाचित्र स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत यहां सड़क व नाली निर्माण, शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं।

ग्राम मोडी में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित तालाब

सेमली :— इस गांव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य हुए है। गांव में नाली, सड़क व शौचालय निर्माण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यहां किसान फव्वारा सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कृषि कार्य में करते हैं।

शौधार्थी द्वारा लिया गया छायाचित्र

मेहसर :– मेहसर में मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य किए गये हैं। यहां सरकारी भवनों की चार दीवारी में वृक्षारोपण कार्य किया गया हैं। सड़क व नाली निर्माण, शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

झीतापुरा :– झीतापुरा गांव के मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य किए गये हैं। जिनमें वृक्षारोपण कार्य, तलाई निर्माण, सड़क व नाली निर्माण के कार्य प्रमुख हैं। शौधार्थी द्वारा राजकीय विद्यालय में किये गये वृक्षारोपण का लिया गया छायाचित्र

गांवडी :– ग्राम गांवडी में भी मनरेगा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्य किये गये हैं। यहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य किया गया हैं। गांव में सड़क व नाली निर्माण, शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

निष्कर्ष :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिछले 4 वर्षों में (वर्ष 2014–15 से 2017–18) वृक्षारोपण कार्य पर 50.64 लाख तलाई/तालाब निर्माण पर 336.09 लाख, एनिकट निर्माण पर 41.97 लाख, भूमि समतलीकरण पर 42.83 लाख, मेड़बन्दी पर 7.50 लाख, टांका निर्माण पर 12.5 लाख रूपये अनुमानित राशी व्यय की गई। मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल राशी 491.53 लाख व्यय हुई। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत एनिकट निर्माण, चेकडेम निर्माण, मेड़बन्दी आदि कार्य किये गये जिन पर 39 लाख रूपये व्यय किये गये। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत यह ग्राम पंचायत खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। गांवों में सड़क व नाली निर्माण कार्य किया गया। पिछले 4 वर्षों में 192.17 लाख रूपये की अनुमानित राशी इस कार्य पर व्यय की गई। ड्रिप सिंचाई द्वारा 298 किसानों द्वारा 382.43 हैक्टेयर में सिंचाई हो रही हैं। फव्वारा सिंचाई से 28 किसानो द्वारा 33.5 हैक्टेयर में सिंचाई की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जैविक कृषि, मृदा परीक्षण कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया हैं इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो में पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो रहा हैं। शोधार्थी द्वारा निर्माण कार्यों का अवलोकन कर छायाचित्र भी लिए हैं।

ग्राम पंचायत लावासल

परिचय :– ग्राम पंचायत लावासल झालरापाटन पंचायत समिति मुख्यालय से 28 किमी. दूर हैं तथा झालावाड़ जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 34 किमी. हैं। इस ग्राम पंचायत का कुल आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3315 व्यक्ति हैं जिसमें पुरूष आबादी 1713 व्यक्ति हैं तथा महिला आबादी 1602 हैं। इस ग्राम पंचायत की साक्षरता 50.24 प्रतिशत हैं। इस ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांवों की कुल संख्या 06 हैं। सम्मिलित गांवों के नाम इस प्रकार हैं लावासल, मानपुरा, मेहन्दी, कॉसखेडली, बाड़िया गोरधनपुरा तथा ढाबली।[70]

ग्राम पंचायत लावासल का भौगोलिक क्षेत्रफल, चरागाह भूमि, बंजड़ व उसर भूमि, वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैं।[71]

1.	ग्राम पंचायत का भौगोलिक क्षेत्रफल	2366 हैक्टेयर
2.	चरागाह भूमि	73 हैक्टेयर
3.	बंजड़ व उसर भूमि	117 हैक्टेयर
4.	वन भूमि	1344हैक्टेयर

ग्राम पंचायत लावासल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित किये गये कार्यों का विवरण :–

मनरेगा :– इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गये हैं।

वृक्षारोपण व चरागाह विकास :– ग्राम पंचायत द्वारा हरित राजस्थान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ग्राम लावासल में रोड़ के दोनों तरफ 800 पौधे लगाये गये।[72]

वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक मनरेगा योजना में किये गये वृक्षारोपण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं[73] :–

वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के द्वारा 6 स्थाानों पर वृक्षारोपण व चरागाह विकास के कार्य किये गये जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	ग्राम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)			कार्य पूर्ण होने की अवधि
			श्रम	सामग्री	योग	
1.	लावासल	चरागाह विकास एवं वृक्षारोपण	8.89	3.01	11.9	9 माह
2.	लावासल	अस्पताल में वृक्षारोपण	0.86	0.55	1.41	9 माह
3.	लावासल	रा.मा.वि. में वृक्षारोपण	0.74	0.47	1.21	9 माह
4.	मानपुरा	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	0.74	0.47	1.21	9 माह
5.	ढाबली	रा.उ.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	0.74	0.47	1.21	9 माह
6.	बाड़िया गोरधनपुरा	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	0.74	0.47	1.21	9 माह
योग			**12.71**	**5.44**	**18.15**	

वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत द्वारा 10 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। जिनका विवरण तालिका द्वारा दिया गया हैं।

क्र. सं.	ग्राम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)			कार्य पूर्ण होने की अवधि
			श्रम	सामग्री	योग	
1.	मानपुरा	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह
2.	बाड़िया गोरधनपुरा	पार्क में वृक्षारोपण	5.20	2.80	8.00	9 माह
3.	लावासल	सामुदायिक स्थानों में वृक्षारोपण	1.63	0.80	2.50	9 माह
4.	लावासल	अस्पताल में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह
5.	मानपुरा	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह
6.	बाड़िया गोरधनपुरा	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह

7.	ढाबली	रा.उ.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह
8.	लावासल	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00	9 माह
9.	मानपुरा	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	3.25	1.75	5.00	9 माह
10.	कुण्डबारी	रा.प्रा.वि. में वृक्षारोपण	3.25	1.75	5.00	
योग			**28.93**	**15.58**	**44.5**	

वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायत द्वारा 04 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया। जिनका विवरण तालिका द्वारा दिया गया हैं।

क्र.सं.	**ग्राम**	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
			श्रम	**सामग्री**	**योग**
1.	मानपुरा	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00
2.	बाड़िया गोरधनपुरा	पार्क में वृक्षारोपण	5.20	2.80	8.00
3.	लावासल	सामुदायिक स्थानों में वृक्षारोपण	1.63	0.80	2.50
4.	लावासल	अस्पताल में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00
योग			**12.03**	**6.48**	**18.5**

वृक्षारोपण 2017–18 में ग्राम पंचायत द्वारा 03 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया गया जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	**ग्राम**	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**		
			श्रम	**सामग्री**	**योग**
1.	मानपुरा	चरागाह भूमि में वृक्षारोपण व बाउंड्रीवाल	2.60	1.40	4.00
2.	लावासल	राजकीय भवनों में वृक्षारोपण	1.63	0.88	2.50
3.	लावासल	सब सेन्टर अस्पताल में वृक्षारोपण	2.60	1.40	4.00
योग			6.83	3.68	10.50

अतः मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिछले 4 वर्षों में (2014–15 से 2017–18) चारागाह विकास व वृक्षारोपण पर 91.65 लाख अनुमानित राशी व्यय की गई।

भूमि समतलीकरण :– वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक के कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है[74] :–

मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में कुल 78 कार्य किये गये। कार्यों का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	ग्राम / स्थान का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)			कार्य पूर्ण होने की अवधि
				श्रम	सामग्री	योग	
1.	बाड़िया गोरधनपुरा	भूमि समतलीकरण	31	9.92	5.58	15.5	9 माह
2.	लावासल	भूमि समतलीकरण	43	13.76	7.74	21.5	9 माह
3.	मेहन्दी	भूमि समतलीकरण	02	0.64	0.36	1.00	9 माह
4.	मानपुरा	भूमि समतलीकरण	01	0.32	0.18	0.50	9 माह
5.	ढाबली	भूमि समतलीकरण	01	0.32	0.18	0.50	9 माह
योग			78	24.96	14.04	39	9 माह

वर्ष 2016–17 में भूमि समतलीकरण के कुल 02 कार्य किए गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	गाँव / स्थान का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)		
				श्रम	सामग्री	योग
1.	रा.प्रा.वि.,मानपुरा	भूमि समतलीकरण	01	2.60	1.40	4.00
2.	रा.प्रा.वि. बाड़िया गोरधनपुरा	भूमि समतलीकरण	01	3.25	1.75	5.00
योग			02	5.85	3.15	9.00

वर्ष 2017–18 में भूमि समतलीकरण के कुल 03 कार्य किये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	गाँव/स्थान का नाम	कार्य का नाम	कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत (लाखों में)		
				श्रम	सामग्री	योग
1.	रा.प्रा.वि.,मानपुरा	भूमि समतलीकरण	01	2.60	1.40	4.00
2.	रा.प्रा.वि. बाड़िया गोरधनपुरा	भूमि समतलीकरण	01	3.25	1.75	5.00
3.	ढाबली	भूमि समतलीकरण	01	1.95	1.05	3.00
योग			03	7.8	4.2	12.00

पिछले तीन वर्षों में भूमि समतलीकरण पर 60 लाख रूपये व्यय किये गये।

तलाई निर्माण/गहरी करना :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र के गांवों की भूमि सरकारी भूमि पर तालाब/तलाई निर्माण/गहरा करना या पिचिंग वेस्ट वियर के कार्य करवाती है। इन कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है[75] :–

वर्ष 2014–15 में ग्राम पंचायत द्वारा 5 गांवों में 25 तालाब निर्माण/गहरा करने के कार्य किये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	तालाब/तलाई निर्माण कार्य किए गये तालाबों की कुल संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	ढाबली	03	44.36
2.	बाड़िया गोरधनपुरा	03	20.94
3.	कास खेड़ली	02	31.03
4.	मानपुरा	05	61.01
5.	मेहन्दी	02	26.40
6.	लावासल	10	125.03
योग		25	306.77

वर्ष 2015–16 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत 04 ग्रामों में तालाब निर्माण से सम्बन्धित कुल 07 कार्य करवाये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	निर्माण कार्य किये गये तालाबों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	मानपुरा	01	5.00
2.	लावासल	03	14.00
3.	मेहन्दी	02	10.00
4.	ढाबली	01	5.00
योग		07	34.00

वर्ष 2016–17 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 04 गांवों में तालाब निर्माण/तलाई निर्माण/गहरा करने के कुल 09 कार्य किये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	निर्माण कार्य किये गये तालाबों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	ढाबली	02	13.00
2.	मानपुरा	01	5.00
3.	लावासल	03	14.00
4.	मेहन्दी	03	18.00
योग		09	50.00

वर्ष 2017–18 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 04 गांवों में तालाब निर्माण के कुल 08 कार्य किये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	निर्माण कार्य किये गये तालाबों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	ढाबली	02	13.00
2.	मानपुरा	01	5.00
3.	लावासल	03	14.00
4.	मेहन्दी	02	14.00
योग		08	46.00

अतः मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिछले 4 वर्षों में तालाब/तलाई निर्माण पर अनुमानित राशी 436.77 लाख व्यय की गई।

कुण्ड/कुआँ निर्माणः—ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा येाजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को अपने खेत में कुण्ड/कुआँ निर्माण हेतु कार्य करवाती हैं इनका विवरण निम्न प्रकार है[76] :—

वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत द्वारा 4 गांवों में कुण्ड/कुआँ निर्माण के कुल 39 कार्य करवाये गये जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	किये गये कार्यों की संख्या	अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)
1.	बाड़िया गोरधनपुरा	31	15.5
2.	मानपुरा	03	1.5
3.	ढाबली	03	1.5
4.	लावासल	02	1.00
योग		39	19.5

मेड़बन्दी :— ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत मेड़बन्दी के कार्य भी करवाती हैं। जो निम्न हैं[77] :—

वर्ष 2012—13 में ग्राम लावासल में मेड़बन्दी का एक कार्य किया गया इस कार्य पर 20,000 रूपये व्यय किये गये।

वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत द्वारा तीन गांवों में मेड़बन्दी के कुल 05 कार्य करवाये गये। जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्य का नाम	कार्य की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1.	बाड़िया गोरधनपुरा	मेड़बन्दी	02	1.00
2.	ढाबली	मेड़बन्दी	01	0.5
3.	लावासल	मेड़बन्दी	02	1.00
योग			05	2.5

एनिकट निर्माण :— ग्राम पंचायत मनरेगा योजना के अन्तर्गत जल समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के नदी/नालों पर एनिकट निर्माण का कार्य करवाती हैं। जो निम्न हैं[78]

वर्ष 2014—15 में 3 गाँवों में एनिकट निर्माण कार्य करवाया। जिसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**कार्य का नाम**	**एनिकट की संख्या**	**वित्तीय स्वीकृती की राशि (लाखों में)**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
				श्रम	**सामग्री**	**योग**	
1.	लावासल	एनिकट	01	1.749	3.247	4.996	9 माह
2.	ढाबली	एनिकट	01	4.720	11.670	16.390	9 माह
3.	ढाबली	एनिकट	01	1.950	10.230	12.180	9 माह
योग			03	8.419	25.147	33.566	

वर्ष 2015—16 में ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत दो गांवो में एनिकट निर्माण कार्य करवाया गया। जिसका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**कार्य का नाम**	**एनिकट की संख्या**	**अनुमानित लागत (लाखों में)**			**कार्य पूर्ण होने की अवधि**
				श्रम	**सामग्री**	**योग**	
1.	बाड़िया गोरधनपुरा	एनिकट	01	3.25	1.75	5.00	6 माह
2.	मानपुरा	एनिकट	01	3.25	1.75	5.00	6 माह
योग			02	6.5	3.5	10.00	

मनरेगा योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में एनिकट निर्माण पर अनुमानित राशी 43.56 लाख व्यय की गई।

उद्यानिकी : फलदार पौधरोपण कार्य :— वर्ष 2015—16 में उद्यानिकी निर्माण व फलदार पौधरोपण कार्य का विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[79]

क्र.सं.	गांव का नाम	कार्य का नाम	कार्य की संख्या (किसानों की संख्या)	अनुमानित लागत (लाखों में)			कार्य पूर्ण होने की अवधि
				श्रम	सामग्री	योग	
1.	बाड़िया गोरधनपुरा	उद्यानिकी	02	0.64	0.36	1.00	9 माह
2.	लावासल	उद्यानिकी	02	0.64	0.36	1.00	9माह
3.	बाड़िया गोरधनपुरा	फलदार पौधरोपण	07	13.65	7.35	21.00	9माह
4.	लावासल	फलदार पौधरोपण	10	19.5	10.5	30.00	9माह
5.	ढाबली	फलदार पौधरोपण	03	5.85	3.15	9.00	9माह
6.	मेहन्दी	फलदार पौधरोपण	01	1.95	1.05	3.00	9माह
योग			25	42.23	22.77	65.00	

क्लोजर निर्माण :– वर्ष 2014–15 में ग्राम लावासल में वन विभाग द्वारा 50 हैक्टेयर एरिया में क्लोजर निर्माण किया गया इस कार्य पर 6.5 लाख की राशि व्यय की गई। ग्राम बाड़िया गोरधनपुरा में वन विभाग द्वारा 50 हैक्टेयर में क्लोजर निर्माण कार्य किया गया। इस क्लोजर निर्माण पर 10.00 लाख रूपये व्यय किये गये।[80]

अन्य कार्यक्रम :–

स्वच्छ भारत अभियान :– स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण, गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था, अपने आस–पास सफाई रखने, प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्ध सुनिश्चित करना आदि कार्य स्वच्छ भारत अभियान में सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु शौचालय निर्माण पर बल दिया जा रहा हैं। ग्राम पंचायत द्वारा प्रति व्यक्ति 12000 रूपये की राशि शौचालय निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायत लावासल में शौचालय निर्माण की स्थिति तालिका द्वारा स्पष्ट की गई हैं।[81]

क्र.सं.	गाँव	कुल सर्वे	पूर्ण शौचालय की संख्या	अपूर्ण शौचालय की संख्या	पूर्ण शौचालयों का प्रतिशत
1.	ढाबली	94	48	46	51.06
2.	मानपुरा	67	53	14	79.10
3.	लावासल	262	185	77	70.61
4.	मेहन्दी	42	18	24	42.85
5.	बाड़िया गोरधनपुरा	109	79	30	72.47
6.	कास खेड़ली	45	30	15	66.66
योग		619	413	206	66.72

प्लास्टिक की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के लोगों से प्लास्टिक की बनी थैलियों के प्रयोग नहीं करने हेतु लोगों को प्रेरित करते हैं तथा प्लास्टिक की थैलियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि वे अपने घर के सामान को बाजार से जूट या कपड़े के बने बैग में ही लाये। प्लास्टिक की थैलियों में नहीं लाये। स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ग्राम पंचायत के कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों ने गाँधी जयन्ती के अवसर पर पंचायत भवन व उसके आस–पास की झाडू लगाकर सफाई की तथा कचरे को कचरा पात्र में डाला। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में गन्दे पानी की निकासी हेतु सड़क व नालियों का निर्माण किया हैं। जिससे गांवों में गन्दगी नहीं फैले और बीमारियों से बचा जा सके। पिछले 4 वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण, नाली निर्माण के अनेक कार्य किए जिनका विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है।[82]

वर्ष 2014–15 में किये गये सड़क व नाली निर्माण के कार्यों का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	सड़क व नाली की संख्या	वित्तीय स्वीकृती राशि (लाखों में)
1.	ढाबली	03	24.42
2.	बाड़िया गोरधनपुरा	04	38.68
3.	कास खेड़ली	02	6.58
4.	मानपुरा	02	7.05
5.	मेहन्दी	03	17.99

6.	लावासल	03	16.28
योग		17	111.00

वर्ष 2015—16 में से सड़क व नाली निर्माण के कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**सड़क व नाली की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**
1.	मानपुरा	06	29.00
2.	लावासल	03	18.00
3.	मेहन्दी	03	14.00
4.	ढाबली	04	22.00
5.	बाड़िया गोरधनपुरा	03	17.40
6.	कास खेड़ली	02	10.00
योग		21	110.40

वर्ष 2016—17 में सड़क व नाली निर्माण के कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**सड़क व नाली की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**
1.	ढाबली	05	30.00
2.	मानपुरा	06	29.00
3.	बाड़िया गोरधनपुरा	05	26.00
4.	कास खेड़ली	03	16.00
5.	लावासल	03	18.00
6.	मेहन्दी	03	14.00
योग		19	133.00

वर्ष 2017—18 में से किये गये सड़क व नाली निर्माण के कार्यों का विवरण।

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**सड़क व नाली की संख्या**	**अनुमानित व्यय राशि (लाखों में)**
1.	लावासल	03	18.00
2.	कास खेड़ली	03	16.00
3.	मेहन्दी	04	18.00

4.	ढाबली	05	30.00
5.	मानपुरा	07	34.00
6.	बाड़िया गोरधनपुरा	05	26.00
योग		27	142.00

अतः तालिकाओं के विवरण से स्पष्ट है कि पिछले 4 वर्षों में ग्राम पंचायत द्वारा 6 गांवों में सड़क व नाली निर्माण के कुल 84 स्थानों पर कार्य किये गये/इन कार्यों पर कुल राशि 496.4 लाख व्यय कि गई।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड :– ग्राम पंचायत लावासल में भूमि के स्वास्थ्य की जाँच हेतु मिट्टी के नमूने कृषि विस्तार विभाग झालावाड़ द्वारा लिये जा रहे हैं। 30 नवम्बर 2017 तक विभाग द्वारा मिट्टी के 215 नमूने लिये हैं। इन लिये गये मिट्टी के नमूनों की जाँच का कार्य जारी हैं शीघ्र ही किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जायेगे। इस कार्ड में भूमि की उर्वरा शक्ति के साथ–साथ किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरको के उपयोग की जानकारी दर्ज रहेगी ताकि किसान फसलों का उत्पादन बढ़ा सके।[83]

जैविक खेती :– ग्राम पंचायत द्वारा किसानों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रेरित करती हैं तथा उन्हें रासायनिक खाद के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देती हैं। वर्ष 2015–16 में ग्राम लावासल में अकृषि भूमि उपचार कार्य वाटरशेड़ विभाग ने किया था इस कार्य को पूर्ण करने की संभावित अवधि 9 माह रखी गई थी। इस कार्य पर अनुमानित राशि 5.00 लाख व्यय की गई। जलग्रहण योजना के अन्तर्गत किसानों को वर्मी कम्पोस्ट पिट इकाई यूनिट की स्थापना हेतु प्रेरित किया जाता हैं। इस कार्य हेतु किसानो को 24000 रूपये सहायता प्रदान कि जाती हैं।[84]

उज्ज्वला योजना :– ग्राम पंचायत लावासल में कुल 485 बीपीएल व्यक्तियों को एलपीजी गैस कनेक्शन देना हैं। इसमें से 31 अगस्त 2017 तक 226 बीपीएल व्यक्तियों को उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस कनेक्शन दे दिये हैं। शेष 259 बीपीएल व्यक्तियों को भी शीघ्र ही एलपीजी गैस कनेक्शन दे दिये जायेगें।[85]

फव्वारा व बूंद–बूंद सिंचाई पद्वतियाँ :– पिछले 5 वर्षो का फव्वारा सिंचाई विवरण तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।[86]

फव्वारा सिंचाई विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	वर्ष									
		2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14	
		किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्ट.	किसान	हैक्टे.
1.	लावासल	9	13.00	3	9.00	–	–	1	1.00	2	2.00
2.	मेहन्दी	2	4.00	1	1.00	–	–	–	–	–	–
3.	बाड़िया गोरधनपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1.00
4.	मानपुरा	–	–	3	4.00	3	6.00	1	3.00	–	–
5.	ढाबली	7	11.00	2	3.00	1	1.00	–	–	–	–
6.	कास खेड़ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग		18	28.00	9	17.00	4	7.00	2	4.00	3	3.00

अतः पिछले 5 वर्षों में ग्राम पंचायत लावासल के कुल 36 किसानों को फव्वारा सिंचाई योजना से लाभान्वित किया गया। इससे कुल 59 हैक्टेयर में फव्वारा सिंचाई की गई।

ड्रिप सिंचाई योजना को तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया हैं।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष											
		2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		2014–15	
		किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्ट.	किसान	हैक्टे.	किसान	हैक्टे.
1.	लावासल	13	16.63	11	13.36	16	21.89	5	4.60	8	7.25	7	9.33
2.	मेहन्दी	–	–	1	2.00	–	–	1	2.04	–	–	1	1.75
3.	बाडिया गोरधनपुरा	–	–	–	–	–	–	1	0.86	–	–	–	–
4.	मानपुरा	6	7.45	21	26.89	12	15.46	4	5.07	5	6.69	9	12.80

5.	ढाबली	–	–	1	0.85	5	7.21	2	1.66	2	2.18	3	4.75
6.	कासखेड़ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग		19	24.08	34	43.1	33	44.56	13	14.23	15	16.12	20	28.63

ड्रिप सिंचाई विवरण

अतः पिछले 6 वर्षों में ग्राम पंचायत लावासल में कुल 134 किसानों को ड्रिप सिंचाई योजना से लाभान्वित किया गया। इससे कुल 170.72 हैक्टेयर में ड्रिप सिंचाई की गई।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान :– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं।[87]

क्र. सं.	गाँव का नाम	कार्य का नाम	विभाग का नाम	लागत राशि (लाखों में)
1.	ढाबली	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	4.00
2.	मानपुरा	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	4.00
3.	मानपुरा	नाला गहरीकरण	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	5.00
4.	मानपुरा	नाला गहरीकरण	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	3.80
5.	मानपुरा	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	4.00
6.	लावासल	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	3.00
7.	लावासल	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	3.00
8.	लावासल	तालाब निर्माण	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	10.00
9.	लावासल	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	10.00
10.	लावासल	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	10.00
11.	लावासल	नाला गहरीकरण	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	5.20
12.	मेहन्दी	तालाब मरम्मत	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	5.00
13.	बाड़िया गोरधनपुरा	नाला गहरीकरण	जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग	3.00
14.	ढाबली	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	3.00

15.	ढाबली	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	3.00
16.	मानपुरा	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	4.00
17.	लावासल	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	4.00
18.	लावासल	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	4.00
19.	लावासल	एनिकट मरम्मत	ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग	4.00
योग				92.00

इस अभियान से जल संरक्षण होगा तथा जलाशयों में वर्ष भर पानी रहेगा।

शोधकर्ता द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन :–

ग्राम पंचायत लावासल के अन्तर्गत 6 गाँव सम्मिलित हैं।

लावासल | मानपुरा | मेहन्दी | बाड़िया गोरधनपुरा | ढाबली | कास खेडली

लावासल :– लावासल ग्राम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सड़क के दोनों और वृक्षारोपण किया गया हैं। लावासल के आस–पास घने जंगल हैं। यहां के लोग संतरे की खेती करते हैं इसलिए चारों और हरियाली रहती हैं। यहां बड़े–बड़े बांस के घने पेड़ हैं। लावासल के निकट ही पहाड़ी की गोद में माँ राता देवी का दर्शनीय स्थल हैं। घने वृक्षों के कारण यहां का दृश्य मनोरम हैं यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं। गाँव के लोग वनों की रक्षा करते है। लावासल में सड़क किनारे बांस के पेड़ों का छायाचित्र।

ग्राम पंचायत लावासल में जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान सामुदायिक रैली का आयोजन किया गया जिसमें कई नागरिकों ने भाग लिया और जल संरक्षण का संकल्प लिया।

इसी प्रकार लावासल में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया हैं। शौचालय निर्माण करवाया जा रहा हैं गन्दे पानी की निकासी हेतु सड़क व नालियों का निर्माण किया गया हैं।

मानपुरा :– मानपुरा गांव में मनरेगा योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कार्य किये गये हैं। यहां चरागाह भूमि में बाउंड्रीवाल व वृक्षारोपण कार्य किया गया हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालय में भी वृक्षारोपण कार्य किया हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत यहाँ तालाब भी बनाये गये हैं। जो आकार मे बहुत बड़े हैं। इन तालाबों में पानी की भराव क्षमता भी बहुत अधिक हैं। लेकिन ग्रीष्मऋतु में इन तालाबों में पानी सूख जाता हैं। मानपुरा में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित किया गया तालाब का छायाचित्र नीचे दर्शाया गया हैं।

मानपुरा में कामधेनु वर्मी कम्पोस्ट केन्द्र भी हैं। यहाँ हंसराज पाटीदार जैविक कृषि के प्रति समर्पित हैं। यह केन्द्र पर्यावरण सुरक्षा, गोरक्षा, जल संरक्षण, औषधि सुरक्षा, स्वच्छता के प्रति कार्य करने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इस क्षेत्र के किसान कृषि कार्य में वर्मी कम्पोस्ट का ही प्रयोग करते हैं गांव में अधिकांश जानवर पाये जाते हैं इसलिए गाँव के किसान गोबर की खाद भी अपने खेतो में डालते हैं।

मानपुरा में वर्मी कम्पोस्ट केन्द्र का छायाचित्र :–

इसके अतिरिक्त मानपुरा में प्रतिवर्ष भारतीय किसान संघ द्वारा अखिल भारतीय जैविक कृषि अभ्यास वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाता हैं। जिसमें जनप्रतिनिधि व लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में अन्नदाता के प्रति आदर व निष्ठा का भाव पैदा करने और ग्रामीण कुरितियों को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा हैं जिसका नारा हैं ”नशा मुक्त मानव, रसायन मुक्त कृषि”।

मानपुरा में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत नाला गहरीकरण, तालाब मरम्मत, एनिकट मरम्मत के कार्य किये गये इससे वर्षा जल संचय करने में मदद मिलती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत मानपुरा में शौचालय निर्माण किया जा रहा हैं जिससे सफाई व्यवस्था अच्छी हैं। सड़के व नालियों का निर्माण किया गया हैं।

मेहन्दी :– मनरेगा योजना के अन्तर्गत यहां तालाब निर्माण किया गया हैं इसके अतिरिक्त यहां फलदार पौधे लगाये गये हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत यहां शौचालय निर्माण किया जा रहा हैं। गांव के अन्दर सड़क व नाली निर्माण करवाया गया हैं। जल स्वावलम्बन अभियान में तालाब मरम्मत का कार्य किया हैं।

बाड़िया गोरधनपुरा :– यहां मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, कुण्ड/कुआ निर्माण आदि कार्य किए गये हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत नाली गहरीकरण का कार्य किया गया हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण पर बल दिया गया हैं। गन्दे पानी की निकासी हेतु सड़क व नाली निर्माण का कार्य किया गया हैं।

ढाबली :– यहाँ मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य किया गया हैं। ढाबली गाँव के निकट की अन्य गांव टाण्डी सोहनपुरा हैं जहाँ के बापूलाल भीलठाकुर ने वनों की कटाई रोकने के बहुत प्रयत्न किये है। यहाँ के आस–पास के क्षेत्र में वनों की सुरक्षा हेतु इन्होंने लोागों को प्रेरित किया था। इन्हें अमृता देवी पुरस्कार भी मिला था। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना के अन्तर्गत यहाँ तालाब निर्माण, एनिकट निर्माण, उद्यानिकी आदि कार्य किये गये हैं।

नदी पर एनिकट का छायाचित्र

जल स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत ढाबली में एनिकट व तालाब मरम्मत का कार्य किया हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण किया जा रहा हैं। गांव में सड़क व नालियों का निर्माण किया गया हैं।

कासखेड़ली :– यहां स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण किया जा रहा हैं। गांव में गन्दे पानी की निकासी हेतु सड़क व नाली निर्माण कार्य किया गया हैं।

निष्कर्ष :– पिछले 4 वर्षों मे ंमनरेगा योजना के अन्तर्गत चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण, भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी, एनिकट निर्माण, कुण्ड/कुआँ निर्माण, तलाई निर्माण, फलदार पौधारोपण कार्य, क्लोजर निर्माण आदि कार्य किए गये इन कार्यों पर अनुमानित राशी 735.48 लाख व्यय कि गई। स्वच्छता कार्यक्रम चलाये गये। सड़क व नाली निर्माण के कार्य किये, सड़क व नाली निर्माण पर पिछले 4 वर्षों में 6 गांवों में 84 स्थानों पर निर्माण करवाया गया इस कार्य पर 496.4 लाख अनुमानित राशी व्यय की गई। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा हैं। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 226 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दिये गये हैं। फव्वारा व बूंद–बूंद सिंचाई को 170 किसानों ने अपनाया हैं। जिससे 229.72 हैक्टेयर में सिंचाई हो रही हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत तालाब मरम्मत, गहरीकरण, एनिकट मरम्मत आदि कार्य करवाये गये इस कार्य पर 92.00 लाख रूपये व्यय किये गये। शोधार्थी ने इन कार्यों का अवलोकन कर छायाचित्र भी लिये हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण संरक्षण हो रहा हैं।

ग्राम पंचायत जूनाखेडा, असनावर, लावासल का तुलनात्मक अध्ययन :

1.	**भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से**		
	असनावर	**जूनाखेडा**	**लावासल**
	1119 हैक्टेयर चरागाह 40 हैक्टेयर बंजड़ व ऊसर भूमि 162 हैक्टेयर वन भूमि 55 हैक्टेयर	1168 हैक्टेयर चरागाह 37 हैक्टेयर बंजड़ व ऊसर भूमि 54 हैक्टेयर वन भूमि 467 हैक्टेयर	2366 हैक्टेयर चरागाह 73 हैक्टेयर बंजड़ व ऊसर भूमि 117 हैक्टेयर वन विभाग 1344 हैक्टेयर
2.	**गांवों की संख्या**		
	01	06	06

3.	**मनरेगा के अन्तर्गत हुए कार्यों का विवरण पिछले 4 वर्षों में अनुमानित व्यय राशी (लाखों में)**		
	वृक्षारोपण 63.5 लाख, भूमि समतलीकरण 14.08 लाख, तलाई निर्माण 120.56 लाख, टांका/कुआ 18.50 लाख, मेडबन्दी 17.78 लाख, एनिकट निर्माण 5 लाख, सड़क व नाली निर्माण 576.61 लाख, कुल अनुमानित व्यय राशी 816.03 लाख	वृक्षारोपण 50.64 लाख, भूमि समतलीकरण 42.83 लाख, तलाई निर्माण 336.9 लाख, टांका/कुआ 8 लाख, मेडबन्दी 7.5 लाख, एनिकट निर्माण 41.97 लाख, सड़क व नाली निर्माण 192.17 लाख, कुल अनुमानित व्यय राशी 679.2 लाख	वृक्षारोपण 91.65 लाख, भूमि समतलीकरण 60 लाख, तलाई निर्माण 436.77 लाख, कुण्ड/कुआ 19.5 लाख, मेडबन्दी 2.5 लाख, एनिकट निर्माण 43.56 लाख, उद्यानिकी 65 लाख, क्लोजर निर्माण 6.5 लाख, सड़क व नाली निर्माण 496.4 लाख, कुल अनुमानित व्यय राशी 1221.88 लाख
4.	**स्वच्छ भारत अभियान**		
	शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण	शौचालय निर्माण
	1450/1859=77.99% सफाई अभियान चलाया चलाया जा रहा हैं। कचरा प्रबन्धन के प्रयास किये जा रहे हैं। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास चल रहे हैं तथा लोगों को जागरूक कर रहे हैं।	1067/1067=100% खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित की जा चुकी हैं। सफाई अभियान चलाया गया। कचरा प्रबन्धन के प्रयास किये जा रहे हैं। प्लास्टिक की रोकथाम हेतु	413/619=66.72% सफाई अभियान चलाया गया। कचरा प्रबन्धन के प्रयास किये जा रहे हैं। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास जारी हैं तथा लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

		लोगों को जागरूक कर रहे हैं।	
5.	**स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत कुल व्यय**		
	कुल लाभार्थी 794 व्यय राशी 95,28,000	कुल लाभार्थी 720 व्यय राशी 86,40,000	कुल लाभार्थी 540 व्यय राशी 64,80,000
6.	**जैविक खेती**		
	यहां 70 प्रतिशत किसान जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। सभी के पास पालतू जानवर हैं। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु सहायता दी जाती हैं।	जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा हैं। वर्ष 2016–17 में 4 किसानों को वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु 24000 रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गई।	किसानों को जैविक खेती हेतु प्रेरित किया जाता हैं। वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हेतु 24000 रूपये की सहायता दी जाती हैं। इस ग्राम पंचायत में लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कृषि में नहीं करते हैं। सभी के पास पालतू जानवर हैं।
7.	**मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**		
	मिट्टी के 340 नमूने लिये गये हैं।	315 नमूने मिट्टी के लिए गये हैं। कुल 1200 मृदा कार्ड में से 600 मृदा कार्ड तैयार हो चुके हैं।	अभी नहीं बने हैं।
8.	**उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत**		
	कुल 1391 व्यक्तियों में से 551 व्यक्तियों को एल पी जी गैस कनेक्शन दे दिये हैं। कुल 39.611%	कुल 723 व्यक्तियों में से 486 व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दे दिये हैं। कुल 67.21%	कुल 485 व्यक्तियों में से 226 बीपीएल व्यक्तियों को गैस कनेक्शन दे दिये गये हैं। कुल 46.59%

9.	**फव्वारा सिंचाई**		
	कुल 25 हैक्टेयर में सिंचाई होती हैं।	कुल 33 हैक्टेयर में सिंचाई होती हैं।	कुल 59 हैक्टेयर में सिंचाई होती हैं।
10.	**ड्रिप सिंचाई**		
	कुल 148 हैक्टेयर में ड्रिप सिंचाई होती हैं।	कुल 382.43 हैक्टेयर में ड्रिप सिंचाई होती हैं।	कुल 170.72 हैक्टेयर में ड्रिप सिंचाई होती हैं।
11.	**मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान**		
	तलाई गहरीकरण, तलाई निर्माण, तालाब निर्माण अनुमानित व्यय राशी 20 लाख रूपये	एनिकट निर्माण कार्य,मेड़बन्दी कार्य, पक्का चेकडेम आदि कार्य किये गये। अनुमानित व्यय राशी 39,10,000=00	तालाब मरम्मत, एनिकट मरम्मत, अनुमानित राशी 92 लाख रूपये व्यय की गई।
12.	**जनप्रतिनिधियों के द्वारा साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर का तुलनात्मक विश्लेषण**		
1.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने कहा जानते हैं सभी ने बताया ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के लिए होती हैं इसमें ग्राम पंचायत मुख्य हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति नाम सभी ने बताए कुछ ने तीनों संस्थाओं को नाम भी बताया।	सभी 12 जनप्रतिनिधि जानते हैं सभी जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के लिए होती हैं सभी ने नाम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का नाम बताया कुछ ने जिला परिषद् का नाम बताया।	सभी 10 जनप्रतिनिधि जानते हैं यह ग्रामीण विकास के लिए होती हैं। वार्ड पंच, सरपंच इसमें बैठते हैं ग्राम पंचायत होती हैं। उसके बाद पंचायत समिति होती हैं कुछ ने तीनों संस्थाओं को नाम बताया।
	अतः शोधार्थी का मानना हैं कि सभी जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं को जानते हैं।		

2.	**निष्कर्ष :–** 14 व्यक्तियों को वार्ड के लोगों से प्रेरणा मिली, 2 को परिवार वालो से प्रेरणा मिली।	10 को वार्ड वालों से प्रेरणा मिली, 2 को परिवार वालो से प्रेरणा मिली।	9 को वार्ड वालों से प्रेरणा मिली, 1 को परिवार वालों से प्रेरणा मिली।
	शोधार्थी का मानना हैं कि असनावर में 87.33 प्रतिशत व्यक्तियों ने, जूनाखेड़ा में 83.33 प्रतिशत व्यक्तियों ने, लावासल में 90 प्रतिशत व्यक्तियों ने वार्ड से प्रेरणा लेकर चुनाव लड़ा, शोधार्थी का मत हैं कि लावासल के जनप्रतिनिधियों ने अधिक वार्डो से प्रेरणा ली जो कि सकारात्मक सोच हैं।		
3.	**निष्कर्ष :–** 4 जनप्रतिनिधि पहले से संस्थाओं से जुड़े हैं 12 पहली बार निर्वाचित हुए	जूनाखेड़ा में 5 प्रतिनिधि पहले से जुड़े हुए हैं 7 पहली बार निर्वाचित हुए	लावासल में 2 प्रतिनिधि पहल से जुड़े हुए हैं 8 पहली बार निर्वाचित हुए।
	शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि संस्थाओं से जुड़े हुए है। जूनाखेड़ा ग्राम पंचायत में सबसे अधिक 5 व्यक्ति पहले से जुड़े हुए हैं।		
4.	**निष्कर्ष :–** 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया लोकतांत्रिक तरीक से कार्य कर रही हैं 6 ने कहा नहीं कर रही हैं सरपंच उन्हें कुछ नहीं बताता हैं मनमर्जी से फैसले लेता हैं।	11 ने बताया लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही हैं 1 ने कहा नहीं कर रही हैं। सरपंच उनकी सुनता ही नहीं हैं।	सभी 10 ने बताया लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही हैं। —
	शोधार्थी के मतानुसार तीनों ग्राम पंचायत में से लावासल ग्राम पंचायत ज्यादा लोकतांत्रिक हैं।		
5.	**निष्कर्ष :–** 11 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कोई भेदभाव नहीं होता हैं जबकि 5 ने बताया कि भेदभाव होता हैं कई वार्ड हैं जिनमें अभी तक कार्य नहीं किया गया।	10 जनप्रतिनिधियों ने बताया भेदभाव नहीं होता 2 ने कहा होता हैं कई स्थानों पर कार्य स्वीकृत करने में देरी करते हैं। कार्य समय पर नहीं होता।	सभी 10 ने बताया कि विकास कार्यों में भेदभाव नहीं किया जाता।
	शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतों में से लावासल में किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता।		

6.	**निष्कर्ष :–** 11 ने बताया स्वयं के निर्णय से 5 ने बताया परिवार वालो से पूछ कर निर्णय लेते हैं।	4 ने बताया स्वयं लेते हैं 8 ने बताया परिवार में पूछ कर लेते हैं।	5 ने बताया स्वयं लेते हैं 5 ने बताया परिवार वालो से पूछ कर लेते हैं।
	शोधार्थी का मत हैं कि ग्राम पंचायत असनावर के ज्यादा जनप्रतिनिधि स्वयं निर्णय लेते हैं।		
7.	**निष्कर्ष :–** 11 जनप्रतिनिधि बैठको मे ंनियमित भाग लेते हैं 5 नहीं लेते हैं।	12 जनप्रतिनिधि ंनियमित भाग लेते हैं	10 जनप्रतिनिधि ंनियमित भाग लेते हैं
	शोधार्थी का मानना है कि जूनाखेड़ा, लावासल के जनप्रतिनिधि नियमित भाग लेते हैं।		
8.	**निष्कर्ष :–** 6 ने बताया समस्या नहीं हैं 10 ने बताया समस्याएं हैं नालियां नहीं हैं, सड़क पूरी नहीं बनी।	7 ने बताया कोई समस्या नहीं हैं 5 ने बताया समस्याएं हैं सड़क, नाली का कार्य पूर्ण नहीं हैं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हैं।	9 ने बताया कोई समस्या वार्ड में नहीं हैं 1 ने बताया कुछ समस्याएं हैं नालियों की सफाई समय पर नहीं होती हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि ग्राम पंचायत लावासल में कोई समस्या नहीं हैं।		
9.	**निष्कर्ष :–** 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि समस्या नहीं आती, 6 ने बताया समस्या आती हैं जैसे सरपंच अपनी मनमर्जी चलाता हैं सुनता नहीं हैं अतिक्रमण की समस्या हैं।	9 जनप्रतिनिधियों ने बताया कोई समस्या नहीं आती 3 ने बताया सचिव, सरपंच अपनी इच्छा से कार्य करते हैं प्रस्ताव पारित नहीं करते हैं। गांव के लोग अतिक्रमण करके रोक लगाते हैं।	कोई समस्या नहीं आती हैं।
	शोधार्थी का निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत लावासल में किसी जनप्रतिनिधि को कोई समस्या नहीं आती हैं।		

10.	**निष्कर्ष :–** 11 जनप्रतिनिधियों ने बताया की निर्णय सहमति से लिए जाते हैं। जबकि 5 जनप्रतिनिधियों ने बताया निर्णय सरपंच ही करता हैं किसी तरह की जानकारी हमसे नहीं लेता।	9 जनप्रतिनिधियों ने बताया निर्णय सहमति से होते हैं लेकिन 3 ने बताया कि सरपंच व सचिव मिलकर निर्णय लेते हैं कई वार्ड पंचो को कोई जानकारी नहीं होती हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि निर्णय वार्ड पंचो की सहमति से लिए जाते हैं।
	शोधार्थी का मानना है ंकि ग्राम पंचायत लावासल में किसी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार कि शिकायत नहीं हैं यहां निर्णय जन सहमति से लिए जाते हैं।		
11.	**निष्कर्ष :–** असनावर में 9 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया 7 ने नहीं लिया।	जूनाखेड़ा में 6 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया 6 ने नहीं लिया।	लावासल में 5 जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया 5 ने नहीं लिया।
	शोधार्थी का मानना है कि असनावर के जनप्रतिनिधियो ने प्रशिक्षण में ज्यादा भाग लिया जो ठीक हैं।		
12.	**निष्कर्ष :–** सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने कार्य बताये जैसे पेयजल सफाई, मनरेगा कार्य, स्वास्थ्य सम्बन्धी, पर्यावरण संरक्षण के कार्य	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने कार्य बताये जैसे ग्रामीण विकास के सभी कार्य करती हैं, निर्माण सम्बन्धी कार्य।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने कार्य बताये जैसे नरेगा कार्य, निर्माण सम्बन्धी कार्य।
	शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की जानकारी हैं।		
13.	**निष्कर्ष :–** 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 5 विभाग दिये हैं जैसे प्रारम्भिक शिक्षा, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग आदि जबकि 12 जनप्रतिनिधियों को	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 5 विभाग दिये हैं जैसे कृषि विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जबकि 9 जनप्रतिनिधियों	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 5 विभाग दिये हैं शिक्षा, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य आदि जबकि 7

	जानकारी नहीं हैं।	को जानकारी नहीं हैं।	जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को 5 विभागों की पूर्ण जानकारी नहीं हैं।		
14.	**निष्कर्ष :–** सभी 16 जनप्रतिनिधि पर्यावरण की जानकारी रखते हैं। प्रदूषण ट्रक, मोटर, उद्योग से, गन्दगी से होता हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण की जानकारी हैं प्रदूषण ट्रक, मोटरों, उद्योगो के धुएँ से होता हैं, खुले में शौच से होता हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधि जानते हैं प्रदूषण खुले में शौच करने से, गन्दे पानी से, धुएँ से, कारखानों से।
	शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी हैं।		
15.	**निष्कर्ष :–** सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदूषण से बीमारिया होती हैं जैसे दमा, टी.बी.	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदूषण से बीमारिया होती हैं जैसे श्वास सम्बन्धी, मलेरिया, डेंगू आदि।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदूषण से बीमारिया होती हैं जैसे चर्म रोग, दमा, मलेरिया, पीलिया आदि ।
	शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की सामान्य जानकारी रखते हैं।		
16.	**निष्कर्ष :–** 8 जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अधिकारों की जानकारी हैं। जैसे प्लास्टिक के प्रयोग की मनाही हैं, जैविक खेती हो प्रोत्साहन, सफाई स्वच्छता आदि।	7 जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अधिकारों की जानकारी हैं। जैसे जल, जंगल, जमीन इनको बचाने के अधिकार हैं स्वच्छता, पौधे लगाना आदि।	6 व्यक्तियों को पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अधिकारों की जानकारी हैं जैसे शौचालय निर्माण, सफाई व्यवस्था, पेड़–पौधे लगाना, स्वच्छता आदि।
	शोधार्थी का मानना है कि जनप्रतिनिधियों ने एक जैसे ही उत्तर दिये हैं फिर भी ग्राम पंचायत लावासल के जनप्रतिनिधियो को ठीक जानकारी हैं।		

17.	**निष्कर्ष :—** 3 जनप्रतिनिधियों ने समस्या बताई जैसे मृदा प्रदूषण की। इसे रोकने के लिए वर्मी कम्पोस्ट को प्रोत्साहन दे रहे हैं जबकि 13 ने कोई समस्या नहीं बताई।	3 जनप्रतिनिधियों ने समस्या बताई जैसे नालियां नहीं बनी हैं, प्लास्टिक की समस्या हैं, गन्दगी रहती है जबकि 9 जनप्रतिनिधियों ने कोई समस्या नहीं बताई हैं।	लावासल में 2 जनप्रतिनिधियों ने समस्या बताई हैं जैसे साफ–सफाई, शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जबकि 8 जनप्रतिनिधियों ने कोई समस्या नहीं बताई।
	शोधार्थी का मानना है कि क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या नहीं हैं ग्राम पंचायत असनावर के जनप्रतिनिधियो ने कोई समस्या नहीं बताई हैं।		
18.	**निष्कर्ष :—** 13 जनप्रतिनिधियों ने बताया पौधे लगाये हैं लगभग 400 पौधे लगाये गये जबकि 3 ने कहा कोई जानकारी नहीं हैं।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया 2000 पौधे 5 वर्षो में लगाये गये जबकि 4 ने कहा पौधे नहीं लगाये गये।	5 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि 1500 पौधे लगाये गये 5 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि पौधे नहीं लगाये गये।
	शोधार्थी का मानना है कि सभी ग्राम पंचायतो में पौधरोपण कार्य किया गया हैं।		
19.	**निष्कर्ष :—** 11 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को जागरूक करते हैं शुद्ध पर्यावरण के लाभ लोगों को बताते हैं जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं जबकि 5 ने कोई प्रयास नहीं किये।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को जानकारी देते है शुद्ध पर्यावरण से शुद्ध वायु मिलेगी, बीमारियां नहीं होगी। 4 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किये।	7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जानकारी देते हैं शुद्ध पर्यावरण से स्वास्थ्य अच्छा रहता हैं बीमारिया नही होती। जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। 3 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किये।
	शोधार्थी का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पर्यावरण के लाभ के बारे में लोगों को बता रहे हैं।		
20.	**निष्कर्ष :—** 12 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि मनरेगा योजना चलाई	10 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि मनरेगा योजना	9 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि मनरेगा योजना चलाई

	जा रही हैं, हरित राजस्थान, शौचालय निर्माण आदि योजनाएं चल रही हैं। 4 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया।	चलाई जा रही हैं। 2 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया।	जा रही हैं, पेड़–पौधे लगाये जा रहे हैं, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 जनप्रतिनिधि ने जवाब नहीं दिया।
	शोधार्थी का मानना है कि सभी जनप्रतिनिधियों को कुछ योजनाओं की जानकारी हैं लेकिन ग्राम पंचायत लावासल के जनप्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं की ठीक जानकारी हैं।		
21.	**निष्कर्षः–** 11 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि जैविक खाद अपनाने के लिए प्रेरित किया, असनावर मे कैम्प लगवायें जबकि 5 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया।	10 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि मिट्टी परीक्षण करवाते हैं जैविक खाद के लिए लोगों को प्रेरित करते है। 2 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किया।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने लोगों को प्रेरित किया यहां के लोग कृषि मे जैविक खेती करते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं मानपुरा में वर्मी कम्पोस्ट के प्रोत्साहन हेतु आयोजित सम्मेलन में भाग लेते हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि जैविक ग्राम पंचायत लावासल में जैविक खेती का प्रचलन सबसे ज्यादा हैं।		
22.	**निष्कर्ष :–** 8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांवों में प्लास्टिक के प्रयोग पर कुछ रोक लगी हैं लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। जबकि 8 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किये।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। कपड़े के बैग लेकर बाजार में आने को कहते हैं। जबकि 4जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किये।	5 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को प्लास्टिक की थैलियों को काम मे लेने से मना करते हैं। इसके नुकसान भी बताते हैं मिट्टी खराब करती हैं, गन्दगी फैलाती हैं जबकि 5 जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास नहीं किये।
	शोधार्थी का मानना है कि किसी भी ग्राम पंचायत में अभी तक प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगा हैं लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं हैं।		

23.	**निष्कर्ष :—** सभी 16 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि स्वच्छता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो गया हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि स्वच्छता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो गया हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि स्वच्छता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो गया हैं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतो में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किये गये हैं।		
24.	**निष्कर्ष :—**15 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कुओं, नदियों का पानी स्वच्छ हैं। 01 जनप्रतिनिधि ने बताया पानी स्वच्छ नहीं हैं।	11 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कुओं का पानी स्वच्छ हैं। 01 जनप्रतिनिधि ने बताया पानी स्वच्छ नहीं हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नदियों व कुओं, तालाबों का पानी स्वच्छ हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनों ग्राम पंचायतों में पानी स्वच्छ हैं।		
25.	**निष्कर्ष :—**12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वनो को काटने नहीं देते हैं लोगों को स्वयं की जमीन पर वृक्षारोपण करने की सलाह देते हैं 4 जनप्रतिनिधियों ने प्रयास नहीं किये।	9 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वनो की रक्षा करते हैं उन्हें काटने नहीं देते, वनों की रक्षा के लिए समितियां बनाई जाती हैं। 3 जनप्रतिनिधियो ने कोई प्रयास नहीं किये।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वनों को नहीं काटने देते हैं सभी के खेतो पर पेड़ लगे हैं। गांव वालों को पाबंद किया हैं पुलिस व वन विभाग को सूचना करते हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि वनों की रक्षा के लिए ग्राम पंचायत लावासल द्वारा ठीक प्रयास किये हैं।		
26.	**निष्कर्ष :—** 3 जनप्रतिनिधियों को सामाजिक वानिकी योजना की जानकारी हैं। जबकि 13 जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं हैं।	01 जनप्रतिनिधि को सामाजिक वानिकी योजना की जानकारी हैं 11 जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी नहीं हैं।	02 जनप्रतिनिधियों को सामाजिक वानिकी योजना की जानकारी हैं 8 जनप्रतिनिधियों को योजना की जानकारी नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनों ग्राम पंचायतो के जनप्रतिनिधियों को सामाजिक वानिकी योजना की जानकारी बहुत कम हैं।		

27.	**निष्कर्ष** :—14 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को एल पी जी गैस कनेक्शन है तथा सूखी लकड़ी काम में लेते हैं संतरे की लकड़ी बहुत मिल जाती हैं। जबकि 2 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांव के लोग अभी भी वृक्ष काटते हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गोबर के कण्डे जलाये जाते हैं लोगों के एल पी जी गैस कनेक्शन हैं, संतरे की लकड़ी जला लेते है।	8 जनप्रतिनिधियो ने बताया कि सभी के घरों में गैस कनेक्शन है। संतरे की लकड़ी जला लेते हैं। जबकि दो व्यक्तियों ने बताया कि गांव के लोग अब भी लकड़ी काटते हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि गांव के लोग वृक्षों को नहीं काटते हैं।		
28.	**निष्कर्ष** :—12 जनप्रतिनिधियों ने बताया प्रत्येक वर्ष पौधे लगाते हैं 450 पौधे जीवित हैं। 4 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नही दिया।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत तीन बार कार्य किया गया। 400 पौधे लगाये। 4 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नहीं दिया।	7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत पौधे लगाये गये चारागाह विकास किया गया किसानों को प्रेरित किया जिससे सागवान के वृक्ष लगे। 1000 पौधे लगाये गये। 3 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नहीं दिया।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनो ग्राम पंचायतों में पौधे लगाये गये हैं। सभी पौधे मनरेगा योजना के अन्तर्गत लगे हैं।		
29.	**निष्कर्ष** :— 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा डालने की उचित व्यवस्था हैं 12 ने बताया कि उचित व्यवस्था नहीं हैं।	2 जनप्रतिनिधियों ने बताया की उचित व्यवस्था हैं 10 ने बताया कि उचित व्यवस्था नहीं हैं। गांव के बाहर किसी भी स्थान पर कचरा डाल देते हैं।	2 जनप्रतिनिधियों ने बताया की उचित व्यवस्था हैं 8 ने बताया कि उचित व्यवस्था नहीं हैं।

	शोधार्थी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा डालने के लिए निश्चित स्थान नहीं हैं ग्रामीण गांव के बाहर किसी भी जगह कचरा डाल देते हैं। जो उचित नहीं हैं।		
30.	**निष्कर्ष :–** 9 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वार्डो, किसी वार्ड में नाली नहीं बनाई गयी हैं। जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया नालियां बनाई गयी हैं।	5 जनप्रतिनिधियों ने बताया नालियों का निर्माण नही किया गया हैं जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नालियों का निर्माण कार्य चल रहा हैं।	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया नालियां नहीं बनी हैं जबकि 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नालियां बन रही है कई वार्डो में बना दी गई हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि वार्डों में पानी की निकासी हेतु नालियो का निर्माण कार्य चल रहा हैं।		
31.	**निष्कर्ष :–**10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं लोगों को प्रेरित कर रहे हैं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की हैं। 6 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नह्यी दिया।	स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, लोगों को प्रेरित किया, पौधा रोपण कार्य किया, योगा शुरू करवाया, भारत स्वाभिमान के कैम्प लगाये। 5 जनप्रतिनिधियों ने उत्तर नहीं दिया।	5 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था की हैं, शौचालय निर्माण करवाया गया, स्वच्छता कार्य कर रहे हैं। जबकि 5 ने उत्तर नहीं दिया।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनों ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियो ने अच्छे प्रयास किये हैं।		
32.	**निष्कर्ष :–** 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 80 % से अधिक वन क्षेत्र हैं। 9 ने उत्तर नहीं दिया।	6 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 60 % वन क्षेत्र हैं। 6 ने उत्तर नहीं दिया।	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 80 % वन क्षेत्र हैं। 7 ने उत्तर नहीं दिया।
	शोधार्थी का मानना है कि इस क्षेत्र में 70% तक वन है जो अच्छा हैं।		
33.	**निष्कर्ष :–**14 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं हैं। जबकि 2 ने बताया कि छोटे उद्योग हैं जैसे ईट उद्योग।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कोई उद्योग नहीं हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया उद्योग, कारखाना नहीं हैं।

	शोधार्थी का मानना है कि इस क्षेत्र में उद्योग/कारखाने नहीं हैं। जो कि पर्यावरण संतुलन के लिए ठीक हैं।		
34.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि राशी योजना के अनुसार आती हैं लेकिन पर्यावरण संरक्षण के कार्यों से लाभ हुआ हैं पेड़–पौधों से हरियाली हुई हैं तालाबों में पानी भरा हैं। नालियों का निर्माण हुआ हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कार्यों से अनेक लाभ हुए हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मनरेगा योजना में हुए कार्यों से लाभ हुआ हैं पेड़–पौधे लगे हैं तालाब, एनिकट बने है। जिससे पानी भरा रहता है। स्वच्छता बनी हुई हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनों ग्राम पंचायतों में लाभ हुआ हैं।		
35.	**निष्कर्ष** :– 5 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भूमि, जल, वायु प्रदूषण से सम्बन्धित कानून बने हैं अधिकारी मिलावटी सामान की जांच करते हैं। पेड़ नहीं काटने देते हैं 11 को जानकारी नहीं हैं।	4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि वायु, जल आदि को प्रदूषित नहीं कर सकते, पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध हैं। 8 जनप्रतिनिधियो को जानकारी नहीं हैं।	2 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पेड़ नहीं काट सकते हैं, जल को प्रदूषित नहीं कर सकते, प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध हैं। अधिकारी दूकानों पर मिलावटी सामानों की जांच करते हैं। धुआं, गन्दगी आदि से सम्बन्धित कानून हैं। 8 को जानकारी नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी नहीं हैं। कुछ जनप्रतिनिधि थोड़ी जानकारी रखते हैं।		
36.	**निष्कर्ष** :– 3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रीन हाउस घर जैसा बना रहता हैं यह तापमान से	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इसका नाम सुना हैं यह तापतान से	2 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नाम सुना हैं इसका सम्बन्ध वायु के बढ़ते

	सम्बन्धित हैं। इसका नाम सुना हैं। 13 को जानकारी नहीं हैं।	सम्बन्धित हैं। 9 को जानकारी नहीं हैं।	तापमान से हैं। 8 को जानकारी नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि ग्रीन हाउस के बारे में जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं हैं।		
37.	**निष्कर्ष :–** 2 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि धुएं पर प्रतिबन्ध होना चाहिए, गंदे पानी को नदियों, तालाबों में नहीं डालना चाहिए। 14 को उत्तर नहीं दिया।	2 जनप्रतिनिधियों ने बताया गन्दगी नहीं करनी चाहिए, सफाई रखना चाहिए।	3 जनप्रतिनिधियों ने बताया गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों की व्यवस्था हो गन्दगी दूर होनी चाहिए। सफाई नियमित हो।
	शोधार्थी का मानना है कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव दिये है अधिकांश ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।		
38.	**निष्कर्ष :–** 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया किसी प्रकार की बाधा नहीं आती हैं सभी जगह समानता के आधार पर कार्य किए गये हैं। शेष 6 ने बताया बाधाएं आती हैं सरपंच अपनी इच्छा से कार्य करता हैं। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हैं।	7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि बाधाएं नहीं आती हैं। 5 ने बताया कि बाधाएं आती है। वार्ड पंच से सरपंच सहमति नहीं लेता, अपनी मर्जी से कार्य करता हैं। पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हैं। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हैं।	6 जनप्रतिनिधियों ने बताया कोई बाधा नहीं आती हैं। 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कुछ बाधाएं आती हैं। जैसे पौधो की सुरक्षा नहीं हो पाती, जानवर खा जाते हैं। नालियों की सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि पर्यावरण संरक्षण में किसी प्रकार की बाधा नहीं हैं कुछ समस्याएं पौधों की सुरक्षा की हैं जिनमें सुधार किया जाना चाहिए।		
39.	**निष्कर्ष :–** सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए तभी	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियो की होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि

	के लिए वार्ड पंच, संरपंच, पंचायत समिति सदस्य सभी कार्य करे तथा जनता को जागरूक करें।	पर्यावरण संरक्षण होगा।	पर्यावराण संरक्षण का कार्य करेगें तो लोग भी जागरूक होगें वे भी कार्य करेगें। वार्ड पंच अपने अपने गांव में प्रयास करें।
	शोधार्थी का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिये जिससे पर्यावरण संरक्षण अच्छा हो सकेगा।		
40.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायतों को और अधिकार पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित मिलने चाहिए जैसे दण्ड देने की शक्ति, पंचायत में अलग से पर्यावरण संरक्षण विभाग हों।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायतो को और अधिकार मिलने चाहिए अभी 5 विभाग ही दिये हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायतों को और अधिकार मिलने चाहिये। अभी सिर्फ 5 विभाग ही दिये गयें हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि ग्राम पंचायतो को और अधिकार मिलने चाहिए, अभी 5 विभाग ही ग्राम पंचायतो को दिये गये हैं।		
41.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यतया नीम, इमली, बबूल, बांस, धोकड़ा, तींदू, शीशम, सागवान, आम अशोक, फलदार वृक्ष जैसे संतरा, अमरूद, नींबू आदि वृक्ष पाये जाते हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां नीम, बबूल, इमली, सागवान, आम, शीशम, गुराड, चरैल, अशोक, खैर, धौकड़ा, कांकरा, तथा फलदार पौधे आसानी से उग आते हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां गुराड, नीम, पीपल, बरगद, बबूल, खेजड़ा, सैमला, कांकरा, सहेजणा, चरैल, खैर, इमली, अशोक, आम, अनार, संतरा, अमरूद आदि के पौधे पाये जाते हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि इस क्षेत्र कि मिट्टी इन वृक्षो के लिए उपयुक्त हैं। ऐसे वृक्ष उत्तम हैं इनसे पर्यावरण सुरक्षित होगा।		

42.	**निष्कर्ष :–** सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां बांस, शीशम, नीम, बबूल, पीपल, बरगद, इमली, सागवान आदि के वृक्ष आसानी से लगाये जा सकते हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां सभी प्रकार के पौधे लगाये जा सकते हैं जैसे नीम, शीशम, सागवान, बांस, बबूल, पीपल आदि।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहां सभी तरह के पौधे लगाये जा सकते हैं जैसे बांस, कल्दी, नीम, तेंदू, बबूल, पीपल, इमली, चरैल, संतरा, अमरूद नींबू।
	शोधार्थी का मानना है कि यहां फलदार पौधों की खेती होती हैं इसके अलावा वर्षा अधिक होने, पहाड़ी इलाका होने से यह पौधे आसानी से लग जाते हैं। यहां पर ऐसे ही पौधे लगाये जाने चाहिये।		
43.	**निष्कर्ष :–** 11 जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत असनावर को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सफल बताया हैं 5 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया। इस ग्राम पंचायत की सफलता प्रतिशत 68.75 हैं।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सफल रही हैं जबकि 4 ने जवाब नहीं दिया। इस ग्राम पंचायत की सफलता प्रतिशत 66. 66 हैं।	7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्राम पंचायत लावासल में पर्यावरण संरक्षण कार्य सफलतापूर्वक किये गये। इस ग्राम पंचायत का प्रतिशत 70 हैं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण के कार्य सफल रहे। लेकिन ग्राम पंचायत लावासल में सफलतापूर्वक कार्यो का प्रतिशत सबसे ज्यादा 70% हैं।		
44.	**निष्कर्ष :–** 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि रात्रि चौपाल, पर्यावरण दिवस मनाया, वृक्षारोपण किया, जनता को सन्देश दिया। जबकि 9 जनप्रतिनिधियों ने जानकारी नहीं दी।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि रैली निकाली थी, रात्रि चौपाल, जन जागरण अभियान आदि कार्यक्रम चलाये। जबकि 4 जनप्रतिनिधियों ने जानकारी नहीं दी।	5 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि लोगों को प्रेरित किया, वृक्षारोपण कार्य किया, स्वच्छता कार्यक्रम चलाया, जबकि 5 जनप्रतिनिधियों ने जानकारी नहीं दी।
	शोधार्थी का मानना हैं कि तीनों ग्राम पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागरण अभियान		

	चलाये लेकिन उत्तर देने वाले जनप्रतिनिधियो की संख्या जूनाखेड़ा की रही हैं जिनका प्रतिशत 66.66 हैं।		
45.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय सोच में 40 से 50 प्रतिशत तक बदलाव आया हैं।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय सोच में 50 प्रतिशत तक बदलाव आया हैं।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि 50 प्रतिशत से अधिक बदलाव आया हैं। अब लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने लगे हैं यहां कृषि में लोग जैविक खेती को अपना रहे हैं। स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्तमान समय में मानवीय सोच में बहुत बदलाव आया हैं।		
46.	**निष्कर्ष** :– 9 जनप्रतिनिधियों ने बताया पौधे लगाये गये थे ठीक अवस्था में हैं। 7 जनप्रतिनिधियों ने बताया जानकारी नहीं हैं।	9 जनप्रतिनिधियों ने बताया पौधे ठीक अवस्था में हैं। 3 जनप्रतिनिधियों ने बताया जानकारी नहीं हैं।	6 जनप्रतिनिधियों ने बताया पौधे ठीक अवस्था में हैं। 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया जानकारी नहीं हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि पौधे ठीक अवस्था में हैं।		
47.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनसे मिलने कोई गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं का सदस्य नहीं आया।	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि कोई गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं का सदस्य मिलने नहीं आया।	सभी 10 जनप्रतिनिधियों का मानना है कि कोई गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं का सदस्य मिलने नहीं आया।
	शोधार्थी का निष्कर्ष है कि कोई भी स्वयं सेवी संस्थाओं का सदस्य जनप्रतिनिधियों से मिलने नहीं आया।		
48.	**निष्कर्ष** :– सभी 16 जनप्रतिनिधियों ने बताया	सभी 12 जनप्रतिनिधियों ने बताया ग्राम जूनाखेड़ा में	सभी 10 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मानपुरा में केशव

	असनावर में नहीं हैं।	निजी नर्सरी माँ जगदम्बा उच्च तकनीक नर्सरी की स्थापना की हैं जो पौधे उत्पादन करती हैं इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुड़गांव द्वारा मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं।	आदर्श समिति द्वारा संचालित कामधेनु वर्मी कम्पोस्ट केन्द्र हैं यह क्षेत्र में पर्यावरण सुरक्षा, गोरक्षा, जल संरक्षण, औषधि सुरक्षा, स्वच्छता आदि 5 कार्यक्रमों में सक्रिय हैं।
	शोधार्थी का मानना है कि जूनाखेड़ा में पौध नर्सरी हैं। जो अच्छी किस्म के पौधे उपलब्ध कराती हैं लेकिन मानपुरा (लावासल) में एक समिति हैं जो कि पर्यावरण सरंक्षण के 5 कार्य करती हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी हैं।		
49.	**निष्कर्ष :–**10 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण की योजनाएं सफल बताई हैं। इन्होने बताया मनरेगा योजना, स्वच्छता कार्यक्रम, अच्छी योजनाएं हैं। जबकि 4 जनप्रतिनिधियों ने असफल बताया इन्होने बताया कि किसी को जिम्मेदारी प्रदान नहीं करते सिर्फ दिखावा हो रहा हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। 2 जनप्रतिनिधियों ने जवाब नहीं दिया वार्ड पंच को किसी योजना कि जानकारी नहीं हैं।	8 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं सफल रही हैं 4 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि असफल रही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया हैं।	7 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं सफल रही हैं मनरेगा योजना में अनेक कार्य हुए हैं, स्वच्छता सम्बन्धी कार्य भी हुए हैं। जबकि 3 जनप्रतिनिधियों ने बताया कि योजनाएं असफल रही है। परन्तु उन्होने असफलता के कारण नहीं बताएं।
	शोधार्थी का मानना हैं कि पर्यावरण संरक्षण कि योजनाएं सफल हुई हैं पर्यावरण संरक्षण हो रहा हैं।		
50.	**निष्कर्ष :–** 8 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दिये हैं जबकि 8 जनप्रतिनिधियों ने	5 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दिये जबकि 7	5 जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दिये जबकि 5

	सुझाव नहीं दिये।	जनप्रतिनिधियों ने सुझाव नहीं दिये।	जनप्रतिनिधियों ने सुझाव नहीं दिये।
	सुझाव :–		
	ग्राम पंचायत असनावर के जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिये कि (1) सरपंच सहयोग करे सबको साथ लेकर चले। (2) पौधों को जिम्मेदारी पूर्वक लगाये उनकी सुरक्षा करे। (3) जैविक कृषि अपनाये। (4) प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत मे अलग विभाग पर्यावरण संरक्षण के नाम से बनाना चाहिए।	ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा के जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि (1) पंचायतो को पर्यावरण संरक्षण हेतु और अधिकार मिलने चाहिए। (2) पेड़–पौधे लगाये जायें। (3) मजदूरों को एल पी जी गैस उपलब्ध कराई जावें। (4) पुलिस प्रशासन ईमानदारी से सहयोग करें। (5) कानून सख्त बनाये जायें।	सुझाव दिया कि (1) वनो की रक्षा के लिए गांव के लोगों की टीम बनाई जावें। (2) पौधे आसानी से मिले व उनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड भी लगें। (3) प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो, खुले में शौच बंद हो। (4) वन विभाग को सख्त होना चाहिए। (5) गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण हो तथा नियमित सफाई की व्यवस्था हो।
	शोधार्थी का मानना है कि तीनों गाम पंचायतो के लगभग 50 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगें।		
	निष्कर्ष :– तीनों ग्राम पंचायतो के तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लावासल में विकास कार्यों में सबसे अधिक राशी 1221.88 लाख व्यय की गई। जबकि ग्राम पंचायत असनावर में 816.3 लाख रूपये, ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा में 672.2 लाख रूपये मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय किये गये। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत भी ग्राम पंचायत लावासल की स्थिति अच्छी हैं जहां 87.23 प्रतिशत लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में भी ग्राम पंचायत लावासल में विकास कार्यों पर अधिक राशी 92.00 लाख रूपये व्यय की गई। जबकि ग्राम पंचायत असनावर में 20 लाख रूपये, ग्राम जूनाखेड़ा में 39 लाख 10 हजार रूपये व्यय किये गये हैं। ग्राम पंचायत लावासल के जनप्रतिनिधियों ने शोधार्थी को साक्षात्कार के प्रश्नों के उत्तर देने में भी ज्यादा सहयोग दिया हैं। शोधार्थी को यह भी देखने को मिला कि ग्राम पंचायत लावासल में सभी		

	जनप्रतिनिधियों में विकास कार्यों को लेकर सहमति है किसी वार्ड पंच द्वारा सरपंच की आलोचना नहीं की गई। जबकि जूनाखेड़ा व असनावर में सरपंच की कार्य शैली को लेकर कुछ जनप्रतिनिधियों ने असन्तोष व्यक्त किया हैं। यद्यपि सभी ग्राम पंचायतो के जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को लेकर संतोष व्यक्त किया हैं और अपनी–अपनी ग्राम पंचायतो को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में सफल बताया हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने वृक्षारोपण पर बल दिया तथा पौधों की सुरक्षा की मांग कि क्योंकि प्रतिवर्ष हजारों पौधे लगते हैं। लेकिन जानवर उन्हें नष्ट कर देते हैं। सफाई हेतु कर्मचारियों की मांग की, जनप्रतिनिधि ने प्लास्टिक की रोकथाम के लिए प्रशासन से सहयोग की अपील की। पर्यावरण संरक्षण हेतु सख्त कानून की मांग जनप्रतिनिधियों ने की हैं तथा ग्राम पंचायतो को पर्यावरण संरक्षण हेतु दण्डनीय अधिकार की मांग की। संक्षेप में तीनों ही ग्राम पंचायतों में पर्यावरण संरक्षण के कार्य अच्छे हुए हैं लेकिन शोधार्थी का मानना है कि ग्राम पंचायत लावासल पर्यावरण संरक्षण कार्यों में अधिक सफल रही हैं।

निष्कर्ष :– पंचायत समिति झालरापाटन में पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं में मुख्य रूप से मनरेगा योजना हैं इस योजना के अन्तर्गत सूखे से बचाव, परम्परागत जल निकायों का पुनर्जीविकरण, जल संरक्षण एवं जल संचय, भूमि विकास, सूक्ष्म सिंचाई, वृक्षारोपण, "व्यक्तिगत लाभ के कार्य" अपना खेत, अपना काम के अन्तर्गत भूमि समतलीकरण, कृषि वानिकी, मेडबन्दी, उद्यानिकी आदि कार्य किये गये हैं। पिछले वर्षो से पंचायत समिति द्वारा वृक्षारोपण, बंजड़ भूमि व सड़क के दोनों तरफ किया जा रहा हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान भी जल संरक्षण हेतु बहुत उपयोगी सिद्व हुआ हैं। इस अभियान के कारण भू जल स्तर नीचे नहीं गिरेगा तथा क्षेत्र में जल आत्मनिर्भरता का निर्माण होगा। अभियान के कारण गांवों में ग्रीष्म ऋतु तक जल स्रोतो में पानी रहेगा। मनरेगा योजना व जल स्वावलम्बन योजना की सफलता से पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल की सम्भावनाओं को नगण्य किया जा सकेगा। अन्य योजनाओं में एकीकृत वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं में सूक्ष्म सिंचाई योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन आदि योजनाएं व कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। शोधार्थी ने पंचायत समिति झालरापाटन की तीन ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का अवलोकन किया हैं। इन योजनाओं व कार्यक्रमों के डाटा भी विभिन्न कार्यालयों से एकत्रित किये हैं। इसके अतिरिक्त तीनों ग्राम पंचायतो के सरपंच, वार्ड पंच व पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, दो पंचायत समिति सदस्य सहित कुल 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार शोधार्थी ने लिये हैं। साक्षात्कार के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रो में प्रदूषण, खुले में शौच, प्लास्टिक के कारण, घरेलू धुएं से, गन्दे पानी से,

कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग से, वनों की कटाई से, कचरे के कारण होता हैं। ग्राम पंचायतें प्रदूषण के इन सभी कारणों का समाधान कर रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया की शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने को हैं। वृक्षारोपण कार्य किये गये हैं। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास जारी हैं। स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब, एनिकट निर्माण किया गया हैं। गन्दे पानी की निकासी हेतु गांवों में सड़क व नालियों का निर्माण किया गया हैं। कचरा निस्तारण के प्रयास चल रहे। जनप्रतिनिधियों ने कुछ उपयोगी सुझाव भी दिये हैं जैसे ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण सरंक्षण विभाग बनाया जावे, ग्राम पंचायत को दण्ड की शक्ति प्राप्त हो, पुलिस व प्रशासन सहयोग करें, पौधों की सुरक्षा की जावें, प्रदूषण करने वालों को सख्त सजा दी जावें, प्लास्टिक पर पूर्ण रोक सख्ती से लागू करें आदि। अतः विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन तथा उपलब्ध डाटा व शोधार्थी के अवलोकन जनप्रतिनिधियों से हुए साक्षात्कार से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि पर्यावरण संरक्षण के कार्य विभिन्न योजनाओं के द्वारा सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं।

≈≈≈≈

सन्दर्भ सूची

1. जिला दर्शन : सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झालावाड़, वर्ष 2014, पृष्ठ 03
2. भल्ला, एल. आर. : सामयिक राजस्थान राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति, कुलदीप पब्लिकेशन्स, संस्करण 2006, पृष्ठ 273
3. माथुर, मोहिनी : सामंतवाद से लोकतंत्र (झालावाड़ रियासत के परिप्रेक्ष्य में) प्रिंटवेल जयपुर, प्रथम संस्करण, 1995, पृष्ठ 7
4. जिला दर्शन : वही, पृष्ठ 03
5. माथुर, मोहिनी : वही, पृष्ठ 21
6. जिला दर्शन : नवम्बर 2014, वही, पृष्ठ 04
7. खान, एस. आर. : झालावाड़ राज्य का इतिहास, आसफिया रिसर्च सेन्टर, कोटा जंक्शन, प्रथम संस्करण, 2010, पृष्ठ 94
8. खान, एस. आर. : झालावाड़ राज्य का इतिहास, उपरोक्त पृष्ठ 15,16
9. माथुर, मोहिनी : वही, पृष्ठ 167
10. खान, एस. आर. : वही, पृष्ठ 16
11. कार्यालय विकास अधिकारी : पंचायत समिति, झालरापाटन
12. दत्त गौरव दत्त एवं सुन्दम् कृत भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., रामनगर, दिल्ली, संस्करण 2015, पृष्ठ 445
13. बावेल, बसन्तीलाल : "पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास की योजनाएँ" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, संस्करण 2010, पृष्ठ 147
14. कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता, मनरेगा, जिला परिषद्, झालावाड़।
15. मनरेगा योजना : व्यक्तिगत लाभ के कार्य अपना खेत अपना काम, संबधी दिशा निर्देश 2011, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, पृष्ठ 7,8
16. कार्यालय, मनरेगा जिला परिषद्, झालावाड़
17. भल्ला, एल. आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, संस्करण 2015, पृष्ठ 45
18. राजस्थान पत्रिका : (झालावाड़ पत्रिका) दिनांक 15–04–13, पृष्ठ 05
19. कार्यालय जिला कार्यक्रम समनवयक एवं जिला कलक्टर मनरेगा, जिला झालावाड़, पत्र क्रमांक 1402 दिनांक 08–07–2014
20. कार्यालय, कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन

21. कार्यालय मनरेगा, पंचायत समिति, झालरापाटन
22. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान परियोजना, प्रतिवेदन : वर्ष 2015–16 प्रस्तुतकर्त्ता अध्यक्ष जिला कलेक्टर झालावाड़ , पृष्ठ 7,8
23. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन प्रतिवेदन, 2015–16, वही, पृष्ठ 777
24. कार्यालय; अधिशाषी अभियन्ता : (वाटरशेड) जिला परिषद्, झालावाड़।
25. उपरोक्त
26. कार्यालय : सहायक निदेशक, उद्यानिकी विभाग, मिनिसचिवालय, झालावाड़।
27. उपरोक्त
28. कुरूक्षैत्र : नवम्बर 2013 पृष्ठ 38
29. कार्यालय, सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं संरक्षण, पंचायत समिति, झालरापाटन।
30. कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, जिला, झालावाड़।
31. राजस्थान सुजस : पृष्ठ 05
32. शर्मा, महेन्द्र : कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झालावाड़।
33. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा.लि., ग्रीन पार्क, नई दिल्ली, नवम्बर 2017, पृष्ठ 119
34. कार्यालय, रसद विभाग, जिला, झालावाड़।
35. परिपत्र क्रमांक 08(1)/पर्य/99/पार्ट जयपुर दि. 14–06–12 पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार
36. कुरूक्षैत्र : जनवरी 2013, पृष्ठ 04
37. कार्यालय, पंचायत समिति, झालरापाटन, पत्र क्रमांक/पंचायत/2015/1963 दिनांक 11–12–2015
38. कार्यालय, ग्राम पंचायत असनावर
39. कार्यालय, तहसीलदार, तहसील असनावर
40. कार्यालय, पचांयत समिति, झालरापाटन, वही पत्र क्रमांक, 1963, दिनांक 11–12–15
41. कार्यालय, पंचायत समिति, झालरापाटन मनरेगा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकतावार कार्यों की सूची प्रपत्र 6, वार्षिक प्लान 2015–16 से 2017–18
42. कार्यालय, पंचायत समिति, झालरापाटन, मनरेगा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकतावार कार्यों की सूची प्रपत्र 6, वार्षिक प्लान 2012–13 से 2016–17
43. उपरोक्त प्रपत्र 06

44. कार्यालय, पंचायत समिति, झालरापाटन, मनरेगा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिकतावार कार्यों की सूची प्रपत्र 6 वार्षिक प्लान 2014–15 से 2017–18
45. कार्यालय, ग्राम पंचायत, असनावर
46. वही, प्रपत्र 6 वर्ष 2014–15 से 2017–18
47. कार्यालय, ग्राम पंचायत, असनावर
48. कार्यालय, सहायक निदेशक उद्यान : विभाग मिनिसचिवालय, झालावाड़
49. कार्यालय, रसद विभाग मिनिसचिवालय, झालावाड़।
50. राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 पंचायत समिति झालरापाटन प्रस्तुत कर्ता जिला कलेक्टर अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान पृष्ठ 700
51. कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झालावाड़
52. कार्यालय, ग्राम पंचायत, असनावर
53. कार्यालय, ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
54. कार्यालय, तहसीलदार, तहसील, असनावर
55. कार्यालय पंचायत समिति, झालरापाटन, मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्राथमितावार कार्यों की सूची प्रपत्र 6 वार्षिक प्लान 2014–15 से 2017–18
56. उपरोक्त प्रपत्र 06 वार्षिक प्लान, वर्ष 2014–15 से 2017–18
57. उपरोक्त प्रपत्र 06
58. उपरोक्त प्रपत्र 06
59. उपरोक्त प्रपत्र 06
60. उपरोक्त प्रपत्र 06
61. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, जलग्रहण विभाग : झालरापाटन, प्रपत्र 2017–18
62. कार्यालय, ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
63. उपरोक्त
64. वही, प्रपत्र 6
65. वही, उद्यान विभाग
66. वही, उद्यान विभाग
67. कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झालावाड़
68. कार्यालय, सहायक अभियन्ता भू जलग्रहण एवं संरक्षण, पंचायत समिति, झालरापाटन

69. वही, रसद विभाग
70. कार्यालय, ग्राम पंचायत, लावासल
71. कार्यालय, तहसीलदार, तहसील, असनावर
72. कार्यालय, पंचायत समिति, वही, पत्र क्रमांक 1963 दिनांक 11—12—2015
73. कार्यालय, कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन, मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्राथमितावार कार्यों की सूची प्रपत्र 6 वार्षिक प्लान 2014—15 से 2017—18
74. उपरोक्त प्रपत्र 06
75. उपरोक्त प्रपत्र 06
76. उपरोक्त प्रपत्र 06
77. उपरोक्त प्रपत्र 06
78. उपरोक्त प्रपत्र 06
79. उपरोक्त प्रपत्र 06
80. उपरोक्त प्रपत्र 06
81. कार्यालय, ग्राम पंचायत, लावासल
82. वही, प्रपत्र 06
83. कार्यालय, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, झालावाड़
84. कार्यालय, सहायक अभियन्ता भू जलग्रहण एवं संरक्षण, पंचायत समिति, झालरापाटन
85. कार्यालय, रसद अधिकारी, झालावाड़
86. वही, उद्यान विभाग
87. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, विस्तृत प्रतिवेदन 2015—16 वही, पृष्ठ 778,781

उपसंहार

शोध निष्कर्ष :– प्रस्तुत शोध ग्रंथ "पर्यावरण संरक्षण में पंचायती राज संस्थानओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के सन्दर्भ विशेष में अध्ययन) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका को प्रस्तुत करता हैं। शोध अध्ययन में पंचायत समिति के प्रधान, उपप्रधान, दो पंचायत समिति सदस्य तथा ग्राम पंचायत असनावर के 16 जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा के 12 जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत लावासल के 10 जनप्रतिनिधियों सहित कुल 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार लिये गये हैं तथा शोधार्थी द्वारा तीनों ग्राम पंचायतों के कुल 12 गाँवों का अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि पंचायती राज संस्थाओं ने पर्यावरण संरक्षण में कितनी भूमिका का निर्वहन किया हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद् कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय व तीनों ग्राम पंचायत कार्यालयों से भी डाटा एकत्रित किया गया हैं। प्राप्त डाटा के आधार पर तीनों ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल के अन्तर्गत गाँवों में किये गये पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यो पर प्रकाश डाला गया हैं।

पर्यावरण अंग्रेजी शब्द environment का भाषान्तर पुनरूक्ति हैं इसका सरल अर्थ हैं आस–पास से घेरे हुए। पर्यावरण दो अवयवों, जैविक पर्यावरण व अजैविक पर्यावरण से मिलकर बना होता हैं। समस्त सजीव जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं तथा अजैविक पर्यावरण के अन्तर्गत पानी, भूमि वायु आदि को सम्मिलित किया गया हैं। पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा के प्रति जागरूकता प्राचीन समय से रही हैं पश्चिमी जगत में हिपोक्रेटीस से लेकर एल्सवर्थ हंटिगटन तक बड़ी संख्या में सामाजिक चिंतको ने चर्चा की हैं। सभी जीवित प्राणियों का किसी निश्चत परिवेश में अस्तित्व संभव हैं। मानव–पर्यावरण के मध्य सहसम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता हैं जैसे नियतिवादी दृष्टिकोण, सम्भववादी दृष्टिकोण, उद्देश्यमूलक दृष्टिकोण, पारिस्थितिक दृष्टिकोण आदि। इन दृष्टिकोणों के अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि उद्देश्यमूलक दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को गति दी हैं। इस विचारधारा ने मानवीय कौशल एवं क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया हैं।

पर्यावरणवादी आन्दोलन पश्चिमी राजनीति में 1970 के दशक में उभरकर सामने आया और धीरे–धीरे पूरे विश्व में फैल गया। यह आन्दोलन सामाजिक न्याय पर बल देता हैं। ब्रटलेण्ड महोदय ने सतत विकास की अवधारणा 1987 में प्रस्तुत की थी उनके अनुसार "ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़िया भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सके तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे।"

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जागरूकता वैदिक काल से ही मिलती हैं वेदो में पर्यावरण की गहरी समझ ही इस बात का प्रमाण हैं कि उसने पर्यावरण में मातृत्व को देखा और कहा "माता भूमिः पुत्रोहं पृथिव्याः।" भारत में तुलसी, नीम, पीपल, आम, केला, बांस, खेजड़ी, बरगद, बेलपत्र, सुपारी, खजूर आदि वृक्षों को पूजनीय व मंगलकारी माना हैं पौराणिक युग से भारतीय महिलाओं के प्रकृति प्रेम का एक अनूठा इतिहास रहा हैं। शकुन्तला, प्रियंवदा और अनुसूयाँ, पार्वती छोटी–छोटी गागरियाँ लिए पेड़ों को सींचा करती थी।

राजस्थान में वृक्षों को बहुत अधिक पूजनीय माना जाता हैं यहाँ कहावत हैं "सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाण।" अर्थात यदि अपने जीवन का बलिदान करके भी पेड़ो की रक्षा की जाय तो भी उसे सस्ता ही समझना चाहिए। विश्नोई समाज की वीरागंनाओं ने पर्यावरण रक्षा का एक इतिहास बनाया हैं। वर्तमान में राजेन्द्र सिंह, अण्णा हजारे, वंदना शिवा, मेद्या पाटेकर, अरूंधती राय, सुनिता नारायण, मेनका गांधी, राधा भट्ट, डॉ. हर्षवती विष्ट, कमला चौधरी पर्यावरण संरक्षण हेतु निरन्तर संघर्षरत है।

पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न आज समूचे विश्व की एक ऐसी ज्वलन्त समस्या हैं जो विकसित देशों में अधिक उत्पादन एवं समृद्धि के कारण तथा विकासशील देशो में जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी तथा गरीबी के कारण पैदा हुई हैं। आज विश्व में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया हैं जिसके कारण विश्व में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षय, अम्ल वर्षा आदि इनके कारण मानव, जीव–जन्तु वनस्पति आदि के जीवन पर खतरा मड़रा रहा हैं। विश्व में बढ़ती परमाणु हथियारों की दौड़ ने प्रदूषण बढ़ाने में "आग में घी" डालने जैसा कार्य लिया हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भूमण्डलीय तापन में वृद्धि, जल, वायु परिवर्तन, महासागरों में जल स्तर में वृद्धि, मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव, कृषि पर प्रभाव पड़ रहा हैं।

1960 के दशक तक पर्यावरण विषयक सरोकार सार्वभौमिक नहीं थे लेकिन रैशेल वेल्च द्वारा लिखी पुस्तक द सायलैंट स्प्रिंग ने पाठको का ध्यान डी,टी,टी, जैसे रसायन कीटनाशक के अंधाधुंध

प्रयोग से होने वाले खतरे की ओर दिलाया गया। ऐरिक एकहोम की "लुजिंग ग्राउंड" में यह स्पष्ट किया गया कि जंगलो के कटाव से नदियों के तल में रेती भरने से वह कैसे उथली होती जाती है और फिर पानी को बहाकर समुद्र तक पहुंचाने वाली क्षमता घटने के साथ प्रलयकारी बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता हैं। अमेरीकी भूगोल शास्त्री दंपत्ति हेराल्ड और मार्गरेट स्प्राउट ने अपनी पुस्तक "स्पेसशिप अर्थ" में यह दलील दी थी कि मानव जाति के अस्तित्व को प्रकृति के कोप द्वारा नष्ट किये जाने से बचाने का एक ही तरीका हैं पर्यावरण को सार्वभौमिक मुद्दा समझ सहकारी ढंग से इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना। 1972 में मेसाचूसेट्स इस्टीस्यूट ऑफ टेकनोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह "क्लब ऑफ रोम" ने अपनी रिपोर्ट "लिमिटस टू ग्रोथ" प्रकाशित की जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में वर्तमान विकास दर को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए गये जैसे स्टॉक होम सम्मेलन (1972) पर्यावरण सम्मेलन नैरोबी (1982) रियो पृथ्वी सम्मेलन (1992) माट्रियल प्रोटोकॉल, वियना सभा, क्योटो, प्रोटोकॉल, लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आदि। पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख संगठन भी कार्य कर रहे हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेस्को, अर्थस्केन, पर्यावरण परिरक्षण एजेन्सी, इन्टरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम आदि इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों में ग्रीनपीस, आई सी एस यू जैसे संगठन कार्य कर रहे हैं।

भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानूनी प्रावधान किये गये हैं। अनुच्छेद 21 के तहत ही उच्चतम न्यायालय ने एक वाद में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रदूषण मुक्त जल तथा वायु के उपयोग करने का अधिकार संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार "प्राण का अधिकार" के अन्तर्गत सम्मिलित अधिकार हैं। इसी तरह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 47 व अनुच्छेद 48 (क) में पर्यावरण की सुरक्षा उसमें सुधार करने की बात कही गयी हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को पर्यावरणीय मामलों के लिये अनुच्छेद 12 में बताए गए "राज्य के विरूद्व परमादेश लेख तथा अन्य प्रकार के युक्ति युक्त निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त हैं।" जनहित में वाद दायर किये जा सकते हैं। अनुच्छेद 51(क) पर्यावरण संरक्षण हेतु नागरिको के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया हैं। भारतीय संसद ने पर्यावरण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण और (नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 पारित किये हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई हैं।

राज्य स्तर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण हेतु राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान कोलाहल (नियंत्रण) अधिनियम 1963, राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम

1975, राज्य वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम 1983, राजस्थान ध्रुम्रपान का प्रनिषेध और अध्रुम्रपामी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण अधिनियम 1999 आदि अधिनियम पारित किए गये। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1983 में की गई। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। अतः पर्यावरण असंतुलन की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर पर सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी पर्यावरण संरक्षण में कुछ अड़चने अभी भी बनी हुई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी विकसित व विकासशील राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद दिखाई देते हैं। विकासशील राष्ट्रों को अपने विकास हेतु विकसित देशों का सहयोग आवश्यक हैं। विकासशील देशों में जंगल बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण का कार्य सभी राष्ट्रों के लिए एक चुनौती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, औद्योगिकीकरण के कारण प्रदूषण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण, खनन कार्य से जुड़ी अनेक अड़चने देखने को मिलती हैं। राज्य स्तर पर भी प्राय इसी तरह की अड़चने देखने को मिलती हैं, लेकिन विश्व समुदाय, राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकारे पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयत्नशील हैं इस कार्य में सफलता भी प्राप्त हो रही हैं।

लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित हैं। लोकतंत्र का आधार शासन जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण हैं उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज का साधारण अर्थ हैं पंचयातों का नीति–निर्माण, क्रियान्वयन और राजकाज में भागीदारी। भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों के अनुसार पंचायत शब्द संस्कृत भाषा के पंचायतन शब्द से व्युत्पन्न हैं। अतः किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पाँच पुरूषों के समूह को पंचायत के नाम से सम्बोधित किया गया जाता है। महात्मा गाँधी द्वारा भी "पंचायत" शब्द का अर्थ गाँव के निवासियों द्वारा चयनित 5 जन प्रतिनिधियों की सभा को माना गया हैं। प्राचीन भारत में "पंच सौ परमेश्वर" की मान्यता रही हैं।

भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को हैं। वैदिक काल में ही ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता रहा हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता हैं।

रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा हैं –

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।

सो नृप अवसि नरक अधिकारी"।।

उक्त दोहे में अभिव्यक्त भाव प्रजा कल्याण ही शासन के मुख्य ध्येय को इंगित करता है।

धर्म शास्त्रों में मुख्य मनु, विष्णु याज्ञवल्क्य, और नारद की स्मृतियाँ हैं इनमें स्थानीय स्वायत्त शासन का उल्लेख मिलता हैं। याज्ञवल्क्य–स्मृति के कुल, जाति, श्रेणी, गुण और जनपद जैसे निगमों का उल्लेख किया गया है। शुक्र स्मृति में प्राचीन भारत के गांवों में निम्न 6 प्रकार के राज्य कर्मचारियों का उल्लेख किया हैं। बौद्व काल में सम्पूर्ण जनपद के शासन की इकाई ग्राम थे ग्राम का शासक का चुनाव सभा द्वारा होता था। शासक को ग्रामयोजक कहा जाता था जो ग्राम के अभियोगो का निर्णय करता था। मद्यपान जुआ, पशु हिंसा जैसी दूषित प्रवृतियो को निषिद्व करने का अधिकार उसे प्राप्त था। कौटिल्य ने ऐसी स्थानीय संस्थाओं का उल्लेख किया हैं जो प्रायः राजा के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। चौल प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। ग्राम और नगर परिषदे प्रारम्भिक परिषदे थी और नादु परिषदे थी। ग्रामों में दो प्रकार की संस्थाएं उर और सभा थी। चोल काल में ग्राम सभा को राज्य के सभी अधिकार मिले हुए थे वह न्याय का कार्य करती थी उसे कर लगाने, वसूलने तथा बेगार लेने का भी अधिकार था। पीने के पानी, उपवनों, सिंचाई तथा आवागमन के साधनों की व्यवस्था करना ग्राम सभा के मुख्य कार्य थे। अकाल अथवा संकट के समय यह ग्राम वासियों की उदारता पूर्वक मदद करती थी। राजस्व संग्रह कर सहकारी कोष में जमा करती थी।

ब्रिटिश काल में लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता हैं। इसकी स्थापना केवल जनता को व्यवहारिक राजनीतिक शिक्षा देने के लिए की जा रही थी। रिपन सरकार स्थानीय संस्थाओं को लोकप्रिय संस्थाये बनाना चाहती थी। इन निकायों में अधिकतर निर्वाचित और गैर सरकारी सदस्य और अध्यक्ष होने की बात कही गयी।

आजादी के बाद पंचायतों को संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया गया भारत सरकार ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्‌घाटन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु समय–समय पर केन्द्र सरकार ने कई समितियों का गठन किया। 73 वाँ संविधान संशोधन विधेयक 24 अप्रैल 1993 से अधिनियम के रूप में लागू हुआ। जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड–IX सम्मिलित किया इसे पंचायते नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 "ण" के प्रावधान में सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई

11 वी अनुसूची भी जोड़ी इससे पंचायतों में की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं। इस अधिनियम ने संविधान के 40 वे अनुच्छेद को एक व्यावहारिक रूप दिया हैं। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम हैं यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को "भागीदारी लोकतंत्र में बदलता हैं। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना हैं।

राजस्थान से प्राप्त लेखों से यह ज्ञात होता हैं यहाँ पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी। वे पंचकुली कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता में जिसे महंत कहा जाता था कार्य करती थी। आहड़ और कालीबंगा सभ्यता से यह पता चलता हैं कि वहाँ ग्रामीण और नगरीय शासन व्यवस्था बहुत विकसित थी। राज्य के नियंत्रणों ने पंचायतों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया जो निम्न हैं– (1) जाति पंचायत (2) ग्राम पंचायत (3) व्यावसायिक–पंचायतें।

छटी शताब्दी से सन् 1027 तक पश्चिमी राजस्थान में प्रतिहार राजवंश का निरंकुश शासन था फिर भी इस राजवंश के शासन में गाँव स्वायत्त इकाई के रूप में विद्यमान थे। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामपति या ग्रामाग्रामिका कहलाता था। महत्तरा और महात्तमा सह अधिकारी थे। पश्चिमी राजस्थान के भीनमाल नामक एक गाँव में सन् 1266 का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें पंचकुल (पंचायत) द्वारा दिये गये दान का उल्लेख हैं। वृहत्कथा कोष से पता चलता हैं कि अनेक पंचकुल सीमा शुल्क भी वसूल करते थे। देलवाड़ा लेख व "कान्हड़ दे प्रबन्ध" से ज्ञात होता है कि पंचकुल आयात–निर्यात कर भी लगाते थे। जेम्स टॉड द्वारा लिखित पुस्तकों से यह ज्ञात होता हैं कि जिस समय अंग्रेजो ने राजपूताना राज्यों के प्रशासन के क्षेत्र में पर्दापण किया तब यहाँ ग्राम पंचायते मौजूद थी। बीकानेर पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायतों के लिए वैद्यानिक व्यवस्था की। राजस्थान में 1949 में मुख्य पंचायत अधिकारी के अधीन पंचायत विभाग की स्थापना की गई। 2 सितम्बर 1959 को राजस्थान विधान–मण्डल ने सर्वप्रथम पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इसके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के प्रथम चरण की शुरूआत की।

पंचायती राज संस्थाओं में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा श्री सादिक अली कि अध्यक्षता में एक अध्ययन दल का निर्माण नवम्बर 1962 में कर दिया। दल के अनुसार "पंचायती राज ने निश्चित रूप से एक अंश तक सफलता प्राप्त की हैं और लोगों की आशाओं को पूरा किया हैं।"

भारतीय संविधान के 73 वे संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया हैं जिसे 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। इस अधिनियम में

कुल 124 धाराएँ तथा 3 अनुसूचियां हैं। अधिनियम की धारा 9 पंचायत की स्थापना से, अधिनियम की धारा 10 पंचायत समिति की स्थापना से, अधिनियम की धारा 11 जिला परिषद् की स्थापना से सम्बन्धित हैं।

राज्य सरकार ने पंचायती राज को सुदृढ करने हेतु कुछ अन्य नियम व अधिनियम भी बनाए, जैसे राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबध में उपान्तरण) अधिनियम 1999, राजस्थान पंचायती राज नियम 2000 आदि। 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में 2 अक्टूबर 2010 को आम जनता से जुड़े 5 विभागों क्रमश प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कृषि विभाग की जिला स्तर तक निधियाँ, गतिविधियाँ एवं स्टाफ पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित किए गए हैं।

पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया हैं। अधिनियम की धारा 12 में पंचायत की संरचना, धारा 13 में पंचायत समिति की संरचना, धारा 14 में जिला परिषद् की संरचना के सम्बन्ध में प्रावधान किए गये हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2000 द्वारा सभा का प्रावधान किया गया। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा का उपबंध किया गया हैं। धारा 15 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था के प्रावधान हैं। निर्वाचन हेतु अर्हता के अन्तर्गत राज्य सरकार ने शैक्षणिक योग्यता, दो से अधिक संतान नहीं होना, घर में शौचालय का होना, आदि को आवश्यक बनाया हैं। अधिनियम में धारा 118 में राज्य वित्त आयोग व धारा 119 में राज्य निर्वाचन आयोग के सम्बन्ध में प्रावधान हैं। अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायतों के कृत्यों का उल्लेख, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में पंचायत समिति के कृत्यों का उल्लेख, अधिनियम की तृतीय अनुसूची में जिला परिषद् के कृत्यों का उल्लेख किया गया हैं।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया अपितु उन्हें अनेक अधिकार भी दिये गए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 विषय दिये गये हैं उनमें से अधिकांश विषयों का सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से है। जैसे कृषि, भूमि अभिवृद्वि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, ईधन, चारा, सफाई आदि।

अतः 1994 में राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित पंचायती राज अधिनियम और उसमें समय–समय पर किये गये संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की संरचना व स्थितियों में काफी परिवर्तन

आये है, जिससे ये संस्थाएं अधिक सक्षम, सक्रिय और प्रभावी भूमिका का निष्पादन करने में सफल हो सकेगी।

झालरापाटन पंचायत समिति का कुल क्षेत्रफल 1329.17 वर्ग कि.मी. हैं। वर्तमान में इसमें 29 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं पंचायत समिति में 202 आबाद गाँव हैं। इस पंचायत समिति के अन्तर्गत पर्यावरण से जुड़ी अनेक परियोजनाएँ तथा पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम प्रारम्भ किए गये हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के अनेक कार्य किये गये हैं जैसे – सूखे से बचाव के लिए वन रोपण और वृक्षारोपण, सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजना सहित नहरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, बागवानी, भूमि विकास के कार्य, परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीविकरण सहित जलाशयों की गाद (मिट्टी) निकालना, एनिकट निर्माण, शौचालय निर्माण, वर्मी–कम्पोस्टिंग आदि कार्य किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य "अपना खेत अपना काम" के अन्तर्गत भूमि सुधार हेतु भूमि समतलीकरण, मेड़बन्दी, कृषि वानिकी उद्यानिकी, ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, टांके, नवीन कूप निर्माण, कूप गहरा करना आदि कार्य भी किए गये हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारम्भ की गई हैं इस योजना के अन्तर्गत सभी 29 ग्राम पंचायतों में मृदा के नमूने लिए जा रहे हैं इस योजना का ध्येय वाक्य "स्वस्थ धरा, खेत हरा" हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 43527 व्यक्तियों को LPG कनेक्शन देने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हैं अब तक 24192 व्यक्तियों को LPG कनेक्शन दे दिये हैं। स्वच्छता कार्यक्रम अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय निर्माण हेतु 12000 रूपये की राशि सहायता के रूप में दी जा रही हैं पंचायत समिति की सभी 29 ग्राम पंचायतो में शौचालय निर्माण का कार्य प्रभावी तरीके से चल रहे हैं तथा 08 ग्राम पंचायते खुले में शौच मुक्त घोषित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत भी पंचायत समिति क्षेत्र में अनेक कार्य किए गये हैं इनमें तालाब निर्माण, पुराने जलाशयों की सफाई, एनिकट निर्माण आदि हैं।

झालरापाटन की तीन ग्राम पंचायतो असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं में कार्य किये गये हैं जिनका शोधार्थी द्वारा अवलोकन भी किया गया हैं तथा ग्राम पंचायत असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल के 38 जनप्रतिनिधियों व पंचायत समिति के प्रधान, उपप्रधान, 2 पंचायत समिति सदस्य सहित कुल 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार भी लिये गये हैं। साक्षात्कार के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण खुले में शौच जाने, घरेलू धुएं, घरों से निकले गन्दे पानी के कारण, कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग से, घरों से निकले

कूड़े–कचरे से, प्लास्टिक के प्रयोग आदि कारणों से होता हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का समाधान कर रही हैं। गांवों में सभी घरों में शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने को हैं। स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि में जैविक खाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, एनिकट निर्माण, मेढ़बन्दी, भूमि समतलीकरण आदि कार्य किए गये हैं। गांवों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण व सड़क निर्माण किया गया हैं। वनों की रक्षा का कार्य कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ उपयोगी सुझाव भी दिये हैं जैसे (1) पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालो को सख्त सजा दी जावें। (2) ग्राम पंचायतों को दण्ड की शक्ति प्रदान की जावें। (3) ग्राम पंचायत के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के नाम से एक विभाग खोला जावे जो गांवों में पर्यावरण प्रदूषण पर नजर रख सकें। (4) जनप्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी हैं हमें पर्यावरण संरक्षण कार्य करने चाहिए तथा ग्रामीण जनता को जागरूक करना चाहिए। (5) जनप्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का कार्य पंचायती राज संस्थाएं ही कर सकती हैं क्योंकि ग्रामीण जनता की भागीदारी इन संस्थाओं में ज्यादा हैं। वार्ड पंच सीधे जनता से जुड़े हुए हैं तथा तीनों ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद्, भू–जल ग्रहण विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि विस्तार विभाग आदि से डाटा उपलब्ध कर तीनों ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत हुए पर्यावरण संरक्षण के कार्यो पर प्रकाश डाला हैं। तीनों ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य, मेड़बन्दी, भूमि समतलीकरण, टांका निर्माण/ कुआ निर्माण/ गहरा करना/ तालाब/ तलाई निर्माण कार्य, एनिकट निर्माण आदि कार्य किये गये। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत तलाई गहरीकरण, एनीकट निर्माण, मरम्मत के कार्य आदि करवाये गये, ग्राम पंचायतो द्वारा स्वस्छ भारत अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं। ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुकी है। असनावर व लावासल ग्राम पंचायतें भी शीघ्र ही खुले में शौच मुक्त हो जायेगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तीनों ग्राम पंचायतों में बनाये जा रहे हैं तीनों ग्राम पंचायतों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास जारी हैं। ग्राम पंचायतो द्वारा अपने क्षेत्र के गांवों में पानी की निकासी हेतु सड़के व नालियों का निर्माण कर रही हैं कई गांवो में कार्य पूर्ण हो चुका हैं। ग्राम पंचायतो द्वारा ड्रीप सिंचाई व फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। उज्ज्वला योजना में LPG कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

झालरापाटन पंचायत समिति के अन्तर्गत संचालित इन योजनाओं मे पर्यावरण संरक्षण हेतु मुख्य योजना मनरेगा हैं इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार तो मिलता ही हैं इससे उनकी गरीबी दूर करने में मदद भी मिलती हैं साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन

में भी मदद मिलती हैं। उज्ज्वला योजना में व्यक्तियों को LPG गैस कनेक्शन देने से वनों से लकड़ी की कटाई नहीं होगी और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होगी। ग्राम पंचायत लावासल के ग्राम मानपुरा में स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित वर्मी कम्पोस्ट यूनिट हैं यहाँ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किया जाता हैं जिसमें क्षेत्र के किसान, जनप्रतिनिधि व भारत के अनेक राज्यों से लोग आते हैं। इससे भी जैविक खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा हैं। ग्राम पंचायत असनावर, जूनाखेड़ा, लावासल, के अन्तर्गत आने वाले गांवों में 80 प्रतिशत जैविक खेती की जाती हैं। यहाँ के किसान रासायनिक खाद का प्रयोग कृषि में बहुत कम करते हैं।

प्रकृति प्रेमी स्व. पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म की मीमांसा करते हुए कहा था "सारी सृष्टि ब्रह्म में व्याप्त हैं और जड़–चेतन सबके भीतर एक ही सत्ता निवास करती हैं। इस मत के प्रचार से हिंसा की भावना ढ़ीली होने लगी और लोग यह मानने लगे कि मनुष्य के समान ही पशु–पक्षी, पेड़–पौधे भी हिंसा नहीं, प्रेम और आदर के अधिकारी हैं।"

इसी सन्दर्भ में बर्क का कथन उचित ही प्रतीत होता है कि "स्थानीय स्वशासन उस श्रृंखला की प्रथम कड़ी हैं जो हमें राष्ट्र और मानवता के प्रति प्रेम की ओर अग्रसर करती हैं।

देश में पंचायती राज संस्थाओं को जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अतः पंचायत राज संस्थाएं समाज के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी के तहत पर्यावरण को स्वच्छ व प्रदूषण रहित व हरा भरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

समस्याएँ :–

(अ) शोध सम्बन्धी समस्याएँ :–

1. कुछ अशिक्षित जनप्रतिनिधियों का साक्षात्कार लेने में अत्यधिक कठिनाई हुई।
2. कुछ जनप्रतिनिधि गरीब परिवारों से आते है वे अपनी मेहनत मजदूरी करने अन्य गांवों में चले जाते हैं इसलिए वे शोधार्थी को समय पर उपलब्ध नहीं होते थे।
3. जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार के लिए कई बार गांवों में जाना पड़ता था।
4. कुछ जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार रात्रि के समय लेने पड़े।
5. कुछ जनप्रतिनिधियों के गांव पंचायत समिति मुख्यालय से दूर हैं तथा कच्ची सड़क होने के कारण आने जाने में कठिनाई आती थी।
6. कुछ पढ़े लिखें जनप्रतिनिधि साक्षात्कार देने में आना–कानी करते थे।
7. शोध कार्य हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय से डाटा लेने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत सचिव समय पर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं रहते थे।

8. पंचायत सचिव डाटा उपलब्ध नहीं करवाता था।
9. शोधार्थी को डाटा एकत्रित करने हेतु अलग–अलग कार्यालयों में जाना पड़ा।
10. कार्यालय अध्यक्ष समय पर डाटा उपलब्ध नहीं करवाते थे कई बार महिनों तक सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती थी।
11. शोधार्थी को दो बार पंचायत समिति झालरापाटन से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेनी पड़ी।
12. सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गई सूचना दो तीन महिनों में सम्बन्धित विभाग द्वारा भेजी जाती थी।

(ब) पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ :–

1. विश्व स्तर पर प्रमुख पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ हरित गृह प्रभाव, ओजोन क्षरण, वायु अपरदन, विश्व तापन वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, अम्ल वर्षा, हिम का पिघलना आदि हैं।
2. जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्रों, नगरीकरण में विस्तार करने के लिए, वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही हैं जिससे इनका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा हैं। भारत में वन क्षेत्र न्यूनतम 33 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए जबकि वर्तमान में लगभग 24 प्रतिशत भाग पर ही वन क्षेत्र हैं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रसोईयों में ईंधन के रूप में लकड़ी का ही उपयोग किया जाता हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण जलाऊ लकड़ी की माँग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस बढ़ती लकड़ी की मांग की पूर्ति वनो को काटकर की जाती हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के लोग वनों से लकड़ी काटकर शहरों में बेच देते हैं जिससे इन लोगों को घरेलू खर्च के लिए आय प्राप्त होती हैं। इस कारण वन विनाश हो रहा हैं।
5. अधिकांश ग्रामीण परिवार अप्रैल–मई के महिनों में जंगल में तेंदू के पत्ते तोड़ने जाते हैं। जिससे ग्रामीणों को आय होती हैं लेकिन इससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती हैं तथा पत्तियां नीचे नहीं गिरने से उस क्षेत्र की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती हैं।
6. वनों की अंधाधुन्ध कटाई के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा निरन्तर बढ़ रही हैं जिससे वातावरण में तापमान बढ़ रहा हैं।
7. भारत के अधिकांश क्षेत्रों में झूमिंग कृषि या स्थानान्तरित कृषि की जाती हैं लोग वनों को जलाकर कृषि हेतु भूमि प्राप्त करते हैं दो तीन वर्ष बाद फिर अन्यत्र चले जाते हैं और उस स्थान पर फिर से वनों को जलाकर कृषि हेतु भूमि प्राप्त करते हैं।

8. जंगलों में लगने वाली आग भी पर्यावरणीय समस्या हैं। भारत में हिमाचल क्षेत्र में यह समस्या देखने को मिलती हैं।
9. बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में बनाये जाने वालों बांधों से वनस्पति नष्ट होती हैं तथा लोगो का विस्थापित करके दूसरी जगह बसाने की समस्या रहती हैं।
10. बढ़ते औद्योगिकरण के कारण कारखानों से धुंआ व अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं इस कारण वायु, जल, भूमि प्रदूषण बढ़ रहा हैं। जिस कारण पर्यावरण असंतुलन की समस्या आ गयी हैं।
11. कृषि कार्यो में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा हैं। जिससे भूमि प्रदूषण बढ़ रहा हैं तथा मानव जीवन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हैं।
12. वृक्षों की कटाई से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पठारी इलाकों में पशुचारण करते हैं इस कारण उन क्षेत्रों की वनस्पति नष्ट होती हैं तथा पशुचारण के कारण मृदा अपरदन भी बढ़ता हैं और पठारों की मिट्टी वर्षा द्वारा या वायु द्वारा अन्य स्थानों पर जम जाती हैं।
14. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सिंचाई करने और पानी की निकासी नहीं होने के कारण भूमि लवणीय व क्षारीय हो गई हैं जो कृषि के अयोग्य हो जाती हैं।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुले में शौच जाने के कारण पर्यावरण खराब हो रहा हैं।
16. ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक का प्रयोग अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ हैं इस कारण गाँवों में सड़क पर नालियों में इधर–उधर पड़ी रहती हैं जो पर्यावरण के लिए खतरा हैं तथा गाँव की स्वच्छता को भी खराब कर रही हैं।
17. गांव में घरों का अशुद्व पानी बहकर नदियों की तरफ चला जाता हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नदियां प्रदूषित हो रही हैं।
18. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कूड़ें–कचरे के ढेर गांव के पास ही लगे रहते हैं जिसमें गोबर, कूड़ा, प्लास्टिक, बोतले, कॉंच के टुकड़े आदि होते हैं। इनके उचित प्रबन्धन की व्यवस्था नहीं होने के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता हैं इनमें कई विषाणु जन्म लेते हैं इसलिए बीमारियों का खतरा बना रहता हैं।
19. गांवों में शौचालय निर्माण पर ही अभी ध्यान दिया जा रहा है लेकिन घर–घर से कचरा उठाने, उसके निस्तारण की व्यवस्था अभी भी नहीं हो रही हैं। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा हैं।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह ईंट भट्टे लगे हुए हैं। जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हैं। यह ईंट भट्टे बिना किसी पर्यावरण मंजूरी के चल रहे हैं।
21. प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण अनेक अवैध उद्योग चल रहे हैं इस कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा हैं।
22. किसान अभी भी ड्रीप सिंचाई व फव्वारा सिंचाई को बहुत कम अपना रहे हैं। इस कारण जल की बर्बादी ज्यादा हो रही हैं।
23. ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोग शत प्रतिशत पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएँ जन्म ले रही हैं।
24. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर न्यून होने के कारण भी पर्यावरण जागरूकता में कमी देखने को मिल रही हैं।
25. प्लास्टिक के बने सामानों को लोगों द्वारा "काम में लो और फैंको" की नीति अपना ली जाती हैं इस कारण प्लास्टिक के गिलास, चाय पीने के कप, पत्तल–दोने आदि के ढेर गांव में लग जाते हैं तथा वर्षा ऋतु में अनेक रास्तों को अवरूद्व कर देते है तथा आस–पास गंदगी का वातावरण बन जाता हैं।

पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव :–

1. आधुनिक विश्व में औद्योगिक वृद्वि, आर्थिक विकास तथा नगरीय विस्तार द्वारा विभिन्न स्रोतो से वायु प्रदूषित हो रही हैं। यदि इसके ठोस उपायों को ध्यान में रखकर विकास किया जाये तो यह हानिकारक सीमा को पार नहीं कर सकेगा। अतः वर्तमान में फैल चुके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करके उसके हानिकारक प्रभावों से बचने के उपाय खोजे जाये तथा भविष्य हेतु प्रभावी कार्य योजना बनायी जावें।
2. पर्यावरण संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के सभी देशों को अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर प्रयास करना चाहिए।
3. पृथ्वी के प्रकृति तंत्र की रक्षा के लिए विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए क्योंकि उनकी गतिविधियों ने प्रदूषण को ज्यादा बढ़ाया हैं।
4. पश्चिमी देशों के अनेक जिम्मेदार वैज्ञानिक यह बात स्वीकार करते हैं कि कार्बन जनित प्रदूषण को घटाने में वर्षा वनों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रमाणित हो चुकी हैं। अतः विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की चिन्ताओं को समझकर उन्हें प्रदूषण घटाने वाली टेक्नोलॉजी रियायती कीमत पर सुलभ कराये तथा विकासशील देशों में वर्षा वन सुरक्षित रहे इसलिए इन देशों को विकसित देश आर्थिक सहायता प्रदान करे। [01]

5. पर्यावरण से सम्बन्धित कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दों पर ही चर्चा करके उनका समाधान करना चाहिए क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं।
6. विकसित व विकासशील देशों को पर्यावरण के संकट को समग्र रूप में देखना–परखना चाहिए।
7. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित देशों से साफ तौर पर कहा कि विकासशील देश पर्यावरण के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने इस मनोवृति को बदलने पर जोर दिया कि विकास और प्रगति पारिस्थितिकी के प्रतिकूल हैं। विश्वभर में विकसित और विकासशील दोनों तरह के देशों में पर्यावरण विषयों पर समान स्कूली पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में समान लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ सके। विश्व, जो अब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से अच्छी तरह अवगत हैं को जलवायु न्याय के सिद्वांत के बारे में अवगत होना चाहिए। विकसित देश स्वच्छ प्रौद्योगिकी साझा करने के सम्बन्ध में अपनी प्रतिबद्वताओं को पूरा करें और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील दुनिया की मदद करें। उन्होंने ऊर्जा खपत घटाने के लिए जीवन शैली में बदलाव का आह्मान किया। [02]
8. पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र समर्थित इण्टर गवर्न–मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई पी सी सी) ने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन नहीं रोका गया तो दुनिया नहीं बचेगी। दुनिया को खतरनाक जलवायु परिवर्तनों से बचाना हैं तो जीवाश्म ईंधन के अंधाधुन्ध इस्तेमाल को जल्द ही रोकना होगा। आई पी सी सी ने कहा हैं कि साल 2050 तक दुनिया की ज्यादातर बिजली का उत्पादन लो–कार्बन स्रोतो से करना जरूरी हैं और ऐसा किया जा सकता हैं इसके बाद बगैर कार्बन कैप्चर एण्ड स्टोरेज (सी सी एस) के जीवाश्म ईंधन का 2100 तक पूरी तरह इस्तेमाल बन्द कर देना चाहिए। इसके लिए तुरन्त और बड़े पैमाने पर कार्यवाही किए जाने की जरूरत हैं। [03]
9. 1992 में रियो डे जेनेरियों में अर्थ समिट यानि पृथ्वी सम्मेलन से लेकर लीमा तक के शिखर सम्मेलनों के लक्ष्य अभी भी अधूरे हैं आज आपसी विवादों के समाधान की जरूरत हैं। आज जरूरत हैं ठोस समाधान की इसके लिए एक निश्चित समय सीमा में लक्ष्य तय होने चाहिए।
10. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हर वर्ष 3 लाख लोगों की मृत्यु हो रही हैं और 32.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इनके पुनर्वास के लिए प्रतिवर्ष 125 अरब डॉलर की आवश्यकता हैं। इसलिए विकसित देशों को अपने वादे के मुताबिक 2020 तक 100 अरब डॉलर, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड में देना चाहिए। अभी दस अरब डॉलर ही उपलब्ध हैं। [04]

11. मानव जब से जन्म लेता हैं और जब तक इस धरा पर सांस लेता हैं पर्यावरण से जुड़ा रहता हैं अतः मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे से चोली–दामन की तरह जुड़े हुए हैं। पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण हो और वृक्षारोपण/ वानिकी पर विशेष बल दिया जाए। इसलिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता हैं क्योंकि वन हमें 6 चीजे देते हैं जैसे F – Food(भोजन), O – Oxygen(ऑक्सीजन), R – Rains(वर्षा), E – Environmental Protection(पर्यावरण सुरक्षा), S – helps in soil conservation (मृदा संरक्षण में मदद) तथा T – Timber(लकड़ी) और अन्त में फण्ड (Fund) अर्थात "जहाँ हैं हरियाली वहाँ हैं खुशहाली"।
12. विकास को पर्यावरण के कारण रोका नहीं जा सकता हैं। आवश्यकता इस बाद की है कि विकास को सही दिशा दी जाए। उसे इस प्रकार मानव के लिए उपयोगी बनाया जाए कि उसका पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़ें यह कार्य सम्पूर्ण विश्व को सामूहिक रूप से करना होगा। इसमें वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, प्रशासकों एवं सामान्य जनता को मिलकर प्रयास करना होगा, यह कार्य विश्व स्तर पर करना होगा तभी विकास की सार्थकता होगी।
13. मृदा संरक्षण के लिए आज जीवाश्म कृषि पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, जिससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को प्रयोग पूर्णतः वर्जित हो और कृषि से मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिले।
14. भूमिगत जल के अन्धाधुन्ध दोहन के फलस्वरूप जल की बढ़ती हुई मांग से निपटने के लिए वर्षा जल संचय के साथ–साथ जल के संरक्षण तथा सीमित उपयोग पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता हैं।
15. कहावत हैं कि "जैविक खेती से बढ़ जाता हैं पशु, मानव एवं धरती का प्यार, जीव अंश पर निर्भर रहकर, देती टिकाऊ, खेती का आधार" इस कथन से स्पष्ट होता हैं कि जैविक खेती अपनाने के कितने फायदे हैं। अतः देश के सभी राज्यों में जैविक खेती को अपनाने पर बल दिया जावें।
16. तेल वाहक जहाजो से तेल समुद्र में रिसता रहता हैं अतः पुराने तेल टैंकर को बदला जायें ताकि तेल का रिसाव समुद्र में न हो तथा तेल वाहक जहाजो से रिसे तेल को समुद्र के पानी से उपयुक्त तकनीक द्वारा निकाला जायें। समुद्री दुर्घटनाओं को कम किये जाने का प्रयास किया जाये।
17. विकासशील देश विकसित देशो के कचरे को अपने देश में नहीं आने दे तथा खतरनाक कचरों के ठीक निष्पादन हेतु कठोर कानून बनाये।

18. पर्यावरण को सार्वभौमिक मुद्दा समझकर सहकारी ढंग से इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।

19. ई–कचरे का निपटारा सुरक्षात्मक तरीके से हो, इसके लिए देश के विभिन्न शहरों में ऐसे रिसाइक्लिग केन्द्र स्थापित किए जाए, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माताओं को भी सुरक्षित पर्यावरण के खयाल से इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

20. प्लास्टिक थैलियो के विकल्प के रूप में जूट और कपड़ें से बनी थैलियों को लोकप्रिय बनाना चाहिए और इसके लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

21. मैंग्रोव वनों की रक्षा की जानी चाहिए। मैंग्रोव पौधों में सूर्य की तीव्र किरणों तथा पराबैंगनी–बी किरणों से बचाव की क्षमता होती हैं। जो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करते हैं। मैंग्रोव वन हरित गृह प्रभाव को कम करते हैं। यह वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से कार्बन डाई ऑक्साइड को घटाते हैं। ये बड़ी मात्रा में मिट्टी में कार्बन का संचय करते हैं। वायु के कार्बन का स्थिरीकरण कर मैंग्रोव वन पर्यावरण परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

22. पर्यावरणीय संरक्षण में नैनों तकनीकी काफी बड़ी सीमा तक बदलाव ला सकती हैं। नैनों तकनीकी पर्यावरण संरक्षण, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में एक मजबूत कड़ी बन सकता हैं। [05]

23. जिन प्राकृतिक उत्पादों को सब उपयोग में लाते हैं, उनके संरक्षण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी भी बननी चाहिए। पानी का लगातार बढ़ता संकट आज जिस तरह हर घर, हर गांव और हर शहर पर दस्तक दे रहा हैं उससे यह साफ हो गया हैं कि उससे जुड़ी समस्याओं का निदान सिर्फ सरकारों के बस की बात नहीं। अब किसी को कोस कर काम नहीं चलने वाला। जीना हैं तो भविष्य के लिए खुद पानी जुटाना होगा, क्योंकि जल होगा तो कल होगा।

24. जल संरक्षण की पुरानी व्यवस्थाएं पुर्नजीवित की जाएं। तालाब, कुएं, जोहड़, ताल, बावड़ियां इन सभी को साफ–सुथरा बनाया जाय तथा जल प्रबन्धन किया जाय। वर्षा के पानी को सहेजने के प्रयास किया जाए।

25. आण्विक विस्फोटो, दुर्घटनाओं आदि का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। अतः विश्व समुदाय आण्विक अस्त्रो के परीक्षणों की निषिद्व की संधि 1963, आण्विक अस्त्रों के गैर प्रसार की संधि 1968, आण्विक अस्त्रों के समुद्रतल पर रखने की निषिद्व की संधि 1971 आदि का पालन करें।

26. महात्मा गांधी ने अपने देश के सर्वांगीण विकास हेतु देशवासियों को सात महापापों से बचने के लिए आश्वस्त किया था जिनमें (1) सिद्वान्त विहिन राजनीति (2) कार्य विहिन सम्पत्ति (3) चरित्र विहिन ज्ञान (4) मानवताविहिन विज्ञान (5) नैतिकता विहिन वाणिज्य (6) त्याग विहिन पूजा (7) चेतना विहिन आनन्द को समाहित किया हैं। अतः पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन आज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव दुर्दशा का द्योतक हैं जिसके कारण मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जा रहा हैं। जिसके मूल में चौथे महापाप के रूप में उद्वत "मानवताविहिन विज्ञान की भूमिका को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व पर्यावरण की समस्या का केन्द्र बिन्दु नगर हैं। पर्यावरण की सारी समस्याएं आज नगरीय विकास से जुड़ी हैं।

27. पर्यावरण नीति में भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया हैं कि गलत उत्पादन एवं उपभोग ही पर्यावरण असंतुलन के मुख्य कारण हैं। दुर्भाग्यवश आज इस मुद्दे पर नीति–निर्धारकों ने चुप्पी साध रखी हैं।

28. परम्परागत ऊर्जा स्रोतो के स्थान पर पुनरोपयोगी ऊर्जा स्रोत अर्थात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल शक्ति, समुद्री ऊर्जा आदि का उपयोग किया जाये।

29. यदि पौधों को काटना आवश्यक हो तो उनके स्थान पर अन्य नए पौधें लगाए जायें।

30. नागौर जिले में पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम भांभू जैसे लोगों की हर गांव व शहर में जरूरत हैं। भांभू ने "जल ही जीवन हैं, जल ही जगदीश" को अपने जीवन का आदर्श बनाकर सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की नगरी को हरियाली का जामा पहना दिया हैं। नागौर जैसे डार्कजोन घोषित जिले में पानी की किल्लत होने के बावजूद उन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाये हैं। जिले का कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा हैं जहां इन्होंने वृक्षारोपण न किया हों। वन संरक्षण के लिए यूनेस्को तक ने इनकी पीठ थपथपाई हैं।[06]

31. पर्यावरण कानून सख्ती से लागू किया जाये। यदि भावी पीढ़ी को हरी–भरी धरती सौपनी हैं तो धरती से प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लेना होगा। गांधी जी ने कहा था "एक अच्छा आदमी सारे जीवितो का मित्र होता है।" अतः जब तपती धरती और जलवायु परिवर्तन जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहे हैं तो सारे नागरिकों, समुदायो, पंचायतो, नगर निगमों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को पर्यावरण विनाश के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं। अब सरकार के लिए जरूरी हैं वह पर्यावरण कानूनों का उल्लघंन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करे। कई मोर्चो पर ऐसे सघन प्रयास करने होगें ताकि सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी ऑर्गनिक रूप से समृद्व रहे, पानी पीने योग्य रहे और जिस हवा

में हम सांस ले वह शुद्व हो, जो धरती हमें विरासत में मिली हैं उसका संरक्षण हो, पोषण हो, उसे नया जीवन मिले और वह समृद्व हों। [07]

32. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे पेट कॉक और फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार करे सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये उत्पाद सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रदूषण की वजह हैं। अतः देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में पेट कॉक और फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिये।
33. स्वच्छ भारत अभियान अच्छा मिशन हैं, पर यह सिर्फ कागज पर नहीं रहना चाहिए। इसे प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले प्रदूषण के खिलाफ दिए हैं। इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों की पुस्तकों में भी इसे लाया जाए। सिर्फ कानून और कुछ दिन की कवायदों से स्वच्छता का अभियान नहीं सफल हो सकता।
34. हमें पेपर लेस वर्क वाला कॉन्सेप्ट अपनाना चाहिए। अखबार व कागज की रिसाइकलिंग अनिवार्य करनी होगी ताकि हजारों वृक्षों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी।
35. देश के सभी राज्यों में अवैध ईट के भट्टे चल रहे हैं अतः भट्टों के लिए पर्यावरण विभाग की मंजूरी लेनी चाहिये।
36. राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के बांधों व अन्य जल संसाधनों में गंदगी व जल प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल कुछ काम नहीं करता वह तो टेबल के नीचे ही काम करता हैं। उसके पास पूरे संसाधन हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा हैं न्यायाधीश एम.एन. भण्डारी व बेला एम. त्रिवेदी की खण्डपीठ ने राजगढ़ बांध सहित प्रदेश के जल संसाधनों में अतिक्रमण मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक टिप्पणी की। खंडपीठ ने गुजरात का हवाला देते हुए कहा कि वहां औद्योगिक क्षेत्रों में पानी के ट्रीटमेंट की उचित व्यवस्था हैं लेकिन सरकार यहां पर कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही। अतः राज्य सरकार को गुजरात सरकार से वार्ता कर कुछ सुधार राज्य में करने चाहियें। [08]
37. अमीर देशों में गैर औद्योगिक कचरे में एक तिहाई हिस्सा पैकिंग कचरे का होता हैं। इसका नकारात्मक असर जलवायु, जल और वायु पर पड़ता हैं। इसलिए कम पैकिंग वाली वस्तुएं ही खरीदे।

38. बोतल बंद पानी की पर्यावरण को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ती हैं। बोतल बंद पानी को तैयार करने में काफी ऊर्जा खर्च होती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतले पृथ्वी, पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत घातक हैं। इन पर रोक लगानी चाहिए।

39. सदाबहार पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले जमीन में पानी की मात्रा को बनाएं रखते हैं। इनकी जड़े पोषक तत्वों और पानी को बनाएं रखती हैं। अतः सदाबहार पेड़ लगाना चाहिये।

40. भूमि को बचाने, कटाव और बीमारियों को दूर रखने में फसल चक्र का बहुत बड़ा योगदान होता हैं। इससे भूमि में पोषक तत्वों को संतुलित किया जा सकता हैं, जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम किया जा सकता हैं।

41. वन क्षेत्रों में अवैध खनन और वृक्षों की कटाई से निपटने के लिए वन विभाग को ग्रामीणों की मदद लेनी चाहिये इसके लिए वन सुरक्षा और प्रबंध समितियों का गठन कर उन्हें कुछ अधिकार भी प्रदान करने चाहिये।

42. मोटर वाहल चालको को पेट्रोल पम्पो पर प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण–पत्र दिखाने पर ही वाहन में डीजल, पेट्रोल भरा जावे। जिस वाहन चालक के पास पीयूसी प्रमाण–पत्र नहीं हैं उस वाहन पर भारी जुर्माना लगाया जाएं।

43. औद्योगिक प्रदेशो के चारों और हरित पट्टी का विकास किया जाना चाहिए।

44. उद्योगों को निःसृत हानिकारक वायु प्रदूषकों का शोधन करना चाहिए। इसके लिए नवीन प्रौद्योगिकी की सहायता ली जानी चाहिए।

45. उद्योगों एवं नगरीय अपशिष्टों को जल स्रोतो में विसर्जित नहीं करना चाहिए।

46. पूजा पाठ की सामग्री, मृत शरीरों एवं पशुओं को जल में न बहाया जाये।

47. शोर के उद्गम स्थान पर ही इसे नियंत्रित किया जाये। इसके लिए साधारण उपाय के साथ कानूनी सहायता भी ली जा सकती हैं।

48. भारी वाहनों को शहर से बाहर मुद्रित सड़को पर चलाना चाहिएं बहु ध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबन्ध हो।

49. परमाणु बिजलीघर के विसर्जन को दबाने एवं भण्डारण करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाने चाहिए तथा विकिरण को रोकने के लिए हर सम्भव कदम उठाने चाहिये।

50. वैज्ञानिकों को रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों का आविष्कार करना चाहिए।

51. भारत में पर्यावरण को राजनीतिक दलों द्वारा एक मुद्दा बनाना चाहिए। यहां भी ग्रीन पार्टी होनी चाहिये।

52. जिस प्रकार सरकार ने समाज के सभी तबको की भागीदारी से मिलकर पल्स पोलियों अभियान चलाया और इस बीमारी को खत्म किया, वैसे ही नदियों की स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जाना चाहिए। गुजरात में जिस प्रकार साबरमती को गंदगी से मुक्त कराया, यह ही अनुकरणीय हैं।
53. नदियों को गंदा करने वालों को कठोर सजा दी जाये। साथ ही नदियों में जाने वाले तमाम नालों के मुंह हमें दूसरी तरफ मोड़ने का इंतजाम करना चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योगो की जांच की जानी चाहिये तथा इन्हें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बाध्य किया जाये।
54. नदियों पर बड़े बांधो का निर्माण नहीं करना चाहिए।
55. प्रत्येक ग्राम में सरकारी भूमि होती हैं उस भूमि पर वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाये तथा पौधों की निगरानी वार्ड पंच के नेतृत्व में गांव के वृक्ष मित्रों को दी जाये इससे प्रत्येक गांव में हरियाली पैदा की जा सकती हैं।
56. पंजाब हरियाणा राज्यों द्वारा धान की खूटी पुआल को जलाने पर प्रतिबन्ध लगे।
57. विभिन्न उद्योगों से निकलने वाली राख का उचित निस्तारण करने के प्रयास किये जाये।
58. भारतीय रेलों में हरित शौचालय बनाये जायें।
59. ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण किया जाता हैं लेकिन उचित देखरेख के अभाव में पौधे नष्ट हो जाते हैं। अतः मनरेगा योजना के अन्तर्गत लगाये गये पौधों की देखभाल की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा ही जाये।
60. जिन गांवों मे अभी तक गंदे पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण नहीं किया गया हैं वहां नालियों का निर्माण किया जाये।
61. ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को क्षेत्र की नदियों में जाने से पहले उसे साफ किया जायें।
62. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को रसोई गैस के घरेलू कनेक्शन दिये जाये।
63. जनसंख्या वृद्वि को नियंत्रित किया जाये।
64. ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाये।
65. फव्वारा व बूंद–बूंद सिंचाई प्रणाली का विस्तार किया जाये।
66. ग्रामीण क्षेत्रों मे अनावश्यक पानी की बर्बादी को रोकने के प्रयास किये जाये।
67. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाये।
68. पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण सम्बन्धी कानूनों की जानकारी प्रदान की जाये।
69. पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित अभियानों को संचालित करने में ईमानदारी से प्रयास करने चाहिये। क्योकि स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाएं लोागों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित कर सकती हैं।
70. सभी ग्रामीणों को अपनी जमीन पर थोड़ा–बहुत वृक्षारोपण करना चाहिए।

71. पर्यावरण संरक्षण के कार्य करने में मनरेगा की भूमिका को महत्वपूर्ण किया जाये इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के अनेक कार्य किये जा सकते हैं।
72. पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची में 29 विषय सौंपे गये हैं जिनमें से अधिकांश विषयों का सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से हैं। राज्य सरकारों द्वारा 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने चाहिए। जिससे यह संस्थाएं और मजबूती से कार्य कर सके।
73. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी हैण्डपम्पों में पानी की मोटर डाल रखी हैं जो दिन भर चलती हैं इससे भूमिगत जल की बर्बादी हो रही हैं और पानी बहकर नदी नालों में जाता हैं जिससे नदी नाले गन्दे हो जाते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों पानी की सप्लाई हेतु टंकियो का निर्माण किया जायें और हैण्डपम्पों से पानी की मोटरों को बाहर निकाला जाये। इससे गांवों के रास्ते सूखे रहेगे और पानी की बर्बादी भी रूकेगी।
74. ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वच्छ भारत अभियान को प्रभावी तरीके से चलाया जावें। गन्दगी फैलाने वालों पर आवश्यक कार्यवाही की जावें।
75. वर्षा के पानी को जमीन के नीचे पहुंचाने हेतु वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम तैयार किये जाये।
76. यदि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीना हैं तो हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करना होगा और उसके नियमों के अनुसार अपना जीवन विकसित करना होगा।
77. ग्रामीण क्षेत्रों में "ओरण" संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
78. स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य पंचायती राज संस्थाएं ही कर सकती हैं इसलिए इन संस्थाओं को और अधिक अधिकार दिये जावें तथा पर्यावरण संरक्षण के कार्यो को करने हेतु वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जावें।
79. ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रित करने व उसके निस्तारण के लिए कर्मचारी कार्य पर रखे जायें।
80. पंचायत समिति झालरापाटन में पर्यावरण संरक्षण हेतु पीपल व नीम के वृक्ष आसानी से लगायें जा सकते हैं यह वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त भी हैं। इन वृक्षों से क्षेत्र में हरियाली रहेगी।
81. छात्र–छात्राओं को पर्यावरण मित्र बनाकर क्षेत्र में हरित सेना तैयार की जाए।

≈≈≈≈

सन्दर्भ सूची

1. पंत, पुष्पेश : 21 वीं शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मेक्ग्राहिल एजूकेशन (इण्डिया) प्रा. लि., नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ VIII .51
2. प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2016, पृष्ठ 108
3. उपरोक्त पृष्ठ 109
4. प्रतियोगिता दर्पण, जून 2015, पृष्ठ 85
5. प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर 2017, पृष्ठ 98
6. राजस्थान सुजस, अक्टूबर 2012 सूचना जनसम्पर्क विभाग, जयपुर, पृष्ठ 39
7. "पर्यावरण कानून का पालन सख्ती से लागू करने का वक्त" आलेख एम.वैंक्यानायडू उपराष्ट्रपति (भारत) दैनिक भास्कर, दि. 24 अप्रैल 2018, पृष्ठ 06
8. दैनिक भास्कर, कोटा, 6 दिसम्बर 2012, पृष्ठ 01

शोध–सारांश

पर्यावरण से अभिप्राय एक ऐसी परिवृति से हैं जो जन्तु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती हैं, इस परिवृति में भौतिक तत्वों की प्रधानता होती हैं। प्रारम्भ में मानव व पारिस्थितिकी अन्तर्सम्बन्ध सन्तुलित थे। जैसे–जैसे जनसंख्या वृद्वि, अंधाधुंध वनों की कटाई, वन्य पशुओं का शिकार व तकनीकी ज्ञान का विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गयी। विकास को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त मानने वाले राजनेता और विद्वान यह भूल गये कि "अनियंत्रित विकास हमें विपदा की और ले जाता हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को अध्ययन की दृष्टि से छः अध्यायों में विभक्त किया गया हैं।

1. परिचयात्मक
2. पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा
3. पंचायती राज की अवधारणा और विकास
4. राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप एवं क्रियान्वयन
5. पर्यावरण संरक्षण में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका (झालरापाटन पंचायत समिति के संदर्भ में विशेष अध्ययन)
6. उपसंहार

प्रथम अध्याय परिचयात्मक में शोध के उद्‌देश्य, महत्व, साहित्य का पुनर्वेक्षण, अनुसंधान अभिकल्प एवं अनुसंधान पद्वति को समाहित किया हैं।

द्वितीय अध्याय में पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण संरक्षणः अवधारणा एवं विकास, पर्यावरण संरक्षण की भारतीय अवधारणा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण व प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास, पर्यावरण संरक्षण में अड़चने आदि को विस्तार से प्रस्तुत किया हैं पर्यावरण अंग्रेजी शब्द environment का भाषांतर पुनरूक्ति है जो दो शब्दों environ तथा ment के सामंजस्य से उत्पन्न हुआ हैं जिनका अर्थ क्रमशः Encircle या Enclose हैं अर्थात आस–पास से घेरे हुए। पर्यावरण दो अवयवों जैविक और अजैविक से मिलकर बना हैं। जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत समस्त सजीव, जन्तु, पौधे और सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक पर्यावरण के अन्तर्गत सभी अजैविक तत्व जैसे पानी, भूमि, हवा आदि आते हैं। मानव में पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्राचीन समय से रही हैं। पांचवी सदी ई. पू. हिपोक्रेटिस ने अपनी पुस्तक वायु, जल और स्थान लिखी। जिसे सामान्यतया पर्यावरणीय सिद्धांत पर पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता हैं। इसके अतिरिक्त थूसीडाइडिस, प्लेटो,

बोडिन, मांटेस्क्यू, बकिल तथा एल्सवर्थ हंटिगटन तक बड़ी संख्या में सामाजिक चिंतकों ने भी पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की हैं।

मानव–पर्यावरण के मध्य सहसम्बन्धों का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया हैं जैसे पर्यावरणीय निश्चयवादी या नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य को अन्य जीव जन्तुओं की भाँति प्राकृतिक वातावरण के निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए।

सम्भववादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में हैं। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता हैं। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते वरन् मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। सम्भववाद के जनक ब्लास, मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता हैं जो कर्म प्रधान और कृत प्रदान दोनों ही हैं। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव एवं निर्जीव दोनों तथ्यों में परिवर्तन करती हैं।

उद्देश्यमूलक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य प्रकृति के सभी जीव जन्तुओं में श्रेष्ठ है। इस विचारधारा की उत्पत्ति जूडों क्रिशिचयन धार्मिक परम्पराओं के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हुई हैं। इन्होनें यह माना कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होने के कारण प्रकृति में पायी जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकार हैं तथा वह उसका पर्याप्त उपयोग कर सकता हैं। इस विचारधारा ने मानवीय कौशल एवं क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को गति दी हैं।

आर्थिक निश्चयवादी दृष्टिकोण इस विचारधारा पर आधारित हैं कि मनुष्य का पर्यावरण पर नियंत्रण होता हैं तथा आधुनिक समय में विकसित प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आर्थिक तथा औद्योगिक विस्तार में निरन्तर वृद्वि होती रहनी चाहिए।

पारिस्थितिक दृष्टिकोण के अनुसार पारिस्थितिकी विज्ञान की एक नवीन शाखा है तथा यह उन नियमों से सम्बन्धित हैं जो जीवों को उनके वातावरण के आपसी सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं। इस दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सहसंबन्ध परस्परावलम्बन (Symbiosis) का होना चाहिए ना कि विनाशात्मक। यह मनुष्य को सभी प्राणियों में सर्वाधिक कुशाग्र बुद्विमान मानता हैं। इसमें पारिस्थितिकी सिद्वांतों एवं नियमों को मद्देनजर रखकर ही प्राकृतिक संसाधनों का पोषणीय दोहन होना चाहिए।

नवनिश्चयवादी दृष्टिकोण की मान्यता हैं कि मनुष्य को अपने निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित रहना चाहिए और उनका दोहन उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति को पुनः लौटा

सके या वे संसाधन जैविक तंत्र से पुनः चक्र आरम्भ कर सके। इन दृष्टिकोणों के अतिरिक्त अन्य अवधारणा सतत विकास की हैं जो विकास पर बल देती हैं। ब्रंटलैण्ड के अनुसार "ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं की आपूर्ति हो सके और आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करें तथा पारितंत्र भी स्वस्थ एवं सतत अवस्था में बना रहे।"

भारत में प्राचीन काल से ही प्रकृति को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे जिससे उसकी पूर्णता को क्षति नहीं पहुंचे। हमारी संस्कृति में पीपल, तुलसी, खेजडी, नीम, बरगद, आम, केला, बांस के वृक्षों को पूजनीय माना हैं। लेकिन वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न विश्व की एक ऐसी ज्वलन्त समस्या हैं जो विकसित देशों में अधिक उत्पादन एवं समृद्वि के कारण तथा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्वि, बेरोजगारी तथा गरीबी के कारण पैदा हुई। जनसंख्या वृद्वि और गरीबी–जुड़वा बहनों की तरह साथ–साथ उत्पन्न होती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गाँधी ने सन् 1972 ई. के स्टॉक होम सम्मेलन में कहा था "हम पर्यावरण को और अधिक दरिद्र करना तो नहीं चाहते लेकिन साथ ही हम यह कैसे भूल सकते है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग भंयकर गरीबी के शिकार हैं।" वस्तुतः प्रदूषण का मूल तात्पर्य शुद्वता के ह्रास से हैं लेकिन वैज्ञानिक शब्दावली में संगठन में उत्पन्न कोई बाधा या विक्षोप जो सम्पूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो, उसे प्रदूषण कहा जाता हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होते हैं जैसे वायु, जल, मृदा, ध्वनि (शोर), नाभिकीय, उष्मीय प्रदूषण आदि। इनके कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं, जैसे ओजोन क्षय, जलवायु परिवर्तन, महासागरों के जल स्तर में वृद्वि, मनुष्य के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, कृषि पर प्रभाव, अम्ल वर्षा, मृदा पर प्रभाव आदि।

1960 के दशक के अंत में रैशेल वेल्च द्वारा लिखी पुस्तक "द सायलैंट स्प्रिंग" ने डी.डी.टी. जैसे रसायन कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले खतरे की ओर पाठकों का ध्यान दिलाय। 1972 ई. में मेसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों के एक समूह "क्लब आफ रोम" ने अपनी रिपोर्ट "लिमिटस टू ग्रोथ" प्रकाशित की, जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये गये जिनमें मुख्य हैं स्टॉक होम सम्मेलन 1972, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, क्योटो प्रोटोकॉल, लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 21 वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में अनेक अड़चने भी आ रही है।

तृतीय अध्याय में पंचायती राज अर्थ एवं परिभाषा, पंचायती राज संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास, स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायतीराज का विकास, पंचायती राज परिवर्तन की ओर आदि बिन्दुओं का विवेचन किया गया हैं। लोकतंत्र, मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता राजनीतिक निर्णयों में जन भागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता हैं। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, एक विशेष मनोवृति एवं जीने की विशिष्ट पद्वति भी हैं। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित हैं। लोकतंत्र का आधार शासन में जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण हैं। उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था हैं। संस्कृत भाषा के ग्रंथो के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पांच पुरूषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायत के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं।

भारत में पंचायतों की प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में मिलते हैं। पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा पृथु को हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा, समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता हैं। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा हैं –

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।

सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।

उक्त दोहे में अभिव्यक्त भाव प्रजा कल्याण ही शासन के मुख्य ध्येय को इंगित करता हैं। चोल प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। ग्राम और नगर परिषदे प्रारम्भिक परिषदे थी और "नादु" परिषदे प्रतिनिधि परिषदे थी। ब्रिटिश काल में लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता हैं। रिपन ने 1882 में अपना एक प्रस्ताव जारी किया था, इस प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला गया था। आजादी के बाद राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में पहल की और 2 अक्टूबर 1959 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी गाँव में पंचायत राज का उद्घाटन किया। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु अनेक समितियों का गठन किया जैसे अशोक मेहता समिति, सी. एच. हनुमंथराव समिति, जी.वी.के. राव समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, सरकारिया आयोग प्रतिवेदन, जी.के. थुंगन समिति, आदि। लेकिन पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम सभा, चुनावों में आरक्षण, सदस्यों के निर्वाचन हेतु योग्यताएं आदि कई प्रावधान किए गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय हस्तान्तरित किये गए हैं। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को एक व्यवहारिक रूप दिया हैं। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण

कदम हैं। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र को "भागीदारी लोकतंत्र" में बदलता हैं। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना हैं।

चतुर्थ अध्याय में राजस्थान राज्य का परिचय, पंचायतों की स्थापना, पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकरण, पंचायतीराज संस्थाओं के पर्यावरण से जुड़े विषय आदि बिन्दुओं का विवेचन किया गया हैं। सिरोही जिले के बसन्तगढ़ में स्थित खीमल माता के मन्दिर में पाये गये शिलालेख सं. 682 वि. (625 ई.) में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद सन् 1665 में रचित "मूता नेनसी की ख्यात" और वीर भाण कृत "राजरूपक" में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद कर्नल टॉड ने अपने ग्रन्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया।

अति प्राचीन काल से ही राजस्थान का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता दृष्द्वती और सरस्वती घाटी में पायी गई। वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने के पूर्व राजस्थान में 19 राजाओं की रियासतें तीन ठिकाने तथा अजमेर–मेरवाड़ा केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश सम्मिलित थे। वर्तमान राजस्थान के निर्माण का कार्य सन् 1948 से प्रारम्भ होकर विभिन्न चरणों में होता हुआ सन् 1956 में पूरा हुआ। राजस्थान में उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायतें विद्यमान थी। जो 'पंचकुली' कहलाती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें, ग्राम पंचायत, व्यवसायिक पंचायतें प्राचीन समय में पायी जाती थी। अंग्रेजों के समय बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम 1928 ई. में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया। इसके बाद अन्य रियासतों ने भी अधिनियम बनाये। आजादी के बाद सर्वप्रथम राजस्थान में ही पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ। राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं की मजबूती हेतु सादिक अली समिति व गिरधारी लाल समिति का गठन किया। लेकिन पंचायत राज संस्थाओं को 73 वे संवैधानिक संशोधन की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये गये राजस्थान पंचयती राज अधिनियम 1994 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए हैं। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की हैं।

73 वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को आम जनता से जुड़ें पांच विभागों क्रमशः प्रारम्भिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कृषि विभाग पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिये हैं। भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को जो 29 विषय दिये गये हैं उनमें निम्नलिखित विषयों का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से हैं। जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई,

पशुपालन, जल प्रबन्धन, जल विभाजक विकास मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, पेयजल, ईंधन, चारा, स्वास्थ्य, सफाई, गरीबी कम करने के कार्यक्रम आदि। इन विषयों का क्रियान्वयन करते हुए पंचायत राज संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के कार्य को प्रभावी तरीके से कर सकेगी। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पंचम अध्याय में जिला झालावाड़ का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक परिचय, पंचायत समिति झालरापाटन का परिचय, झालरापाटन पंचायत समिति में पर्यावरण से जुड़ी योजना–परियोजनाएँ तथा पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों का क्षेत्रीय अध्ययन, झालरापाटन पंचायत समिति की तीन ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल में हुए पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यो का विवेचन, 42 जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार व शोधार्थी द्वारा तीन ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के कार्यो का अवलोकन आदि बिन्दुओं को सम्मिलित किया हैं। झालरापाटन पंचायत समिति के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं में मुख्य हैं। मनरेगा योजना इसके अन्तर्गत वृक्षारोपण, भूमि सुधार, एनीकट, तालाब, सड़क व नाली, कुओं व टांका, शौचालय आदि का निर्माण किया गया हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छत भारत अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, सूक्ष्म सिंचाई (बूंद–बूंद फव्वारा सिंचाई) जैविक खेती, उज्ज्वला योजना आदि हैं। इन योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरण सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं। यही योजनाऐं तीनों ग्राम पंचायतों असनावर, जूनाखेडा, लावासल में संचालित हैं। शोधार्थी ने विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त डाटा के आधार पर जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार लिये हैं जनप्रतिनिधियों ने साक्षात्कार में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ने के कारण– खुले में शौच, प्लास्टिक का प्रयोग, घरेलू धुआँ, गन्दा पानी, कृषि में रासायनिक खाद का प्रयोग, वनों की कटाई, कचरे के ढेर मुख्य हैं। स्थानीय इकाइयाँ प्रदूषण को समाप्त करने करने का प्रयास कर रही हैं। ग्राम पंचायत जूनाखेड़ा खुले में शौच मुक्त हो गई हैं। वृक्षारोपण कार्य किये गये हैं। प्लास्टिक की रोकथाम के प्रयास जारी हैं। स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं घरों में उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एल पी जी गैस कनेक्शन दे रहे हैं। ताकि घरेलू धुएं पर रोक लगे। जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब, एनिकट निर्माण किया गया हैं। गन्दे पानी की निकासी हेतु गांवों में सड़क व नालियों का निर्माण किया गया हैं। कचरा निस्तारण के प्रयास चल रहे। जनप्रतिनिधियों ने कुछ उपयोगी सुझाव भी दिये हैं जैसे ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण सरंक्षण विभाग बनाया जावे, ग्राम पंचायत को दण्ड की शक्ति प्राप्त हो, पुलिस व प्रशासन सहयोग करें, पौधों की सुरक्षा की जावें, प्रदूषण करने वालों को सख्त सजा दी जावें, प्लास्टिक पर पूर्ण रोक सख्ती से लागू करें आदि। शोधार्थी द्वारा क्षेत्र में जाकर योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का अवलोकन भी किया जिसमें पाया कि लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के लिये जागरुक करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :– विश्व की सर्वाधिक चर्चित एवं प्रमुख समस्या वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन हैं। भौतिकवादी संस्कृति ने मानव समाज को पथ भ्रष्ट कर मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए भी संकट पैदा कर दिया हैं। आज वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण से पर्यावरण पर संकट के बादल छांए हैं। प्रदूषण के कारण भूमण्डलीय तापमान में वृद्वि, जलवायु परिवर्तन, महासागरों के जलस्तर में वृद्वि, अम्ल वर्षा, ओजोन परत क्षय तथा मानव स्वास्थ्य जीव–जन्तुओं वनस्पति आदि पर प्रभाव पड़ रहा हैं। मिट्टी, पानी दूषित हो गये हैं। इन समस्याओं की तरफ ध्यान सर्वप्रथम 1960 के दशक में रैशेल वेल्च द्वारा लिखित पुस्तक "द सायलैंट स्प्रिंग" ने पाठकों का ध्यान डी.डी.टी. जैसे रसायन कीटनाशक के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले खतरे की ओर दिलाया गया। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सम्मेलन आयोजित किये गये। पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी समस्याओं को सामूहिक सहयोग द्वारा ही सुलझाया जा सकता हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समुदाय द्वारा प्रयास किया जाये तथा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर देश की व राज्य की सरकारे युद्व स्तर पर प्रयास करें। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य पंचायती राज संस्थाएं प्राचीन काल से ही करती आ रही हैं और वर्तमान समय में भी पंचायत राज संस्थाऐं ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रही हैं।

जनप्रतिनिधियों ने भी साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा कि पंचायत राज संस्थाओं को 29 विषय सौंपे हैं उसमें से 5 विभाग ही अभी पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये हैं। अतः सभी विषय पंचायत राज संस्थाओं को देना चाहिए जिससे और अधिक प्रभावी तरीके से ये संस्थाएं कार्य कर सकें। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि स्थानीय स्तर पर योजनाओं को लागू करने का कार्य पंचायते ही करती हैं। अतः स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का कार्य पंचायतों के अतिरिक्त कोई अन्य संस्था नहीं कर सकती, क्योंकि जनता की भागीदारी ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई हैं। जन जागरूकता का कार्य पंचायते ही करती हैं। जनप्रतिनिधियों ने यह भी स्वीकार किया कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी ज्यादा हैं हमारा कार्य है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित करे। यद्यपि राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित चला रखी हैं। मनरेगा योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से चलाया जावे तथा भ्रष्ट लोगों को कड़ी सजा दे।

अतः जनप्रतिनिधियों से पूछे प्रश्नों के जवाब से, शोधार्थी द्वारा किए गए अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि पंचायत राज संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी तरीके से कर रही हैं।

≈≈≈≈

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, एस.के. : ग्लोबल वार्मिंग एण्ड क्लाइमेंट चेंज, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली, 2008
2. आमेटा, भारद्वाज, शिप्रा : पर्यावरण अध्ययन एक परिचय, हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, नई दिल्ली, 2005
3. आर्शीवादम, ए.डी.,मिश्र,कृष्णकान्त : राजनीति विज्ञान, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, 2010
4. अमित, पुरोहित : पंचायती राज व्यवस्था, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर, 2013
5. कपूर, बी.बी.एस. : भारतीय संस्कृति, धर्म एवं पर्यावरण संरक्षण, मधु पब्लिकेशन्स, बीकानेर, 2001
6. काल भोर, गोपीनाथ : प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सजगता, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000
7. कार्पसन, एक्स. जैन एण्ड रोजर ई. कार्पसन : "ग्लोबल एनवा परोन मेंटल रिस्क, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2003
8. खान, वसीम अहमद : पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
9. खान, एस.आर. : झालावाड़ राज्य का इतिहास, आसफिया रिसर्च सेन्टर, कोटा, 2010
10. गहलोत, सुखवीर सिंह : राजस्थान पंचायती राज कानून, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2012
11. गाबा, ओम प्रकाश : राजनीति सिद्वान्त की रूपरेखा, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा, 2001
12. ग्रोवर, आई.एस. ठुकराल ए.के. : एनवायरमेन्ट एण्ड डवलपमेंट, साइन्टिफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, 1998
13. ग्रोवर, बी. एल. मेहता अलका यशपाल : आधुनिक भारत का इतिहास एक नवीन मूल्यांकन, एस. चन्द कम्पनी प्रा. लि., नई दिल्ली, 2014
14. गोयल, एम. के. : अपना पर्यावरण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1995
15. गौतम, अलका : जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2014–15
16. गॉडिन, रॉबर्ट ई. : ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटी प्रेस केम्ब्रिज, यूके, 1992
17. गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. : पर्यावरण अध्ययन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2014
18. गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. : पर्यावरण भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2012
19. गुर्जर, रामकुमार, जाट बी.सी. : मानव एवं पर्यावरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2005
20. गुहा, रामचन्द्र : भारत गांधी के बाद पेंगुइन बुक्स इंडिया, गुडगांव, हरियाणा, 2014
21. गुहा, रामचन्द्र : भारत गांधी के बाद भारत के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास, पेंगुइन, गुड़गांव (भारत), 2014

22. घई, यू. आर. : अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्वान्त तथा व्यवहार, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2015
23. चतुर्वेदी, नरेन्द्र : पंच सरपंच निर्देशिका, आनन्द प्रकाशन, कोटा, 1998
24. चौपड़ा, सरोज बाला : स्थानीय प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1993
25. जैन, एस. एम. : मानव एवं पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 1995
26. जैन, जिनेन्द्र कुमार : भारत में नियोजन का विकेनद्रीकरण, इण्डसवैली पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006
27. जैन, प्रेम सुमन : पर्यावरण संतुलन एवं शाकाहार, संघी प्रकाशन, जयपुर, 1995
28. जोशी, आर. पी. मंगलानी रूपा : भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2003
29. जोशी, आर. पी. भारद्वाज अरूणा : भारत में स्थानीय प्रशासन, शील सन्स, जयपुर, 2000
30. जोशी, प्रो. आर. पी. भारद्वाज अरूणा : भारत में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय शासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009
31. जोशी, आर. पी. एवं मंगलानी रूपा : पंचायती राज के नवीन आयाम, यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.) लि., जयपुर, 1998
32. जोशी, रतन : मानव एवं पर्यावरण, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2000
33. जोशी, रतन : पर्यावरण अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2014
34. जैन, पी.सी., रूस्तगी, अशोक : आधुनिक भारतीय सामाजिक एवम् राजनीतिक चिंतन, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005
35. जौहरी, जे.सी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तथा राजनीति (सैद्वान्तिक परिप्रेक्ष्य), स्टर्लिग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली, 2001
36. तायल, बी.बी. : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सुलतान चन्द एण्ड सन्स, न्यू दिल्ली, 2010
37. दाधीच, नरेश : समसामयिक राजनीतिक सिद्वान्त, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015
38. दत्त, विजय रंजन : पंचायती राज संकल्पना और वर्तमान स्वरूप, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1997
39. दत्त गौरव महाजन अश्विनी : दत्त एवं सुन्दरम् भारतीय अर्थव्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि., नई दिल्ली, 2015
40. दवे दया : वेदों में पर्यावरण, सुरभि पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2000

41. दीक्षित, रमेश दत्त : भौगोलिक चिंतन का विकास एक ऐतिहासिक समीक्षा, पी एच आई लर्निंग प्रा. लि., दिल्ली, 2013
42. नारायण, इकबाल : पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान मैसर्स लक्ष्मी नारायण, आगरा, 1973
43. नारायण, इकबाल पांडे के.सी. शर्मा मोहनलाल : पंचायती राज एण्ड एजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, आलेख पब्लिशर्स, जयपुर, 1976
44. नारायण, सुनिता : पर्यावरण की राजनीति, सेंटर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरन्मेंट, नई दिल्ली, 2012
45. नाथूरामका, लक्ष्मीनारायण : राजस्थान की अर्थव्यवस्था, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 1999
46. निशीथ, राकेश शर्मा, पंचायती राज तब और अब, जाह्नवी प्रकाशन, दिल्ली, 2011
47. नीरज, जयसिंह शर्मा, भगवती लाल : राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
48. पंवार, ललित के. आई. ए. एफ. : भारतीय रेगिस्तान में पर्यावरणीय पर्यटन, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2001
49. परमार, श्रीमती आशा : दलित महिलाओं का सशक्तिकरण एवं पंचायती राज संस्थाएं, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध, 2012
50. पाण्डेय, जयनारायण :-भारत का संविधान, सैंट्रल ला एजेन्सी, इलाहबाद, 1989
51. पालीवाल, देवीलाल : टॉडकृत राजपूत जातियों का इतिहास, नव भारत प्रकाशन, जोधपुर, 2003
52. पानगडिया, बी. एल. : राजस्थान का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996
53. पंकज, एस.सी. : पर्यावरण प्रदूषण : संकट और निवारण, विज्ञान भारती, गाजियाबाद, 2002
54. पंत, पुष्पेश : 21 वी शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, मेक्ग्राहिल एजूकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2014
55. पंत, पुष्पेश : अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, टाटा मेक्ग्राहिल पब्लिशिंग कम्पनी लि., नई दिल्ली, 2008
56. फडिया, बी. एल. फडिया कुलदीप, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015
57. बावेल, बसंतीलाल : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2010
58. बावेल, बसंतीलाल : पर्यावरण संरक्षण कानून, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल 1997
59. बसु, दुर्गादास : भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस रीड इलिजेवियर इंडिया प्रा. लि., गुडगांव, हरियाणा, 2015

60. बढाना, नरेन्द्र मेहरा रतनलाल अग्रवाल दुर्गा प्रसाद : राजस्थान की अर्थव्यवस्था, नाकोडा पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2001
61. बागडा, परमेश्वरी : पर्यावरण संरक्षण एवं पंचायती राज, प्रतीक्षा पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2017
62. भल्ला, एल. आर. : सामयिक राजस्थान राजस्थानी समाज, कला एवं संस्कृति, कुलदीप पब्लिकेशन्स हाउस, जयपुर, 2006
63. भल्ला, एल. आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2015
64. भनोत, शिव कुमार : राजस्थान में पंचायत व्यवस्था, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर, 2002
65. भाटिया, अरविन्द भारतीय हरिशचन्द्र, परिचयात्मक पर्यावरण जैविकी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000
66. महीपाल : पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2004
67. मनोहर, राघवेन्द्र सिंह : राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1997
68. महाजन, वी.डी. : मध्यकालीन भारत, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 2013
69. महाजन, वी.डी. : प्राचीन भारत का इतिहास, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 2010
70. मामोरिया, चतुर्भुज : भारत का भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2013
71. मामोरिया, चतुर्भुज सिसौदिया, एम.एस. : पर्यावरण अध्ययन एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस, आगरा, 2015
72. मिश्र निरंजन : भारत में पंचायती राज, परिबोध मानसरोवर, जयपुर, 2006
73. माथुर, मोहिनी : सामन्तवाद से लोकतंत्र (झालावाड़ रियासत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में) प्रिंटवेल, जयपुर, 1995
74. राय, सत्या एम. : भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1985
75. राव, बी.पी. श्रीवास्तव वी.के. : पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2009
76. राठी, आर.एल. : आधुनिक पर्यावरण विधि, यूनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा.लि., जयपुर, 2006
77. रॉय, अरूंधति : न्याय का गणित, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2005
78. लोढ़ा, राजमल माहेश्वरी श्री दीपक : मानव और पर्यावरण, हिमांशु पब्लिकेशन्स उदयपुर–दिल्ली, 1999
79. लाल, डी. एस. : जलवायु विज्ञान, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद, 2009
80. लक्ष्मीकान्त, एम. : भारत की राज्य व्यवस्था, मेक्ग्राहिल एजूकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2015

81. वर्मा, एल.एन. : खत्री एल.सी. कायमखानी इशाक मोहम्मद, पर्यावरण अध्ययन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 2008
82. व्यास, हरिश्चन्द्र : पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2001
83. व्यास, रामप्रसाद : आधुनिक राजस्थान का वृहत् इतिहास, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1998
84. विद्यालंकार, सत्यकेतु : राजनीतिशास्त्र, श्री सरस्वती सदन सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, 1997
85. शुक्ल, रामलखन : आधुनिक विश्व का इतिहास, हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, 2015
86. शर्मा, बी.एल. पौर पूजा : ग्लोबल एनवारोन्मेंटल चेलेंजेज, रोहिनी पब्लिशर एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2004
87. शर्मा, योगेश कुमार : पर्यावरण, मानव संसाधन और विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
88. शर्मा, दामोदर महर्षि हरि : जल और जल प्रदूषण, साहित्यागार, जयपुर, 1996
89. शर्मा, रविन्द्र : ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985
90. शर्मा, विनय : पंचायत राज, रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012
91. शर्मा, के.के. : भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुकडिपो, जयपुर, 2012
92. शर्मा, अशोक : भारत में स्थानीय प्रकासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2016
93. शर्मा, रीता : राजस्थान का इतिहास, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2008
94. शर्मा, निरंजन त्रिवेदी पी.सी. , धनखड : पारिस्थितिकी एवं पादपों की उपयोगिता, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2004–05
95. शर्मा, गोपीनाथ : राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983
96. शर्मा, समीर : पर्यावरण आपदाएं, बृज पब्लिशर्स, बीकानेर, 2008
97. शर्मा, एच.एस. शर्मा एम.एल. : एनवायरोन्मेंटल डिजाइन एण्ड डवलपमेंट, साइनटिफिक पब्लिशर्स, जोधपुर, 1987
98. शर्मा, वन्दना जोशी श्रीमती सुलेखा, पर्यावरण अध्ययन रोहिणी बुक, जयपुर, 2006
99. शर्मा, ज्ञान प्रकाश श्रृंगी, एस.के. मीणा के.एम. : पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल, साक्षी पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2006
100. शर्मा,एच.एस. शर्मा, एम.एल. : राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2013
101. शर्मा, दामोदर महर्षि, हरि : विनष्ट होता वन वैभव, साहित्यगार, जयपुर, 1996
102. शर्मा, दामोदर, व्यास हरिशचन्द्र : हमारा पर्यावरण, साहित्यगार, जयपुर, 1995

103. शर्मा, पी.डी. : पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2013
104. शर्मा, कालूराम व्यास, प्रकाश : राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2012
105. शर्मा, दामोदर सुखववाल घनश्याम : वायु प्रदूषण, साहित्यगार, जयपुर, 1996
106. सरकार, सुमित : आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2014
107. सिंह, महेन्द्र प्रसाद, चौधरी, बासुकी नाथ, कुमार युवराज : भारतीय शासन और राजनीति, ओरियंट ब्लैक स्वॉन, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2011
108. सिंह, कटार : ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियां एवं प्रबन्ध, सगे पब्लिकेशन्स, इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली, 2015
109. सिंह, सुरेन्द्र सैनी, श्रवण कुमार : पर्यावरण विधि, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006
110. सिंह, सविन्द्र : भौतिक भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, 2015
111. सिंह, सविन्द्र : पर्यावरण भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहबाद, 2009
112. सिन्हा, वी.एम. : भारत में नगरीय सरकारे, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1986
113. सिंह, निशांत : पंचायती राज और महिलाएं, सुनिल साहित्य, दिल्ली 2008
114. सक्सेना, हरिमोहन : राजस्थान का भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2013
115. सक्सेना, हरिमोहन : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भूगोल, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994
116. सिंह, सुधा : पर्यावरण शिक्षा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहबाद, 2011
117. सक्सेना, वी.एस. : पर्यावरण परिरक्षण एवं वानिकी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2007
118. हुसैन, माजिद : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऐसेस पब्लिशिंग इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली, 2015
119. त्रिवेदी, पी.सी. गुप्ता गरिमा : पर्यावरण अध्ययन, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 2007
120. श्रीवास्तव, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव एम. : प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहबाद, 2014–15
121. श्रीवास्तव, अरूण : भारत में पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1994

रिपोर्ट :–

1. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति (आई.पी.सी.सी.) की पांचवी रिपोर्ट 2014

2. द लैंसेट कांउटडाउन : ट्रेकिंग प्रोग्रेस ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेंट चेज रिपोर्ट 2015
3. हेल्थ एफेक्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट "स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18
5. मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान परियोजना प्रतिवेदन 2015–16 पंचायत समिति झालरापाटन

अधिनियम / नीतियां / आदेश

1. 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992
2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
3. राजस्थान राज संशोधन अधिनियम 2000
4. राजस्थान पंचायती राज उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अध्यादेश 1999
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
6. राजस्थान सरकार मनरेगा योजना राजस्थान व्यक्तिगत लाभ के कार्य, "अपना खेत अपना काम" सम्बन्धी दिशा निर्देश 2011
7. ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली दि. 03–01–14
8. महात्मा गांधी नरेगा सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका, 2012 निदेशालय सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
9. पंचायत चुनाव मार्गदर्शिका राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर
10. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पत्र क्रमांक एफ 7(1) पंचा / रा.नि.आ. / 14–15 / 99 दि. 02–01–15

जर्नल / पत्रिकाएं

1. द इण्डियन फोरेस्टर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून (इण्डिया)
2. राजस्थान सुजस
3. शोधार्थी – कानपुर
4. इण्डिया टुडे – नई दिल्ली
5. योजना – नई दिल्ली
6. कुरूक्षेत्र – नई दिल्ली
7. मूल प्रश्न – उदयपुर
8. भारतीय राजनीति विकास शोध पत्रिका, मेरठ

9. राज्य समीक्षा जयपुर
10. लोकतंत्र समीक्षा – नई दिल्ली
11. ज्ञान विमर्श – खुला विश्वविद्यालय कोटा
12. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल – नई दिल्ली (मासिक पत्रिका)
13. प्रतियोगिता दर्पण आगरा (मासिक पत्रिका)
14. समकालीन समस्याएं दिल्ली (मासिक पत्रिका)
15. जिला दर्शन पुस्तिका, झालावाड़ (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झालावाड़)
16. 3 साल अच्छा काम ठोस परिणाम (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर)
17. झालावाड़ परिवर्तन के आयने में (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झालावाड़)

समाचार पत्रिका :–

1. राजस्थान पत्रिका
2. दैनिका भास्कर
3. हिन्दुस्तान
4. दैनिक नवज्योति
5. जनसत्ता

≈≈≈≈

ISSN : 2229-7227
Price : ₹500
$ 70

Year : 5
Issue : 18
April-June 2015
www. chintanresearchjournal.com
Impact Factor : 2.38

International Refereed

चिन्तन रिसर्च जर्नल

Chintan Research Journal

(कला, साहित्य, मानविकी, समाज–विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)

(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest . U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus, Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)

संपादक
आचार्य शीलक राम

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी
भारत
ISO 9001:2008

शोध–आलेखानुक्रम

सम्पादकीय

दर्शनशास्त्र

शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य व अन्तिम लक्ष्य के रूप में मानव निर्माण : स्वामी विवेकानन्द

☐ डॉ. राजेश्वरी मीणा 16-18

हिंदी साहित्य

प्रगतिवादी काव्य की सामाजिक चेतना

☐ उपासना 19-21

दलित साहित्य का उद्देश्य

☐ अनिशा 22-24

उदयभानु हंस : गजल में संवेदना

☐ छोटी देवी 25-29

उत्तर आधुनिक हिन्दी कहानी का सामाजिक परिवेश

☐ डॉ. ओमप्रकाश सैनी 30-39

छायावादी युग में महादेवी वर्मा की काव्य चेतना काय स्वरूप

☐ सुमन खटक 40-44

भारतेन्दु के काव्य में राष्ट्रीय चेतना

☐ नीतू कुमारी 45-51

डॉ. कैलाशचन्द्र शर्मा के नाटक 'लड़ी मैड़ की' में सांस्कृतिक विवेचन

☐ भावना कलसुले 52-54

संस्कृत साहित्य

नाट्यशास्त्र में रस का विवेचन

☐ सुमनलता 55-60

आत्मज्ञान हेतु इन्द्रियों की असमर्थता (केनोपनिषद् शांकरभाष्य के परिपेक्ष्य में)

☐ मोनिका शिवहरे 61-71

प्रमुख उपनिषदों में सांख्यीय तत्व

☐ डॉ. भूपेन्द्र सिंह परनामी 72-80

अंग्रेजी साहित्य

'The Rebellious Spirit' in Indian English Women Fiction : A Study of 1970's
□ **Mamta** 81-84
Nexus Of Relationships : A Study Of Lawrance's Men And Women
□ **Sompal Singh** 85-86
Humiliation Faced By Women In The Rape Of The Lock
□ **Pinki** 87-90
Professional Development Of Teachers: A Process
□ **Bhajan Lal** 91-96
Black And White In The Short Stories Of Jhumpa Lahiri
□ **Saroj Duhan** 97-101
Utilitarian Effect In School, Factories And The Lives Of People In Hard Time Novel
□ **Suman Devi** 102-104
Vitality And Violence In Ted Hughes' Poems
□ **Jyoti Devi** 105-109
Plight Of Indian Womenhood In Girish Karnard's Nagamandla
□ **Sushma Sharma** 110-113

प्रबन्धन

Consumer Behavior
□ **Bhawna Sanduja** 114-120
The Outlay And Trends In Indian Advertising
□ **Dr. K.s. Antil, Navneet Narwal** 121-131
Social Responsibilities Of Corporate Business
□ **Nishtha** 132-136
How Green Buildings Are Useful For Our Environment
□ **Kanica Sharma** 137-142

अर्थशास्त्र

Impact of Tax Revenue on Developmental Revenue Expenditure of Haryana State
□ **Pooja Dangi, Shailender Kumar** 143-148
बढ़ती हुई कृषि लागतें एवं गिरती हुई कृषि उत्पादकता
□ स्वेन्द्रपाल सिहं 149-154

वाणिज्य

Retail Sector In India: An Empirical Study
□ **Sumit Singla** 155-164

Integrated Marketing Communication (IMC) Strategies For Business Excellence
☐ **Neha Jagga** 165-174
A Conceptual Framework Of Emotional Labour In Reference To Mental Health
☐ **Meenakshi Godara, Vikash Mishra** 175-183
Green Marketing - An Emerging Strategy In Indian Market
☐ **Sucha Singh** 184-188
Organized Retailing In India Challenges And Opportunities
☐ **Usha** 189-194
Consumer's Behaviour Towards Green Marketing
☐ **Sushma Devi** 195-202
The Role Of Green Banking In Sustainable Growth
☐ **Navita Chhikara** 203-205
Disinvestment In PSU (Case Study Of Tata Steel & Sail)
☐ **Swaty Sharma** 206-207
Women And Business: Problems, Opportunities & Development
☐ **Amit Kumar** 208-212

इतिहास

Swami Dayanand Saraswati and the "Women Question" : A Critical Analysis
☐ **Dr. Chander Shekhar** 213-218
भारतीय क्रान्तिकारी आन्दोलन में महिलाएं : दुर्गा देवी के योगदान का एक अध्ययन
☐ गीता देवी 219-228
Struggle of Power between Unionist Party and Punjab Provincial Muslim League
☐ **Renu Gosain** 229-235
एनी बीसेण्ट का भारतीय शिक्षा पर वैचारिक चिन्तन
☐ मोना गुलाठी 236-242
A Brief Study on Gandhi's Constructive Programme
☐ **Mamta Rani** 243-246

विधि

The Human Right of Right to Information and its Implementation in India
☐ **Dr. Santosh Kumari** 247-251

Family Resource Management

Legal Status of Strike In India
☐ **Dr. Preety Jain** 252-255
Abolition of Child Labour in India : Law and Reality
☐ **Dr. Sushila Chauhan** 256-261

Sustainable Development with Special Reference to Land use in India

☐ **Anju Bala** 262-266

भूगोल

Population Growth And Environmental Degradation : A Case Study Of India

☐ **Sarita Devi** 267-275

पुस्तकालयशास्त्र

User perception on use of library services at Arya Kanya Mahavidyalya, Shahabad Markanda (Kurukshetra): A case study

☐ **Rajinder Kaur Gill** 276-283

राजनीतिशास्त्र

लोकसभा और विधानसभा में हरियाणा की महिलाओं का नेतृत्व

☐ **डॉ. रानी सांगवान** 284-290

परमाणु प्रदूषण एवं पर्यावरण

☐ **रामकल्याण मीणा** 291-300

Implementation Of MGNREGA In Haryana: A Review Of Its Success & Failures In Rohtak District

☐ **Archna** 301-305

Cooperative Federalism in India: Recent Trends

☐ **Dr K.K. Sharma** 306-310

Kashmir Issue In Indo-pak Relations

☐ **Dr. Rakesh Kumar** 311-321

शिक्षा

Teacher's Participation in School Administration

☐ **Arti Jindal** 322-324

Communication, Management & Technology

How Readable The Tribune Newspaper Is?
(A Study In The Context Of Difficult Words Used In The Newspaper)

☐ **Sapna** 325-328

सैन्य अध्ययन

सिकन्दर की सैन्य नीति : एक अध्ययन

☐ **राजबीर, नरेश कुमार** 329-334

International Refereed

राजनीतिशास्त्र

Impact Factor : 2.38

चिन्तन अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध–पत्रिका

वर्ष : 5, अंक : 18 (अप्रैल 2015-जून 2015) (पृ.सं. 291-300) (ISSN 2229 – 7227)

परमाणु प्रदूषण एवं पर्यावरण

रामकल्याण मीणा
व्याख्याता राजनीतिशास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झालावाड़ (राजस्थान)

शोध–आलेख सार

मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों के विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग दृष्टिकोण है। जहां एक ओर यह कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जन्तुओं की भांति प्राकृतिक निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए, वही दूसरी और, यह भी दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है और वह कुशाग्र बुद्वि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है, और संसाधनों का अधिक दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों का अध्ययन दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

मुख्य–शब्द : पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण।

"पर्यावरण" अंग्रेजी शब्द Environment का भाषान्तर पुनरूक्ति है, जो दो शब्दों Environ तथा ment के सामंजस्य से उत्पन्न हुआ है। जिनका अर्थ कमशः Encircle या Enclose है अर्थात आसपास (Surrounding) से घेरे हुए, कतिपय पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों (Ecologists)ने पर्यावरण के लिए Environment शब्द के स्थान पर Habitat या Milieu शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्रायः समस्त परिवृति से है। ए.एन. स्ट्रेलर के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व जीव–जन्तुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना है। पार्क (C.C.Park)के अनुसार "पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव जाति को निश्चित, समयावधि में नियत स्थान पर आवृत करती हैं। "विश्व शब्दकोष में पर्यावरण की परिभाषा निम्न रूप से दी है– "पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है।"[1]

" पर्यावरण" दो अवयवों से मिलकर बना होता है।

(1) जैविक पर्यावरण (2) अजैविक पर्यावरण

समस्त सजीव जैसे– जन्तु, पौधे और सूक्ष्मजीव जैविक पर्यावरण के अन्तर्गत आते है, तथा सभी अजैविक तत्व जैसे पानी,भूमि, हवा आदि अजैविक पर्यावरण में सम्मिलित किये जाते हैं।

प्राचीन काल से ही मानव पर्यावरण के महत्व से परिचित था। पहले प्रातः उठते ही सब लोग सूर्य नमस्कार से अपनी दिनचर्या प्रारम्भ करते थें। यह उनका प्रकृति को सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका था। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हमारे वेदिक मंत्रों में कहा गया है–

ऊँ पूर्णमदः पूर्ण मिंद पूर्णत्पूर्णमुच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवा वशिष्यते।।

अर्थात मानव अपनी इच्छाओं को वश में रखकर प्रकृति से उतना ही ग्रहण करे कि उसकी पूर्णता को क्षति नही पहुंचें। [2]

वेदों में पर्यावरण की गहरी समझ ही इस बात का प्रमाण है कि उसने पर्यावरण में मातश्त्व को देखा और कहा–

''माता भूमिः पुत्रोऽहपृथिव्याः।''

अर्थात – यह भूमि माता के समान सबकी पोषक है और मैं पुत्र के समान इस भूमि का रक्षक हूँ।

वश्क्ष महिमा महर्षि वेदव्यास की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। मत्स्यपुराण में लिखा है–

''दशकूप समों वासी दशवा पीस मोह्रदः।
दशह्रदसमों पुत्र. दशपुत्र समो द्रुमः।

अर्थात दस कुओं के बराबर एक बावड़ी, दस बावडियों के बराबर एक तालाब और दस तालाबों के बराकर एक पुत्र दस पुत्रों के बराबर एक वश्क्ष है।

हमारा शरीर पर्यावरण पंच तत्वों (पुथ्वी,जल,अग्नि,आकाश, वायु) के संघात का योग है। इस पर्यावरण एवं मानव शरीर के समन्वय को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है।

छिति–जल पावक गगन समीरा।
पंच तत्व मिलि बना सरीरा।। (किर्षिकिन्धा काण्ड रामचरितमानस)

लेकिन आज समस्त मानव जाति का यदि किसी बिन्दु पर ध्यान क्रेन्द्रित है तो वह है पर्यावरण लेकिन जिस पर्यावरण ने आरम्भ से ही प्राणियों को उत्पन्न किया पोषित किया उसी पर्यावरण को बुद्वि जीवी मानव ने अपने तुच्छ भौतिक स्वार्थ के लिए तथा अनुचित कार्यो से इतनी तीव्रता से प्रदूषित किया है कि अब प्राणिमात्र के लिए जीवित रहने का महान संकट उपस्थित हो गया है। यह महाविभीषिका विकराल रूप से उपस्थित हुई हैं जो हमारे ग्रह ''पृथ्वी के भविष्य को गंभीर हालत में बदलती जा रही हे। परिवर्तन की प्रकिया वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती देती है। [3]

मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों के विषय में वैज्ञानिकों के अलग अलग दृष्टिकोण है। जहां एक ओर यह कहा जाता है कि मनुष्य को इस वातावरण में अन्य जीव जन्तुओं की भांति प्राकृतिक निर्देश की अनुपालना करनी चाहिए, वही दूसरी और, यह भी दृष्टिकोण है कि मनुष्य विकसित प्राणी है और वह कुशाग्र बुद्वि से पर्यावरण के विभिन्न घटकों को अपने अनुकूल बना सकता है, और संसाधनों का अधिक दोहन कर सकता है। मानव पर्यावरण के मध्य सह सम्बन्धों का अध्ययन दो दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

(1) पर्यावरण निश्चय वादी उपागमः— पर्यावरण निश्चय वाद का जन्म एवं विकास जर्मनी में ही हुआ तथा इसके प्रमुख प्रतिपादक जर्मन भूगोलवेता एवं मानव भूगोल के जन्मदाता फेडरिक रेटजेल थे। उनके अनुसार "हमारी बुद्वि संस्कृति एवं समाज की उपलब्धियों की तुलना एक चिड़िया की स्वछन्द उड़ान से नही कि जा सकती है, उसकी तुलना एक पौधे के तने से की जा सकती है। क्यों कि हम सदैव पृथ्वी से आवद्व है। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यो न उठा ले तथापि उसके पैर सदा धरती पर ही टीके रहेगे तथा उसकी धूल प्रकृति में विलीन हो जायेगी।" रेटजेल महोदय के इस तथ्य के सन्दर्भ में सत्रहवी शताब्दी में प्रसिद्व विद्वान माण्टेस्क्यू ने भी जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माण बताया था।[4]

पर्यावरणवाद की संकल्पना 1911 मे चरमोत्कर्ष पर पहुची जब फेडरिक रेटजेल की शिष्या अमेरिकन भूगोलविद् एलन चर्चिल सेम्पुल ने अपनी पुस्तक " भौगोलिक वातावरण के प्रभाव" का प्रकाशन किया।

सैम्पुल महोदया ने वातावरणीय निश्चयवाद के सिद्वान्त का समर्थन करते हुए कहा कि " मनुष्य का जन्म पृथ्वी से हुआ है, और वह पृथ्वी का शिशुमात्र ही नही है। अर्थात वह पृथ्वी की खाक का एक पुतला मात्र ही नही है वरन् पृथ्वी उसकी माता है, उसने उसे मातश्त्व दिया है,उसका लालन पालन किया है। उसको, भोजन दिया है कार्यरत व्यवस्था मे नियत किया है उसके विचारों को निर्देशित किया है, उनके सम्मुख कठिनाईया प्रस्तुत की है। साथ ही उनके निराकरण हेतु उसके कान में फुसफुसा कर सुझावों का संकेत भी दिया है, पृथ्वी का कण कण उसकी हड्डियों स्नायुओं,मस्तिष्क और आत्मा मे समाया हुआ है"। सैम्पल ने निश्चयवाद को ही मानव भूगोल का प्राण माना है तथा मानव को पूर्णत वातावरण का दास कहा हैं। उसके आचार विचार एवं रीति–रिवाज तथा धर्म इत्यादि भी वातावरण जनित पुष्प है।

पर्यावरणवाद की दूसरी विचारधारा सम्भववाद की है। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक वातावरण तो केवल मनुष्य के समीप परिस्थितया उपस्थित करता है जिसका प्रयोग वह अपने बढ़ते हुए ज्ञान के अनुसार करता है। अतः वह प्रकृति का दास नही है। उसने अपने बुद्विबल से प्राकृतिक वातावरण को ही संशोधित अथवा परिवर्तित कर दिया है। तथा अपने आर्थिक ढाचे को ही बदल दिया है। इस विचार धारा के मुख्य समर्थक फांस के ब्लांशे व ब्रून्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाउमैन एवं कालेसौर है। ब्लाशे पार्थिव एकता के सिद्वान्त में विश्वास करते थे और इस सिद्वान्त को उन्होनें भौगोलिक अध्ययन का सर्वोच्च लक्ष्य माना था, किन्तु साथ ही वे मानव को भी महत्व देते थे। वह उसे एक भोगोलिक घटक मानते थे ,जो कियाशील और निष्किय दोनो ही है। ब्लांश की मान्यता थी कि वातावरण कई सम्भावनाओ को प्रस्तुत करता है जिनका समुचित लाभ एवं उपयोगिता मानवीय चयन पर आधारित है। मानव के सम्मुख कई सम्भावनाऐं विद्यमान है।वह उनका स्वामी है अतःवह उनकी सम्पूर्ण उपयोगिता के सम्बन्ध मे निश्चय कर भोतिक वातावरण मे अपनी क्रियाओ द्वारा परिवर्तन कर सकता है तथा करता है। ब्लांशे का मत था कि प्रकृति का स्थान सलाहकार जैसा है इससे अधिक नहीं वातावरण उन्नति करते हुए मानव समाज के रूप और प्रकृति को निश्चित नहीं करता ,वह तो समाज की कियाए निर्धारित करता है।"[5]

जॉन लॉक ने अपने दर्शन मे प्राकृतिक अधिकारो की विशद व्याख्या की है उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन. स्वतन्त्रता और सम्पत्ति के अधिकार जन्मजात उल्लघनीय और प्राकृतिक हैं। यदि कोई भी सरकार इन अधिकारो का अलघंनीय करती है तो लॉक व्यक्ति को चौथा अधिकार ओर देता है सरकार के विरोध का अधिकार लॉक के लिए सम्पत्ति का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। अनेक स्थानो पर लॉक ने सम्पत्ति के अधिकार मे ही जीवन और स्वतन्त्रता के अधिकार को सम्मिलित किया है। सम्पत्ति का साधारण अर्थ है भौतिक सम्पदा जिसका भूमि और भूमि से प्राप्त होने वाले उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण अंग है।

19वी शताब्दी के उतरार्द्ध तक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीगत विषमताऍं बहुत व्यापक और उग्र हो गई। लॉक द्वारा प्रतिपादित मूल्य के श्रम सिद्वान्त के आधार एवं आवरण मे औद्योगिक पूँजीवाद के अन्तर्गत श्रम और स्वामित्व की खाई बढती गई श्रमिक के पास केवल श्रम या सम्पत्ति का स्वामित्व नही । दूसरी तरफ पूंजीवादी बिना श्रम किये सम्पति का स्वामी था और अतिरिक्त मूल्य का भी। कार्ल मार्क्स ने श्रम और स्वामित्व के इस द्वेष को समाप्त करने के लिए मूल्य के श्रम सिद्वान्त की समाजवादी उद्वेश्यो के लिए पुर्नव्याख्या की।

सन् 1750 मे रूसो ने ''दिजॉन की अकादमी '' द्वारा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता के भागलिया इस निबन्ध प्रतियोगिता का विषय था ''विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने मे योग दिया है अथवा उसे विशुद्ध करने मे ।'' रूसो ने अपने निबन्ध मे घोषणा की कि विज्ञान और कला ने मनुष्य का पतन किया है। मानव की चरित्रहीनता का उत्तरदायित्व आज के समाज पर है। मानव स्वभाव से अच्छा है परन्तु उसकी सामाजिक संस्थाओ ने उसे दुष्ट बना दिया है। निबन्ध ने विवेके और विज्ञान युग के कृत्रिम समाज मे हल चल पैदा कर दी ।[6]

परमाणु युग का सूत्रपात—: सयुंक्त राज्य अमरीका के एक वायुयान वी 29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम डाला । अणुबम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90 प्रतिशत इमारते नष्ट हो गयी एवं लगभग 750,000 मनुष्य मारे गये इस महासंहार के साथ परमाणु युग का सूत्र पात हुआ। विश्व के सभी वैज्ञानिको ने अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्यों को अतिमानुषी शक्ति मिल गई है। एलबर्ट षिवट्जर ने 1954 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा था ''मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी बन गया परन्तु उसकी बुद्धि उस अतिमानुषी मान तक उन्नत नही हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है।'' इससे स्पष्ट है कि परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा छा गयी। सभ्यता का भविष्य ऐसे विवकेहीन मनुष्य के हाथो मे चला गया जिनमें हिरोशिमा का दृश्य दोहराने के लिए किसी प्रकार की झिझक नही है। परमाणु हथियारो के सर्वनाश करने की सामर्थ्य के कारण मैक्स लर्नर आज के युग को '' अतिमारकता का युग'' ''(The age of over Kill)कहते है।

आजकल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुॅंचने वाले प्रक्षेपास्त्र ओर शब्द की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से उडने वाले जैट विमान, नाभिकीय बम फेकने वाले प्रक्षेपास्त्र और परमाणु उर्जा से चलने वाले विमान तथा पनडुब्बियां बन चुके है। भू उपग्रह और अन्तरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणो की सूची मे जोडे जा सकते है। कॉल जैस्पर्स ने इन आधुनिक हथियारो को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन का ''नया तथ्य'' कहकर पुकारा है। ई.एच.कार. का मत है कि

"परमाणु हथियारो की भयानकता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि मे युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। बट्रेण्ड बोडी ने कहा कि " परमाणु बम के कारण सारभूत परिवर्तन केवल यह नहीं हुआ कि युद्ध अधिक हिंसक हो गया है बल्कि यह भी हुआ है कि इससे सारी हिंसा का प्रयोग थोडी सी देर में हो जाता है।[7]

आज विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बढी हुई आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए आणविक उर्जा के अनेकानेक संयत्रों की स्थापना हो रही है। विश्व के उर्जा का सर्वाधिक शक्तिशाली स्रोत परमाणु उर्जा है जिसका उद्योगो मे भी प्रयोग होता है। तृतीय विश्व के लोगो को उर्जा की आवश्यकता अधिक है। अणुविक शस्त्रो का निर्माण भी आजकल प्रचुर मात्रा मे हो रहा है इनमें रेडियोधर्मी पदार्थों की क्रियाशीलता द्वारा हुए प्रदूषण को रेडियो धर्मी प्रदूषण कहते है।

रेडियों धर्मी पदार्थो के परमाणु नाभिको से विखंडन के कारण अल्फा, बीटा एवं गामा किरणे निकलती है। ये किरणे जीवधारियों के गुण–सुत्रों तथा जीन में परिवर्तन कर देती है। इससे उनके वास्तविक लक्षणों एवं संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ये कोबाल्ट, स्ट्राशियम, थोरियम, कार्बन आदि से प्रदूषण फेलाती है। नाभकीय शस्त्रों के विस्फोटों में सबसे अधिक रेडियों धर्मी,पदार्थ उत्पन्न होते है। इसमें परमाणु बम सर्वाधिक भंयकर है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की श्रृंखला में सबसे अधिक हानिकारक अभिशाप इस प्रदूषण का है। आज परमाणु भट्यिों में आणविक प्रकियाओं के दौरान बने आणविक कचरे को नष्ट करना बडा मुश्किल काम हो गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जल,वायु एवं पृथ्वी पर प्रदूषित प्रभाव डालकर वातावरण के लिऐ गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। यह समस्या मानव निर्मित है एवं अपने अहम् अथवा श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का प्रतीक है। यह एक ऐसी सनक है जो मानव जाति को लिए पारिस्थितिकी की असंतुलन पैदा कर उसे विनाश की ओर धकेलती है।[8]

रेडियोऐक्टिव धूल जो परमाणु विस्फोट के पश्चात पृथ्वी पर गिरती है। रेडियोंऐक्टिव अवपात (Fallout)कहलती है,उत्पादित रेडियोंऐक्टिव न्यूक्लाइड का अर्द्ध आयुकाल कुछ सेकण्ड से हजारों वर्षो तक भिन्न होता है उदाहरण के लिए स्ट्रान्शियन–90 का अर्द्ध आयु काल 28 वर्ष, सीजियम–137 का 30 वर्ष,स्ट्रान्शियम–89 का 50 दिन, कार्बन–14 का 5000 वर्ष, आयोडीन –131 का 8 दिन है। नाभिकीय परीक्षणो से रेडियोऐक्टिव अवपात में दो सबसे अधिक खतरनाक पदार्थ स्ट्रांन्शियम –90 और सीजियम 137 है। ये दोनो कई वर्षो के लिए पर्यावरण प्रदूषित करते है। नाभिकीय हथियार परीक्षणों से विशेषकर कार्बन 14, स्ट्रॉन्शियम–90 और सीजियम137 से रेडियोऐक्टिवं प्रदूषण होता है।

नाभिकीय संयत्रों के रेडियोऐक्टिव अवशिष्ट गैस,द्रव, या ठोस रूप में हो सकते हैं। कोई भी नाभिकीय संयत्र असदूषित नही होता क्यों कि कई बिन्दुओं से रिसाव से अवशिष्ट निकल सकता है जो रेडियोंऐक्टिव होता है।1979 में संयुक्त राज्य अमेरिका में थ्री माईल आईलैण्ड नाभिकीय शक्ति संयत्र रिसाव और 1986 में USSR में चेरनोविल नाभिकीय शक्ति संयत्र का मेल्ट डाउन नाभिकीय संयत्र पर दुर्घटनाओं, के उदाहरण है जिससे वायुमण्डल में रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइड पलायन होता है। द्रव बहिः स्रावों में विलय में रेडियोऐक्टिव पदार्थ

विलोन अवस्था में और अविलीन निलम्बित पदार्थ के रूप में उपस्थित हो सकते है। विलीन और निलम्बित पदार्थ जलाशयों में प्रवेश कर जाते है, और जलाशयों को प्रदूषित करते है। ये प्रदार्थ जल आपूर्ति द्वारा खाद्य श्रंखला में जाते है।अन्त में मनुष्यों में जाते है। इस प्रकार नाभिकीय शक्ति संयत्रों के बहिः स्राव में रेडियोऐक्टिव अवशिष्ट अंत में विस्तृत रूप से वायु,जल, मृदा ,पादपों, प्राणियों और मनुष्यों में वितरित हो सकते है। [9]

नाभिकीय महाविध्वंस मानव जीवन के लिए खतरा आँकड़े बताते हैं कि अब तक विश्व में महाविध्वंसात्मक 1100 दुर्घटनाए हो चुकी है जिनमें मुख्यतया निम्न है:–

(1) जापान का महाविध्वसं (6,व 9 अगस्त 1945)

(2) चिरनोबिल नगर (रूस) में रिऐक्टर भट्ठी विस्फोट

(3) परमाणु अस्त्र–शस्त्र से लेस विमान बी–36 व बी–29 में विस्फोट (सन्1950) [10]

दुनिया में अभी 9 परमाणु शक्ति सम्पन देश है। इनमें नया देश उत्तरी कोरिया है। उसने पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 2006 दूसरा परीक्षण वर्ष 2009 में किया था। और तीसरा वर्ष 2013 मे। उत्तरी कोरिया के परमाणु परीक्षणों ने एशिया प्रशान्त क्षेत्र में बहुत असर डाला है। इसका अमरीका पर भी बहुत असर पड़ा हे। जापान और अमरीका को उत्तर कोरिया अपना दुश्मन देश मानता है। उत्तर कोरिया 2003 में एन.पी.टी से बाहर हो गया था, उसके बाद से ही वह सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। उत्तर कोरिया ने अब यहां तक कह दिया है कि वह अमरीका पर परमाणु बम गिराएगा। [11]

इससे पूर्व मई 1998 में भारत ने पोकरण में परमाणु परीक्षण किए। इसके कुछ सप्ताह बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु विस्फोट कर अपनी क्षमता का परिचय दिया भारत ने अने परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल शान्तिपूर्ण मकसद के लिए बताया था। भारत अपने " नो फर्स्ट यूज" के सिद्धान्त पर प्रतिबद्ध है। यद्यपि भारत–पाक का जो रीजनल फ्रेमवर्क है उसका कोई किनारा नही है, और इसमें चीन भी शामिल है, चीन पाक को बड़े पैमाने पर विध्वसंक हथियारों में सहयोग स्थायित्व भरा है, और दोनो ने क्षेत्र को खराब ही किया है, साथ ही मे भारत के लिए भी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। भारत को दो मोर्चों पर निगाह रखनी है, चीन – भारत और भारत–पाक। पाक वैज्ञानिक ए.क्यू खान ने परमाणु प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए चोरी का मार्ग भी अपनाया । [12]

इंटरनेशनल फिजिशियन्स फॉर द प्रीवेन्शन ऑफ न्यूक्लियर वार (आईपी जी एन डब्ल्यू)की नई रिपोर्ट मं कहा गया है कि परमाणु भुखमरी, अप्रत्याशित आपदा है, जो आधुनिक सभ्यता का अंत कर देगी। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के बीच परमाणु टकराव भले ही क्षेत्र तक सीमित हो लेकिन इससे पूरी दुनिया की जलवायु पर असर पडेगा और चीन, अमरीका तथा अन्य देशों में खाद्यान्न उत्पादन घट जाएगा।

अध्ययन की लेखिका इराहेलफँड ने कहा नए प्रमाण दर्शाते हैं कि , भारत और पाक जैसे देशों के छोटे परमाणु हथियार भी पृथ्वी की पारिस्थितिकी को वैश्विक नुकसान पहुचा सकते है उनका दूरगामी असर पड सकता है। तथा पहले से ही कुपोषित लाखो लोगों के लिए

खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस अध्ययन का शीर्षक न्यूक्लियर फैमाइन अबिलियन पीपल एटरिस्क, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ लिमिटेड न्यूक्लियर वार ऑन एग्रीकल्चर फूड सप्लाइज एंड हयूमन न्यूट्रीशन है। इसमें कहा गया कि भुखमरी से बडे पैमाने पर लोगों की मौत को टाला नही जा सकेगा। हैलफेंड ने कहा कि करीब एक दशक में बेवजह एक अरब लोगों की जान जाएगी। जबकि इन मौतो को रोका जा सकता है। हालांकि इससे मानव प्रजाति लुप्त नही होगी लेकिन आधुनिक सभ्यता का अंत जरूर हो जाएगा। उन्होने अध्ययन में कहा है कि परमाणु भुखमरी की आशंका को देखते हुए परमाणु हथियारों के बारे में हमे अपनी सोच बदलनी होगी।[13]

आज जापान, चीन व उत्तर कोरिया की बढती ताकत से चितिंत है। जापान के ताकतवर राजनीतिज्ञ देश के संविधान में युद्व को निषेध करने वाले अनुच्छेद 9 को तोड़ने–मरोड़ने या कबाड़ा कर देने की बडी कोशिश कर रहे है और उनमें से कुछ तो जापानी परमाणु अस्त्र के निर्माण की खातिर जी–जान से जुटने की तमन्ना रखते है। टोक्यो, के गर्वनर शिनतारों इशिहारा समेत युद्वोन्मादी राजनैताओं का दावा है कि, बम के विकल्प से जापान को बहुत बड़ी कूटनीतिक ताकत मिलेगी। जापान के पास परमाणविक उर्जा उत्पादन मं बरसों की विशेषज्ञता है लेकिन खासतौर पर फुकुशिमा आपदा से मिले सबको की रोशनी में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भूकम्पों की धरती के किसी हिस्से पर परमाणु संयत्र की स्थापना सुरक्षित होगी। परमाणु बम के आविष्कारों में अहम स्थान रखने वाले जे रॉबर्ट ओमनहीमर ने जब इस प्रंचड हशियार का पहला परीक्षण देखा तो उन्होने श्रीमद्भागवत गीता की यह पक्ति उद्वत की "अब मै मृत्यु बन गया हूं संसार का संहारक।" [14]

फुकुशिमा आपदा के बाद भी दुनिया के देशो में परमाणु उर्जा हेतु रियेक्टरों की स्थापना की जा रही है, इनमें चीन सबसे आगे है। दिसम्बर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के मध्य रक्षा परमाणु उर्जा, पेट्रोलियम और उर्वरक समेत कई क्षेत्रों में 20 समझौते किए है इनमें रूस के सहयोग से भारत में 12 परमाणु रियक्टर स्थापित किए जाने का समझोते भी है। [15]

सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा बुनियादी प्रश्न है शान्ति का प्रश्न। आधुनिक युद्व जैसी बेतुकी बात और कोई नही है। भयंकर हथियार जितना शीघ्रता से विनाश करते है, उतनी शीघ्रता और पूर्णता से कोई अन्य चीज विनाश नही करती क्योकि ये भंयकर हथियार न केवल मारते हैं, बल्कि जीवित मनुष्य को और अजन्में शिशुओं को भी अपंग तथा निकृत कर देते है। ने भूमि को विसाक्त कर देते है। और कुरूपता अनुर्वरता तथा वीरानगी का लम्बा सिलसिला अपने पीछे छोड़ जाते है। युद्व के बाद कौन सी पारिस्थितिकीय परियोजनाएं जीवित रह सकती है। यह स्पष्ट है कि जो पर्यावरणात्क, संकट आज हमारे आमने–सामने उपस्थित है वह हमारे ग्रह के भविष्य को गंभीर रूप से बदल देगा। हममे कोई भी अप्रभावित नही रह सकता चाहे उसकी हैसियत शक्ति या पारिस्थितिकी कुछ भी क्यों न हो। परिवर्तन की प्रकिया वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को चुनौती देती है। क्या एक पृथ्वी और एक पर्यावरण" की बढ़ती हुई जागरूकता हमें "एक मानवता" की संकल्पना देगी? [16]

अवशिष्ट प्रत्येंक वर्ष उत्पादित होता हे। विरल आकलन के अनुसार लगभग 36 मेगा ग्राम प्रति गीगावाट प्रतिवर्ष गुक्त शेष नागिकीय ईधन PWR (दाबित जल रिऐक्ट) रो विसर्जित होता है।[15]

अतः वर्तमान समय की मांग है कि पर्यावरण को बचाने के लिए परमाणु प्रदूषण को समाप्त करना होगा। साथ ही परमाणु उर्जा की आवश्यकता का कम करते हुए उर्जा के अन्य स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे साधनों पर बल देने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. गुर्जर डॉ रामकुमार जाट डॉ वी.सी. "मानव एवं पर्यावरण"
पंचशील प्रकाशन जयपुर संस्करण 2005 पृ. 1–2
2. त्रिवेदी प्रो. प्रवीण चन्द्र, गुप्ता श्रीमति गरिमा" पर्यावरण अध्ययन'
आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर
संस्करण 2007 पृ. 1 व 4
3. दवे दया " वेदो में पर्यावरण"
सुरभि पब्लिकेशन्स जयपुर संस्करण 2000 पृ. 21.7.6.7
4. गुर्जर डॉ रामकुमार, जाट डॉ बी.सी " मानव एवं पर्यावरण"
पंचशील प्रकाशन जयपुर संस्करण 2005 पृ. 26–27
5. ममोरिया डॉ चतुर्भज 'मानव और आर्थिक भूगोल"
साहित्य भवन आगरा संस्करण 1985 पृ. 70,72,74
6. कमल प्रो.के.एल" प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक"
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर,
संस्करण 2012 पृ. 195,197,210,211
7. फडिया डॉ.बी.एल " अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध"
साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
संस्करण 2014 प्पृ. 20,21
8. शर्मा दामोदर, व्यास " हरिश चन्द्र" हमारा पर्यावरण"
साहित्यागार. जयपुर संस्करण 1995 प्पृ. 192.193
9. शर्मा प्रो. पी.डी. " पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण" रस्तोगी पब्लिकेशनस
मेरठ संस्करण 2013, पृ. 565,566
10. सिहं डॉ सुधा " पर्यावरणशिक्षा"
लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद संस्करण 2011
पृ. 117,118
11. महापात्र प्रो. चिन्तामणि " परमाणु युद्व की धमकी"
विदेश मामले के विशेषज्ञ राजस्थान पत्रिका लेख दिनांक
06.04.2013 पृ. 6 व जे एनयू दिल्ली
12. भास्कर सी. उदय रक्षा विशेषज्ञ " परमाणु खतरे और तैयारिया"

राजस्थान पत्रिका लेख दिनांक 12.05.2012 पृ. 6
13. रिपोर्ट आई.पी.जी.एन डब्ल्यू राजस्थान पत्रिका लेख
दिनांक 26.04.2012 पृ. 13
14. रेफर्टी केविन विश्व बैंक के पूर्व मैनेजिगं एडिटर व प्लेनवर्ड्स मीडिया के
एडीटर इन चीफ "परमाणु विकल्प तलाशता जापान"
दैनिक भास्कर दिनांक 21.08.2012 पृ. 6
15. भारत रूस के मध्य समझोते" दैनिक भास्कर दिनांक 12.12.2014 पृ. 11
16. गुर्जर डॉ रामकुमार, जाट डॉ बी.सी"मानव एवं पर्यावरण"
पंचशील प्रकाशन जयपुर संस्करण 2005 पृ. सं. 37,38
17. टू टू डेसमंड राजनेता व नोबेल पुरस्कार विजेता
"सभी को परमाणु हथियार त्यागने होगे।"
हिन्दुस्तान नई दिल्ली लेख दिनांक 06.03.2013 पृ. 10
18. फडिया डॉ बी एल "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध"
साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा संस्करण 2014 पृ. 175
19. शर्मा प्रो. पी.डी. "पारिस्थितिकी की एवं पर्यावरण "
रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ संस्करण 2013 पृ. 566

दूसरों से अच्छा बर्ताव की बात हम उस समय तक नहीं कह सकते जब हम खुद ही बुरा बर्ताव कर रहे है लेकिन दुनिया भर के परमाणु हथियारों से लेस देश इस समय यही कर रहे है । उत्तर कोरिया जब परमाणु परीक्षण करता है तो वे उस पर तरह–तरह की पाबन्दिया लगा देते है। ईरान जब युरेनियम संवर्द्धन की कोशिश करता है तो वे पूरी दुनिया मे खतरे की घंटी बजा देते है। उनका तर्क कुल जमा यही है। कि सिर्फ कुछ देश पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता अपने पास रखकर संसार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते है। जब तक हम इन दोहरे पैमानों को खत्म नही कर देते जब तक हमयह स्वीकार नही कर लेते है कि परमाणु हथियार चाहे किसी के पास हो वे पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जब तक हम यह नहीसमझ लेते कि रेडियों एक्टिविटी अगर किसी शहर को अपनी चपेट में लेती है तो वह वहा रहने वाले सभी लोगो के लिए जानलेवा बन जाती, चाहे वे लोग किसी भी मजहब के हों किसी भी राष्ट्रीयता के हो या किसी भी जातीयता के हो, तब तक हम इन दैत्याकार हथियारों का प्रसार रोकने में किसी भी तरह की अर्थ पूर्ण प्रगति नही कर सकते, तब तक उन्हे किसी एक राष्ट्र के जखीरे से बाहर करना संभव नहीं होगा।

परमाणु हथियारों के उत्पादन की क्षमता रखने वाला दुनिया का कोई भी देश अमेरिका और रूस की धमकियों को क्यों माने जबकि खुद इन दोनो देशों में हजारों परमाणु हथियार हमला करने के लिए हरदम चौकस खड़े है? ब्रिटेन, फ्रांस और चीन यह उम्मीद कैसे कर सकते है कि अन्य कोई देश परमाणु हथियार न तैयार करे, जबकि खुद इन देशों ने अपनी परमाणु ताकत के आधुनिकीकरण में अरबों डालर खपा दिये है। इजराइल के पास ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की बात कहने का क्या हक है जब खुद उसके पास इसका भारी भरकम जखीरा मौजूद है? परमाणु हथियार कोई भेदभाव नही करते इसलिए हमारे नेताओं को भी भेदभाव नही करना चाहिए । जिन देशो के पास परमाणु हथियार है उन्हे खुद पर भीवही नियम लागू करने चाहिए जो वे दूसरो पर लागू करना चाहते है किसी के पास कोई परमाणु हथियार नही हो । अब हर कोई जानता है कि पर्यावरण बदलाव का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। आज 9 देश है जो इन खतरनाक बमों को अपना विशेषधिकार मानते है। इनमें से हर हथियार एक क्षण में हज़ारों बेगुनाह नागरिकों, औरतों और तो और बच्चों की जान ले सकता है। [17]

परमाणु शक्ति के अवैध प्रसार तस्करी व आतंकवादियों के हाथ यह पड़ने से उत्पन्न खतरों से सुरक्षा पर विचार हेतु 12–13 अप्रेल 2010 को वाशिगंटन मे दो दिवसीय नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा की पहल पर 47 देशों के राष्ट्रध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। परमाणु आतंकवाद के खतरे का संज्ञान लेते हुए भारत सूचना के अवैध हाथों में पड़ने से रोकने व इस क्षेत्र में सुरक्षा बढाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रभावी सहयोग का सम्भाव्य सम्मेलन में लिया। [18]

रेडियोऐक्टिव अवशिष्ट के निस्तारण के लिए कोई योग्य और सस्ते तरीके नही है।। रेडियोऐक्टिव अवशिष्ट संचयन के कोई भी विश्वसनीय तरीके नही है। कई सौ टन रेडियोऐक्टिव

ISSN : 2229-7227

सोचो !

चंचलता मन का स्वभाव है! मन को वश में करने की न सोचें अपितु इससे ऊपर उठें साधना द्वारा! विचार करने या प्रश्न उठाने की कोई औषधि या विशेष ढंग नहीं होता! जब वस्तुओं; परिस्थितियो व वस्तुओं से अतृप्त होओगे तो प्रश्न अपनें आप उठेंगे!

– आचार्य शीलक राम

'Chintan' Research Journal is a quarterly peer reviewed publication of Acharya Academy listed at : Ulrich's periodicals Directory ProQuest. U.S.A. & Copernicus Poland & Research Bib, Japan is acceptable for publication including original research papers, review research papers and all publication becomes the property of the journal.

प्रकाशक

आचार्य अकादमी

आचार्य शीलक राम
ग्राम+पत्रालय–चुलियाणा रोहज
जिला–रोहतक. (हरियाणा), भारत
पिन–124527
मो. 9992885894, 9813013065
e-mail : shilakram9@gmail.com
jangratoday@gmail.com
www.chintanresearchjournal.com

Year : 4
Issue : 15
Jan-March 2015
www.chintanresearchjournal.com

ISSN : 2249-2976
Price : ₹ 500

Impact Factor : 2.87

(Art, Literature, Humanity, Social Science, Commerce, Management, Law & Science Subjects)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)
(Indexed & Listed at : Copernicus, Poland)
(Indexed & Listed at : Research Bib, Japan)

(International Refereed)

Pramāna

Research Journal

Editor-in-Chief
Acharya Shilak Ram

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

Acharya Academy

Bharat

ISO 9001:2008

विषयानुक्रम

सम्पादकीय

Hindi Literature

हिन्दी में दलित साहित्य लेखन एवं शोध की नई दिशायें
- डॉ. स्मिता निगम — 1–4

आत्महत्या
- सुलतान सिंह — 5–9

हरियाणा के अल्पचर्चित संत कवि–हरिदास
- डॉ. वेद प्रकाश — 10–17

हरियाणवी सन्तों का माया के प्रति दृष्टिकोण
- डॉ. पुनम — 18–20

निराला की नारी सौन्दर्य चेतना की अभिव्यक्ति
- सुमन खटक — 21–25

बिहारी का प्रेम सम्बन्धी दृष्टिकोण
- निशा लाहट — 26–29

फौजी मेहर सिंह के सांगों में नारी–चेतना
- महेन्द्र सिंह — 30–32

साहित्यकार कमलेश्वर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व
- डॉ. प्रीतम लाल ढल, मुन्नी देवी — 33–39

हिन्दी–साहित्य में नारी–चित्रण
- मन्जु बाला — 40–47

दलित समाज की कहानियां बनाम दलित चेतना
- अजय कुमार तंवर — 48–54

भारतीय नारी व उसका सशक्तिकरण
- महीपाल ग्रोवर — 55–58

Sanskrit Literature

वैदिक संस्कृत साहित्य में उपासना
- डॉ. मूलचन्द — 59–67

पुराणों के सन्दर्भ में अवतारवाद
- डॉ० पी०सी० शर्मा — 68–74

रसानां सुखदुःखात्मकत्वम्
- डॉ. घनश्याम बैरवा — 75–78

मंगलवाद्
- Pralay Banerjee — 79–82

हरियाणाप्रदेशस्य संस्कृतमहाकाव्यपरम्परा
- सुनील कुमार 83–88

English Literature

Marginalization and Quest for identity in Mulk Raj Anand's Untouchable
- Vikash Lathar, Shanker 89–95

Dilemma of Existence in Parsa
- Kripika 96–100

Fluctuating Identities during Partition in Amrita Pritam's Pinjar (The Skeleton)
- Deeksha 101–106

An Overview of Homi K. Bhabha's The Location of Culture
- Monika Nara 107–110

Search for Identity : Rosie in the Guide
- Dr. Rachna Sharma 111–113

Punjabi Literature

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ
- ਡਾ. ਲੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ 114–120

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਨਾਚ
- ਪ੍ਰੋ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 121–125

Law

Attitude of Employees towards Excessive Monitoring at Workplaces: A Psycho-Legal Study
- Dr. Lakhwinder Singh, Dr. Vidushi Jaswal, Vibhuti Jaswal 126–136

Complexed Relationship Between Legislature And Judiciary: A Study
- Rajwanti Sandhu 137–146

'Media' in the Constitutional Ambit Analyzing free speech in the democracy : A Study
- Paramjeet 147–152

Dowry Under Dowry Prohibition Act,1961 Legislative And Judicial Trends
- Akanksha 153–162

Various Facets of Right to Life
- Kulwant Singh, Rakesh Kumar 163–168

Judicial Interpretation Of The Safeguarding Rights Of An Accused Person
- Kulwant Singh 169–176

Various Facets of Right to Personal Liberty
- Rakesh Kumar 177–182

Physical Education

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा
- गौरी वानखेड़े 183–187

Political Science

सूचना का अधिकार : भ्रष्टाचार निरोधक व पारदर्शिता का हथियार
- डॉ. मुकेश कुमारी 188–191

Debating Gandhian Discourse
- Dr. Rakesh Kumar 192–197

हरियाणा विधान–सभा चुनाव–2014
- Dr. Suraj Mal 198–205

राजस्थान में पंचायती राज : शैक्षणिक योग्यता की प्रासंगिकता
- रामकल्याण मीणा 206–214

गांधी जी के आर्थिक विचार व उनकी प्रसांगिकता
- शालु 215–220

हरियाणा विधान सभा चुनाव : मतदान व्यवहार
- विनिता रानी 221–232

Computer Science

Analysis of Security Requirements and Intrusion Detection System in Wireless Sensor Networks
- Amit Mann 233–241

Overview of Biometric Electronic Voting System
- Simple Rathee 242–247

FDI in B2B AND B2C e-retail In India
- Poonam 248–252

Mass Communication & Journalism

Rupkonwar Jyoti Prasad Agarwala and his contribution to Assamese Films
- Dr. Bala Lakhendra 253–257

Management

Introduction to Stress Management
- Dr. Savita 258–262

Commerce/Education

The Role of FDI in the Indian Telecommunication Sector - An Overview
- Aarti Gupta 263–267

Impact of Mergers & Acquisitions in Indian Banking Industry
- Shikha Sabharwal 268–274

Green Marketing: In the Indian context
- Sunil Kumar 275–281

Product Pricing
- Neetu, Asha 282–287

Pramāna Research Journal (ISSN : 2249-2976)
International Refereed Year-4, Issue-15 (Jan.-March 2015) (Page No. 206-214)
Impact Factor : 2.87
Political Science

राजस्थान में पंचायती राज : शैक्षणिक योग्यता की प्रासंगिकता

रामकल्याण मीणा
व्याख्याता, राजनीतिशास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
झालावाड (राज.)

शोध–आलेख सार

"पंचायत" शब्द की व्युत्पति संस्कृत भाषा के शब्द "पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है पांच व्यक्तियों का समूह वैदिक काल के साहित्य में सभा व समितियों का उल्लेख हुआ है। जातक कहानिया चौथी व पांचवी शताब्दी (ई. पू.) में गांव का सुन्दर चित्रण करती है। ये सभा व समितियाँ लोगो की भलाई के लिए कार्य करती थी।

मुख्य–शब्द : पंचायती राज, शिक्षा, साहित्य।

"पंचायत" शब्द की व्युत्पति संस्कृत भाषा के शब्द "पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है पांच व्यक्तियों का समूह वैदिक काल के साहित्य में सभा व समितियों का उल्लेख हुआ है। जातक कहानिया चौथी व पांचवी शताब्दी (ई.पू.)में गांव का सुन्दर चित्रण करती है। ये सभा व समितियाँ लोगो की भलाई के लिए कार्य करती थी। अथर्ववेद में इस आशय का एक श्लोक भी मिलता है

"ये ग्रामा वदरण्य या सभा अधि भूम्याम।
" ये संग्रामाः समितियस्तेषु चारू वेदंमते।।"

अर्थात पृथ्वी के ग्रामों वनो व सभाओं में हम सुंदर वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करे।

शुक निति सार में तीन तरह की बसावट बताई गई । कुभा, पाली व ग्रामापाली । प्रभायानाथ बनर्जी के अनुसार वैदिक काल के शुरू में ग्राम स्वायत्त शासन की इकाई थी। वे केन्द्र नियंत्रण से दूर थें ग्रामीणी (मुखिया)व अन्य गॉव कार्मिक, ग्रामीणों द्वारा नियुक्त किये जाते थे व उन्ही के प्रति उत्तरदायी होते थे।

मनुस्मृति के अनुसार गॉव के अधिकारी को ग्रामिक कहते थें उसका कार्य कर आदि की वसूली करना था दस गॅाव के ऊपर एक और कर्मचारी होता था जिसें "दशिक" के नाम से जाना जाता था। 20 गांवों के ऊपर के कर्मचारी को विशाधिप कहते थे। सौ गांवों के ऊपर के कर्मचारी का नाम शतपाल था तथा एक हजार गांवों के ऊपर के कर्मचारी का नाम "सहस्त्रपति" था। [1]

श्री रामचरित मानस में पंचायती राज व्यवस्था के अनेक उदाहरण इंगित किये गये है। जैसे–

"जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी "।

श्री रामचरित मानस के उक्त दोहे में अभिव्यक्त भाव प्रजा कल्याण ही शासक के मुख्य ध्येय को इंगित करता है। पंचायतों का स्वरूप आधार से विकास एवं स्वशासन के भाव पर गठित था। सम्पूर्ण राज्य की एक जाति पंचायत होती थी। [2]

कौटिल्य ने अपने प्रसिद्व ग्रन्थ अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों की स्थानीय शासन एवं न्याय व्यवस्था में भूमिका का उल्लेख करते हुए लिखा है कि " स्थानीय विवादों का निर्णय ग्राम वृद्वों एवं सामतों द्वारा किया जाता है। यदि ग्राम वृद्व या सामन्त किसी विवादग्रस्त विषय पर निर्णय लेने में मतभेद रखते है तो उस स्थान की जनता की अनुमति से वहां के धार्मिक पुरूष उस विषय पर निर्णय से अथवा मध्यस्थ को नियत कराकर उससे निर्णय करवाया जा सकता है।" उन्होने एक गांव के मुखिया को ग्राम वृद्व पांच गांवों के मुखिया को 'पंचग्रामी' तथा दस गांवों के मुखिया को 'दशग्रामी' कहा। मौर्यकाल में ग्रामीण व्यवस्था अत्यन्त उत्कृष्ट अवस्था में थी। यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के लेखों से इस विषय के बारे में पता चलता है। इस समय ग्राम में ग्राम संघ या ग्राम संस्था होती थी। ये ग्राम संघ अपराधियों को दंड देते थें जुर्माना वसूल करते थे।

हर्षवर्धन के समय में ग्राम के मुखिया अधिकारी का चुनाव होता था। ग्राम की प्रशासनिक गतिविधियों तथा आपराधिक स्थितियों के निराकरण के लिए 'अष्टकुल अधिकरण' नामक समिति अस्तित्व में थी ग्राम के प्रभारी अधिकारी को ग्राम अक्षपटलक कहा जाता था।

पंचायती राज व्यवस्था का सर्वथा परिष्कृत व स्वर्णिम स्वरूप दक्षिण भारत में विशेषतया चोल शासन में दिखाई देता है। [3] चोल प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास थी। ग्राम और नगर परिषदे प्रारम्भिक परिषदे थी, और "नादु" परिषदें प्रतिनिधि परिषदें थीं।

राजा परान्तक प्रथम के दोनो अभिलेख स्थानीय "महासभा" द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव थे जो वरियामों ' या कार्यकारिणी परिषदों की रचना से सम्बन्घित थे। ग्राम के 30 भागो मे से प्रत्येक को निश्चित योग्यता वाले व्यक्तियों मे से एक–एक व्यक्ति मनोनीत करता था। ये योग्यताऐं थी एक चौथाई वैली भूमि का स्वामित्व, अपनी भूमि पर बने घर में निवास 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु और वैदिक मंत्रों का ज्ञान अथवा वेली के आठवें भाग की भूमि का स्वामित्व और एक वेद तथा एक भाष्य का ज्ञान। अनुपयुक्त व्यक्ति वे थे जो पिछले तीन वर्षो से किसी समिति के सदस्य रहे हो किन्तु हिसाब–किताब न दे पाऐ हो और उनके कुछ सम्बन्धी व्यभिचार या कोई बड़ा अपराध करने वाले व्यक्ति और दूसरे लोगों की सम्पति चुराने वाले हो।

ग्राम परिषदों को ग्राम व्यवस्था का सारा कार्यभार सौप दिया जाता था वे ग्राम भूमि की पूर्ण स्वामी थीं ओर कुल भूमिकर को एकत्र करने के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी थी। ग्राम परिषदों को न्याय करने का पूर्णधिकार प्राप्त था। अपने सीमित क्षेत्र के अन्दर वे राज्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करती थीं। सभी प्रकार के सार्वजनिक दान और अनुदान के लिए वे न्यासी का काम करती थी। दुर्भिक्ष और अभाव के समय ग्राम परिषदे लोगो की सहायता करती थीं। यह उनके लिए जीवन निर्वाह के साधन जुटाती थी। इस कार्य के लिए कभी–कभी यह ग्राम के मन्दिर के कोष से उधार भी लेती थी। ग्राम परिषदों को ग्राम के मामले में पूर्णधिकार प्राप्त था और केन्द्रीय सरकार साधारणतः उनमे हस्तक्षेप नही करती थीं। [4]

ब्रिटिश शासन काल में पंचायतों का नया रूप उभरकर आया जिसे पंचायतो का पुनरूदय कहा जा सकता है और आधुनिक पंचायत व्यवस्था का आरम्भ भी ग्रामों के विकास की ओर सबसे पहले ध्यान 1863 में शाही स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट के बाद दिया गया। इस रिपोर्ट में भारतीय गांवो की साफ–सफाई सबन्धी दुर्दशा के बारे में बताया गया था और कहा गया था कि गॉवो की स्वच्छता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित किऐ गये।

14 दिसम्बर 1870 को लार्ड मेयों ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए कौसिल में प्रस्ताव स्थापित करने का पहला प्रयास किया जिसका उद्देश्य प्रशासनिक क्षमता को बढाना तथा वित्तीय साधन जुटाना था। लार्ड रिपन का प्रस्ताव जो 18 मई 1882 में लागू हुआ स्वायत शासन की संस्थाएं स्थापित करने मे मील का पत्थर सिद्व हुआ।[5] जिसमें ग्रामीण स्थानीय बोर्डों के लिए प्रावधान था और इसकी दो तिहाई सदस्यता निर्वाचित तथा गैर सरकारी प्रतिनिधियों की होती थी। कार्यान्वयन की प्रकिया काफी धीमी थी, लेकिन ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की भूमिका बढाई गई थी और स्वशासन शब्द की लोकप्रियता बढी थी। वर्ष 1883 में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत के आत्मनिर्भर गांवो को लघुगणराज्य नाम दिया था। 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द में दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराज, विपिन चन्द्र पाल आदि नेताओ ने ग्रामीण जनता को उसकी प्राचीन ग्राम पंचायतों तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण समाज व्यवस्था की याद दिलाई । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी पुस्तक स्वदेशी समाज मे निम्न स्तर से निर्मित आत्मनिर्भर समाज की कल्पना की। उनके शब्दों में "हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम गॉवों को उनकी पिछली सता लोटा दे, जिससे कि वे अपनी– अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके"।वे चाहते थे कि शासन की उच्चतर इकाईयां निचले स्तर पर आधारित हो।

वर्ष 1907 में अंग्रेजों ने विकेन्द्रीकरण के लिए शाही आयोग गठित किया वह देशभर में घूमा उसने पंचायतों की स्थापना का सुझाव दिया कलकत्ता में 1917 में काग्रेस के अधिवेशन मे दिये गये अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉ एनी.बेसेन्ट ने विकेन्द्रीकरण में शाही कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर थोड़ा सा भी अमल न करने के लिए अकर्मणीय नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया । वर्ष 1919 मे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुझावों के कारण गर्वेमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के पास होने व लागू होने का एक महत्तवपूर्ण परिणाम यह हुआ कि पंचायतों का विषय केन्द्रीय सरकार का न होकर प्रांतीय सरकारों का विषय बन गया।

वर्ष 1922 में गया में हुऐ कांग्रेस के सम्मेलन में देशबन्धु चितरंजन दास ने अपनी पांच सूत्रीय योजना प्रस्तुत की थी। इसमें पंचायतों को भारतीय शासन के पुनर्निर्माण का आधार बनाया गया। देशबन्धु का नारा था"स्वराज्य जनता का होगा तथा जनता ही स्वराज लेगी"।

वर्ष 1935 में प्रान्तों को स्वायत्ता मिली। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का निर्माण होने लगा । वर्ष 1935 के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में जनता के शासन की कई मांग मान ली गई थी। परन्तु पंचायतों की दशा में कोई खास सुधार नही हुआ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् लोकतन्त्र की सबसे छोटी इकाई पचांयतों की स्थापना के बारे में जो सदियों से भारत के शासन संचालन का आधार रही थी संविधान सभा में विचार विमर्श

ही नहीं किया गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान का प्रारूप गॉधी जी को दिखाया तो गांधी जी ने उसे देखकर लौटा दिया और कहा इसके तो पंचायतों की व्यवस्था है ही नही यदि भारत को नष्ट नही होना है तो हमे सबसे निचले स्तर से काम आरम्भ करना होगा, अन्यथा उच्च तथा मध्य का तन्त्र लडखडाकर गिर जाएगा। स्वराज का अर्थ कुछ लोगों के हाथ में क्षमता नही है बल्कि बहुमत के हाथ मे वह क्षमता है जिससे वह शासन को नियंत्रित कर सके अर्थात विकन्द्रीकरण ही भारत के तंत्र का समाधान है।

इसके फलस्वरूप संविधान सभा ने राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों में पंचायत को स्थान दिया ।[6] संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया कि " राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत शासन की इकाइयों के रूप कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो"।[7]

समुदायिक विकास कार्यकम का मूल्यांकन करने के लिए एवं स्थानीय स्वशासन में सुध ाार हेतु अनुशंसायें देने के लिये भारत सरकार ने 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने स्पष्ट किया कि सामुदायिक विकास कार्यकम की बुनियादी त्रुटि यह थी कि इसमें जनता के सहयोग का नितान्त अभाव था। जनता के दिन–प्रतिदिन के जीवन से सम्बन्धित कार्यकम को केवल जनता के द्वारा ही कार्यान्वति किया जा सकता है। समिति के अनुसार ग्राम स्तर पर ऐसी संस्थाओं का गठन कर तथा उनमें सकिय लोगो की सम्बद्वता हासिल करने पर ही विकास संभव होगा। बलवन्त राय मेहता समिति ने तीन सौपानों वाली स्थानीय सरकार की प्रणाली की सिफारिश की जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का नाम दिया। बलवन्त राय मेहता,समिति के पांच मुख्य सिद्वान्त निम्न थे

(1) पंचायती राज संस्थाओं की तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,खण्ड स्तर पर पंचायत समिति जिला स्तर पर जिला परिषद्।

(2) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की निम्न इकाई प्रखण्ड या समिति स्तर को माना जावें

(3) ये संस्थायें निर्वाचित हो। (4) इन संस्थाओं को भरपूर वित्तीय सहायता दी जाये। शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाये (5) विकास का नियोजन एवं कियान्वयन इन्ही संस्थाओं द्वारा होना चाहिए।

अप्रेल 1958 की मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने सितम्बर1959 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधिवत् उद्घोष किया गया।[8]

बलवन्त राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति, जी.वी. के. राव.समिति, डां. लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, पी.के,थुगन समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति आदि का गठन समय समय पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया।

लोकसभा ने 72 वें विधेयक की समीक्षा हेतु संसद सदस्यों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया। स्व. श्री नाथूराम मिर्धा (राजस्थान) की अध्यक्षता मे गठित इस समिति ने उपयोगिता एवं व्यवहारिकता की ,पृ. भूमि में विधेयक के विविध प्रावधानों का अध्ययन कर संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा एवं

अगले दिन राज्य सभा में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित किया गया। [9]. 24 अप्रेल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 73 वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को विधिक मान्यता प्रदान की गयी।

73 वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नवीन भाग 9 को अन्तः स्थापित किया गयाहै। इस भाग में अनुच्छेद 243 क से 243 ण तक है। संविधान में पंचायतों से सम्बन्धित 11 वी अनुसूची भी रखी गयी है। [10] इस अनुसूची में 29 मदें है। जैसे (1) कृषि एवं कृषिविस्तार (2) भूमि सुधार चकबंदी एवं भूसरंक्षण (3)लघु सिचाई जल नियत्रण (4)पशुपालन दुग्ध व्यवसाय एवं मुर्गीपालन (5) मत्स्य व्यवसाय (6) समाजिक वानिकी (7)लघुवन उपज (8)लघुउद्योग(9) खादी ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग (10)ग्रामीण आवास योजनाऐं (11) पीने का पानी (12) ईधन एवं चारागाह (13) स्थानीय सड़के पुलिया आदि(14)ग्रामीण विद्युतीकरण (15) गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतो का विकास (16)ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लक्ष्य हेतु संचालित कार्यकम (17)शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (18) तकनीकी प्रशिक्षण (19)प्रोढ एवं अनौपचारिक शिक्षा(20) पुस्तकालय (21)सांस्कृतिक कार्यकम(22)हाट एवं मेले(23)स्वास्थ्य एवं सफाई (24) परिवार कल्याण (25)महिला एवं बाल विकास (26)समाज कल्याण(27)कमजोर वर्गो का उत्थान (28)सार्वजनिक वितरण प्रणाली(29)सामुदायिक सम्पतियों का संधारण। [11]

24 अप्रेल 1993 को 73 वे संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने तत्काल बाद ही इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। सभी राज्यों को निर्देश दिये गये कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अनुकूल प्रत्येंक राज्य में अधिनियम पारिंत करके एवं राज्य की परस्थितियों को ध्यान में रखकर पंचायतीराज व्यवस्था को एक साल के अन्दर लागू कर दिया जावे। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय अधिनियम के अनुकूल पंचायतीराज अधिनियम 1994 बनाया तथा 23 अप्रेल 1994 को पूरे राजस्थान में इसे लागू कर दिया। [12]

समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किये गये, लेकिन सन् 1999 एवं 2000 में इस अधिनियम मं आमूल चुल परिवर्तत हुए। राजस्थान में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है

(1) पंचायत (2) पंचायत समिति (3)जिला परिषद् पंचायतों में पंच सरपंच एवं उपसंरपच पंचायत समितियों में प्रधान उपप्रधान एवं सदस्य तथा जिला परिषद में जिला प्रमुख उपजिला प्रमुख एवं संदस्य जन प्रतिनिधि होते है। ग्राम पंचायतों के पंचों एवं सरपंचों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। जबकि पंचायत समिति के प्रधान एवं उपप्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख का निर्वाचन कमशः पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिए पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। (धारा 17) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में उन सभी व्यक्तियेां को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है जो

(1) 18 वर्ष से कम आयु का नही है तथा

(2) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में अंकित है। (धारा 18)

योग्यताऐं

अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिऐ अर्हताओं (योग्यताओं)का उल्लेख किया गया है। जैसे–

(1) जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

(2) जो सक्षम न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नही ठहराया गया हे।

(3) जो किसी पंचायती राज संस्था के लाभ का पद धारण नही करता हे।

(4) जो कार्य के लिए उन असमर्थ बनाने वाले किसी शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नही है।

(5) जो सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिऐ दोष सिद्व नही ठहराया गया है।

(6) जिस पर पंचायती राज संस्था का कोई कर या शुल्क बकाया नहीं है।

(7) जो राजस्थान मश्त्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्वदोष नहीं ठहराया गया है।

(8) जो दो से अधिक सन्तान वाला नही है।

(9) जो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्यथा अयोग्य नहीं है।[13]

(10) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना आवश्यक है।

(11) जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं उर्त्तीण होना आवश्यक है तथा सरपंच पद के निर्वाचन के लिए 8 वी उर्त्तीण होना आवश्यक है तथा अनुसूचित क्षेत्र के मामलो में 5 वीं उर्त्तीण होना आवश्यक है।[14]

अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वार पहल कर सरपंचों एवं पंचायत समिति/ जिला परिषदों के पार्षदों के लिए कमशः उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की योग्यता धारक व्यक्तियों को ही निर्वाचन में खडे होने के लिए योग्य घोषित किया गया है। प्रथम दश्ष्ट्या यह पहल बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिगत हो रही है। लेकिन आनन–फानन में किये गये इस महत्तवपूर्ण संशोधन पर कई प्रश्न चिन्ह भी उभरे है। पंचायती राज संस्थाओं की आगामी निर्वाचन प्रकिया प्रारम्भ होने से ठीक पहले अचानक किए गए इस प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रो में प्रतिकूल प्रतिकिया हुई जो स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व में हजारों कार्यरत जनप्रतिनिधिगण आगामी निर्वाचन में भाग लेने से रातोंरात पूर्णतया वंचित हो गये है। यदि ऐसा निर्णय आम जनता की राय लेकर आगामी निर्वाचन से कम से कम चार–पांच नर्ष पूर्न लिया गया, होता तो यह निर्णय उचित अधिक कारगर और सर्वमान्य होता है।

इसी प्रकार का अपवादस्वरूप एवं असमान दो बच्चों से अधिकधारक व्यक्तियों के केवल पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण को अयोग्य घोषित करने वाला पूर्व में किया गया प्रावधान भी सौतेले व्यवहार का परिचायक है। यही प्रावधान राज्य एवं केन्द्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण के लिए अब तक क्यों नहीं किया? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये इस बेमेल प्रावधान से अनेक कठिनाईयां पैदा होने की भी सम्भावना है। विशेषतः राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक है। यह प्रावधान महिला प्रत्याशियों के लिए और भी विकट होगा। राजस्थान जैसे राज्य में महिला शिक्षा पिछडी अवस्था में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर तो किसी भी हालत में प्रत्याशी मिलना प्रायः असम्भव हो जायेगा।[15]

यदि वार्ड में आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार नही हो तो बाहर के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जायेगा, जो उचित नही कहा जा सकता है। ऐसा बाहरी व्यक्ति कब–कब तो क्षेत्र. में आएगा औरऐसा व्यक्ति ग्रामीण जनता के साथ क्या न्याय करेगा।

शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। इससे तो अभिजात्य वर्ग को ही फायदा मिलेगा। पूर्व विधान सभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने बताया है कि विधान सभा में कई पढे लिखे विधायक रहे जो दो दो चुनाव जीत गए, लेकिन विध ानसभा में मुंह नही खोला । ऐसे एक विधायक ने तो पांच बार चुनाव जीता । ऐसे पढे लिखे का क्या मतलब है। यदि शैक्षिण योग्यता इतनी आवश्यक है तो एम.पी. व एम.एल.ए. के लिए जरूरी नही है क्या, वहां कयों नही की? ऐन वक्त पर अध्यादेश लाना ग्रामीण जनता के साथ न्याय नही है। पंचायती राज की मूल भावना के भी विपरीत है कई महिलाए ऐसी है जो शिक्षित नही होने पर भी बेहद लोकप्रिय है। दूसरी बात जब इन जनप्रतिनिधियों के पास एक्जीक्यूटिव पॉवर नही है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्यों लगाई । लगानी ही है तो सरपंच प्रधान जिला प्रमुख पर लगाते ।[16] शैक्षणिक योग्यता में एक समस्या यह आयेगी कि लोग फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज लायेगे जिससे भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा। और यह चुनाव बाद देखने में आया है कई लोगो के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है।[17] यदि इतिहास के गर्भ में देखे तो कुछ महान शासक पढे लिखे नहीं थे और इसके उपरान्त भी उन्होने अच्छा शासन चलाया है इन शासकों में मुगल सम्राट अकबर का नाम मुख्य है। अकबर पढा लिखा नही होने के उपरान्त भी उसे विद्वानों के सत्संग में विशेष रूचि थी। वह ग्रन्थों को पढवाकर सुनता था। उसकी बौद्विक क्षमता अद्‌भुत भी तथा गूढं और जटिल समस्याओं को समझने की उसमें असाधारण क्षमता थी।

इतिहासकार विंसेन्ट स्मिथ भी स्वीकार करता है कि "वह महानता का अधिकारी हैं। यह अधिकार उसे अपनी अलौकिक प्राकृतिक प्रतिभा मौलिक विचारों तथा गौरवपूर्ण कार्यो के आधार पर प्राप्त है।"

इसी तरह शिवाजी व मैसूर शासक हैदरअली भी पढ़ेलिखे नही थे।शिवाजी साक्षर नही होने के बावजूद भी उनमें शासन की कठिन से कठिन उलझनों को समझने की योग्यता थी। वे राजनीति और शासन विज्ञान में अनुपमेय थें प्राचीन ग्रीस की कहावत के अनुसार "वह मनुष्य में राजा था जिसमें दैविक शक्ति और ज्ञान था। "शिवाजी केवल मराठा जाति के ही निर्माणकर्ता नही थें अपितु वें मध्य कालीन भारत वर्ष के निर्माण कर्ता थें। शिवाजी जैसे सच्चे राष्ट्रनायक राजा की गाथा समस्त मानव जाति को एक महान ऐतिहासिक देन है। जो युग–युगान्तर तक भावी युगों के मस्तिष्कों को नई कल्पना नई स्फूर्ति नई विचारधारा और नई कर्म शक्ति की प्रेरणा देती रहेगी।[18]

हैदरअली अशिक्षित होते हुए भी उच्च कोटि का कुटनीतिज्ञ था। आधुनिक भारत के इतिहास में हैदर अली का स्थान भारत के प्रमुख शासको में है। जिन परिस्थतियों में उसने मैसूर राज्य का निर्माण किया वह उसकी योग्यता का प्रमाण था। अंग्रेज सेनानायाक मुनरों ने उसके प्रशासन की नियमिता एवं कुशलता की बडी प्रशंसा की है। एक शासक सैनिक और सेनापति की दृष्टि से वह पूर्णतया योग्य था।[19]

पिछले कुछ वर्षों में राबड़ी देवी अनपढ होते हुए भी बिहार की मुख्यमंत्री रही। इसी तरह राजस्थान मंन्त्रिमण्डल मे गोलमा देवी को मंत्री बनाया गया।

महात्मा गांधी ने यंग इण्डिया में लिखा है "प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का संचालन केन्द्र में बैठे 20 व्यक्तियों से नही वरन् प्रत्येक गांव में निवास कर रहे ग्रामीण जन द्वारा होगा" ।[20]

लास्की ने लिखा है "राज्य को अपने नागरिको से वफादारी की न्यायसंगत अपेक्षा करने से पहले, उन्हे वह सब कुछ प्राप्त कराना चाहिए जो उन्हे देय है।

लोकतन्त्र जनता का शासन है और इसके लिए जनता को नागरिक सता के स्त्रोतों तक पहुचने का अधिकार होना चाहिए । अतः व्यक्ति को राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए जैसे कि वोट देने चुनाव लड़ने और राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार। ये सभी अधिकार नागरिक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होने चाहिएं।[21]

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में कुल साक्षरता ही 66.11 प्रतिशत है इसमें महिलाओं की साक्षरता तो 47.76 प्रतिशत है। ग्रामीण इलाकों मे तो सिर्फ 42.2 प्रतिशत महिलाऐ ही साक्षर है। 68 वर्षों में राज्य सरकार लोगों को शिक्षित नही कर पाई है। राजस्थान में 20 वर्ष व उससे अधिक उम्र की ग्रामीण जनसंख्या में कुल 82.5 प्रतिशत पांचवी पास नही है ग्रामीण महिलाओं में तो 95 प्रतिशत ने पांचवी तक पढाई नही की है। हम कल्पना कर सकते है कि कितनी महिलाए 5वीं,8वीं और 10 वीं पास होगी। अतः महिलाओ को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद उन्ही महिलाओं मे से अधिकतम को चुनाव लडने से वंचित रखा जा रहा है। अच्छा होता की सरकार इस कदम को उठाने के बजाय संकल्प लेती कि कोई भी लड़का या लड़की 10 वीं तक कि शिक्षा से वंचित नही रहेगे।

राजस्थान विधानसभा में ही वर्तमान में भा.ज.पा के 6 विधान सभा सदस्य अशिक्षित है, और 23 सदस्य 10 वी पास नही है। राज्य विधानसभा में कुल 28 विधायक दसवीं पास नहीं है। ये अत्यन्त भेदभाव पूर्ण निर्णय है।[22]

अतः अध्यादेश पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

संदर्भ --

1. महीपाल "पंचायतीराज" चुनौतियां एवं सम्भानाए" नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया संस्करण 2004 ,पृ. 3–4
2. डॉ जोशी आर.पी. डॉ मंगलानी रूपा" भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर संस्करण 2003 ,पृ. 8
3. निशीथ शर्मा राकेश"पंचायती राज तब और अब" जाह्नवी प्रकाशन दिल्ली संस्करण 2011 पृष्ठ 12–13
4. महाजन वी.डी" प्राचीन भारत का इतिहास 'एस चन्द एण्ड कम्पनी नई दिल्ली संस्करण 2010 ,पृ. 747–748
5. महीपाल "पंचायतीराज" चुनौतियॉं एवं सम्भावनाऐं नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया संस्करण 2004 ,पृ. सं. 6–7
6. निशीथ शर्मा राकेश"पंचायती राज तब और अब" जाह्नवी प्रकाशन दिल्ली संस्करण 2011 पृष्ठ 15–18

7. बसु दुर्गादास" भारत का संविधान एक परिचय वाधवा एण्ड कम्पनी संस्करण 2001 ,पृ. 269
8. डॉ जोशी आर.पी. डॉ मंगलानी रूपा" भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर संस्करण 2003 ,पृ. 13
9. मिश्र निरंजन "भारत के पंचायती राज परिबोध जयपुर संस्करण 2006 ,पृ. 49
10. डॉ जोशी आर.पी. डॉ मंगलानी रूपा" भारत में पंचायतीराज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर संस्करण 2003 ,पृ. 18–19
11. मिश्र निरंजन "भारत में पंचायती राज परिबोध जयपुर संस्करण 2006 ,पृ. 50–51
12. परमार श्रीमति आशा दलित महिलाओं का सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज संस्थाएँ राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रस्तुत शोध प्रबन्ध संस्करण 2012 पृष्ठ सं. 100
13. डॉ बावेल बंसतीलाल पंचायतीराज एंव ग्रामीण विकास योजनाएं राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर संस्करण 2010 ,पृ. 02–03
14. राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान :पत्र कमांक एफ 7 (1) पंचा/रा नि आ/ 14–15 /99 दि. 02.01.2015 ,पृ. सं. 1–3
15. शर्मा भागीरथ आई ए एस रिटायर्ड पूर्व सदस्य प्रशासनिक सुधार आयोग जनता की राय लेकर ही करते फेसला" राजस्थान पत्रिका लेख दिनांक 27.12.2014 पृ. 6I
16. सिंह सुमित्रा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान "ऐन मौके पर प्रावधान बदलना ठीक नही।" राजस्थान पत्रिका लेख दिनं27.12.2014 ,पृ. 6
17. "चुनाव में 8 वीं पास बी.पी.एल व भामाशाह कार्ड में निरक्षर" राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.02.2015 ,पृ. –18
18. डां. महाजन वीडी मध्यकालीन भारत" एस चन्द एण्ड कम्पनी नई दिल्ली संस्करण 2013 ,पृ. 71–72,144
19. डॉ शर्मा कालूराम डॉ व्यास प्रकाश आधुनिक भारत का इतिहास, पंचशील प्रकाशन जयपुर संस्करण 2013 पृ. 125
20. मिश्र निरंजन "भारत में पंचायती राज परिबोध जयपुर संस्करण 2006 ,पृ. 16
21. संधु ज्ञान सिहं "राजनिति सिद्वान्त" हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय संस्करण 1997 ,पृ. 216–217
22. राय अरूणा "मजदूर किसान शक्ति संगठन" पंचायत चुनावः राजस्थान सरकार ने लागू की शैक्षणिक योग्यता। राजस्थान पत्रिका लेख : दिनं 27.12.2014 पृष्ठ 6

ISSN : 2249-2976

सोचो !

विडंबना की बात है कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आते ही घोर छदम् पंथनिरपेक्षतावादी बन जाता है।

-आचार्य शीलक राम

'Pramāna' is a quarterly peer reviewed publication of Acharya Academy listed at : Ulrich's periodicals Directory ProQuest. U.S.A., Copernicus Poland & Research Bib, Japan is acceptable for publication including original research papers, review research papers and all publication becomes the property of the journal.

Publisher :

Acharya Academy

Acharya Shilak Ram

V.P.O. Chuliyana Rohaj-124527, Distt. Rohtak (Haryana) India

Mob. : 9992885894, 9813013065

www.chintanresearchjournal.com

e-mail : shilakram9@gmail.com

jangratoday@gmail.com

जन प्रतिनिधियों के साक्षात्कार

जनप्रतिनिधि का नाम ....

पद ....

शिक्षा ....

ग्राम .... वार्ड संख्या......................

पंचायत समिति/ग्राम पंचायत ....

जन प्रतिनिधियों से साक्षात्कार में किये गये प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानते/जानती हैं ?

प्रश्न 2. आपको पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में भाग लेने की प्रेरणा कहां से मिली ?

प्रश्न 3. आप कितने वर्षो से पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तथा किन–किन पदों पर कार्य किया हैं ?

प्रश्न 4. पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली किस प्रकार की हैं ? क्या पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य कर रही हैं ?

प्रश्न 5. क्या विकास के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भेदभाव किया जाता हैं ?

प्रश्न 6. आप पंचायत या पंचायत समिति के कार्य को किससे जानकारी लेकर करते/करती हैं ?

प्रश्न 7. क्या आप पंचायत या पंचायत समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते/लेती हैं ?

प्रश्न 8. आपके गांव/कस्बे की प्रमुख समस्या क्या हैं ? इन समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता हैं ?

प्रश्न 9. आपको विकास के कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती हैं ?

प्रश्न 10. पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में निर्णय किस तरह लिए जाते हैं ? इनमें आपकी क्या भूमिका रहती हैं ?

प्रश्न 11. क्या आपने राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में भाग लिया हैं ?

प्रश्न 12. पंचायती राज संस्थाएं कौन–कौन से कार्य करती हैं ?

प्रश्न 13. क्या आपको पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गये विभागों की जानकारी हैं ? कुछ विभागों के नाम बताओं।

प्रश्न 14. आपको पर्यावरण के बारे में जानकारी हैं ? पर्यावरण प्रदूषण किन–किन कारणों से हो रहा हैं ?

प्रश्न 15. पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में आपको जानकारी हैं ?

प्रश्न 16. पंचायती राज संस्थाओं के पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कौन–कौन से कार्य हैं ? क्या आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई प्रयास किया हैं ?

प्रश्न 17. आपके यहां प्रदूषण की कौनसी मुख्य समस्या हैं ? इस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या प्रयास किये हैं ?

प्रश्न 18. पिछले कुछ वर्षो में आपने गांवों/शहरों में कितना पौधारोपण किया ?

प्रश्न 19. क्या आपने पर्यावरण संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक किया हैं तथा पर्यावरण संरक्षण से जन समुदाय को होने वाले लाभों के बारे में जानकारी प्रदान की हैं ?

प्रश्न 20. क्या आपको पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की जानकारी हैं ? कौन–कौनसी योजनाएं सरकार ने शुरू कर रखी हैं ? नाम बताओं।

प्रश्न 21. क्या आप किसानों को मिट्टी की उर्वरता हेतु जैविक खाद प्रयोग करने हेतु प्रेरित करते हैं ?

प्रश्न 22. गांवों/शहरों में प्लास्टिक से बने सामानों के प्रयोग पर कितनी रोक लगी हैं ? क्या आपने प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जनसमुदाय को जानकरी दी हैं ?

प्रश्न 23. क्या गांवों/शहरों में स्वच्छता सम्बन्धी कार्य शुरू किया हैं ?

प्रश्न 24. क्या गांवों/कस्बों में नदी, तालाबों, कुओं में पानी स्वच्छ हैं ?

प्रश्न 25. वनों की कटाई रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किये ?

प्रश्न 26. क्या आपने ग्रामीण जनसमुदाय को सामाजिक वानिकी योजना के बारे में बताया हैं ?

प्रश्न 27. गांवों/कस्बों में लोग ईंधन की आपूर्ति किस प्रकार करते हैं ? क्या वह जंगल में वृक्षो को काटकर वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाते हैं ?

प्रश्न 28. अब तक पंचायती राज संस्थाओं ने पौधारोपण से सम्बन्धित कितना कार्य किया ?

प्रश्न 29. क्या ग्रामीण क्षेत्रो में अवशिष्ट पदार्थ/कचरा डालने की उचित व्यवस्था हैं ?

प्रश्न 30. क्या ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों का निर्माण किया गया हैं ?

प्रश्न 31. ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

प्रश्न 32. आपकी ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र हैं ?

प्रश्न 33. क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कोई उद्योग/कारखाना चल रहा हैं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हैं ?

प्रश्न 34. क्या ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गई राशि से पर्यावरण संरक्षण कार्य में कुछ लाभ हुआ हैं ?

प्रश्न 35. क्या आपको पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित कानूनों की जानकारी हैं ?

प्रश्न 36. ग्रीन हाउस क्या हैं ? क्या आपके गांव/नगर का तापमान बढ़ रहा हैं ?

प्रश्न 37. भूमि पर मल–जल व्यावसायिक बहिस्राव के उपचार और वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी तरीका क्या हैं ?

प्रश्न 38. क्या पर्यावरण संरक्षण में किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं ?

प्रश्न 49. पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, क्या आप इस मत से सहमत हैं ?

प्रश्न 40. क्या पंचायती राज संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु और अधिकारों की आवश्यकता है ?

प्रश्न 41. आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन–कौन से वृक्ष पाये जाते हैं ?

प्रश्न 42. कौन–कौन से वृक्ष आपके क्षेत्र में आसानी से लगाये जा सकते हैं ?

प्रश्न 43. आपके अनुसार किस ग्राम पंचायत में पर्यावरण संरक्षण का कार्य अच्छी तरह सफल रहा हैं।

प्रश्न 44. अब तक पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर कौन से जन जागरण कार्यक्रम चलाये गयें।

प्रश्न 45. आपके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के प्रयास से पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय सोच में कितना बदलाव आया हैं ?

प्रश्न 46. अब तक झालरापाटन पंचायत समिति में पिछले वर्षो में मुख्यतः कौन–कौन से पौधे लगाये गये हैं ? क्या यह पौधे ठीक अवस्था में हैं ?

प्रश्न 47. क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को आपके स्तर पर सहयोग प्रदान किया हैं ?

प्रश्न 48. क्या ग्राम पंचायत लावासल, असनावर, जूनाखेडा में कोई गैर सरकारी या स्वयं सेवी संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं ?

प्रश्न 49. आपके अनुसार पर्यावरण संरक्षण की योजनाएं कितनी सफल या असफल रही हैं ?

प्रश्न 50. पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ?

सहयोग के लिए धन्यवाद।

हस्ताक्षर जनप्रतिनिधि

साक्षात्कार देने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम

क्र. सं.	नाम जनप्रतिनिधि	वार्ड संख्या	पद	पंचायत समिति/ग्राम पंचायत
1.	श्रीमती सोहन बाई	–	प्रधान	पंचायत समिति, झालरापाटन
2.	श्री भवानी सिंह गुर्जर	–	उपप्रधान	पंचायत समिति, झालरापाटन
3.	श्रीमती ममता बाई	–	सदस्य	पंचायत समिति, झालरापाटन
4.	श्री छीतरलाल	–	सदस्य	पंचायत समिति, झालरापाटन
5.	हरीश पाटीदार	–	सरपंच	ग्राम पंचायत, असनावर
6.	रामस्वरूप	01	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
7.	भूली बाई	02	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
8.	राजेन्द्र कुमार	03	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
9.	सुमित्रा बाई	04	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
10.	संतोष बाई	05	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
11.	पूरी बाई	06	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
12.	बिरधी चन्द्र	07	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
13.	रामगोपाल	08	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
14.	कंवरी बाई	09	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
15.	भंवर लाल	10	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
16.	मोहन लाल	11	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
17.	रामकल्याण	12	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
18.	श्याम बाई	13	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
19.	गीता बाई	14	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
20.	प्रकाश शर्मा	15	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, असनावर
21.	श्रीमती आशा बेनीवाल		सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा

22.	कंवर लाल लोधा	01	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
23.	नानी बाई मेघवाल	02	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
24.	गोरीलाल भील	03	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
25.	उमाशंकर पाटीदार	04	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
26.	मांगी बाई पाटीदार	05	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
27.	परमानन्द पाटीदार	06	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
28.	पार्वती बाई मेघवाल	07	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
29.	चम्पीबाई भील	08	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
30.	भैरूलाल भील	09	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
31.	सुहाग बाई मेघवाल	10	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
32.	मांगी बाई भील	11	सरपंच	ग्राम पंचायत, जूनाखेड़ा
33.	श्रीमती अर्चना गुर्जर		सरपंच	ग्राम पंचायत, लावासल
34.	श्रीमती रहमत बाई	01	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
35.	श्रीमती भरोसी बाई	02	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
36.	श्रीमती मेहताब बाई भील	03	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
37.	श्रीमती संतोष बाई भील	04	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
38.	हरि सिंह भील	05	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
39.	श्री रमेश चन्द्र मेघवाल	06	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
40.	श्री रत्तीराम लोधा	07	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
41.	श्री बंशी लाल पाटीदार	08	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल
42.	श्री राजेश कुमार पाटीदार	09	वार्ड पंच	ग्राम पंचायत, लावासल

पंचायत समिति झालरापाटन के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत
1.	डूंगरगांव
2.	टाण्डीसोहनपुरा
3.	बडौदिया
4.	खेड़ला
5.	असनावर
6.	जूनाखेड़ा
7.	लावासल
8.	अकतासा
9.	पनवासा
10.	रूपारेल
11.	गोरधनपुरा
12.	मण्डावर
13.	कोलाना
14.	गोविन्दपुरा
15.	गिरधपुरा
16.	पिपलोद
17.	बोरदा
18.	डोण्डा
19.	झूमकी
20.	कनवाडा
21.	रूण्डलाव
22.	तीतरवासा
23.	सालरिया
24.	खानपुरिया
25.	समराई
26.	कलमण्डीकला
27.	सलौतिया
28.	दुर्गपुरा
29.	गागरोन